खण्ड-389, अंक-7
शुक्रवार, 28 माघ, शक संवत् 1910
(17 फरवरी, 1989 ई0)

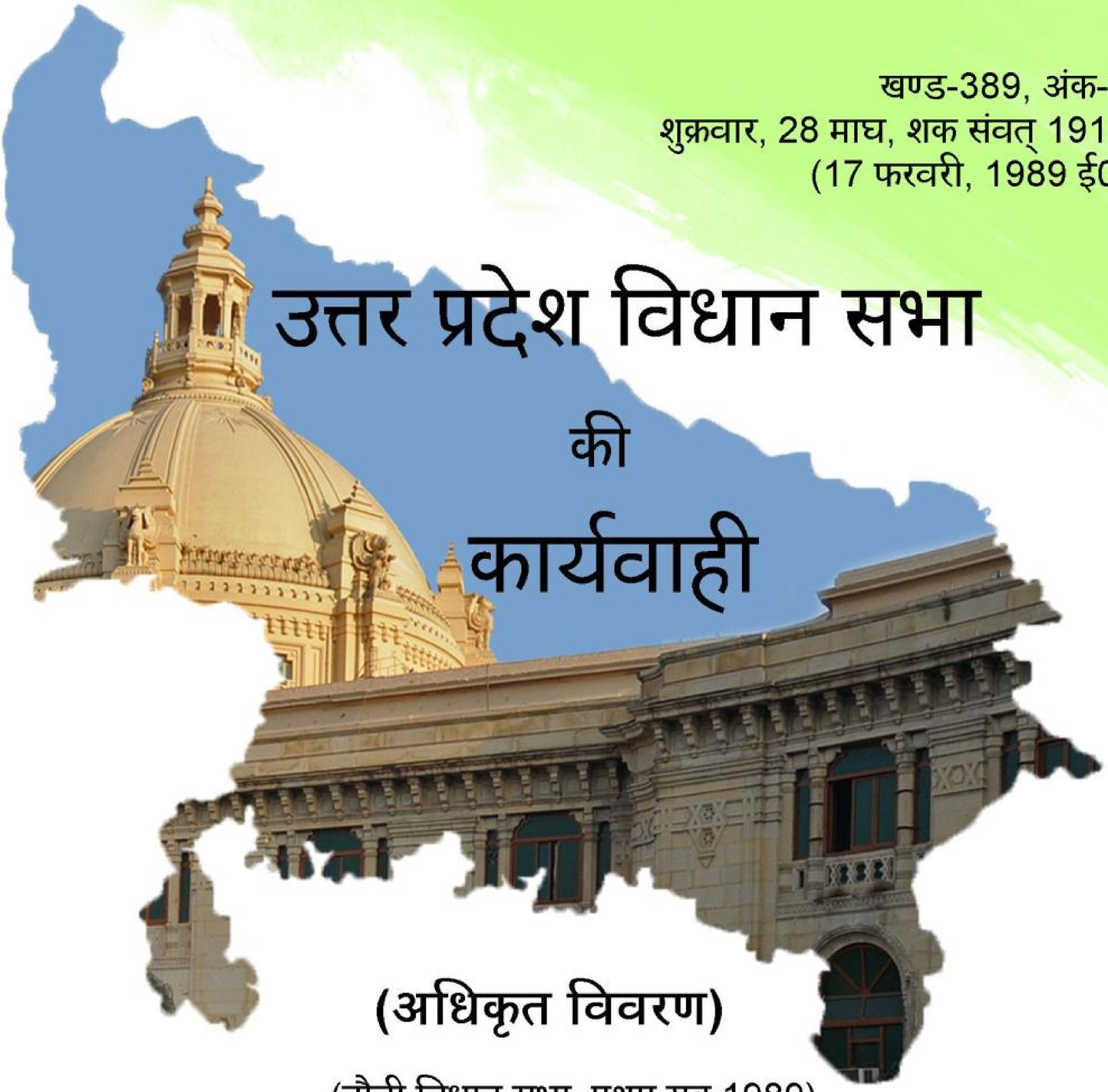

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
सदन में कोरम का अभाव	1
प्रश्नोत्तर	1–109
आज की कार्यसूची में नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	110
अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) लखनऊ द्वारा सस्ते गल्ले के दूकानदारों के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
जिला गाजीपुर के मन्टेहूं-सलामतपुर मार्ग पर लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जिला लखनऊ के ग्राम खुशहालगंज के ग्राम प्रधान से आपसी रंजिश के कारण मंदिर आदि को तोड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115
जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र के बिजली विभाग के कर्मचारियों की धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड करंजा कलां के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्यालय की चाबी लेकर फरार हो जाने के संबंध में नियम 301 के .. अन्तर्गत सूचना	116
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	117
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	126
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	126
मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1989 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	126
झांसी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरुसराय को उच्चीकृत किये जाने विषयक श्री राम भरोसे तिवारी आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	126
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	127
जिला फैजाबाद में दंगा के संबंध में जांच रिपोर्ट को नियम 301 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	152
राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च है, के सम्पूर्ण कार्यकलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	175
दिनांक 10 फरवरी, 1989 की रात्रि से के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के जूनियर डाक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	175
नत्थियां	179

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजकर 3 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अजीत प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
औसान सिंह, श्री	इटावा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
काजी कलीमुर्रहमान, श्री	आजमगढ़
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कोकब हमीद, श्री	मेरठ
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गौरी शंकर श्री	इटावा
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
चारूशीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
निसार हुसैन, श्री	रामपुर
पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रेमीला बढ़वार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
फजले मसूद, श्री	देवरिया
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
बलदेव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले" श्री	बुलन्दशहर
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
मंगलदेव, श्री	गोंडा
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
मुहर्रम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
रामऔतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम लखन, श्री	सीतापुर
राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
रेवतीरमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवानन्द नौटियाल, डा0	चमोली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू श्री	गोरखपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र, श्री	आगरा
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्तन बड़थवाल, श्री	चमोली
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन में कोरम का अभाव

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप माननीय संसदीय कार्यमंत्री को इंगित करें कि कोरम इतनी देर से क्यों हुआ ? यह मान्यवर, इधर-उधर घूमते रहते हैं...

(हंसी)

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 1989

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला योजनाओं के कार्य हेतु आवंटित धन एवं समयावधि में योजना कार्यों का पूरा किया जाना

***1–श्री हर्षवर्धन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1988-89 की जिला योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के लिए 22 जनवरी, 1989 तक धन अवमुक्त नहीं किया गया था ? यदि हां, तो इस विलम्ब के कारण क्या हैं तथा जिला योजना के कार्य समयावधि पर पूरे हो जायं इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जी नहीं ।

जिला योजना के कार्यों हेतु वर्ष 1988–89 में 22 जनवरी, 1989 तक 75.87 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता । जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है।

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1988–89 के लिए जिलान्तर्गत कुल कितनी व्यय की धनराशि स्वीकृत की गयी थी और उसमें से कितनी धनराशि भेजी जा चुकी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, 75 करोड़ 87 लाख की धनराशि स्वीकृत थी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें वह जिस चीज को जानना चाहते वह उसे साफ-साफ नहीं पूछ पाये हैं । उनका आशय शेड्यूल आफ न्यू डिमान्ड्स से रहा होगा और वह यह जानना चाहते होंगे कि नये कार्यों के लिए पैसा गया या नहीं । मैं उनको बतला दूं की 10 करोड़ रुपया नई योजनाओं के लिए स्वीकृत था...

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप कृपया यह स्पष्ट बतायें कि 1988-89 के लिए, 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, कुल कितनी धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत थी और उसमें से कितना धन जिले वार भेजा जा चुका है । हमारी सूचना यह है कि आगरा जनपद के लिए जितनी धनराशि स्वीकृत थी उसका एक चौथाई पैसा भी नहीं भेजा गया है ?

श्री अम्मार रिजवी–

पूरी धनराशि तो करीब 88 करोड़ है । इसके अन्तर्गत जो कार्य जारी थे उसके लिये 78.3 करोड़ रुपया है और 10 करोड़ रुपया नये कार्यों के लिए है । माननीय सदस्य ने आगरा के लिए जो बात कही है तो मान्यवर, मैं उनकी जानकारी के लिए बतला दूं कि आगरा जनपद के लिए 1 करोड़ 2 लाख रुपया 25 मई, 1988 को ही भेजा गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैंने यह पूछा था कि कुल कितनी धनराशि स्वीकृत थी और आपने अब तक कितनी भेजी है । मेरी सूचना यह है कि अब तक एक चौथाई भी धनराशि नहीं भेजी गई है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जो काम वहां स्वीकृत होते हैं उनको आप स्वयं जानते हैं और उनकी संख्या ज्यादा होती है जो धनराशि भेजी जाती है वह सीमित होती है । मैंने जो निवेदन किया आगरा को 1 करोड़ 2 लाख भेजा जा चुका है शेष 10 करोड़ के अन्दर जो भी उनका हिस्सा होगा भेजा जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

हर जिले में जिला नियोजन अनुश्रवण समितियां हैं वह जिले का प्लान बना कर भेजती हैं । तो वर्ष भर के अनुश्रवण समितियों के प्लान आ गये हैं तो क्या उन सब को शासन स्तर से स्वीकृति मिल गयी है । तो जो धन उन्होंने भेजा है उसको खर्च करने की अनुमति पत्र भी भेज दिये गये हैं या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जहां तक दूसरे विभागों का संबंध है उसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है । जहां तक पी0 डब्लू0 डी0 का सवाल है वह मैंने अभी निवेदन किया 10 करोड़ रुपये जो नये कार्यों के लिये है उसकी स्वीकृति जाना बाकी है, शेष की जा चुकी है और जिलों में पहुंच चुकी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल यह है कि जिला नियोजन समितियों से जो प्रस्ताव आये हैं शासन से उनको स्वीकृति मिल चुकी है । पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में बता दें कि जो धन अवमुक्त किया गया है उसको खर्च करने की अनुमति भेज दी है अन्यथा बिना अनुमति के वह यूनिटाइज नहीं हो रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित जो नये कार्यों की स्वीकृति है वह जा रही है या दो एक दिन में चली जायेगी और धन पहले जा चुका है ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद में 1988–89 के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और कितना धन गोरखपुर के लिये सा0 नि0 विभाग को भेजा गया है ?

श्री अम्मार रिजवी–

गोरखपुर के लिये 2 करोड़ 77 लाख रु0 मई, 88 में भेजा जा चुका है ।

श्री मैनेजर सिंह–

कुल परिव्यय नये कार्यों और चालू कार्यों के लिये कितना स्वीकृत था और कितना धन अवमुक्त किया गया ? क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष कुछ जिलों को धन अवमुक्त कर दिया जाता है जैसे सुल्तानपुर, रायबरेली या सीतापुर को पूरा धन अवमुक्त कर दिया जाता है और कुछ को सरेण्डर होने पर दिया जाता है। तो आज क्या स्थिति है फरवरी हो गया है ?

श्री अम्मार रिजवी–

टोटल आउट ले 89 का 88 करोड़ 3 लाख जो कार्य जारी थे 78 करोड़ 3 लाख और नये कामों का एस0 एन0 डीज का 10 करोड़ ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जिला योजना में समीक्षा के साथ धन आवंटन के प्रस्ताव आते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिला योजनाओं का जो नये सम्पर्क मार्गों, खड़ंजों, पैटिंग स्तर तक की सड़कों का प्रस्ताव आया है, इसमें क्या कोई कटौती का प्रस्ताव शासन में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इन मदों का धन काटकर 50 करोड़ रुपया सिटी रोड्स ग्रान्ट में देने का प्रयास है और जो देवरिया जनपद का प्रस्ताव आया है, उसमें क्या स्थिति है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जहां देवरिया जनपद से सम्बन्धित बात है, इसके लिए आप अलग से प्रश्न करें, इसे मैं अलग से बता दूंगा । किन्तु जो पहला प्रश्न किया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सड़कें बनाई जा रही हैं, जो पैसा शैड्यूल आफ न्यु डिमाण्ड में जा रहा है, वो इन प्रस्तावों के लिए आया है, जो जिला योजनाएं यहां प्राप्त हुई हैं । यह सही है कि जितने प्रस्ताव पास हुए हैं, पूरे के अगेन्स्ट यहां से सैंक्शन नहीं की जा सकी है, क्योंकि प्रस्ताव बहुत ज्यादा मिले हैं और हमारे पास धन का अभाव है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

(व्यवधान) जिला योजनाओं का 50 करोड़ रुपया काटकर सिटी रोड्स ग्रान्ट में तब्दील कर दिया गया है और वहां पर वह भेज दिया गया है, (व्यवधान) 50 करोड़ रुपया नये सम्पर्क मार्ग का और नये निर्माण का काटकर सिटी रोड ग्रान्ट में भेज दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री अम्मार रिजवी–

यह जो शाही जी ने बात कही . . (व्यवधान) जो सड़कें, 42 डिस्ट्रिक्ट हेड-क्वार्टर पर बनाने की बात चलाई गई, उसके लिए उसमें से कुछ समय के लिए वह रुपया हमें लेना पड़ा (व्यवधान) मैं कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहता, हर एक चीज सम्मानित सदस्यों के सामने बताना चाहूंगा । वह रुपया जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर रोड्स के लिए गया, उसमें से रुपया लिया गया, लेकिन शैड्यूल आफ न्यु डिमाण्डस से उसकी जहां जरूरत है, दे रहे हैं । जो गांवों का एलाटमेंट है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण नियोजन में जब जिला प्लान में पी0 डब्लू0 डी0 की जितनी धनराशि उस जिले में आवंटित करते हैं और अपने प्लान बनाकर प्रस्ताव भेजते हैं, फिर उनमें से पी0 डब्लू0 डी0 या राज्य स्तर पर कटौती करने का क्या औचित्य है ? आवंटन के बावजूद यह यहां पर फिर तीन करोड़ को दो करोड़ कर देते हैं, कहीं पूरा दे देते हैं और जहां चीफ इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की पटरी नहीं बैठी वहां काट देते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

इसका कोई औचित्य नहीं है । जो बात है वह यह है कि जहां-जहां जिस जिले से जितनी प्लान उनको दी गई, और उसके अन्तर्गत कोई योजना आती है, तो यहां से उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा एक निवेदन है यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है । यह कितना गम्भीर है, सारे प्रदेश के विकास से यह जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में सरकार कितना गम्भीर है, वह आपने देखा जो एस0 एन0 डी0 जे0 के काम थे उसकी स्वीकृति यह अब भेज रहे हैं । अब फण्ड रिलीज करेंगे तो मार्च में कैसे पूरा होगा सारा ? यह कमीशन खोरी और रिश्वत खोरी को बढ़ाने वाला काम है । अतः सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बाहर चले गये ।)

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, जिला योजनाओं में जिन किसानों की जमीन सड़के बनाने आदि के लिए ले ली जाती है उनका मुआवजा देने के बारे में क्या सरकार कोई घोषणा करेगी ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वित्तीय स्वीकृति बहुत विलम्ब से की जा रही है शासन की इन नीतियों के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया ।)

कृषि क्षेत्र में कार्यरत कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण की मांग

xx*2–श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या श्रम मंत्री कृषि क्षेत्र में कार्यरत कृषि मजदूरों की न्यूनतम दरें बढ़ने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा, वन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)–

कृषि क्षेत्र के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासकीय अधिसूचना दिनांक 16-1-89 द्वारा आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा चुका है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह श्रम विभाग के बारे में जानते नहीं हैं और इनको श्रम विभाग का भार सौंप दिया गया है । जब मंत्री जी सचिवालय में मौजूद हैं तो उनको बुलाया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

आप देखियेगा तो मैं कितना श्रम जीवी हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मंत्री जी जब मौजूद हैं तो उन्हें ऐसे अयोग्य मंत्री जी से जवाब नहीं दिलवाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अगर यह अधिसूचना संलग्न कर देते तो आसानी हो जाती, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि जो न्यूनतम मजदूरी प्रस्तावित की है वह क्या है ? पहले न्यूनतम मजदूरी की दरें कब प्रस्तावित की गईं और कब से लागू की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष वेतन-वृद्धि मिलती है कृषि उत्पादन की लागत भी बढ़ाई जाती है, तो क्या मंत्री जी कृषि मजदूरों की मजदूरी बजट में बढ़ाने का प्राविधान करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो दरें हमने प्रस्तावित की हैं 16-1-89 को उसके बारे में बताना चाहूंगा । पूर्वी सम्भाग के लिए 15 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 390 रुपये प्रतिमाह किया है । केन्द्रीय सम्भाग बुन्देलखण्ड जो है 16 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 416 रुपये प्रतिमाह किया है । पर्वतीय सम्भाग के लिए 17 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 442 रुपये प्रतिमाह, पश्चिमी सम्भाग में रुहेलखण्ड और बरेली मंडल आता है यहां 18 रुपया प्रतिदिन अधिकतम 468 रुपये प्रतिमाह किया गया है ।

इसके पूर्व दो श्रेणियों में यह थीं । पूर्वी, मध्य, बुन्देलखण्ड और पर्वतीय एक श्रेणी थी जिसकी दर 11 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन 229 रुपए प्रतिमाह अधिकतम थी । पश्चिमी सम्भाग के लिये 12 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन और अधिकतम 325 रुपये प्रतिमाह थी ।

मान्यवर, यह पूर्व की निर्धारित दरें मैंने बतायी हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसके पूर्व कब रिवीजन हुआ है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके पूर्व 28 मई, 1987 को रिवीजन किया गया था । अब उसके 2 वर्ष बाद फिर प्रस्तावित किया है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव प्रकाशित करवाया गया है इसका आधार क्या है ? मैं जानना चाहता हूं

कि उत्तर प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की यूनियन, खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधियों श्रम विभाग के अधिकारियों , ट्रेड यूनियनों से परामर्श करके पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव किया है या सिर्फ सरकार के अधिकारियों ने यह प्रस्ताव किया है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव किया है उस संबंध में उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी परामर्श दाता मण्डल बनाया गया है। जो प्रस्ताव किया जाता है तो उसके लिए पूरे दो महीने का समय दिया जाता है और उसमें जो प्रतिवेदन आते हैं चाहे वह खेतिहर मजदूरों की तरफ से आते हैं या काश्तकारों की तरफ से आते हैं या प्रदेश के श्रमिकों की तरफ से आते हैं या असंगठित मजदूरों की तरफ से आते हैं उनका वहां समुचित परीक्षण किया जाता है तब कोई फैसला करते हैं । इस परामर्श दाता मंडल में हर किस्म के प्रतिनिधि होते हैं ।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शुगर कारपोरेशन के जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है तो क्या इसके लिए आदेश पारित करेंगे क्यों कि वह अभी तक न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वैसे तो यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन जो हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट, 1984 का है उसके शेड्यूल में 65 ऐसे नियोजन दिये गये हैं जिन पर यह एक्ट लागू होता है। उनमें समय-समय पर हम मजदूरों की मजदूरी निश्चित करते हैं उसमें कृषि भी आती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं यह जानना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज एक्ट में यह प्राविधान किया गया है, वेज रिवीजन की उसमें प्रक्रिया दी हुई है कि इस अवधि के भीतर वेज रिवीजन करने के बारे में नोटीफिकेशन करेंगे । जो वर्कमैन की परिभाषा में मजदूर आते हैं उनको इसका लाभ मिलता है लेकिन जो खेतिहर मजदूर हैं वह वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं इसलिये जो लाभ उनको होना चाहिये वह नहीं हो पाता । तो क्या खेतिहर मजदूरों को भी वर्कमैन की परिभाषा में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मिनिमम वेजेज एक्ट के शेड्यूल–2 में कृषि के असंगठित मजदूर आते हैं और 1952 से कृषि मजदूरों के वेजेज को फिक्स करना शुरू किया है और हर 5 साल बाद उनको रिवाइज करते थे । 1980 में भारत के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें निश्चित किया गया था कि इनके वेजेज भी हर 2 साल बाद रिवाइज किये जायं । तो इनके वेजेज 87 में रिवाइज किये गये थे और 2 वर्ष बाद पुनः रिवाइज किये जायेंगे । पहले 16-1-87 को किये गये थे और अब 2 महीने बाद 15-3-89 तक जितनी आपत्तियां या प्रतिवेदन आ जायेंगे तो उसके आधार पर निस्तारण किया जायगा ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित–

मान्यवर, पूरा सदन अवगत है कि जो दरें पहले चल रही थीं और जो अब लागू की जा रही हैं उनसे बहुत कम मजदूरी खेतिहर मजदूरों को दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में इन खेतिहर मजदूरों को अनुकूल मजदूरी दिलाने के लिये क्या कोई मशीनरी प्रस्तावित है जो काम के घन्टे क्या हैं, काम की दशा क्या है, इसके सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव देगी। यदि हां, तो वह क्या है?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, शासन एश्योरेंस देता है कि ये मजदूर जो खेती के काम में लगे हुए हैं, उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाय, इसको लागू करने के लिए मा0 सदस्य ने जैसा चाहा है कि शासन की ओर से पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, इसको न केवल श्रम मंत्रालय देख रहा है, बल्कि तहसील स्तर पर तहसीलदार भी देखता है कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं, यदि नहीं होता है तो उसका पालन कराना सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर बी0 डी0 ओ0 और अन्य अधिकारी लोगों से भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कहा जाता है।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमारे अधिकारी, कर्मचारी देखते हैं कि न्यूनतम वेतन के अनुसार उनको मजदूरी मिलती है या नहीं, मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था जो लखनऊ में घोषित कर रहे हैं, वह गांवों में नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई छापामार दस्ता बनाकर जिलों में विकास खण्डों में 5-5 गांवों में न्यूनतम वेतन प्राप्त करने मजदूरों से जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजेगी कि उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जैसा कहा, इससे शासन भी सहमत है कि जो भी कृषि के कार्य में लगे मजदूर हैं, उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाय। इसी को सुनिश्चित करने के लिये मैंने कहा कि श्रम मंत्रालय की ओर से और राजस्व विभाग की विकास एजेंसियों के माध्यम से यह काम करते हैं। उनको निरीक्षण के लिये आदेश दिये जाते हैं। पिछले सालों में कितने निरीक्षण किये हैं, मैं उनकी संख्या बताना चाहता हूं। इससे मा0 सदस्य संतुष्ट होंगे। वर्ष 1986 में कुल 64,946 मामलों में निरीक्षण किया गया विकास खण्डों में कि न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं। केवल व्यवस्था ही नहीं की गयी बल्कि निर्देश भी दिये गये और प्रासीक्यूशन भी किया गया। वर्ष 1986 में कुल 1456 मामलों में निर्देश दिये गये और 23 मामलों में प्रासीक्यूशन किया गया। वर्ष 1987 में 89,019 मामलों में निरीक्षण किया

गया, 895 मामलों में निर्देश दिये गये और 70 में प्रासीक्यूशन किया गया। इसी प्रकार से वर्ष 1988 में कुल 81,129 निरीक्षण किये गये और वर्ष 1989 में अब तक कुल 5,817 मामलों में निरीक्षण किया गया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह प्रदेश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का मामला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी से मैंने पहले पूछा था कि जैसे संगठित क्षेत्र के लोगों को प्रत्येक वर्ष वेतन-वृद्धि मिलती है, कृषि उत्पाद में मूल्य-वृद्धि मिलती है, क्या इनके लिये भी इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष मजदूरी पुनरीक्षित करने का कष्ट करेंगे। मा0 मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। मैं इसके साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि कृषि मजदूरों के वेतन पुनरीक्षित करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। उनके जीवन-यापन के लिये जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता है, उनके वेज स्ट्रक्चर में कितना वेटेज दिया जाता है। उसे मुख्य वेटेज दिया जाता है तो क्या कारण है कि सरकार उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों को, जहां खाना, कपड़ा और अनाज महंगा है, उनको कम मजदूरी देकर उनके साथ विद्वेष की भावना क्यों रख रही है। मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य जितना चिंतित हैं, उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार और प्रधान मंत्री स्वयं चिंतित हैं। बीस सूत्र के छठे सूत्र में करोड़ों जो असंगठित मजदूर हैं, उनको न्यूनतम वेतनमान दिलाया जाय, इसकी बात है। जो पुनरीक्षण की बात कही, हर दो वर्ष बाद पुनरीक्षण करते हैं। भारत सरकार में श्रम मंत्रियों की बैठक में यह तय हुआ था। विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के श्रम मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें यह बात हुई थी कि खेत में लगे जो असंगठित मजदूर हैं उनका वेतन हर दो साल पर पुनरीक्षित किया जायेगा। मानक क्या है, जो पूछा, दो साल बाद पुनरीक्षण करेंगे, इन्डेक्स बढ़ जायेगा, उसको देखते हैं, कास्ट आफ लीविंग को देखते हैं। सूचकांक में 50 प्रतिशत से वृद्धि अधिक हो जाती है तो 2 साल का समय कम भी हो, हम पुनरीक्षण कर देते हैं।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, काफी समय हो गया, अगला प्रश्न लेता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। नत्थी स तारांकित प्रश्न संख्या–1 लेता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मुझे उत्तर प्रदेश के खेतिहर मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती-पत्र पर जांच

*1–श्री देवता दीन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नानपारा क्षेत्र की सरांकलां, रघुनाथपुर मार्ग, निधीपुरवा लिंक मार्ग, रामपुर बेवाही लिंक मार्ग, खेरा कला लिंक मार्ग, अमृतपुर पुरैना लौवाहिया सम्पर्क मार्ग आदि के बारे में अप्रैल, 1988 का प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र उन्हें मिला था जिस पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह छौंकर प्राविधिक परीक्षक ने दिनांक 17-8-88 से 19-8-88 तक निरीक्षण भवन सा0 नि0 वि0 बहराइच में बैठकर जांच की थी तथा उसमें प्रश्नकर्ता ने भी साक्ष्य एवं अभिलेख दिये थे ? क्या उक्त जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उसका परिणाम सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जी हां ।

प्राप्त आख्या से शिकायतों के कतिपय बिन्दु स्पष्ट नहीं हो सके हैं। अग्रेतर जांच के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री देवतादीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच मेरे पत्र के किन-किन बिन्दुओं पर करायी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य देवतादीन जी ने उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 28-4-88 को पत्र लिखा था जिसके अन्दर विधान सभा क्षेत्र नानपारा की कुछ सड़कों के बारे में जो मिट्टी का कार्य किया गया है और जो उस पर खाद और गल्ला दिया गया है, उसके बारे में शिकायत थी । उनका कहना था कि पैसा नहीं पहुंचा, न गल्ला बंटा और मिट्टी का कार्य सही नहीं हुआ । इसकी जांच टी0 ए0 सी0 के द्वारा करायी गयी जो बात माननीय देवतादीन ने कही थी, इसमें मिट्टी का कार्य सही नहीं हुआ, वह बात सही पायी गयी । यह भी शिकायत थी कि जो मस्टर रोल बनाये गये, फर्जी बनाये गये । टी0 ए0 सी0 का काम मस्टर रोल को इक्जामिन करना नहीं होता है, जो मिट्टी का कार्य वगैरह हुआ है उसकी जो क्वालिटी है, उसको देखना होता है। इसके लिये विजिलेंस को आदेश दिये गये हैं कि वह इनकी जांच करके तुरन्त कार्यवाही करें ताकि जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनको सजा दी जा सके ।

श्री देवतादीन–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जांचकर्ता क्या इसकी सूचना क्षेत्र में देंगे जहां कार्य हो रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, न केवल इसकी सूचना क्षेत्र में ही दी जायेगी बल्कि माननीय देवतादीन जी को पूरी तरह से विश्वास में लेकर उसकी जांच करायी जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, 1-7-88 से 19-8-88 तक प्राविधिक परीक्षक ने जांच की थी और उन्होंने स्वयं गड़बड़ी की शिकायत पायी मिट्टी का काम कम हुआ है, गल्ला वितरण में गड़बड़ी हुई है। इसलिये प्रथमदृष्टया दोषी अभियन्तागण हैं । उनको निलम्बित न करके इस मामले को लम्बित करने का क्या कारण है ? क्या उनको निलम्बित करके इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जांच करायी गयी, उसमें दो प्रकरण थे । एक तो मिट्टी के कार्य का था और दूसरा फर्जी मस्टर रोल्स और गल्ला के वितरण के बारे में था । वैसे मिट्टी के बारे में माननीय सदस्य ने शिकायत की थी, जो सही पायी गयी । लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें किस-किस की जिम्मेदारी बनती है, इसका पता लगाने के लिये यह बात विजीलेन्स द्वारा तय हो जाय, उसके बाद जो भी सजा होगी, वह दी जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह–

मिट्टी के काम वाली बात को सही पाया गया । अब यह तो सीधी बात है कि जिस आदमी ने मिट्टी का काम करवाया, वह इसके लिए दोषी है, उसमें जांच की कौन सी बात है ? जांच आपको करवानी है, वह आप मस्टर रोल वाले मामले की करवाइये । मिट्टी के काम में दोषी होने का तो आपको सबूत मिल ही गया है, उन लोगों को दण्डित करने में क्या कठिनाई है, आप उनको निलम्बित तो कर ही दीजिये ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसी प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय, लेकिन जो भी कार्यवाही की जायगी, वह देवतादीन जी को पूरे विश्वास में लेकर ही की जायगी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि जो भी जांच की जायगी, उसमें माननीय सदस्य को बताकर ही की जायगी और कान्फीडेन्स में लेकर की जायगी । अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो जांचें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, किसी भी विभाग की । ऐसी तमाम जांचों में विधायकों को अथवा शिकायतकर्ताओं को सूचना देकर जांच करवाई जायगी और जब जांच करने जायेंगे तो क्या शिकायतकर्ता और संबंधित विधायक का साक्ष्य लेकर सबूत इकट्ठा करके जांच कराई जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जो शिकायतकर्ता हैं, उससे सम्पर्क अवश्य स्थापित करना चाहिए क्योंकि बहुत से तथ्य शिकायतकर्ता बताता है। माननीय यूसुफ साहब किसी स्पेसिफिक मामले में ऐसी कोई सूचना देते हैं, तो उनसे सम्पर्क करके ही कार्यवाही कराई जायगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के मेंहदीघाट स्थित पुल के गाइड बांध के बह जाने की शिकायत

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि वर्ष 85-86 में हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के गंगा नदी के मेंहदीघाट स्थित पुल के गाइड बंध (बांध) एवं पहुंच मार्ग पर लगभग दस लाख की मिट्टी का कार्य कराया गया था ? क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी मिट्टी गंगा में बह गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से स्थल निरीक्षण कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, यह सही है कि प्रश्नगत पुल के गाइड बंध एवं पहुंच मार्ग पर लगभग रु0 13.35 लाख का मिट्टी का कार्य हुआ था और वर्ष 1986 व वर्ष 1987 की बरसात में मिट्टी के बह जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यों पर निम्नांकित क्षति हुई :—

वर्ष	गाइड बंध	पहुंच मार्ग
1986	रु0 3.30 लाख	रु0 3.07 लाख रु0 0.42 लाख (सोलिंग बह जाने से)
1987	शून्य	रु0 0.93 लाख रु0 0.11 लाख (सोलिंग के बह जाने से)
	रु0 3.30 लाख	रु0 4.53 लाख
	कुल रु0 7.83 लाख	

विभाग के एक उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायी जा चुकी है, प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है और उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायगी ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया है कि 8 लाख रुपये के लगभग विभाग को क्षति हुयी । मैंने यह प्रश्न 22-6-88 को शासन को भेजा था । अब मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच करा ली गयी है और जांच का परीक्षण किया जा रहा है । मान्यवर, मंत्री जी मुझे यह बता दें कि जांच आख्या क्या है ? साथ ही यह भी बता दें कि इसका परीक्षण कब तक करा लिया जायेगा और परीक्षण कराकर उत्तरदायित्व कब तक निश्चित कर दिया जायगा और क्या उसकी जानकारी बाद में मंत्री जी सदन को भी देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जहां तक परीक्षण की बात है और जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया है उनको इंगित कर दिया गया है, वह 3 अधिकारी हैं, उनको जो सजा दी जा रही है, उसके बारे में ही परीक्षण किया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी दोषी हैं, उनको सजा अवश्य दी जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह प्रकरण हमारे क्षेत्र से संबंधित है और मेरी निश्चित जानकारी है कि मिट्टी से लेकर गाइड बंध एप्रोच रोड तक के काम में लाखों रुपये की लूट अधिकारियों के बीच मची रही है । जो मिट्टी वहां पर डलवाई गयी, वह कम डलवाई गयी और ठीक बरसात के पहले डलवाई गयी । यह जानते हुये कि यह बरसात में बह जायगी, क्योंकि उसमें लाखों रुपया जो निकालना था । क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो मिट्टी वहां पर पहले डलवाई गयी थी, वह कितनी थी और उसका क्या भुगतान किया गया था ? गाइड बंध के लिये पहले 2.22 लाख रुपये का इस्टीमेट बनाया गया था और उसके बाद जब यह बनकर तैयार हुआ, तो 5.92 लाख रुपये हो गये । इसमें आप यह देखें कि पहले इस्टीमेट 2 करोड़ 22 लाख का था और उसके बाद उस पर 5 करोड़ 92 लाख खर्च हो गये अगर आज भी उसका भौतिक सत्यापन करा लिया जाय तो लाखों रुपए का घोटाला मिलेगा । एक बात तो यह है कि इस गाइड बन्ध का भौतिक सत्यापन कर लिया जाय । दूसरी बात जो यह कही गई कि मिट्टी बह गई तो कितनी मिट्टी डलवाई गई और कितने का भुगतान किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, 13 लाख 36 हजार रुपए का भुगतान हुआ । माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, यह मामला हरदोई का है, इसलिए मेरी समझ से उनकी जानकारी निश्चित सही होगी । जिसके बारे में वह कह रहे हैं, उसका कार्य बाद में हुआ है । प्रश्न के उत्तर में भी मैंने बात को स्वीकार किया है कि निर्माण कार्य सही नहीं हुआ है । मिट्टी की सोलिंग बह गई । इसकी जांच कराई गई । इसमें जो दोषी अभियन्ता हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी के पास फाईलों का ढेर है, वहीं पर राज्य मंत्री के पास कोई फाईल नहीं है । तो क्या माननीय मंत्री जी अपना बोझ कम करने के लिए जांच आदि का कार्य राज्य मंत्री को सौंपने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, अगर माननीय श्री मैनेजर सिंह जी इससे संतुष्ट हैं तो माननीय राज्य मंत्री जी से निवेदन कर लूंगा कि वह स्वयं जाकर इस मामले को देख लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मैंने प्रश्न किया था कि वहां पर कितनी मिट्टी डलवाई गई और कितना भुगतान किया गया । दूसरा, उस गाइड बन्ध का भौतिक सत्यापन किया जाय क्योंकि उसमें लाखों रुपए का घोटाला हुआ है । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि गाइड बन्ध का जो पहले इस्टीमेट आया था वह 2 करोड़ 22 लाख का था किन्तु उसका भुगतान 5 करोड़ 92 लाख रुपए किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी–

इन बातों की भी जांच करा ली जायेगी ।

राजकीय निर्माण निगम में दैनिक वेतन पर कतिपय संवर्ग के कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 में दैनिक वेतन पर टाइपिस्ट, स्टेनो, लेखा सहायक एवं कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत कर्मचारी जो कि 3 से 10 वर्षों से बन्धुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनकी सेवाओं का नियमितीकरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं इनको नियमित कब तक किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

दैनिक वेतन पर कर्मचारी बन्धुआ मजदूर के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं । इन कर्मचारियों को 1-11-88 से मस्टर रोल पर ले आया गया है । नियमित नियुक्ति का प्रश्न नियमित पदों के सृजन और आवश्यकता होने पर ही उठेगा । उस समय दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों में से सुयोग्य व्यक्तियों को खपाने का प्रयास सम्भव है ।

अप्रैल, 1986 में लिखित परीक्षा/साक्षात्कार उपरान्त, जिसमें उपरोक्त सभी श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सम्मिलित हुए, 16 व्यक्तियों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान करी गई थी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक ओर तो शासन की नीति है कि जो लोग 3 साल तक दैनिक वेतन पर काम कर चुके हैं, उनको नियमित कर दिया जायेगा । संदर्भित प्रश्न में 3 साल से लेकर 10 साल तक दैनिक वेतन पर काम करने वाले नियमित नहीं किये गये हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी 3 साल से 10 वर्षों के बीच में कितने रहे और मस्टर रोल पर कितने कर्मचारी दर्ज कराये गये ?

श्री अम्मार रिजवी–

यहां पर विशेष संवर्ग के बारे में प्रश्न पूछा है और वह सूचना मैं टोटल जो 3 वर्षों से अधिक रहे, दे रहा हूं । टाइपिस्ट 63, स्टैनो 40, सेवा सहायक 4, कार्यालय सहायक 94 हैं । तीन साल से कम वाले में टाइपिस्ट 29, स्टेनो 27, लेखा सहायक 2 तथा कार्यालय सहायक 63 हैं। एक और प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, वह महत्वपूर्ण है । सरकार की नीति है कि 3 साल से अधिक से जो काम कर रहे हैं उनको रेगुलर कर दिया जाय लेकिन इसी के साथ-साथ जो कारपोरेशन्स की स्थिति है, अलग है । कारपोरेशन्स में कभी 400 आदमियों की जरूरत पड़ती है, जब काण्ट्रेक्ट्स रहते हैं तो हो सकता है 800 हो जाये, काण्ट्रेक्ट्स कम हो जाने के बाद 200 रह जायं, लेकिन जिनकी जरूरत है, जो योग्य हैं, इस बात का प्रयास है कि उनको खपा लिया जाय । हार्ड एण्ड फास्ट तरीके से गवर्नमेण्ट सर्विस के रूल्स रेगुलेशन्स एक दम से कारपोरेशन्स में लागू नहीं किये जा सकते । कारपोरेशन्स में जो पहले डी0 आर0 डब्लू0 ज0 थे, अब मस्टर रोल पर ले लिया है । अब वे सर्विस के अन्दर आ गये हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि मस्टर रोल पर किये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है और मस्टर रोल पर ले लेने के बाद उनका वेतन क्या होगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

मस्टर रोल में जो तादाद है, उसके लिये तो अलग से प्रश्न आना चाहिये, यहां एक विशेष संवर्ग के बारे में सवाल किया है, उसकी सूचना दी है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–3, 4 व 5 पुकारा गया किन्तु प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

विकास दीप व नियोजन भवन के निर्माण के लिए निर्धारित समय एवं धन का विवरण

*3–श्री लक्ष्मी नारायण (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में विकासदीप व नियोजन भवन के निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम को कब और कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन भवनों के निर्धारित समय से न तैयार हो पाने के कारण सरकार को इन भवनों में चलने वाले कार्यालयों हेतु करोड़ों रुपया किराया के रूप में देना पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार (मुख्यालय) अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

योजना भवन का निर्माण कार्य निर्माण निगम से नहीं कराया गया था । केवल विकासदीप का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने निजी वित्तीय स्रोतों से निर्माण निगम से कराया है जिसके लिये प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्माण निगम को उपलब्ध करायी गयी धनराशियां संलग्न तालिका में दर्शायी गयी हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा निर्माण निगम के बीच हुये अनुबन्ध के अनुसार निर्माण निगम द्वारा विकासदीप का निर्माण कार्य दिनांक 23-2-83 से प्रारम्भ करना था तथा 18 माह में, अर्थात् 22-8-84 तक, पूर्ण करना था परन्तु असाधारण स्थिति में समयावधि बढ़ायी जा सकती थी । चूंकि प्राधिकरण ने भवन के आवश्यक नक्शे तथा विशिष्टियां निर्माण निगम को दिनांक 15-5-83 को उपलब्ध करायी, अतः कार्य उक्त तिथि, अर्थात् 15-5-83, से ही प्रारम्भ किया जा सका था तथा 18 माह से पूर्व ही दिनांक 30-10-1984 को पूर्ण कर दिया गया । इससे किराये की अदायगी के फलस्वरूप किराये की किसी ऐसी धनराशि की हानि हुई क्योंकि दिनांक 22-8-84 व 30-10-84 के बीच की अवधि में उन शासकीय कार्यालयों में से, जो भवन के उल्लिखित तलों पर आये, केवल एक कार्यालय द्वारा रुपये 4432.75 प्रतिमाह का किराया दिया गया ।

अनुबन्ध के बाहर उक्त भवन से सम्बन्धित विकास कार्यों के लिये प्राधिकरण ने स्वीकृति दिनांक 31-7-84 को जारी की थी । प्राधिकरण द्वारा यद्यपि समय से धनराशियां उपलब्ध न कराये जाने के कारण विकास कार्यों की गति धीमी करनी पड़ी थी परन्तु फिर भी 60.673 लाख रुपये लागत के ये कार्य, वाह्य विद्युत कनेक्शन को छोड़कर, अक्तूबर, 1985 में पूर्ण कर दिये गये थे । राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वाह्य विद्युत का कनेक्शन दिनांक 30-3-86 को दिया गया था ।

ज्ञातव्य है कि विकासदीप के 14 तलों में से केवल तीन तल वित्त विभाग द्वारा क्रय किये गये हैं तथा अन्य तल विभिन्न उपक्रमों द्वारा क्रय किये गये हैं । जिन तिथियों पर वित्त विभाग तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा क्रय की धनराशि की अदायगी की गयी, उन्हें प्राधिकरण द्वारा उस तिथि पर प्रचलित दर पर तल विक्रय कर दिये गये ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 179 पर)

दयानंद इन्टर कालेज खोराबाग के प्रधानाचार्य तथा तत्कालीन जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर द्वारा फर्जी हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के नाम से ली गई धनराशि का गबन

*4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि गोरखपुर जिले के दयानन्द इन्टर कालेज, खोराबाग के प्रधानाचार्य तथा तत्कालीन जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर की साजिश से 1986-87 में दशमोत्तर कक्षाओं के हरिजन तथा पिछड़ी जाति के फर्जी छात्रों के नाम से बगैर कार्यालय रेकार्ड में पूरी इन्ट्री किये उक्त वित्तीय वर्ष के छात्रों की धनराशि ट्रेजरी व बैंक से आहरित कर गबन कर ली गयी है जिसकी पुनरावृत्ति वर्तमान हरिजन अधिकारी ने भी की और मार्च में जून, 87 तक की धनराशि रेकार्ड इन्ट्री कर आहरित कर गबन करने की साजिश में शामिल पाये गये हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमंत्री (श्रीमती दीपा)–

चूंकि प्रश्न में माननीय सदस्य, द्वारा उल्लिखित शिकायती पत्र में कोई तिथि, माह व वर्ष विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है ।

तथा यह भी इंगित नहीं किया गया है कि सन्दर्भगत शिकायती पत्र किस व्यक्ति विशेष अथवा माननीय सदस्य विशेष द्वारा दिया गया है । अतः स्थिति स्पष्ट करना सम्भव नहीं हो पा रहा है । फिर भी जैसा कि उक्त प्रश्नों के माध्यम से शासन के संज्ञान में जानकारी लायी गयी है निदेशक, ह0 स0 क0 विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच किसी जिम्मेदार उच्च स्तरीय अधिकारी से कराकर शीर्षप्राथमिकता से अपनी आख्या शासन को भेजें । आख्या प्राप्त होने पर उसके परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

आवास विकास परिषद्, को वर्ष 1979 में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा डायमण्ड डेरी का लोनी में फ्लेट खरीदने हेतु दी गई धनराशि का विवरण

*5–श्री गौरी शंकर भइया (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ में कितने फ्लैटस के क्रय हेतु कितनी धनराशि आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश को दी गयी थी ? उनमें से कितने फ्लैटस कब मिले और कितने फ्लैट्स मिलने बाकी हैं और क्यों ? क्या उक्त कालोनी के बाकी फ्लैट्स लिये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो इस कारण शासकीय कोष को हुई हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

वर्ष 1979 में डायमण्ड डेरी कालोनी में आवासों के क्रय हेतु कोई धनराशि आवास विकास परिषद् को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

मेसर्स सहकारी कताई मिल्स लिमि0 नगीना (बिजनौर) तथा उसके श्रमिकों के बीच हुए औद्योगिक विवाद के निर्णय को गजट में प्रकाशित न किये जाने के कारण

*1–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सहकारी कताई मिल्स लि0, नगीना (बिजनौर) तथा उसके श्रमिकों के मध्य औद्योगिक विवाद जिसका निर्णय आर्बीट्रेटर श्री सतीश चन्द्र गुप्त उप श्रमायुक्त ने किया था, शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या उसका प्रकाशन राजकीय गजट में हुआ? यदि नहीं, तो शासन इस संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रहा है ? प्रकाशन में विलम्ब के कारण क्या हैं और इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

जी हां ।

प्रश्नगत आर्बीट्रेशन एवार्ड (पंच निर्णय) उत्तर प्रदेश गजट भाग–1 दिनांक 17 दिसम्बर, 1988 में प्रकाशित हो गया है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वह अपूर्ण है, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विवाद के बिन्दु क्या थे और यह पंच निर्णय को कब संदर्भित किया गया है और पंच निर्णय के बाद मजदूरों के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जहां तक विवाद का संबंध है यह वहां के सेवा योजकों और 6 श्रमिकों के बीच में विवाद था । इसमें श्री बिहारी चौधरी और उनके साथी शामिल थे, यदि आज्ञा हो तो मैं उनके नाम भी पढ़ दूं कि उनके साथ श्री रमेश चन्द्र शर्मा, श्री सर्वजीत सिंह, श्री सत्येन्द्र पाल शुक्ल, श्री अलगू प्रसाद तथा श्री श्रीचरण, इनके और सेवा योजकों के बीच में विवाद था । हमने सेक्शन 6 के क्लाज 3 के अनुसार सेवायोजकों और श्रमिकों की सहमति से इस संबंध में आर्बीट्रेटर की नियुक्ति की थी । 28 अगस्त, 1986 को इसकी बैठक हुई थी और उसमें मजदूरों के हितों के संबंध में विचार किया गया था और इस संबंध में निर्णय लिया गया जिसे 23 मई, 1987 को इसे गजट किया गया जिसका नोटीफिकेशन हमने कर दिया था ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो निर्णय हुआ तो जब यह शासन के पास जाता है तो इसके प्रकाशन में महीनों-महीनों लग जाते हैं उसके नाते इस लम्बी अवधि में गड़बड़ी होने की गुंजाइश हो जाती है । क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि निर्णय के तुरन्त दो महीने के बाद, शासन को सन्दर्भित करने के बाद, उसके प्रकाशन को सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

इसका निर्णय 28-6-88 को शासन को सन्दर्भित हुआ और 18-8-88 को इसे गजट कराने का आदेश हुआ । प्रकाशन के लिए सामान्यत: गजट में जैसे कि प्रकाशन होता है, थोड़ा समय अवश्य लगता है, परन्तु 17-12-88 को यह एवार्ड गजट में प्रकाशित हो गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि एवार्ड गजट में प्रकाशित हो गया है, तो केवल एवार्ड गजट में प्रकाशित हो जाने से ही मजदूरों को उसका लाभ मिल नहीं जाता है । तो क्या शासन ने यह भी सुनिश्चित करा लिया है कि उन मालिकों के बारे में कि एवार्ड श्रमिकों को मिलने भी लगा है?

श्री जगदम्बिका पाल–

एवार्ड मिला है और पांच लोगों को रख भी लिया गया है, बीच के पीरियड का लाभ उन्हें नहीं दिया जाय, यह निश्चय किया गया है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यदि मजदूरों को नौकरी में नहीं लिया गया तो शासन के निर्णय से कोई लाभ नहीं हुआ, इसे आप देख लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसको दिखवा लेंगे ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति हेतु आरक्षित पदों पर विज्ञापन के बाद भी साक्षात्कार न कराये जाने का कारण

*2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में 16 अनुसूचित जाति व 3 विमुक्त जाति के सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों का विज्ञापन करने तथा आवेदन फार्म भराने के बाद भी अभी तक साक्षात्कार न कराये जाने के क्या कारण हैं ? शासन की नीतियों के अनुसार कब तक उक्त पदों पर चयन कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में आरक्षित कोटे के अंतर्गत 17 अनुसूचित जातियों व 3 अनुसूचित जनजातियों के सहायक अभियंताओं के अग्रेनीत रिक्त पदों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या 1184/चौवालिस-2-14/च0 स0/87 दिनांक 30-11-87 द्वारा प्रदेश के समस्त निगमों में वेतनमान रू0 1770 तक के समस्त पदों पर नई नियुक्ति हेतु प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण साक्षात्कार कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

अब शासनादेश संख्या 22/43/1982-कार्मिक-2, दिनांक 30-1-89 में दिये गये आदेशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा भरा नहीं जा सका है, को भरने के लिये सीमित प्रतियोगिता/चयन कराने की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

शासनादेश दिनांक 30-11-87 के अनुसार यह नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, परन्तु बाद में हमने प्रार्थना-पत्र दिया कि इन निगमों में कोई हानि नहीं हुयी है, यहां यह नियुक्तियां की जा सकती हैं, उस पर 30-1-89 को उन पदों को भरने के लिए पुन: आदेश हुए, परन्तु इन दोनों आदेशों के बीच फिर इन नियुक्तियों में इतना विलम्ब क्यों हुआ, इसके क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया है कि यह प्रतिबंध कार्मिक विभाग द्वारा लगाया गया है, कार्मिक वालों का कहना है कि इन निगमों में काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए तमाम अन्य निगमों के साथ ब्रिज कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पर भी नियुक्ति हेतु पाबंदी लगा दी गयी, इसके लिए फिर उनसे जब अनुरोध किया गया कि इन निगमों में घाटा नहीं हो रहा है, इसलिए फिर इनके यहां से प्रतिबन्ध हटा दिया गया और इन जगहों पर रिक्त जगहों को अब भर लिया जायेगा ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

जैसा कि आपने अभी अपने उत्तर में कहा कि जो रिक्तता है, उन्हें भर लिया जायेगा, तो इन जगहों के भरने में कितना समय लगेगा और दूसरी बात यह कि 30-11-87 के बाद जो 30-1-89 को प्रतिबन्ध हटाए जाने के आदेश हुए, तो इन आदेशों में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

30-1-89 को प्रतिबन्ध हटाने के आदेश हुए और आज 17 फरवरी है, आप स्वयं देखें कि अभी केवल इन आदेशों के हुए मात्र 18 ही दिन हुए हैं । इस पर पूरी कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही इन जगहों को भरा जायेगा ।

कई सदस्य–

माननीय मंत्री जी कृपया निश्चित समय भी बता दें कि यह जगहें कब तक भरी जायेंगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

अब जो प्रार्थना-पत्र आए हैं, उन पर विभागीय कार्यवाही होगी, इस कार्यवाही को पूरा करने के बाद ही जिसमें सम्भवतः 2-3 माह लगेंगे इसी अवधि में इनको भरने के प्रयास किये जायेंगे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

केवल साक्षात्कार लेना इन 17 अनुसूचित जाति व 3 विमुक्त जाति के लोगों का बाकी है, इसमें इतना समय लगना तो बहुत अधिक है, इससे पहले इन पर कार्यवाही की जा सकती है मान्यवर ।

श्री अम्मार रिजवी–

अगर केवल इनका इण्टरव्यू ही लेना है, तो हम इन्हें तुरन्त बुलाकर इनका इण्टरव्यू ले लेंगे और इसके बाद जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह कर ली जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या-3, कृपया शान्ति बनाए रखें, प्रश्न तो पूरा हो गया, अब कृपया शान्ति बनाए रखें ।

कई सदस्य–

मान्यवर एक प्रश्न और है, उसे भी कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष–

बात तो पूरी हो गयी है और अब करीब 12 बज रहे हैं समय भी काफी हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री दीप चन्द्र सांनकर–

साक्षात्कार के लिए कब तक डेट निर्धारित कर दी जायेगी ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो इन्टरव्यू के लिए काल लेटर्स जाते हैं, जितना समय उसमें लगता है, वह देना पड़ता है । तो यह प्रक्रिया है, लेकिन मैं यह आदेश कर दूंगा कि इसके लिए अविलम्ब लेटर्स जारी कर दिये जायं ।

(श्री मूल चन्द के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

12 बज गये हैं ।

श्री मूल चन्द्र–

आपके तो 12 बजते ही रहेंगे, लेकिन मेरे लिए क्या निर्देश है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो 12 बजा दिये हैं, आप भी 12 बजा दें ।

श्री मूल चन्द्र–

जब भी मैं खड़ा होता हूं, आपके 12 बज जाते हैं । कब तक प्रतीक्षा करता रहूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वह जब खड़े होते हैं, तो घड़ी में 12 बजते हैं, हम लोगों के चेहरे तो ऐसे हैं कि हमेशा 12 बजते रहते हैं ।

स्टेट सेक्टर में विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानक की जानकारी

*3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1988-89 में स्टेट सेक्टर में विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या मानक निर्धारित किया गया है ? क्या प्रश्नकर्ता का सार्वजनिक निर्माण मंत्री को सम्बोधित दिनांक 22-7-88 का पत्र जिसमें जनपद फैजाबाद की विकवाजीतपुर महरूआ बाजार मार्ग पर नरायनपुर में बिसुही नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग की गयी है, मिल गया है ? क्या यह सही है कि अगस्त, 1988 में प्रश्नकर्ता के स्वयं मिलने पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने उक्त पुल के निर्माण कार्य को वर्ष 1988-89 की एस0 एन0 डी0 में शामिल करने का आदेश सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सड़कों/पुलों की महत्ता को दृष्टि में रखते हुये इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

जी, हां।

जी नहीं, ऐसा कोई आदेश विभाग को नहीं दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी की स्पष्टवादिता और सत्यवादिता के लिए नमन करता हूं। मैं बड़े पशोपेश में हूं कि मैं उनसे कैबिनेट रूप में मिला था और 22-7-88 को उनको एक पत्र भी लिखा था, जो उनकी पत्रावली में होगा, उसमें श्रीमन् मैंने स्पष्ट कहा है कि जो निर्धारित मानक हैं सड़कों को बनाने के लिए उनमें पहले जिले स्तर की सड़कों को लिया जाता है और फिर डिस्ट्रिक्ट रोडकनेक्टर्स को मिलाने वाली सड़कों को लिया जाता है और उन पर पड़ने वाले पुलों को लिया जाता है और उनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि फैजाबाद में इन नियमों और मानकों का उल्लंघन किया गया है। जो सड़कें उपरोक्त मानकों में आती हैं, उनकी उपेक्षा की गयी है। मैंने माननीय मंत्री जी को सारी बातों से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि दिखवा लूंगा। मैंने फिर उनको पत्र दिया कि इस सड़क को एस0 एन0 डी0 में ले लें। मैंने उनको फिर स्मरण दिलाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक नहीं मालूम है, लेकिन अगर एस0 एन0 डी0 में शामिल नहीं की गयी है, तो सचिव को कह दूंगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह सब बातें याद हैं या नहीं हैं और जो उन्होंने वादा किया वह याद है या नहीं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क का सर्वे कराकर प्राथमिकता के आधार पर एस0 एन0 डी0 में मिलाने की की कृपा करेंगे, इस वर्ष की एस0 एन0 डी0 में सम्मिलित करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी–

तिवारी जी ने जो कुछ कहा है उससे इनकार नहीं है। प्रश्न आया था तो उसका उत्तर देना तथ्यों के हिसाब से जरूरी था। इसके सर्वे के लिए आदेश दे दिये गये हैं। कोई मद एस0 एन0 डी0 में तब शामिल होती है, जब उसकी सर्वे रिपोर्ट आ जाती है। यह 18 किलोमीटर की सड़क है, 7 किलोमीटर पर सीलिंग है, फिर कच्ची है। सारी सूचना मेरे पास है। हम उसका सर्वे करा रहे हैं। जो बात कही थी वह सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हो सकती है, उससे पीछे हटने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सड़कों और पुलों की महत्ता को देखते हुये निर्णय लिया गया है, तो यह मामला पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई सूची प्राथमिकता के आधार पर बनायी है और उसमें कौन से मानक अपनाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो दूसरा सवाल हो गया ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैंने सवाल किया है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि स्टेट सेक्टर की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए उनकी महत्ता को देखते हुए निर्णय लिया गया है । तो उसकी कोई सूची होगी, वह सूची क्या है और उसमें किस मानक को आधार माना गया है । यह पूरे प्रदेश का सवाल है, किसी एक जगह का नहीं है, इसका उत्तर आप दिलवा दें ।ताकि हम लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों के पुलों को देख सकें कि वे किस मानक में आते हैं । उसकी सूची बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

वह इस समय सूची कैसे दे सकेंगे ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मैं मानक जानना चाहता हूं कि वह मानक क्या है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह उत्तर प्रदेश की सड़कों के निर्माण और स्टेट सेक्टर के मानक के सम्बन्ध में है । हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सड़कें आप पैसा देकर बनवाते हैं और उसका मानक क्या है ? यह जानने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में आप दो या तीन जिलों को जोड़ते हैं, ब्लाक को जोड़ते हैं, उसके लिए क्या मानक है, क्या स्तर होगा, वह कौन सी सड़कें हैं जिनको स्टेट सेक्टर से पैसा दिया जायेगा । मंत्री जी यह सदन को बतायें ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे पूरे प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है । माननीय सदस्य द्वारा जो जिज्ञासा व्यक्त की गई है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं । उत्तर प्रदेश में राज्य सेक्टर में वे सड़कें ली जाती हैं जो जिला सेक्टर में नहीं हैं ।

(इस समय 12 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री मित्रसेन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने अभी माननीय मंत्री जी से पूछा कि आपके स्टेट सेक्टर के क्या मानक हैं तो उन्होंने कहा कि जिला सेक्टर में जो सड़कें नहीं आती हैं, वह मानक माना जाता है । यह अपना सेक्टर बनाये हैं और सिर्फ मंत्रियों के दरवाजे और आंगन तक के लिए स्टेट सेक्टर बनाये हुये हैं । अपने लोगों को खुश करने के लिए यह सेक्टर बनाये हैं हमने पूछा है ।

इसलिए मान्यवर, जब तक वे इसका मानक न बतायें अगला सवाल न लें आप मंत्री जी को निर्देशित करें कि स्टेट सेक्टर के मानक को बतायें ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि जो प्रश्न का उत्तर है उसे आप देखें । सड़कों की महत्ता को देखते हुए जो सड़कें जिला और राज्य को जोड़ती हैं उनको लेते हैं कुछ बड़े-बड़े शहर भी लेते हैं । कहीं पर भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि दो जिलों को जोड़ने के साथ-साथ उनकी सड़कें भी लेनी पड़ें । कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल हम बना दें या उसमें कोई लोच नहीं रहेगा तो विकास का कार्य अवरुद्ध होगा । . .

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, अभी बयान हुआ नहीं, गलत कैसे हो जायेगा । बयान तो पूरा होने दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

दो जिलों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वह आपने बताया कि जिला योजना में आयेंगी । मान्यवर, मैंने आज की कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 122 दिया है जिसमें मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वह नहीं होंगी । इस समय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि दो जिलों को जोड़ने वाली सड़कें राज्य सेक्टर में आती हैं । या तो मेरे अतारांकित प्रश्न का उत्तर गलत है या फिर यह गलत बयानी कर रहे हैं ? आप इसका स्पष्ट उत्तर दिलवा दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, बरार साहब हमारे पुराने मित्र हैं वह मेरी बात समझ नहीं पाए वैसे मैं उनकी हर बात जानता हूं । मैंने कहा था "सामान्यतया" आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें । कहीं-कहीं पर इसकी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें अपने नार्म्स रिलैक्स करने पड़ते हैं जहां जरूरतों को देखते हुए राज्य सेक्टर में रखी जाती हैं । शेष गांव की सड़कें जो पी0 डब्लू0 डी0 के अन्तर्गत आती हैं वह वहीं के कार्य हैं । अगर कहीं सरकार समझती है या माननीय सदस्य किसी सड़क के बारे में कहते हैं कि महत्वपूर्ण है ली जाती है । जिले की न जाने कितनी ऐसी सड़कें ली जाती हैं जिनको टैकनिकली जिला योजना में लिया जाना चाहिए । तो इसके लिए कोई नार्म्स बिल्कुल ही जिसमें कहना चाहिए फ्रेम के अन्दर ही फिट हो जायेंगे ऐसे कोई नार्म्स नहीं बने हैं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपनी प्रतिभा और ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय सदस्यों को उतने ही प्रश्न करने चाहिए जितना नियमों में है, हमें भी प्रश्न करना है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मैंने, मित्रसेन यादव जी ने तथा अन्य तमाम सदस्यों से प्रश्न किया कि स्टेट सैक्टर में सड़कों/पुलों को बनाने का क्या मानक है वह इधर-उधर की बात कर रहे हैं कि आवश्यकता के अनुसार करते हैं । हम जानना चाहते हैं कि कोई मानक है तो वह बता दें । या दिल्ली से जो सूची आ जाती है सुल्तानपुर या रायबरेली की उसे ले लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

वैसे तो बता दिया है सामान्यतया इस प्रकार होता है । अगर कोई मानक हो तो वह बता दें । (व्यवधान) शान्ति से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, वैसे तो उत्तर दिया जा चुका है उस समय आप तशरीफ नहीं रखते थे । मैंने कहा है सड़कों/पुलों की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए इस संबंध में निर्णय लिया जाता है । यही उत्तर मेरा अब भी है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कभी-कभी आवश्यकता पड़ती है तो जो नार्म्स निर्धारित हैं उनको रिलैक्स करना पड़ता है । मैं मंत्री जी के उत्तर को संतोषजनक मानता हूं । लेकिन उनकी जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं कि आपके ही निर्धारित नार्म के अनुसार जिन पुलों/सड़कों पर 30 लाख से ऊपर खर्च आयेगा उन्हें जिला प्लान में नहीं लिया जायेगा बल्कि वह स्टेट सेक्टर में लिये जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि 30 लाख से ऊपर जिन पुलों पर खर्च आता है उनको बनवाने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने का क्या मानक है, किस आधार पर उसको डिसाइड किया जाता है । और क्या यह नीति सारे प्रदेश के लिए आगे समान रूप से लागू होगी इसका आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, पुल कितनी आबादी को जोड़ता है ऐसे ही सड़क का है उसके महत्व को देखते हुए लिया जाता है । अगर बहुत बड़ी आबादी है और पुल नहीं है उसमें 30 लाख की बात भी आती है और मीटर का भी हिसाब लिया जाता है तो वह राज्य सेक्टर में बनाया जाता है । जहां तक पुलों की मांग है विकास का यह दौर है जिलों से काफी मांग हो रही है उनकी बहुत बड़ी संख्या है तो उसमें वरीयता दी जाती है कि किस पुल को बनाने से कितनी बड़ी आबादी कनैक्ट होती है और उसमें बराबर माननीय सदस्यों की राय को भी ध्यान में रखा जाता है और उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मंत्री जी की जहां तक बौद्धिक क्षमता और वाक पटुता का संबंध है तो उनमें वह अद्वितीय है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नार्म्स किन विशेष

परिस्थितियों में रिलेक्स कर दिये जाते हैं इसको स्पष्ट कर दें । नार्म्स रिलेक्स करने में तीन बातों का या विशेष बातों को या विशेष व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है या जन-हित को प्राथमिकता दी जाती है या तीन बातों के अलावा चौथी बात है । मानक प्रत्येक विभाग में पहले से तय होते हैं, इसलिए मानक को भी स्पष्ट कर दें ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब सुन लें लेकिन व्यवधान पैदा न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें । एक ही सवाल सभी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मानक क्या हैं ? मंत्री जी टाल रहे हैं यह संसदीय अवमानना है । मानक बता दें अन्यथा इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आप कृपया प्रश्न पढ़ें और जो संरक्षण देना चाहिए वह दें । प्रश्न नार्म्स क्या बनाये गये हैं इसके संबंध में है, इसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि महत्ता को देखते हुए नार्म्स नहीं बनाये गये हैं । किसी को लेने का राज्य सेक्टर में कोई नार्म्स नहीं बनाये गये हैं, यह उत्तर है ।

जहां तक दूसरी बात है कि क्या पैमाना है तो जो प्रश्न लेते हैं उसमें जनहित का पैमाना है जिसके ऊपर सारे प्रदेश का विकास होता है और तय किया जाता है, इसका उत्तर दिया जा चुका है । लेकिन प्रश्न के अतिरिक्त उत्तर हैं उनका भी जवाब दिया जा चुका है । इस प्रकार प्रदेश में कोई नार्म्स नहीं हैं, उत्तर दिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री बाबू राम यादव–

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था चाहता हूं मंत्री जी सारे सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

टिप्पणी–नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

आदर्श इण्टर कालेज मोंठ झांसी के इण्टर कक्षा के हरिजन छात्रों को वर्ष 1986–87 व 1987–88 की छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि आदर्श इण्टर कालेज मोंठ झांसी के कक्षा 11 एवं 12 के हरिजन छात्रों की वर्ष 1986–87 एवं 1987–88 की छात्रवृत्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जब कि कक्षा नौ से बारह तक प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से हरिजन छात्रवृत्ति मिलने के शासनादेश हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी जिले के किस विद्यालय के कितने हरिजन छात्रों को (कक्षा नौ से बारह तक के) वर्ष 1986–87 व 1987–88 की छात्रवृत्ति जुलाई 1988 तक भी प्राप्त नहीं हुई है और इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की हरिजन छात्रवृत्ति उसी वित्तीय वर्ष में हरिजन छात्रों को उपलब्ध कराने के आदेश करेगा ?

श्रीमती दीपा–

कक्षा 9 से 12 तक अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है । समय से छात्रवृत्ति न बंटने का एक मुख्य कारण पी0 एल0 ए0 से धन के आहरण पर लगी रोक थी जिसके कारण अधिकांश छात्रवृत्तियां समय से नहीं दी जा सकी । जनपद झांसी के सभी विद्यालयों से संम्बन्धित विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं ।

ऐसे निर्देश पूर्व से ही विद्यमान हैं ।

कालीदास मार्ग लखनऊ के सरकारी आवासों में रह रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

*5–श्री शारदा प्रताप तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 6ठे मंगलवार के दिनांक 5-4-1988 के नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए संशोधित उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेदखल किए गए व्यक्तियों द्वारा पुन: आवास बना लिए जाने पर उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध पुन: बेदखली हेतु विहित प्राधिकारी न्यायालय में दायर वाद का निर्णय हो गया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी–

6 व्यक्तियों ने कालीदास मार्ग स्थित मुख्य मंत्री आवास के पूर्वी चारदीवारी के बाहर बेदखल करने के बाद पुन: अवैध निर्माण कर लिया था । उन सब को विहित प्राधिकारी द्वारा पुन: बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं ।

वर्ष 1984-85 व 1985-86 में जनपद शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खरीदे गये काशन बोर्ड

*6–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के सर्कुलर नं0 842 सी0/110 यातायात/85 दिनांक 19-2-85 द्वारा प्रचुर मात्रा में साइन एवं काशन बोर्ड लगाने के आदेश पारित किये गये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1984-85 व 86 में जनपद शाहजहांपुर, बरेली व बदायूं में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्डों में कितने-कितने बोर्ड खरीदे गये तथा क्या खरीदने के लिए टेण्डर अथवा कोटेशन आमंत्रित किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, बरेली के अधीन शाहजहांपुर, बरेली व बदायूं में निम्नानुसार साइन एवं काशन बोर्ड खरीदे गये :–

	वर्ष 1984–85	वर्ष 1985–86
शाहजहांपुर	–	245
बरेली	4	132
बदायूं	60	104
कुल योग	64	481

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम धनपुरा परगना ज्वालापुर जिला सहारनपुर के किसानों की ज्वालापुर से लक्सर तक जाने वाली सड़क हेतु वर्ष 1958 में ली गई भूमि का मुआवजा न मिलने की शिकायत

*7–श्री राम शरण दास–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ग्राम धनपुरा परगना ज्वालापुर पूर्व तहसील रुड़की वर्तमान तहसील हरिद्वार के काश्तकारों की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क (ज्वालापुर से लक्सर तक) के लिए वर्ष 1958 में अधिग्रहीत कर ली गयी थी और उस पर कब्जा लेकर सड़क का निर्माण करा दिया गया था ? क्या उन किसानों को भूमि का मुआवजा दे दिया गया है जिनकी भूमि सड़क के लिये अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद की फरेन्दा तहसील में फुलमनहा दुबौलिया मार्ग पर ईंटों की सोलिंग के कार्य में की गई अनियमितता की जांच की मांग

*8–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रथम सत्र 1988 के छठे मंगल के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की फरेन्दा तहसील में फुलमनहा-दुबौलिया मार्ग पर ईंटों की घटिया सोलिंग लगाये जाने की जांच में दोषी पाये गये किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो इनका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री बी0 के0 मुखोपाध्याय, सहायक अभियन्ता एवं श्री प्यारे लाल मौर्य, अवर अभियंता से मुख्य अभियंता (गोरखपुर) के पत्रांक क्रमशः 370/279 गो0 मं0 एक्यू/88 दि0 7-1-89 तथा 404/279 गो0 मं0 एक्यू/88 दिनांक 7-1-89 के द्वारा क्रमशः 21,920/- रुपये तथा 32,880/- रु0 की वसूली तथा श्री प्यारे लाल के संबंध में साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रदान किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

टोंस नदी जनपद गाजीपुर पर पुरानीगंज घाट पर कासिमाबाद बहादुरगंज इटौरा पहसा मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति

*9–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में टोंस नदी पर पुरानीगंज घाट पर कासिमाबाद, बहादुरगंज इटौरा पहसा मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा कब दी गयी ? इस पक्के पुल एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद गाजीपुर में टोंस नदी पर पुरानीगंज घाट पर कासिमाबाद-बहादुरगंज-इटौरा-पहसौं मार्ग पर पक्के पुल का निर्माण कार्य 4/86 में स्वीकृत हुआ है ।

विषयगत सेतु एवं सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है । भूमि अध्याप्ति के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी आवासों पर कब्जा बनाये हुए भू0 पू0 मंत्रियों पर बकाया किराया धनराशि

*10–श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने भू0 पू0 मंत्री सरकारी आवासों में कब्जा किए हुए हैं ? उनके नाम क्या हैं ? कितनों पर नियमानुसार अद्यतन कितना किराया देय है ? उनके नाम व अवशेष किराए की सूची माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विधायक निवास

ए0 बी0 सी0 में कितने गैर विधायक रहते हैं ? क्या गैर विधायकों को भी विधायक निवास में आवास आवंटित किये जाने का नियम है ? यदि हां, तो उसका मानक क्या है और दरें क्या हैं ? यदि नहीं, तो आवंटन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी–

वांछित सूचना संलग्न है । ऐसे महानुभावों के नाम एवं 31-12-88 तक के बकाये किराये का विवरण भी संलग्न है ।

विधायक निवास, ए0 बी0सी0 में क्रमशः 57, 44 तथा 3 गैर विधायक रहते हैं ।

विधायक निवास मा0 विधायकों के लिये ही है, किन्तु रिक्त कक्ष उपलब्ध होने पर अधिकारी/पत्रकारों/भूतपूर्व विधायक आदि को भी अस्थाई रूप से उनका आवंटन किया जाता है । विधायक निवासों में गैर विधायकों के लिये कक्ष आवंटित होने पर उनसे रु0 20 प्रतिदिन की दर से किराया एवं रुपया 4 प्रतिदिन की दर से विद्युत व जल मूल्य लिये जाने का प्राविधान है ।

(देखिये नत्थी स आगे पृष्ठ 180 पर)

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्माणाधीन नलकूप के पूर्ण करने में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण

*11–श्री मयंकर सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्माणाधीन प्रश्नगत ट्यूबवेल अभी भी पूर्ण नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है ? उक्त कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

प्रश्नगत ट्यूबवेलों को अब तक पूर्ण न कराये जाने के लिए जिलाधिकारी लखनऊ से जांच कराई जा रही है ।

अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग तथा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य दिनांक 31 मार्च, 1989 तक पूरा हो जायेगा ।

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज मारूपपुर, मर्यादपुर जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रों के वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 के छात्रवृत्ति का वितरण न किया जाना

*12–श्री मनेजर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी विद्यालय इण्टर कालेज मारूपपुर, मर्यादपुर जनपद-आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को वर्ष 1985-86 एवम् 1986-87 में कोई छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो उसका वितरण छात्रों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती दीपा–

प्रश्नगत मामले में सभी अभिलेखों का विस्तृत रूप से परीक्षण करके किसी उच्च स्तरीय अधिकारी से जांच कराकर आख्या भेजने हेतु निदेशक, ह0 स0 क0 को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता विद्युत/यांत्रिक के पदों पर चयन में विलम्ब

*13–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर, 1988 तक सीधी भर्ती कोटे के सहायक अभियन्ता (वि0/या0) के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उक्त पदों को सीधी भर्ती से चयन हेतु शासन ने लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को लिखा है ? यदि हां, तो किस दिनांक एवं पत्रांक से शासन द्वारा भेजा गया है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले में विलम्ब किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने तथा विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

27 पद । इन पदों पर लोक सेवा आयोग से अनुमोदित अभ्यर्थी आने तक प्रोन्नति श्रेणी के सहायक अभियंताओं से इस शर्त के साथ भर लिया गया है कि अनुमोदित अभ्यर्थी आयोग से आने पर इन्हें इनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा ।

जी हां ।

वर्ष 1984-85 तक की रिक्तियों को भरने हेतु शासन के पत्र संख्या–4439 ई बी-आर/23, दिनांक 29-7-86 द्वारा तथा वर्ष 1987-88 तक की रिक्तियों के लिए शासन के पत्र संख्या–3981 ई बी आर/23, दिनांक 8-9-87 द्वारा अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभियंत्रण सेवा की सभी शाखाओं में भर्ती अब एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होनी है । विद्युत यांत्रिक शाखाओं के पाठ्यक्रम आयोग द्वारा तैयार करके शासन के सभी अभियंत्रण शाखाओं को कार्मिक विभाग के माध्यम से अनुमोदनार्थ भेजा गया था । सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर सहमति दी जा जा चुकी है । शासन के अनुमोदन तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम के प्रस्थापन पर सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) के पदों के लिए चयन लोक सेवा आयोग अपने कार्यक्रम के अनुसार औपचारिकतायें पूरी होने के उपरान्त नियमानुसार करेंगे ।

राजकीय कालोनी ताल कटोरा लखनऊ में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने का मामला

*14–श्री जगमोहन सिंह यादव,
श्री दीपचन्द्र सोनकर तथा
श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कालोनी ताल कटोरा मल्टी स्टोरी लखनऊ में बाउन्ड्रीवाल के अभाव में छुट्टा जानवर गाय, सुअर आदि चारों तरफ घूमकर गन्दगी फैलाते हैं ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी के बाउन्ड्री-वाल बनाने हेतु मामला 1985 से शासन में विचाराधीन है तथा संबंधित अभियंता से कई बार इस्टीमेट मांगे गये ? यदि हां, तो क्या संबंधित अभियंता से इस्टीमेट शासन को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो अब तक शासन द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या मंत्री जी उक्त कालोनी को गंदगी से बचाने के लिए तत्काल बाउन्ड्रीवाल बनाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । परन्तु कालोनी में जानवरों का विचरण रोकने से राज्य सम्पत्ति विभाग संबंधित नहीं है । तालकटोरा कालोनी में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने का आगणन वर्ष 1985 में शासन को प्राप्त हुआ था । उक्त कालोनी के आवास के सामने बाउन्ड्रीवाल का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार अनुमन्य नहीं है । अतः आगणन की स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

चूंकि श्रेणी 1, 2, 3 के आवासों के सामने बाउन्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया जाता है, अतः तालकटोरा मल्टीस्टोरी आवासों में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लि0 लखनऊ के बन्द होने से मजदूरों की बेकारी एवं फैक्ट्री के मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही

*15–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन गोल्डवाटर ब्रिवरीज लि0 लखनऊ के मालिकों ने बिना शासन की अनुमति के बन्द इसे कर दिया जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ? यदि हां, तो यह कम्पनी किस तिथि को बन्द हुई तथा मजदूरों को कितनी रकम दी गयी और इस गलत काम के लिए क्या सरकार कम्पनी के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (सैयद सईदुल हसन)–

मोहन गोल्डवाटर ब्रिवरीज लि0 लखनऊ बन्द नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिकों के स्थायीकरण का मामला

*16–श्री राम पाल वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक पद धारकों की आपसी वरिष्ठता के विवाद पर मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-2-1987 के परिप्रेक्ष्य में उक्त पद धारकों का स्थायी करण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

मामला विचाराधीन है । निकट भविष्य में निर्णय की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

*17–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रति वर्ष बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था पेंशन की मासिक राशि 60 रुपया से बढ़ाकर 150 रुपया कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन–

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल वृद्धावस्था पेंशन की मासिक धनराशि रुपये 60 में वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निर्माण निगम में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें एवं अनामली कमेटी की रिपोर्ट का लागू न होना

*18–श्री मित्रसेन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जहां शासन ने तृतीय वेतन आयोग की संस्तुतियां सभी विभागों में लागू कर दी हैं वहीं राजकीय निर्माण निगम में द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियां तथा एनोमली कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की गई हैं जबकि दिनांक 1 फरवरी, 1986 को हुई सचिव समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर शासनादेश संख्या-1151 (1) सी0 बी0 87-23-सा0 नि0-8-37, दिनांक 18 मार्च, 1987 के प्रस्तर-2 में यह व्यवस्था दी गयी थी कि राजकीय निर्माण निगम के लेखा तथा मिनिस्ट्रियल विंग के वेतनमान हेतु निगम के उन्हीं पदों के वेतनमान के समकक्ष रखे जायेंगे ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त शासनादेश राजकीय निर्माण निगम के वरिष्ठ लेखाकारों के संबंध में अक्षरशः लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियां एवं एनोमली कमेटी की रिपोर्ट निर्माण निगम में लागू कर दी गई है । तृतीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन शासन द्वारा रोक दिया गया है ।

प्रश्न में संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 1987 के प्रस्तर–2 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में निर्माण निगम ने सेतु निगम की भांति अपने वरिष्ठ लेखाकारों का पुनरीक्षित वेतनमान भी रु0 690-1420 और 10 वर्ष बाद रु0 900-1770 कर दिया तथा वरिष्ठ लेखाकारों का पदनाम भी सहायक लेखाधिकारी कर दिया है । अंतर मात्र यह है कि (1) सेतु निगम में रु0 690-1420 तथा रु0 900-1770 दोनों वेतनमानों के पदधारकों का पदनाम सहायक लेखाधिकारी रखा गया है जबकि निर्माण निगम में रु0 690-1420 के वेतनमान के पदधारकों का पदनाम "सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-2" और रु0 900-1770 के पदधारकों का पदनाम "सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1" रखा गया है, तथा (2) सेतु निगम में रु0 690-1420 के पदधारकों को 100 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन स्वीकृत है और निर्माण निगम ने इस वेतनमान के पदधारकों को 100 रु0 प्रतिमाह का वैयक्तिक वेतन स्वीकृत किया गया है ।

अस्थाई निर्माण इकाई मार्ग–1 सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ के विभिन्न मार्गों के समतलीकरण का मामला

*19–श्री भगौती सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थाई विभाग निर्माण इकाई मार्ग–(1) इन्द्रानगर लखनऊ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मार्गों पर डामर से सड़क लेपन के पहले बड़े व छोटे गड्ढों एवं सतह की समतल बनाने हेतु विभिन्न सड़कों पर किस-किस माध्यम एवं ठेकेदारों से कितनी मात्रा एवं धनराशि का पत्थर वित्तीय वर्ष 1985-86 में माह फरवरी तथा मार्च, 1986 में लिया गया? क्या यह पत्थर मिनरल कारपोरेशन जिसके लिए सरकार के आदेश हैं, से लिया गया? यदि नहीं, तो क्या उसकी पूर्व स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ले ली गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की प्रति को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

सार्वजनिक निर्माण विभाग की अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग) नं0–1, इन्दिरा नगर लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मार्गों पर डामर से सड़क लेपन के पूर्व बड़े व छोटे गड्ढों एवं सतह को समतल बनाने हेतु वर्ष 1985-86 के माह 2/86 3/86 में आपूर्ति ठेकेदारों के माध्यम से ली गई। पत्थर की मात्रा तथा क्रय की धनराशि आदि का विवरण संलग्न है। †

जी नहीं ।

प्रश्नगत आपूर्तियां उत्तर प्रदेश राजकीय खनिज विकास निगम को पूरा अवसर दिये जाने तथा उनके द्वारा आपूर्ति न किये जाने के उपरान्त ही शासन के आदेशों में की गयी व्यवस्था के अनुसार, सक्षम अधिकारी के पूर्वादेशों के तहत ही ली गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है। †

---

† छापा नहीं गया।

हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों के कार्य अधिकार एवं वेतनमान

*20–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों के कितने पद सृजित हैं तथा इनके कार्य एवं अधिकार क्या-क्या हैं? सुपरवाइजरों के कार्य एवं अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति 1964 द्वारा हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों को सहायक विकास अधिकारी के वेतनक्रम के बराबर वेतनक्रम तथा यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत "भ्रमण के अनुसार भत्ता" स्वीकृत करने हेतु संस्तुति की गयी थी? यदि हां, तो हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों को सहायक विकास अधिकारी के बराबर वेतनक्रम तथा भ्रमण के अनुसार यात्रा भत्ता प्रदान करने हेतु कब तक शासनादेश जारी हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा–

उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के कुल 284 पद सृजित हैं। इनके द्वारा संस्थागत तथा व्यक्तिगत अनुदानों एवं प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के छात्रवृत्ति देने की संस्तुति व जांच तथा उनके वास्तविक उपभोग प्रमाणित करने, विभिन्न प्रकार की शिकायतों की जांच, शुल्क क्षतिपूर्ति विवरण पत्र के स्वीकृति की संस्तुति, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण के साथ हरिजन कल्याण विभाग के अनुदानों द्वारा 2500 रुपये मूल्य तक के निर्माण कार्यों के सत्यापन एवं समापन-प्रमाण-पत्र देने के कार्य एवं अधिकार दिये गये हैं।

शासन अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मामले पर विचार कर रहा है तथा यह मामला वेतन समता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उनका निर्णय हो जाने के उपरान्त शासनादेश निर्गत हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्न

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधवापार जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1979 से 1984 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गयी छात्रवृत्ति

1–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधवापार जनपद आजमगढ़ को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा 1979 से 1983-84 तक किस-किस कक्षा के कितने-कितने छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी? क्या यह सत्य है कि स्वीकृत की गयी छात्रवृत्ति में ऐसे भी छात्र हैं जो विद्यालय में पंजीकृत नहीं हैं? संस्थाध्यक्ष द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नगद किया गया अथवा चेक से और क्या उक्त अनियमितता की जांच कराने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा–

विभाग द्वारा वर्ष 1979 से 83-84 तक किस कक्षा के कितने-कितने छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है, सूचना विस्तृत होने के कारण विवरण मा0 सदस्य को अलग से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

जांच कराई जा रही है।

नकद भुगतान की स्थिति जांच से ज्ञात हुई।

जांच कराई जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड कानपुर द्वारा निलम्बित किये गये आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही

2–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्र0 सं0–37 में मुख्य अभियन्ता म0 क्षे0 ने अपने पत्रांक 5101 सी जेड ई दिनांक 29-5-85 से 10 दिनों में जांच पूर्ण करने के आदेश दिये थे? यदि हां तो किन शासनादेशों के अन्तर्गत? क्या जांच अधिकारी श्री वीर भद्र सिंह ने 10 दिनों में जांच पूर्ण की? यदि हां, तो सी0सी0ए0 रूल्स के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी? क्या श्री सुरेन्द्र कुमार जांच अधिकारी द्वारा 3 वर्ष में दी गयी जांच आख्या अपूर्ण थी? यदि हां, तो तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ने पुनः जांच पूर्ण करने के आदेश दिये ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) ने अपने पत्र दिनांक 29-5-85 में दो सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण करके जांच आख्या प्रेषित करने के आदेश दिये थे।

जांच हेतु समय का निर्धारण किसी शासनादेश विशेष के अन्तर्गत नहीं दिया गया था।

जांच अधिकारी श्री वीरभद्र सिंह ने 12 दिनों में जांच पूर्ण करके अधीक्षण अभियंता को प्रस्तुत की थी।

जांच सी0 सी0 ए0 नियमों के अंतर्गत की गई थी और श्री धर्मवीर सिंह आशु-लिपिक को दोषी पाया गया था। श्री सिंह की एक वार्षिक वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोकी गयी।

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता ने नहीं बल्कि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) ने पुनः जांच करने के आदेश दिये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

काशी कृषक इन्टर कालेज वाराणसी के अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधी खाता खोलने में स्थानीय बैंकों द्वारा इन्कार किया जाना

3–श्री राज किशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी कृषक इन्टर कालेज, वाराणसी के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के संबंध में स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खाता खोलने से इनकार करने से उत्पन्न कठिनाई के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-3-88 के उत्तर में उनके पत्र संख्या

305/एम/88 दिनांक 15/16-3-88 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? क्या उक्त छात्रों की कठिनाई दूर करने के निमित्त खाता खोलने के लिए स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिए गये उनके निर्देश का अनुपालन हो रहा है? यदि नहीं, तो समस्या का निराकरण कब तक हो जायगा?

श्रीमती दीपा–

जी हां।

लाभार्थी छात्रों के खाते काशी ग्रामीण बैंक, समईपुर, जिला सहकारी बैंक पहाड़िया, भारतीय स्टेट बैंक, सिधौरा बाजार, वाराणसी में खोल दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय 19वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग झांसी में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पद

4–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय 19 वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी तथा उक्त कार्यालय के अधीनस्थ स्थाई तथा अस्थाई खण्ड कार्यालयों में शासन द्वारा कनिष्ठ लिपिकों के कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, 19वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी तथा उसके अधीनस्थ स्थाई तथा अस्थाई खण्डीय कार्यालयों में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिकों के पदों का विवरण निम्नवत् है :–

कार्यालय का नाम	मूलरूप में स्वीकृत पदों की संख्या	प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 14–6–85 द्वारा खंडीय कार्यालयों को आबंटित पदों की संख्या	
10वां वृत झांसी (स्थायी) ..	..	10	1
खण्डीय कार्यालय			
1—प्रान्तीय खंड, झांसी (स्थायी)	..	12	7
2—प्रांतीय खंड, ललितपुर (स्थायी)	..	12	7
3—प्रांतीय खंड, बांदा (स्थायी) ..	..	12	7
4—विभागीय निर्माण इकाई, कर्वी (स्थायी)	..	6	6
5—अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई, ललितपुर (अस्थायी)	..	6	6
6—अस्थाई खण्ड, झांसी (अस्थायी)	..	8	6

चीनी मिलों द्वारा श्रम मंत्री की अध्यक्षता में त्रिदलीय सम्मेलन के निर्णय का पालन न किया जाना

5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न त्रिदलीय सम्मेलन पर आधारित पंच निर्णय राजाज्ञा संख्या–384/एस0 आई0-/36-2-132/एच0 आई0 1/87 लखनऊ, दिनांक 23 जनवरी, 88 के अनुसार परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी के भुगतान की जो बकाया राशि स्थायी तथा सीजनल कर्मकारों को देय है उसका भुगतान अभी तक किन-किन चीनी मिलों द्वारा नहीं किया गया है ?

सैयद सईदुल हसन–

राजाज्ञा संख्या 384 (एच0 आई0)/36-2-132 (एच0 आई0)/87, दिनांक 23 जनवरी, 1988 के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश की सभी चीनी मिलों के स्थाई तथा सीजनल कर्मकारों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रमुख अभियन्ता के अधीनस्थ निलम्बित अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ताओं की जांच और लम्बित मामले

6–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 के अन्तर्गत किस-किस जोन में कितने अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता निलम्बित हैं और कितने मामले 6 माह से कम के हैं और कितने मामले 6 माह से अधिक के हैं, कितने प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में विचाराधीन हैं, कितने शासन स्तर पर लम्बित हैं ? क्या कोई ऐसा आदेश है कि यदि 6 माह में चार्ज शीट न दी जाय तो जांच चलते हुए भी बहाल कर दिया जाय? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और उन पर अब तक उक्त आदेश का पालन करके निलम्बन वापस न लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी–

उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 अधिशासी अभियन्ता, 24 सहायक अभियन्ता एवम् 28 अवर अभियंता निलम्बित हैं, जिनमें छः अधिशासी अभियन्ता, 21 सहायक अभियन्ता तथा 14 अवर अभियन्ता छः माह से अधिक समय से निलम्बित हैं तथा दो अधिशासी अभियन्ता, 3 सहायक अभियन्ता व 14 अवर अभियन्ता छः माह से कम समय से निलम्बित हैं ।

क्षेत्रवार सूची निम्न प्रकार है :–

सूची

क्रम-संख्या	क्षेत्र	अधिशासी अभियन्ता		सहायक अभियन्ता		अवर अभियंता	
		छः माह से अधिक	छः माह से कम	छः माह से अधिक	छः माह से कम	छः माह से अधिक	छः माह से कम
1	वाराणसी	1	1	2	2	2	11
2	कानपुर	2	—	4	—	1	—
3	फैजाबाद	1	1	4	1	3	1
4	बरेली	1	—	2	—	2	—
5	लखनऊ	1	—	2	—	1	—
6	पौड़ी	—	—	3	—	2	—
7	मेरठ	—	—	1	—	—	—
8	झांसी	—	—	3	—	1	2
9	आगरा	—	—	—	—	1	—
10	गोरखपुर	—	—	—	—	1	—

कितने प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में विचाराधीन हैं, कितने शासन स्तर पर लम्बित हैं ?

प्रश्न के इस भाग का आशय स्पष्ट नहीं है ।

प्रश्नगत आदेशों में इस प्रकार की बाध्यता का कोई आशय नहीं है । निलम्बन का चलते रहना अथवा उसका समाप्त कर दिया जाना मामले विशेष की परिस्थितियों व उसके गुणावगुण पर निर्भर करता है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखे गए शिकायती पत्र दिनांक 23-4-88 पर हुई कार्यवाही के विवरण की जानकारी

7–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-4-88 पर, जो राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजा गया था तथा जिसकी प्राप्ति राज्य मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या–888/बी0 एस0 एम0/88, दिनांक 9 मई, 88 द्वारा स्वीकार की थी, पर क्या कार्यवाही की गई है ? शिकायती पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? क्या उस पर जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जांच कराई जा रही है ।

शिकायती पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(1) लखौरा प्राइमरी स्कूल का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण कराकर भुगतान न करना ।

(2) दरियाबाद जूनियर हाईस्कूल के ठेकेदार को सीमेन्ट की फर्जी रसीद लेकर भुगतान करना।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैदरगढ़ में भवन कार्य प्रारम्भ किए बिना ही स्टील सटरिंग ले लेना ।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर के ठेकेदार के कार्य न करने पर उसका अनुबंध निरस्त कर कार्य पूर्ण न करना ।

(5) बलसाई खेड़ा प्राइमरी स्कूल के ठेकेदार के कार्य करने के चाहने के पश्चात् भी निविदा निरस्त कर देना।

(6) कम रेट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सैदनपुर तथा जूनियर हाई स्कूल कुसफर के टेण्डर को रेट के अनुमोदन हेतु उच्चाधिकारियों को भेजना, जबकि अधिक रेट वाले पुलिस आवास गृह कुर्सी का टेण्डर कार्य अधीक्षक श्री प्रेम प्रकाश द्वारा स्वीकृत किया गया था ।

(7) बिना टेण्डर स्वीकृत किए कार्य प्रारम्भ करा देना और ठेकेदार को परेशान करना ।

मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद को स्वयं जांच करने के लिए निर्देश भेजे गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1985 से 1987 तक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई एकमुश्त सहायता का विवरण

8—श्री विष्णु देव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में किन-किन अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति के व्यक्तियों को इलाज, लड़की की शादी, पशुपालन के लिए एक मुश्त सहायता दी गई है ? क्या मंत्री जी उनकी सूची नाम पते सहित सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती दीपा—

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1985—86 व 1986-87 में अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति के जिन व्यक्तियों की शादी, इलाज, व पशुपालन के लिए एकमुश्त सहायता दी गयी है, उनके विवरण संलग्न हैं ।†

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हमीरपुर के राठ विवार मार्ग पर उमरिया के पास नाले पर पुल के निर्माण का कार्य

9—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 297/सा0 नि0 वि0/87, दिनांक 28-7-87 जनपद हमीरपुर के राठ विवार मार्ग (बाधा जलालपुर) उमरिया के पास नाले में पुल बनवाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो नाले पर

†छापा नहीं गया।

पुल बनवाने के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा प्राक्कलन रिपोर्ट क्या है ? क्या शासन द्वारा पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

प्रश्नगत राठ–जलालपुर मार्ग के प्राक्कलन में ग्राम उमरिया के निकट लघु सेतु के निर्माण का प्राविधान है ।

उक्त लघु सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के पश्चात् उसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्य रोक दिया गया था तथा उसकी जांच कराई गयी थी। जांच में निर्माण कार्य कमजोर पाया गया तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । पुल का निर्माण पुन: प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी परिकल्पना को बदलना होगा जिसमें समय लगने की सम्भावना है ।

10–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आंगन बाड़ी प्रशिक्षण संस्थान दोहरीघाट आजमगढ़ में भ्रष्टाचार की शिकायत

11–श्री विष्णु देव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने आंगन बाड़ी प्रशिक्षण संस्थान दोहरीघाट, जनपद आजमगढ़ के भ्रष्टाचार की, श्रीमती प्रेम शर्मा आदि द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-1-87 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

श्रीमती प्रेमा शर्मा के उक्त सन्दर्भित शिकायती पत्र पर जांच कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के छात्रवृत्ति पाने वाले पिछड़े वर्ग छात्रों के सर्वाधिक एवं कम संख्या वाले विद्यालयों का विवरण

12–श्री बाबू राम यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में पिछड़े वर्ग के छात्रों की सर्वाधिक एवं सबसे कम संख्या किन-किन विद्यालयों में है और इसी वर्ग के छात्रवृत्ति पाने वालों की सर्वाधिक एवं सबसे कम संख्या किन-किन विद्यालयों में है ?

श्रीमती दीपा–

उक्त जनपद में पिछड़ी जातियों के छात्रों की सर्वाधिक संख्या नेशनल इण्टर कालेज भोगांव में है जिसकी कुल संख्या–1464 है तथा सबसे कम संख्या राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मानपुरहरी में है, जो कुल 17 है ।

पिछड़ी जातियों के छात्रवृत्ति पाने वालों की सर्वाधिक संख्या नेशनल इण्टर कालेज भोगांव में है, जो कुल 110 है तथा सबसे कम छात्रवृत्ति पाने वालों की संख्या डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, घिरौर में है जिसकी कुल संख्या 3 है ।

13–श्री बाबू राम यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में विभिन्न मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनमें से गत वर्ष विभाग द्वारा कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ? क्या दिनांक 26 फरवरी, 88 को मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार सभी पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जनपद मैनपुरी में विभिन्न मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पिछड़ी जातियों के 46712 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनमें से गत वर्ष 4,754 को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी ।

जी नहीं ।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि "प्रदेश में सभी विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, विमुक्त जाति और जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाय" । तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

काशी कृषक इण्टर कालेज, हरदुआ, वाराणसी के अनुसूचित जाति/जनजाति आदि के छात्रों की छात्रवृत्ति का स्थानीय बैंक की शाखाओं में खाता खोलने का मामला

14–श्री राज किशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी कृषक इण्टर कालेज, हरदुआ, वाराणसी के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोलने के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता के पत्र दि0 12-3-88 के उत्तर में उनके पत्र सं0–305/14/88 दि0 15/16-3-88 के सन्दर्भ में उक्त छात्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो खाता खोलने में हो रही कठिनाई को कब तक दूर कर दिया जायगा ?

श्रीमती दीपा–

इस सम्बन्ध में लाभार्थी छात्रों के खाते काशी ग्रामीण बैंक समईपुर, जिला सह-कारी बैंक पहाड़िया, भारतीय स्टेट बैंक सिधौरा बाजार, वाराणसी में खोल दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओ0 बी0 सी0 योजना फर्रुखाबाद के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का मामला

15–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1986-87 में ओ0 बी0 सी0 के अन्तर्गत छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों हेतु

धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में किन-किन लोगों को छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण के संदर्भित आदेश का अनुपालन

16–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0 258 एम 26-3-88-1134/88 हरिजन समाज कल्याण अनुभाग–3, लखनऊ, दिनांक 14 जून, 88 के सन्दर्भ में सरकार कोई कार्यवाही सुनिश्चित कर पायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, वाराणसी मण्डल से जांच करा ली गयी है। जांच आख्या का परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

महानगर, बादशाह नगर सचिवालय कालोनियों में भवनों का आवंटन एवं परिवर्तन

17–श्री जगमोहन सिंह यादव तथा श्री बाबू राम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित महानगर व बादशाह नगर सचिवालय कालोनी में वर्ष 1986-87 में तृतीय श्रेणी के कितने भवन नये सिरे से आवंटित किये गये हैं अथवा परिवर्तन स्वरूप आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि इन आवंटियों द्वारा शासन के आवंटन की पात्रता न होने के कारण अनियमित रूप से उच्च प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण जिसमें सेवा अवधि एवं संस्तुति कर्ता का उल्लेख हो सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

महानगर व बादशाहनगर स्थित सचिवालय कालोनी में वर्ष 1986-87 में तृतीय श्रेणी के 51 आवास आवंटित किये गये तथा 10 आवास परिवर्तन स्वरूप आवंटित किये गये ।

सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 के नियम–23 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कुछ लोगों को भवन आवंटित किये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता ।

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

महानगर, बादशाहनगर, रामनगर, मोतीझील सचिवालय कालोनियों में सरकारी भवनों के आवंटन में अनियमितता

18–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी आवास पाने के लिए मौलिक योग्यता क्या है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1984-87 व 88 में महानगर, बादशाहनगर, रामनगर व मोतीझील सचिवालय कालोनियों में भवन पाने वाले अभ्यर्थियों की अधिकांश की सेवा 10 वर्ष से भी कम है ? यदि हां, तो उन्हें किन परिस्थितियों में सरकारी आवास दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सचिवालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर सरकारी आवास पाने के पात्र होते हैं।

जी, हां ।

10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 के नियम-23 के अंतर्गत आवास आवंटित किये गये हैं ।

मृतक कर्मचारी के आश्रित को सेवा में लिए जाने का मामला

19–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक आश्रित की नियुक्ति के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, 19वां वृत्त, सा0 नि0 वि0, झांसी द्वारा मुख्य अभियन्ता द0 म0 क्षे0 कानपुर को भेजे गये पत्र संख्या-26/71/57 ई0 यी–19/87, दिनांक 5-6-1987 के संदर्भ में नियुक्ति हेतु मा0 श्री कृष्ण कुमार विधायक कांग्रेस (इ) द्वारा दिनांक 30-7-87 को दिये गये पत्र के आधार पर शासन द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 लखनऊ को निर्देशित पत्र सं0–5347/23-4-87 (3) एनजी/87, सा0 नि0 वि0 अनुभाग–4 दिनांक 12-11-87 तथा इसी क्रम में प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 लखनऊ द्वारा मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 बु0 ख0 क्षेत्र झांसी को निर्देशित पत्र सं0 886/व्यगशा/818 व्यग/86, दिनांक 8-1-88 तथा उसी क्रम में मुख्य अभियन्ता बु0 ख0 क्षेत्र सा0 नि0 वि0 झांसी द्वारा अधीक्षण अभियंता 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी को आदेशित पत्र सं0–615/6 ई0 सी0 बु0 क्षे0/88 दि0 24-2-88 के अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी द्वारा मृतक आश्रित की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर ली गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

मृतक कर्मचारी के आश्रित, श्री गोरखनाथ दुबे, कनिष्ठ लिपिक पद की अर्हता नहीं रखते, अतः इस पद पर उन्हें नियुक्त करना सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण द्वारा जनपद पौड़ी में ग्राम बालासौड़ हरसिंहपुर तथा रतनपुर (सुखरी) के बीच सड़क के निर्माण में अनियमितता की शिकायत

20–श्री सुक्खन सिंह–

क्या सा0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी के अस्थाई खण्ड सा0 नि0 वि0 कोटद्वार के अधीन ग्राम–बालासौड़ हरसिंहपुर तथा रतनपुर (सुखरी) के बीच एक सड़क का निर्माण हो रहा है ? क्या यह सच है कि श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज एडवोकेट बालासौड़ दवेरी रोड, कोटद्वार गढ़वाल के दि0 4-6-87 को एक पत्र सचिव, सा0 नि0 वि0, उत्तर प्रदेश शासन को उक्त सड़क के निर्माण में असावधानी बरतने तथा जनता के धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में दिया गया था तथा सचिव, सा0 नि0 वि0 द्वारा अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड सा0 नि0 वि0 कोटद्वार को उक्त मामले की जांच करने के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त जांच का क्या निष्कर्ष रहा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी, हां ।

जी, हां ।

जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये ।

विधायक निवास 5 में अध्यासियों द्वारा सरकारी भवनों को किराये पर उठाने का मामला

21–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि विधायक निवास–5 में ऐसे भी अध्यासी हैं जो अपने निजी मकानों में रहते हैं और अवैधानिक ढंग से सरकारी आवास में कब्जा बनाये हुए हैं और उक्त सरकारी आवास को ऊंची दरों पर प्राइवेट तौर पर किराये पर दे रखा है ? यदि हां, तो कक्ष संख्या–57 में रह रहे किरायेदारों को हटाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी–

विधायक निवास–5 के भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरीफिकेशन) से ज्ञात हुआ है कि कक्ष सं0–57 में अनधिकृत अध्यासी रहते हैं।

प्रश्नगत कक्ष को अनधिकृत अध्यासन से मुक्त कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

22–श्री राज किशोर सिंह–

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के 19वां वृत्त झांसी के कार्यालय में मृतक कर्मचारियों को सेवा में लेने के लम्बित मामलों की संख्या

23–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी के अन्तर्गत सरकारी सेवाकाल में मृतक आश्रितों के कितने मामले अभी तक लम्बित हैं ? क्या उसके निराकरण हेतु सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया गया था और उसका अनुपालन अधीक्षण अभियन्ता, 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

केवल एक मामला लम्बित है। सम्बन्धित कर्मचारी, जिसकी मृत्यु दिनांक 2-8-1988 को हुई थी, के आश्रित को सेवा में लेने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, 19वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी के अधीन खण्डवार रिक्त कतिपय पदों की संख्या

24–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0, झांसी तथा उक्त कार्यालय के अधीनस्थ स्थाई तथा अस्थाई खण्ड कार्यालयों में शासन द्वारा कनिष्ठ लिपिकों के कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये हैं ? उक्त खण्डों में वर्ष 1986-87 व 1987-88 में खण्डवार कितने-कितने कनिष्ठ लिपिक कार्यरत रहे ?

श्री अम्मार रिजवी–

अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, 19वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी तथा उसके अधीनस्थ स्थाई तथा अस्थाई खण्डीय कार्यालयों में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिकों के पदों तथा उक्त खण्डीय कार्यालयों में वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में खण्डवार कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों का विवरण निम्नवत् है :—

कार्यालय का नाम	मूलरूप में स्वीकृत पदों की संख्या	प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 14-6-85 द्वारा खंडीय कार्यालयों को आबंटित पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	
			वर्ष 86–87	वर्ष 87–88
19 वां वृत्त, झांसी (स्थायी) खण्डीय कार्यालय	10	—	10	10
प्रान्तीय खंड, झांसी (स्थाई) ..	12	7	11	9
प्रांतीय खंड, ललितपुर (स्थायी)	12	7	11	8
प्रांतीय खंड, बांदा (स्थाई) ..	12	7	11	9
विभागीय निर्माण इकाई, कर्वी (स्थायी) ..	6	6	7	8
अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई, ललितपुर (अस्थाई) ..	6	6	9	7
अस्थायी खंड, झांसी (अस्थाई) ..	8	6	7	8

निर्माणाधीन बौद्ध परिपथ उस्काबाजार, जनपद बस्ती के कूड़ा (कूरा) नदी पर विभागीय पुल बनाये जाने की मांग

25–श्री धनराज यादव–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में निर्माणाधीन बौद्ध परिपथ में उस्का बाजार के पास कूड़ा (कूरा) नदी पर सा0 नि0 वि0 का पुल न होकर रेलवे द्वारा बनाये गये रेल लाइन के पुल से यातायात का कार्य होता है तथा सा0 नि0 वि0 द्वारा रेलवे पुल के प्रयोग के बदले में कुछ रुपया प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ता है ? यदि हां, तो बौद्ध परिपथ (जो कि बौद्ध तीर्थों को जोड़ने वाला एक उच्च कोटि का मार्ग है) में कूड़ा नदी पर सा0 नि0 वि0 द्वारा विभागीय पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव की स्वीकृति कब तक दे दी जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी, हां ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण झांसी मंडल द्वारा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर के विरुद्ध शासन को दी गई आख्या ।

26–श्री कल्याण सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें 19 जून, 1987 को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अनुभाग-1 के पत्र सं0-2432/26-1-87 द्वारा के एन0 यादव, जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर के विरुद्ध आरोपों की कोई जांच आख्या उप निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण झांसी मंडल झांसी द्वारा दिनांक 12-4-88 को प्रस्तुत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती दीपा–

जी नहीं ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय मोहान रोड लखनऊ में वरिष्ठ सहायक एवं स्टोर कीपर के रिक्त चल रहे पद

27–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय मोहान रोड, लखनऊ में अधीक्षिका की गलत नीतियों के कारण संस्था में मार्च, 1988 से अब तक वरिष्ठ सहायक एवं स्टोर कीपर के पद खाली चल रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती दीपा–

राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ, में मार्च, 1988 से वरिष्ठ सहायक व स्टोर कीपर का पद खाली नहीं रहा केवल श्री राम वृक्ष स्टोर कीपर/कनिष्ठ लिपिक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप दिनांक 19-8-88 से कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त रहा जिसे अब भर दिया गया है ।

28–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

29–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

30–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) मोहान रोड लखनऊ में वर्ष 1981-82 में हुई कतिपय छात्रों की मृत्यु

31–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) मोहान रोड लखनऊ के वर्तमान अधीक्षिका के कार्यकाल में वर्ष 1981-82 में विषाक्त भोजन के कारण कई छात्राओं की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि संस्था में खाद्य सामग्रियों की एवं रहन की दोषपूर्ण व्यवस्था तथा संस्था में चिकित्सा की कोई व्यवस्था न होने के कारण प्रत्येक माह 4-6 छात्राओं के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधीक्षिका के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

वर्तमान अधीक्षिका जिनकी तैनाती विद्यालय में 15 सितम्बर, 1982 को हुई के कार्यकाल में विषाक्त भोजन के कारण किसी भी छात्रा की मृत्यु नहीं हुई । वर्ष 1981-82 में तत्कालीन अधीक्षिका के कार्यकाल में गैस्ट्रो इन्ट्राईटिस के कारण 14 से 16 अगस्त, 1981 के मध्य 4 छात्राओं की मृत्यु हुई थी । जी नहीं । 23-7-83 से 19-12-88 के मध्य उक्त विद्यालय की 13 छात्रायें जो बुखार, डायरिया, पसली दर्द, कम्पन, सूजन व चेचक रोग से ग्रस्त थीं को बलरामपुर अस्पताल, मानसिक अस्पताल व कालरा अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया जो स्वस्थ होकर विद्यालय आ गईं ।

मृत्यु का कारण विषाक्त भोजन नहीं अपितु महामारी थी और जांच कराकर कार्यवाही के लिए तत्कालीन अधीक्षिका की तीन वेतन वृद्धियां रोकने और चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही की जा चुकी है ।

राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने का मामला ।

32–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी (पी0 आर0 डब्लू0) कर्मचारी कितने समय से कार्यरत हैं ? क्या उक्त कर्मचारियों को बोनस, आकस्मिक अवकाश/उपार्जित अवकाश आदि की सुविधा प्रदान की गयी तथा पी0 आर0 डब्लू0 प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया ? क्या निगम के वर्किंग मैनुअल के पैरा नं0 27 में वर्णित नियुक्ति संबंधी नियमों का विधिवत पालन किया जा रहा है तथा पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जौनपुर को जिला उद्योग केन्द्र जौनपुर द्वारा कतिपय छूटों हेतु प्राप्त आवेदन पत्र

33–श्री धनराज यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में जिला उद्योग केन्द्र ने कैपिटल सब्सीडी स्टैम्प सब्सीडी तथा विद्युत उत्पादन के आवेदन-पत्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जौनपुर को योजना प्रारम्भ होते ही उपलब्ध करा दिए थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आंगनबाड़ी केन्द्र सरोजनीनगर लखनऊ में कार्यरत सुपरवाइजर (श्रीमती मनवीर कौर) द्वारा वर्ष 1987-88 में सरकारी खाद्य सामग्री ऊंची दर पर बेचे जाने की जांच

34–श्री राज किशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यालय सरोजनी नगर लखनऊ में कार्यरत सुपरवाइजर (श्रीमती मनवीर कौर) ने वर्ष 87-88 में हरौनी ब्लाक को वितरण हेतु आवंटित हजारों रुपये की खाद्य सामग्री को ऊंची दर पर बाजार में बेच दिया है ? इस सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटाले के संबंध में क्या मंत्री जी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

श्रीमती मनवीर कौर मुख्य सेविका हरौनी के द्वारा हजारों रुपये की खाद्य सामग्री को ऊंची दर पर बेचने की शिकायत की जांच करायी गयी । आरोप अप्रमाणित पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड कानपुर द्वारा निलम्बित किये गये आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही

35—श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम मंगल के अता0 प्रश्न सं0-37 के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-12-87 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अधीक्षण अभियन्ता श्री रवीन्द्र कुमार द्वारा प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए शासन स्तर पर जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से करायी गयी एवं जांच रपट शासन को कब दी गयी तथा प्रत्येक बिन्दु के जांच परिणाम क्या रहे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर में टोंस नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

36—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में टोंस नदी पर तिराहीपुर घाट पर परसा बारा चंबर तिराहीपुर रसड़ा मार्ग पर पक्का पुल एवं पहुंच मार्ग सरकार द्वारा कब स्वीकृत हुआ ? इस पक्के पुल व पहुंच मार्ग बनने में अब कितना विलम्ब है ? क्या सरकार इस पक्के पुल एवं पहुंच मार्ग को शीघ्र बनाने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गाजीपुर में टोंस नदी के तिराहीपुर घाट पर पुल एवं पहुंच मार्ग की मूल स्वीकृति 4/81 में एवं पुनरीक्षित स्वीकृति 7/83 में प्रदान की गई ।

पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । पहुंच मार्ग इन्टरक्लोट तक पूर्ण है । पहुंच मार्ग को लेंथित करने का कार्य प्रगति पर है ।

विषयगत सम्पूर्ण निर्माण कार्य 3/89 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद गाजीपुर के भैंसई नदी पर नखतपुर घाट पर पुल बनाये जाने की मांग

37—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में भैंसही नदी पर नखतपुर घाट पर हैदरा विजौरा, नखतपुर, पिपरी डीह मार्ग पर पक्के पुल का निर्माण शासन द्वारा कब स्वीकृत हुआ था ? इस पक्के पुल का निर्माण एवं इस पुल तक पहुंच मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

विषयगत सेतु का निर्माण कार्य 9/84 में स्वीकृत हुआ था ।

पुल का निर्माण कार्य 6/90 एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य 12/90 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) मोहान रोड लखनऊ में कक्षावार छात्राओं की संख्या

38–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) मोहान रोड लखनऊ में कितनी कक्षाओं तक की मान्यता प्राप्त है तथा कक्षावार कितनी छात्राएँ शिक्षा पा रही हैं ? क्या यह सही है कि इस बालिका शिक्षण संस्था में बने आवासों के सफाई, मरम्मत तथा जल आपूर्ति व्यवस्था दसों साल से अव्यवस्थित चल रही है जिससे छात्राओं को भयंकर कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार उक्त कुव्यवस्था को ठीक करने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती दीपा–

उक्त विद्यालय कक्षा 1 से 10 तक मान्यता प्राप्त है । कक्षावार शिक्षारत छात्राओं की संख्या निम्नवत् है :–

कक्षा	संख्या
1	30
2	22
3	17
4	14
5	17
6	25
7	16
8	24
9	37
10	15
योग:	217

जी नहीं ।

विद्यालय भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है तथा छात्राओं की सुरक्षा हेतु विद्यालय समीप में नवनिर्मित भवन उत्तर रक्षा गृह में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

भवन में अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) मोहान रोड लखनऊ में एक सहायक अध्यापिका की अनियमित नियुक्ति

39–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) मोहान रोड, लखनऊ में कुछ ऐसी सहायक अध्यापिका कार्यरत हैं जिनकी मूल नियुक्ति गृह माता के पद पर हुई थी ? क्या यह सही है

कि नियुक्ति के समय उनकी आयु सरकारी सेवा हेतु निर्धारित आयु सीमा से अधिक थी ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गई ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

राजकीय आश्रम पद्धति (बालिका) विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ में श्रीमती सरोजनी पाण्डे एकमात्र ऐसी अध्यापिका हैं जिनकी मूल नियुक्ति 34 वर्ष की आयु होने पर सर्वप्रथम गृहमाता के पद पर की गई थी । नियुक्ति के समय गृहमाता के पद के लिए निर्धारित आयु सीमा 30 से 40 वर्ष तथा जे0 टी0 सी0 अध्यापक के लिये निर्धारित आयु सीमा 21 से 27 वर्ष निर्धारित थी । श्रीमती पाण्डे नियुक्ति के समय गृहमाता के पद के लिए अर्ह थीं लेकिन नियुक्ति के दिनांक को जे0टी0सी0 अध्याण्क के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुकी थीं । श्रीमती पाण्डे का गृहमाता के संवर्ग से जे0 टी0 सी0 अध्यापक पर निदेशालय के आदेश दिनांक 23-7-1976 द्वारा किये गये स्थानान्तरण को अनियमित पाया गया है जिसके बारे में जांच कराई जा रही है तथा जांच के उपरांत जिसे दोषी पाया जावेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी साथ ही हुये अनियमित स्थानान्तरण के बारे में अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

सचिव सार्वजनिक निर्माण शाखा के कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 पास बुक में समय से प्रविष्टियां न होना

40–श्री राम पाल वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-जी-4-2450 दस-503-77, दिनांक 12-12-1977 के अनुसार सा0 नि0 सचिव शाखा में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पास बुक में वर्ष, 1977 से अक्टूबर, 1988 तक के प्रत्येक माह की प्रविष्टियां अंकित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कार्य अब तक क्यों नहीं किया गया है ? इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

शाखा में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पास बुकें अद्यावधिक की जा चुकी हैं सिवाय उनकी पास बुकों के जो दूसरी शाखाओं से स्थानान्तरित होकर इस शाखा में आये हैं और जिनकी पास बुकें संबंधित शाखा से सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा को हस्तांतरित होकर प्राप्त नहीं हुई हैं । प्रश्न के अंतिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जी0 पी0 एफ0 पास बुक में प्रविष्टियां पूरी न होने तक कर्मचारियों के बोनस व मानदेय रोकने की मांग

41–श्री राम पाल वर्मा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या–जी-4-50 जी0 57/दस 84-510-84, दिनांक 26-12-1984 व उसकी संलग्न टिप्पणी के

पैरा-5 (ग) (घ) के अनुसार प्रत्येक कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 पास बुक में ब्याज सहित प्रत्येक माह की प्रविष्टियां कब तक पूरी करवाना सुनिश्चित करेंगी ? क्या सरकार प्रविष्टियों के पूरी न होने तक लेखा कोष्ठक के कर्मचारियों का मानदेय व बोनस दण्ड स्वरूप बन्द करना चाहेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रत्येक कर्मचारी की जी0 पी0 एफ0 पास बुक में जमा अभिदान, अग्रिम की कटौती आदि का विवरण अंकित है और जैसे ही महालेखाकार कार्यालय से लेखा पर्चियां प्राप्त होंगी ब्याज की प्रविष्टियां पूरी कर दी जावेंगी । प्रश्न के अंतिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित राष्ट्रीय मार्ग 24 के किलोमीटर 489 से 475 बी0 एम0 जी0 एवं बी0 एम0 का विवरण

42–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 मार्ग 24 के कि0 मी0 489 से 475 बी0 एस0 जी0 एवं बी0 एम0 किन-किन कि0 मी0 में कितने कोट में किया गया, उनकी मोटाई (थिकनेस) क्या रखी गयी तथा बी0 एस0 जी0 में कितना 20-40 एम0 एम0 स्टोन, बैलास्ट व अन्य सामग्री तथा बी0 एम0 एवं एस0 डी0 सी0 में कितनी-कितनी विभिन्न प्रकार की सामग्री स्टोन, बैलास्ट, ग्रिट, लकड़ी लगाई गई ? निर्धारित नाप के अनुसार कितनी सामग्री लगनी चाहिए थी ? यदि अधिक सामग्री की खपत हुई तो उसका औचित्य क्या था तथा इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

रा0 मार्ग-24 के किमी0 489 से 475 में किये गये बी0 एस0 जी0 एवं बी0 एम0 के कार्यों का विवरण निम्नलिखित है :–

बी.एस.जी. का कार्य

किमी0	कोट की संख्या
489 (500 मी0)	आधा कोट
488 से 482	एक कोट
481–475	शून्य

बी.एम. का कार्य—75 एम.एम.

किलोमीटर	कोट
489	शून्य
488–475	एक कोट

बी.एम. का कार्य–50 एम.एम.

किलोमीटर	कोट
475	एक कोट

बी. एस. जी. के लिये 1 कोट की औसत मोटाई 75 एम. एम. तथा आधे कोट की औसत मोटाई 37.5 एम. एम. है। बी.एम. के 1 कोट की मोटाई 75 एम. एम. तथा 56 एम. एम. है।

बी. एस. जी. में लगायी गयी सामग्री की मात्रा का विवरण:--

सामग्री		खपत	नार्म्स
1--20--40 एम. एम. गैज बैलास्ट।	..	4922.00 घन मी0	5075.00 घन मी0
2--की--एग्रीगेट	..	727.00 घन मी0	682.50 घन मी0
3--लकड़ी	..	1134.00 कुन्टल	1116.15 कुन्टल
4--मैक्सफाल्ट	..	207.52 टन	172.20 टन

बी. एम. एवं एस. डी. सी. में लगायी गयी सामग्री की मात्रा का विवरण:--

सामग्री		खपत	नार्म्स
1--बैलास्ट ग्रिट	..	15476.45 घन मी0	14783.51 घन मी0
2--लकड़ी	..	2226.58 कुन्टल	निर्धारित कोई नार्म्स नहीं है।
3--मैक्सफाल्ट	..	1110.987 टन	1049.65 टन

जांच की जा रही है। जांचोपरान्त ही दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों का पता चल सकेगा।

राष्ट्रीय मार्ग संख्या 24 के कि0 मी0 472 से 474 की क्वालिटी में कमी की शिकायत और क्वालिटी प्रमोशन कन्ट्रोल द्वारा चेकिंग

43--श्री शारदा प्रताप--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 मा0-24 के कि0 मी0 472 से 474 तक का बी0 एम0 ठेकेदार द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी क्रस्टथिकनेस अधिशासी अभियंता क्वालटी प्रमोशन कन्ट्रोल द्वारा चेक की गयी ? यदि हां, तो कितनी कम पायी गयी ? कितनी सड़क की चौड़ाई का भुगतान किया गया ? यदि चौड़ाई कम थी तो बाद में बिक आन एजिंग करके बढ़ाई गयी ? यदि हां, तो कितनी ? इसके लिए कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। विभागीय प्लाण्ट की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के उपरान्त शेष कार्य, लक्ष्य-पूर्ति के आशय से, ठेकेदार से कराया गया।

जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता।

सड़क की चौड़ाई 7 मी0 का रीनिंग बिल द्वारा भुगतान किया गया।

जी हां, चौड़ाई कम थी, लेकिन बिक आन एज लगाकर नहीं बढ़ाई गई। इसके लिए संबंधित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

स्वतः रोजगार, नाबार्ड योजना तथा अल्प संख्यकों को सहायता की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 व 1987-88 में जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर में प्राप्त प्रार्थना-पत्र

44—श्री धनराज यादव—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में स्वतः रोजगार, नाबार्ड योजना तथा अल्प संख्यकों को सहायता की योजना में विगत वर्ष 1986-87 व 1987-88 के कितने आवेदन-पत्र लघु उद्योग लगाने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को प्राप्त हुए ? उनमें से कितने आवेदन-पत्र बैंकों के पास भेजे गये ? कितनों को आर्थिक सहायता मिली और कितने लघु उद्योग स्थापित हुए तथा कितने लघु उद्योगों का स्थायी पंजीयन किया गया और प्रश्नगत योजना में स्थापित कितने लघु उद्योग का स्थायी पंजीयन नहीं हुआ ? क्या सामान्य प्रबन्धक ने प्रश्नगत योजना की स्थापित समस्त इकाइयों का निरीक्षण कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

आवेदन पत्र निम्नवत प्राप्त हुए :—

	1986-87	1987-88
स्वतः रोजगार योजना	693	875
नाबार्ड	85	80
अल्पसंख्यक योजना	38	14
आवेदन-पत्र बैंकों को भेजे गये :—		
स्वतः रोजगार योजना	484	193
नाबार्ड योजना	85	80
अल्प संख्यक	38	9
निम्नलिखित को आर्थिक सहायता प्रदान की गई :—		
स्वतः रोजगार योजना	85	61
नाबार्ड	12	07
अल्पसंख्यक योजना	9	1

सभी आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों ने अपने उद्योग स्थापित किये ।

निम्नलिखित उद्यमियों ने निम्नानुसार स्थायी पंजीयन कराया :—

स्वतः रोजगार योजना	10	11
नाबार्ड	12	7
अल्पसंख्यक योजना	शून्य	शून्य
निम्नलिखित उद्यमियों ने स्थाई पंजीयन नहीं कराया :—		
स्वतः रोजगार योजना	75	50

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विकास क्षेत्र भगतपुर टाण्डा, जनपद मुरादाबाद में खाद्यान योजना के अन्तर्गत बनी सड़क का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा फर्जी भुगतान लेने की शिकायत

45–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र भगतपुर टाण्डा जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1979-80 में खाद्यान योजना के अन्तर्गत ब्लाक द्वारा भोजपुर–श्यामपुर–हरदी--बहोरनपुर तक 4 कि0 मी0 लम्बा 1 मीटर ऊंचा मार्ग बनवाया गया था जिसकी वर्ष 1984-85 में ब्लाक द्वारा मरम्मत भी करायी गयी जो अब सा0 नि0 वि0 को दे दिया गया है तथा सा0 नि0 वि0 ने उसी मार्ग को नया मार्ग दिखाकर फर्जी मस्टर रोल बनाकर रुपये का भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी, हां ।

प्रश्नगत मार्ग की चौड़ाई कम थी तथा ऊंचाई भी कम होने के कारण तथा पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वर्ष 1987–88 में इस मार्ग को प्रयोग हेतु ठीक करने के कार्य के आगणन को जिलाधिकारी, मुरादाबाद से प्रतिहस्ताक्षर कराकर मिट्टी का कार्य कराने हेतु सा0 नि0 वि0 द्वारा स्वीकृत कराया गया । सा0 नि0 वि0 ने मार्ग को सा0 नि0 विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप लाने हेतु वांछित अतिरिक्त मिट्टी का कार्य कराया है। इसे नया मार्ग नहीं दिखाया है अपितु पूर्व में किये गये मिट्टी के कार्य पर सा0 नि0 विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप मार्ग को लाने के लिए इसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई बढ़ाने हेतु वांछित मात्रा में अतिरिक्त मिट्टी का कार्य कराया है। इस सम्बन्ध में कोई फर्जी मस्टर रोल नहीं बनाये गये हैं । उक्त स्थिति में कोई दोषी नहीं है और किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

बहराइच करदरी मार्ग, जनपद बहराइच पर उल्टहवा पुल का निर्माण

46–श्री त्रिभुवन प्रसाद–

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के बहराइच ककरदरी मार्ग पर पड़ने वाले उल्टहवा पुल के लिए लगभग 30 लाख रुपये स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । विषयगत सेतु के निर्माण के लिये 28.20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत है ।

पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

मल्हीपुर बाबागंज मार्ग पर सतीजी पुल का जीर्णोद्धार का मामला

47–श्री त्रिभुवन प्रसाद–

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के मल्हीपुर बाबागंज मार्ग (सतीजी पुल टूटने के कारण) बन्द है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर के कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पासबुक की माहवार प्रविष्टि में अनियमितता

48–श्री राम पाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–जी-4-2450/दस-503-77, दिनांक 12-12-1977 के अनुसार श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 फण्ड पास बुक में वर्ष, 1977 से आज तक प्रत्येक माह की प्रविष्टियां अंकित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कार्य अब तक क्यों नहीं किया गया तथा इसको करने के लिये तथा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण करने के लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मेंहदीघाट पुल के लिए गाइड बांध बनाए जाने का प्रस्ताव

49–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले शुक्र के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–45 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेंहदीघाट पुल के लिए गाइड बांध पर 222.03 लाख स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध 528.44 लाख रुपए व्यय होने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्नगत गाइड बंध की प्राथमिक अनुमानित लागत रु0 222.03 लाख थी । अब पुनरीक्षित आगणन के अनुसार इस पर रु0 592.00 लाख की लागत आने की सम्भावना है । स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध अधिक व्यय के मुख्य कारण, नदी की धारा का प्रतिकूल होकर अत्यधिक कटाव करना, उसके अनुसार डिजाइन एवं गाइड बन्ध की स्थिति में परिवर्तन करना, समयान्तराल के कारण सभी प्रकार की दरों में वृद्धि होना एवं सीमित समय के अन्दर कार्य को सम्पादित करना आदि हैं ।

जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम के स्योरा बिरनी लालपुर दुर्गागंज मार्ग पर खड़न्जा बिछाए जाने का काम

50–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1988 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–93 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि खड़न्जा कार्य कब कराया गया था और कब कब उसकी मरम्मत कराई गई ? यदि मरम्मत नहीं कराई गई, तो क्यों और कब तक करा दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

स्योरा बिरगी लालपुर दुर्गागंज मार्ग के 5 कि0मी0 भाग में खड़न्जे का कार्य वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में पूर्ण कराया गया है ।

गत वर्ष तक मरम्मत का कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

मार्ग निर्माणाधीन होने के कारण रख-रखाव के लिए कोई प्राविधान नहीं था अतः मरम्मत नहीं कराई गई । धन उपलब्ध होने पर मरम्मत करा दी जायेगी ।

श्री राम नयन शर्मा अवर अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद के विरुद्ध जांच एवं उसकी रिपोर्ट

51–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री रामनयन शर्मा अवर अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जनपद फैजाबाद के विरुद्ध काले धन की जांच के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग से जांच कराये जाने विषयक श्री आर0 पी0 तिवारी, सहायक अभियंता, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लखनऊ निवासी बी–1263 एल0 आई0 जी0 इन्दिरा नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 11-5-1982 पर सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ? क्या उक्त अवर अभियंता जो इस समय जनपद सुल्तानपुर में कार्य कर रहे हैं, को निलम्बित करके जांच शीघ्र पूरी करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री आर0 पी0 तिवारी, सहायक अभियंता हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, लखनऊ के शिकायती पत्र दिनांक 10 मई 1982 के आधार पर श्री राम नयन शर्मा, अवर अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जनपद फैजाबाद के विरुद्ध उनकी परिसम्पत्ति के विषय में सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराई गई है । जांच में जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, उनके संबंध में अतिरिक्त सूचना सतर्कता अधिष्ठान से मांगी गयी है सूचना के प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी । अवर अभियंता के फिलहाल निलम्बित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है आवश्यकतानुसार वैभागिक कार्यवाही के किये जाने का निर्णय लिए जाने पर ही निलम्बन का प्रश्न उठेगा ।

श्री टेक चन्द अग्रवाल सहायक अभियंता प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग इलाहाबाद द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में लिया गया स्थगन आदेश

52–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री टेकचन्द्र अग्रवाल, सहायक अभियंता, प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 इलाहाबाद ने दिनांक 29-5-86 को अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से स्थगन आदेश प्राप्त किया था ? यदि हां, तो बैकेट कराने के सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-8-88 भी प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ में स्थगन आदेश निरस्त कराने के लिए प्रतिशपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

स्थगन आदेश निरस्त कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है ।

लखनऊ जनपद की विभिन्न सड़कों की दयनीय दशा के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र

53–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद की विभिन्न सड़कों की दयनीय दशा के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1988 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त संदर्भ में कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर लखनऊ के बिजनौर पिपरसन्ड मार्ग एवं बिजनौर मातीपरवर पूरब व परवर पश्चिम मार्गों की पटरियां क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में मा0 विधायक का पत्र दिनांक 19-8-88 प्राप्त हुआ है, विषयगत मार्गों की पटरियों की मरम्मत करा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री शारदा प्रताप–

[दि0 5-4-88 को अता0 प्र0 सं0 105 द्वारा उत्तरित]

मोतीझील सचिवालय कालोनी लखनऊ में पेयजल की समस्या

55–श्री शारदा प्रताप–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय कालोनी (मोतीझील कालोनी) लखनऊ में पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हैण्ड पाइप लगवाये गये थे? यदि हां, तो कितने हैण्ड पाइप काम कर रहे हैं तथा कितने खराब हैं? क्या सरकार खराब हैण्ड पाइपों को अविलम्ब ठीक करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

इस कालोनी में जल संस्थान द्वारा एक नलकूप लगा दिया गया है जिससे वहां पेयजल की समस्या का समाधान हो गया है। अतः हैण्ड पाइप की आवश्यकता अब वहां नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वेतनमान रु0 470-735 के आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची

56–श्री मूलचन्द तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेतनमान 470–735 में कार्यरत आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी ? यदि हां, तो कितने क्रमांक तक के आशुलिपिक स्थायी करण की पात्रता पूर्ण कर चुके हैं? शासन ने स्थायी करण की क्या प्रक्रिया निर्धारित की है? कितने क्रमांक तक स्थायी किये जा चुके हैं तथा कितने स्थायी पद रिक्त हैं? क्या वर्तमान चयन प्रक्रिया में परिवर्तन विचाराधीन है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग द्वारा अधिशासी अभियन्ताओं से हाट मिक्स प्लान्ट की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने संबंधी आदेश

57–श्री मूलचन्द तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (रा0 मा0) सा0 नि0 वि0 के पत्रांक–7335 दल0 एच0/204 एन0/85, दिनांक 28-11-85 द्वारा अधिशासी अभियन्ताओं को हाट मिक्स प्लान्ट की साप्ताहिक आख्या देने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो रा0 मा0-24 पर एच0 एम0 पी0–37 वर्ष 1/86 से 1/88 तक की आख्यायें कब कब प्राप्त हुईं? एस0 डी0 सी0/ बी0 एन0/पी-2 आदि की दैनिक प्रगति क्या थी? एच0 एम0 पी0 37 की कार्यक्षमता क्या है? एच0 एम0 पी0–37 की समस्त मशीनों की मरम्मत/डीजल आदि पर 2 वर्षों में प्रतिमाह क्या खर्च हुआ एवं कार्यों की प्रगति एवं लक्ष्य क्या रहे?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

सामान्यत: इस अवधि में एच0 एम0 पी0–37 की साप्ताहिक आख्या सप्ताह के प्रत्येक सोमवार/मंगलवार को प्राप्त होती रहीं।

एस0 डी0 सी0/बी0 एम0/पी–2 की दैनिक प्रगति का विवरण मा0 राज्य मंत्री जी, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे मा0 सदस्य किसी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में देख सकते हैं।

एच0 एम0 पी–37 की कार्यक्षमता 100 मैट्रिक टन प्रतिदिन है। 2 वर्षों में प्रतिमाह हुए खर्च, कार्यों की प्रगति एवं लक्ष्य का विवरण भी मा0 राज्य मंत्री जी, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे मा0 सदस्य किसी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में देख सकते हैं।

राष्ट्रीय मार्ग 21 पर कतिपय किलोमीटर पर निर्माण में ग्रिट की खरीद दरों का विवरण

58–श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 मा0-21 के किलोमीटर 478 स्थित एच0 एम0 पी0 पर वर्ष 1/86 से 1/88 तक प्रत्येक साइज की ग्रिट कितनी

कितनी मात्रा में किन-किन दरों पर ली गयी और क्या इन पर अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त था? यदि नहीं, तो क्यों? किलोमीटर 424 से 496 के किन-किन किलोमीटरों में एल0 डी0 सी0/बी0 एम0/पी-2 कराने में प्रत्येक साइज की ग्रिट कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग की गयी तथा नार्म के अनुसार कितना बिटुमन खर्च हुआ?

श्री अम्मार रिजवी–

रा0 मार्ग–24 के किमी0 478 स्थित एच0 एम0 पी0 पर वर्ष 1/86 से 1/88 तक प्रत्येक साइज की लगी ग्रिट एवं उसकी मात्रा तथा दरों का विवरण मा0 राज्य मंत्री जी, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे मा0 सदस्य किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं। अधिकतर मामलों में अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। कुछ मामलों में अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया था। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। किमी0 424 से 496 में किमी0 478 स्थित हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा किमी0 465, 467 से 471, 475 से 488 (कुल 20 किमी0) में बी0 एम0 एवं 431 (500 मी0) 432, 436 से 441, 445, 447, 448, 452, 453, 459, 460, 475 से 481 (कुल 31.5 किमी0) में एस0 डी0 सी0 कार्य कराने में विभिन्न प्रकार की प्रयोग की गई ग्रिट एवं उसकी मात्रा प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में बताया जा चुका है। पी–2 के कार्य में 273.50 घन मी0 10 एम0 एम0 सिंगिल प्रयोग की गयी है।

नार्म्स के अनुसार 1745.137 टन बिटुमिन खर्च होना चाहिए था। वास्तविक बिटुमिन 1814.211 टन खर्च हुआ।

59–श्री कल्यान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

60–डा0 दिनेश जोहरी–

[दि0 7-10-88 को अता0 प्र0 सं0 188 द्वारा उत्तरित]

61–श्री राज किशोर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फतेहपुर में वर्ष 1987-88, 1988-89 हरिजन छात्रावास हेतु आवंटित धन

62–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 87-88 से 88-89 में अब तक हरिजन छात्रावास के लिए फतेहपुर जनपद में कितना कितना धन आवंटित हुआ है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय उपनिदेशक की शिकायत पर अब्दुल गफ्फार का स्थानान्तरण किया है? उक्त स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी किन कारणों से उक्त व्यक्ति को कार्यमुक्त नहीं किया गया है?

श्रीमती दीपा–

हरिजन छात्रावास जनपद फतेहपुर को वर्ष 1987-88 में रु0 25,000.00 वर्ष 1988-89 में रु0 49,500.00 कुल रु0 74,500.00 आवंटित हुआ।

जी नहीं।

स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी की संस्तुति पर उसे रोक दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा गैर विभागीय संस्थाओं को धन आवंटित करने का मामला

63–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में समाज कल्याण विभागीय संस्थाओं को अतिरिक्त धन आवंटन में 1917000/- अनियमित ढंग से आवंटित किया गया है? उक्त मसले पर विभागीय कार्यवाही भी विचाराधीन थी? इस कार्य में कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं? उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा–

जी नहीं ।

वर्ष 1986-87 में समाज कल्याण विभागीय संस्थाओं को रू0 19,17,000/- की कोई अतिरिक्त धनराशि अनियमित ढंग से आवंटित नहीं की गयी है अतएव किसी विभागीय अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा विगत पांच वर्षों में की गई तदर्थ नियुक्तियों का विवरण

64–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में विगत पांच वर्षों में किन-किन पदों पर किस-किस की संस्तुति पर तदर्थ रूप में नियुक्तियां की गईं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से किन-किन कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है और उसका आधार क्या रखा गया था ?

श्री अम्मार रिजवी–

राजकीय निर्माण निगम लि0 में विगत पांच वर्षों में (1984 से 1988 तक) की गई तदर्थ नियुक्तियों की सूची संलग्न है । यह तदर्थ नियुक्तियां इसकी शिशुक्षता के दौरान इनके कार्यों व आचरण को देखते हुए की गईं । ये अभ्यर्थी प्रारम्भ में मुख्यतः डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा के उपरांत चयनित किये गये हैं । तदर्थ रूप से नियुक्ति के समय कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई ।

संलग्न सूची के क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18 एवं 29 पर उल्लिखित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है ।

नियमितीकरण चयन समिति द्वारा कर्मचारियों के कार्य व आचरण पर प्राप्त गोपनीय आख्या के आधार पर किया गया ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 181 पर)

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में पदोन्नति दिये जाने का मामला

65–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय अलग होने के बावजूद हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधि-

कारियों को ही प्रोन्नम अधिकारियों तथा उक्त निदेशालय के अंतर्गत अन्य पदों पर प्रोन्नतियां दी जा रही हैं ? यदि हां, तो हरिजन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को प्रोन्नति देने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उन्हें यहां से हटाकर ग्राम विकास परियोजना अधिकारियों को प्रोन्नति के अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड 1 (सिविल) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा महानगर के सात आवासों के अनुरक्षण संबंधी आगणन की मांग

66–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग-4 के पत्र संख्या–2134/32-4-88-8 एम0 एन0/88 दिनांक 8 जून, 1988 द्वारा अधिशासी अभियंता अनुरक्षण खण्ड–1 (सिविल) सा0 नि0 वि0 लखनऊ से महानगर के सात आवासों में अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु आगणन मांगे गये थे ? यदि हां, तो आवासों के अलग-अलग कितने-कितने के आगणन कब प्राप्त हुए ? क्या उक्त समस्त आवासों में वांछित कार्य करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि आवास संख्या-सी-107 का अभी तक न तो आगणन प्राप्त हुआ है और न ही कोई कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या उक्त कार्य शीघ्र करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

प्राप्त आगणनों का विवरण निम्न प्रकार है:—

आवास सं0	अ0अ0 के पत्रांक तथा दिनांक जिनके द्वारा आगणन शासन को प्राप्त हुए	आगणन की धनराशि
		रु0
1—सी–38 (मूल निर्माण कार्य) ..	1177/म–13–दिनांक 24–5–88	2074–00
2—बी–45 (मूल निर्माण कार्य)	2205/म–13–दिनांक 16–9–88	2430–00
3—बी–80 (मूल निर्माण कार्य)	2021/म–4 दिनांक 13–6–88	15,853–00
4—बी–54 (विशेष मरम्मत) ..	1 अधि0/कैंप दिनांक 23–7–87	505–00
5—ए–3 एम. आई. जी. महा0 (विशेष मरम्मत) ..	1216/म–13 दिनांक	5,610–00
6—सी–107 (विशेष मरम्मत) ..	1159/म–13 दिनांक 24–5–88	3,000–00
7—बी–45 (मूल कार्य) ..	2205/म–13 दिनांक 16–9–88	2,430–00

जी नहीं । धन उपलब्ध न होने के कारण आगणनों को स्वीकृति नहीं दी जा सकी है ।

जी नहीं । संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा रु0 3,000 रुपये का आगणन शासन को पत्र संख्या–1159/भ-13 दिनांक 24-5-88 द्वारा प्राप्त हुआ है । जिसमें अन्य आवासों के साथ-साथ आवास सं0–सी–107 का भी आगणन सम्मिलित है । धन उपलब्ध होने पर ही कार्य कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन उपलब्ध होने पर ही कार्य कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना काकोरी लखनऊ की कतिपय मुख्य सेविकाओं द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध वर्ष 1983 में दी गई शिकायत का निस्तारण न होना

67–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना, काकोरी, लखनऊ की कतिपय मुख्य सेविकाओं ने तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रताड़ित, आतंकित एवं अपमानित करने के विरुद्ध वर्ष 83 एवं 84 में शिकायतें कर जांच तथा अपने स्थानान्तरण की मांग की थी किन्तु उक्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही न करते हुए संबंधित मुख्य सेविकाओं को अनावश्यक रूप से बाध्य प्रतीक्षा पर रखा गया और अब भी उनके प्रार्थना-पत्रों पर कोई निर्णय न लेते हुए उन्हें उक्त अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कोई वार्षिक वेतनवृद्धि दी गयी है ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय न लेने का क्या औचित्य है ? अनावश्यक रूप से प्रार्थना-पत्रों को लम्बित रखते हुए कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

वर्ष 83-84 में बाल विकास परियोजना काकोरी में कार्यरत मुख्य सेविकाओं में से मात्र श्रीमती बीना श्रीवास्तव ने ही तत्कालीन बाल विकास परियोजनाधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही करने पर अपने प्रति की गयी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में तथा लखनऊ जनपद की ही परियोजना में स्थानान्तरण हेतु मांग की थी । श्रीमती बीना श्रीवास्तव मुख्य सेविका को बाध्य प्रतीक्षा पर नहीं रखा गया । वह दिनांक 1-3-84 से दिनांक 3-10-85 तक स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रही थीं ।

श्रीमती बीना श्रीवास्तव की प्रथम नियुक्ति मुख्य सेविका के पद पर दिनांक 4-4-83 को हुई थी तथा दिनांक 1-3-84 से दिनांक 3-10-85 तक स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित रहीं । दिनांक 4-10-85 को पुनः योगदान करने पर दिनांक 1-10 86 । 10-87 तथा 1-10-88 में देय वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर दी गयी है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के गांव इस्लामपुर जगाई की मुख्य मार्ग से जोड़ने का मामला

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक मल्लावां के अंतर्गत दो हजार से भी अधिक आबादी वाले गांव इस्लामपुर जगाई को मुख्य मार्ग से अब तक न जोड़े जाने के क्या कारण हैं और उसे सेंलापुर मल्लावां के मुख्य मार्ग (मल्लावां के पास) से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

वर्ष 1971 में जिन ग्रामों की आबादी 1500 से अधिक थी उनको प्रथम चरण में पक्के मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है । जनपद हरदोई के ब्लाक मल्लावां के अंतर्गत गांव इस्लामपुर जगाई की आबादी वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 1497 है । अतः उक्त ग्राम को संसाधनों की कमी के कारण पक्के मार्ग से नहीं जोड़ा जा सका है और उसे सेंलापुर मल्लावां के मुख्य मार्ग (मल्लावां के पास) से जोड़ने की अभी कोई योजना नहीं है ।

पिछले तीन वर्षों में बंधुआ मजदूरी के मामले की जानकारी

69–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों में बंधुआ मजदूरी के कितने मामले प्रकाश में आये इस कुरीति को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कुछ कर्मचारियों को पी0 आर0 डब्लू0 पर रखकर इस प्रथा को जारी रखा गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का मूल कारण क्या है ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

विगत तीन वर्षों में 12,269 बंधुआ मजदूरों के मामले प्रकाश में आये । इस कुरीति को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में पारित बंधुआ श्रमिक प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत इनके सत्यापन अवमुक्ति एवं पुनर्वासन आदि की कार्यवाही की जाती है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में पी0 आर0 डब्लू के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपनी इच्छा से काम करते हैं । अतः इन्हें बंधुआ मजदूर की संज्ञा नहीं दी जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के अधीन वर्ष 1985 से 1989 तक सरकारी वाहनों के विषय में कतिपय विवरण की जानकारी

70—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि नवम्बर, 88 तक उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के पास कुल कितनी गाड़ियां थीं ? वर्ष 85-86, 86-87, 87-88 तथा वर्तमान सत्र 88-89 के दौरान निगम द्वारा किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी गाड़ियां किस-किस दर पर खरीदी गई हैं ? विगत चार वर्षों के दौरान निगम की कितनी गाड़ियां कहां-कहां से चोरी चली गई ? इस हेतु किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मोतीझील सचिवालय कालोनी में बाउन्ड्री बनाने की मांग

71—श्री शारदा प्रताप तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी (एशबाग, लखनऊ) के आवंटियों के निवास के आगे कोई बाउन्ड्री आदि नहीं है जिससे वहां के निवासियों को खुले वातावरण का लाभ तो मिलता ही नहीं बल्कि जानवरों आदि की अलग भरमार बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में उक्त कालोनी में बाउन्ड्री की व्यवस्था करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

मोतीझील सचिवालय कालोनी (एशबाग, लखनऊ) के आवास श्रेणी-2 के हैं । इन आवासों के आगे कोई बाउन्ड्री आदि नहीं है । कालोनी की सड़कों पर जानवरों के विचरण को रोकने से राज्य सम्पत्ति विभाग संबंधित नहीं है ।

जी नहीं ।

विशिष्टियों के अनुसार इस श्रेणी के आवासों के आगे बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना अनुमन्य नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग टांडा फैजाबाद के कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में मोहम्मद हुसैन बनाम प्रमुख भगतपुर टांडा की शिकायती पत्र

72—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-4-88 को श्री मोहम्मद हुसैन, ब्लाक प्रमुख भगतपुर टाण्डा जनपद मुरादाबाद द्वारा विभाग के कर्मचारियों द्वारा फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार से संबंधित की गयी शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शाहजहांपुर बड़ा देवकली नमीची मार्ग के किलो मीटर 7 से 9 की रिपेरिंग कार्य में मस्टर रोल में की गयी हेराफेरी की जांच

73–श्री अशोक वाजपेयी तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर बड़ा देवकली नमीची मार्ग के कि0 मी0 7 व 9 की रिपेयरिंग के कार्य में मस्टर रोल 4101, 4102 में की गयी हेराफेरी की जांच अधि0 अभियन्ता द्वारा करायी गयी थी और जांच अधिकारी द्वारा हेराफेरी की पुष्टि भी हो गयी थी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

मामले में दोषी पाये गये अवर अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति में है ।

बाल विकास परियोजनाओं को यात्रा भत्ता मद में आवंटित धनराशि बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं लिपिकों के यात्रा भत्ता में व्यय हो जाने की शिकायत

74–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया अवगत हैं कि बाल विकास परियोजनाओं को यात्रा भत्ता मद में आवंटित होने वाली धनराशि लिपिकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के यात्रा भत्तों में ही व्यय हो जाती है तथा मुख्य सेविकाओं को प्रतिवर्ष यात्रा भत्ता की पूर्ण धनराशि भुगतान नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और क्या सरकार उन्हें नियत मासिक यात्रा भत्ता स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

यह प्रयास किया जाता है कि बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान कर दिया जाय परन्तु यदि उपलब्ध बजट से अधिक के बिल प्राप्त होते हैं तो समस्त बिलों का भुगतान कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी काकोरी लखनऊ द्वारा कतिपय मुख्य सेविकाओं के वेतन वृद्धि न लगाये जाने की शिकायत

75–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास परियोजना काकोरी, लखनऊ की कतिपय मुख्य सेविकाओं को अभी तक कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा इस हेतु कौन उत्तरदायी है ?

श्रीमती दीपा–

केवल श्रीमती बीना श्रीवास्तव, मुख्य सेविका की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी थी । इनकी मुख्य सेविका पद पर नियुक्ति दिनांक 4-4-83 को हुई थी जबकि वे दिनांक 1-3-84 से दिनांक 3-10-85 तक स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहीं । दिनांक 4-10-85 को पुनः योगदान करने पर दिनांक 1-10-86, दिनांक 1-10-87 तथा 1-10-88 से देय वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जा चुकी हैं ।

राष्ट्रीय मार्ग एरिया में दुकानों के निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री श्रीकान्त पाठक ग्राम बेलासदा परगना मीरानपुर जिला सुल्तानपुर का शिकायती-पत्र

76–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 प्रधान मंत्री जी को सम्बन्धित श्रीकांत पाठक पुत्र स्व0 श्री अयोध्या प्रसाद ग्राम बेलासदा, परगना मीरानपुर, जिला–सुल्तानपुर का शिकायती पत्र अवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय मार्ग एरिया अंतर्गत कराये जा रहे दुकानों के निर्माण के संबंध में छपी खबर की कटिंग सहित मा0 सूरज पाण्डेय एम0 एल0 सी0 का शिकायती पत्र दिनांक 14-6-88 उनको तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शिकायती पत्रों में वर्णित तथ्य क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं । प्रश्न में कथित मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 14-6-88 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड सा0 नि0 वि0 लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

77–श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि शासन ने अपने पत्रांक 2150/23-6-81 दिनांक 3 अप्रैल, 1981 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, रा0 म0 खण्ड सा0 नि0 वि0 लखनऊ के विरुद्ध श्री स्वामी नाथ ठेकेदार फैजाबाद के शिकायती पत्र की जांच श्री मुन्ना लाल शुक्ला, तत्कालीन मुख्य अभियंता रा0 मा0 को दी थी ? यदि हां, तो जांच में इतना अधिक विलम्ब क्यों तथा किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है, और वह विचाराधीन है । विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

सम्परीक्षा कोष्ठ (सिंचाई) विकास भवन द्वारा श्री एच0 डी0 श्रीवास्तव अधिशासी अभियंता के विरुद्ध मुख्य अभियंता राष्ट्रीय मार्ग से की गई शिकायत

78–श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियंता रा0 मा0 को सम्परीक्षा कोष्ठ (सिंचाई) विकास भवन का पत्रांक 3 पी0 एफ0/86 दिनांक 11 अगस्त, 1986 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कृपया बतायेंगे कि शिकायती-पत्र में क्या-क्या आरोप थे और 57वां वृत्त द्वारा जांच आख्या एक सप्ताह में न देने का क्या कारण था ? क्या यह सत्य है कि श्री एच0 डी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता द्वारा स्वीकृत लागत रु0 19.63 लाख तथा 1.50 लाख के विरुद्ध क्रमशः कितने-कितने लाख रुपये एफ0 डी0 आर0 के कार्यों पर व्यय किया गया ? क्या यह व्यय स्वीकृत लागत से अधिक है ? यदि हां, तो इसकी अनुमति किस अधिकारी ने कब दी और पुनरीक्षित आगणन कब स्वीकृत हुआ ? स्वीकृत लागत से अधिक व्यय के दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

उक्त पत्र शिकायती पत्र नहीं था । पत्र में मुख्य अभियंता (रा0 म0) द्वारा मांगी गई सूचना भेजी गई थी । अतः जांच आख्या न देने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीकृत लागत 19.63 लाख रु0 के विरुद्ध 1985-86 तक 44.23 लाख रु0 व्यय हुये । 1.50 लाख रु0 का कोई कार्य स्वीकृत नहीं था ।

जी हां ।

इसकी अनुमति किसी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई तथा पुनरीक्षित आगणन भी अभी स्वीकृत नहीं हुआ है । सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा उक्त स्पष्टीकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी0 के0 पाठक राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लखनऊ के विरुद्ध शिकायत एवं जांच

79–श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि अधीक्षण अभियन्ता 28वां वृत्त बरेली में पत्रांक 5667/81 मुशि-28/82 दिनांक 11-6-84 द्वारा श्री बी0 के0 पाठक रा0 मा0 खण्ड लखनऊ के विरुद्ध शिकायत में क्या-क्या आरोप लगाये थे तथा किस जांच अधिकारी द्वारा जांच की गयी ? शिकायत के विरुद्ध क्या-क्या आरोप सत्य पाये गये तथा किन-किन आरोपों पर जांच नहीं की गयी ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

उक्त पत्र में कोई आरोप नहीं लगाये गये थे । शेष प्रश्न नहीं उठते ।

लखनऊ जिले में बख्शी तालाब बाबागंज मार्ग के निर्माण हेतु अधिगृहित भूमि का मुआवजा

80–श्री भगौती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले में बख्शी तालाब-बाबागंज मार्ग के निर्माण के लिये करीब 10 साल पूर्व अधिगृहित की गयी किसानों की जमीन का मुआवजा अब तक न देने का क्या कारण है ? वर्तमान समय में सूखे से उत्पन्न कठिनाई को देखते हुए किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा कब तक वितरित कर दिया जावेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद लखनऊ में बख्शी का तालाब-बाबागंज मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक भूमि अधिग्रहीत नहीं हो पाई है जिसके कारण किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है । उक्त मार्ग में प्रयुक्त हुई भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है । इसके पश्चात् ही सम्बन्धित भू-स्वामियों को उनकी भूमि का मुआवजा दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जिला गाजीपुर के विकास खण्ड कासमाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत 8 किलो मीटर सड़क का निर्माण

81–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कासमाबाद जनपद गाजीपुर अन्तर्गत कासमाबाद से सहाबुद्दिनपुर होते हुए बरसेरपुर लगभग 8 कि0 मी0 सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी? क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा कब तक निर्माण कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

विषयगत निर्माण कार्य की स्वीकृति 20-2-85 को प्रदान की गई । दो स्थानों पर लगभग 500 मीटर भाग को छोड़कर निर्माण कार्य पूर्ण है । निर्माण कार्य के लिये भूमि किसानों से स्वेच्छा से ली जानी है जो उक्त 500 मीटर भाग में उपलब्ध नहीं हुई है ।

निर्माण कार्य का पूर्ण कराया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर से गांधी नगर तक सड़क का निर्माण

81–श्री मित्रसेन–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बारचवर जनपद गाजीपुर में बाराचवर से गांधीनगर तक 10 कि0 मी0 लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त सड़क एवं पुलियों आदि का निर्माण शीघ्र ही कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

विषयगत मार्ग जिसकी वास्तविक लम्बाई 9·23 कि0 मी0 है आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत मिट्टी पुलिया एवं खड़ंजा स्तर तक निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत है ।

मार्ग के 7·23 कि0 मी0 भाग में मिट्टी पुलिया एवं 5·230 कि0 मी0 भाग में खड़ंजा का कार्य किया जा चुका है । 2 कि0 मी0 भाग में खड़न्जे के पत्थर का एकत्रीकरण किया जा चुका है तथा कुटाई का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराया जा रहा है । शेष 2 कि0 मी0 भाग में भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । भूमि किसानों से स्वेच्छा से ली जानी है ।

मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में निर्माण कार्य का पूर्ण कराया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद झांसी के चिरगांव से हमीरपुर तक का मार्ग स्टेट हाईवे घोषित होने के बाद चौड़ा करने की मांग

83–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी के चिरगांव से हमीरपुर वाया गुरसरांय, कचीर, मझगवां, राठ मार्ग स्टेट हाई वे घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसे स्टेट हाई-वे के अनुरूप कब तक चौड़ा कराया जायेगा और इस मार्ग पर पड़ने वाले बेतवा नदी एवं घसान नदी पर पुलों का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

मार्ग की प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है। इस मार्ग पर पड़ने वाली घसान नदी का पुल स्वीकृत है तथा स्थल चयन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है बेतवा नदी पर पड़ने वाले पुल की स्वीकृति निम्न प्राथमिकता एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण देना सम्भव नहीं है।

यूपिका के शोरूम हेतु लेखराज मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ में ली गई दुकान विषयक धांधली

84–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि "यूपिका" द्वारा लेखराज मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ में शोरूम के लिए दुकान तीन लाख पचास हजार में ली गई है जबकि उसके बगल की दुकान मात्र साठ हजार में ही अन्य द्वारा ली गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दुकान लेने में इस प्रकार तीन लाख रुपये की धांधली करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई–

यह सही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जनपद के नौगढ़ क्षेत्र में बांध परिपथ में पड़ी दरार के सम्बन्ध में शिकायत

85–श्री धनराज यादव–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में फरेन्दा थानी, उस्का, नौगढ़ पिपरहवा का बांध परिपथ के रूप में मार्ग का निर्माण हो रहा है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि नौगढ़ और बर्डपुर के बीच में लगभग 12 स्थानों पर तारकोलिंग होने के बाद सड़क 3 खण्ड टूट गई और इस समय उस्का और नौगढ़ के बीच में तारकोल हाटमिक्स प्लान्ट से लेप की गई सड़क कई स्थानों पर फट गई तथा दल-दल हो रही है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता (क्षेत्रीय विधायक) ने प्रश्नगत परिपथ के खराब होने की शिकायत मा0 नि0 वि0 के पूर्व राज्य मंत्री मा0 भोलाशंकर मौर्य से लिखित रूप में की थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस महत्वपूर्ण सड़क के खराब होने एवं विधायक की शिकायत की जांच करने तथा मार्ग की क्वालिटी के उच्चस्तर को बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जी नहीं ।

मार्ग का विषयगत भाग ठीक है एवं यातायात सुचारु रूप से चालू है।

जी नहीं ।

विषयगत मार्ग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे ठीक करा दिया गया है। मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से चालू है तथा मार्ग पर कहीं कोई दलदल नहीं है ।

मा0 विधायक का एक शिकायती पत्र दिनांक 28-4-86 विभाग को प्राप्त हुआ है ।

मा0 विधायक के उक्त पत्र में की गयी शिकायत की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के शाखा कार्यालयों पर किराये के रूप में व्यय की गई धनराशि

86–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा अपने लखनऊ स्थित विभिन्न कार्यालय भवनों के किराये के रूप

में लगभग पचास हजार रुपये की धनराशि प्रतिमाह व्यय की जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि इन भवनों को किराये पर बाजार दर से दोगुनी कीमत पर निगम द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं, मात्र रुपये 29,327·60 की धनराशि प्रतिमाह किराये के रूप में व्यय की जा रही है।

जी नहीं, भवनों को रु0 ·2 तथा रु0 2·31 प्रति वर्गफुट प्रतिमास देय कारपेट एरिया की दर पर किराये पर लिया गया है। यह दरें जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों से काफी कम है।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निर्माण निगम के मुख्यालय हेतु भवन का प्रस्ताव

87–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम के मुख्यालय हेतु भवन कहां बनाये जाने का प्रयास है ? यह भवन कब तक तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

इसका निर्माण विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में प्रस्तावित है।

यह भवन प्रथम चरण में दो वर्ष में तैयार किये जाने की योजना है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता 46वां वृत्त इटावा श्री आर0 बी0 बंसल के विरुद्ध शिकायत एवं जांच की मांग

88–श्री आंसान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 1988 पत्रांक 651/88 संलग्नक सहित, श्री आर0 बी0 बंसल अधीक्षण अभियन्ता 46 वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग इटावा के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों के सन्दर्भ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच पूरी हो गई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जी, नहीं । जांच प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड 2 लखनऊ ने पी0 आर0 के अंतर्गत कुछ किलोमीटर तथा एस0 डी0 सी0 के अन्तर्गत किलोमीटर 489 से491 तक के निर्माण में भ्रष्टाचार -

89—श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि रा0 मा0 खण्ड नं0 2, लखनऊ ने पी0 आर0 के अन्तर्गत कि0 मी0 445 से 448, 452, 453, 459, 460 तथा एस0 डी0 सी0 के अन्तर्गत कि0 मी0 489 से 491 तक का कार्य हुआ ? यदि हां, तो सामग्री नार्म के अनुसार कितनी होनी चाहिए ? कितनी खपत की गयी तथा आगणन में क्या प्राविधान था ? डामर को गर्म करने हेतु कितनी मात्रा में एवं लागत की लकड़ी खर्च की गयी ? क्या डामर को लकड़ी से गर्म करने के स्थान पर डीजल से चलने वाले टार ब्वायलर से भी गर्म किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था तथा कितनी लागत आयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

रा0 मार्ग खण्ड—2, लखनऊ में पी0 आर0 के अन्तर्गत कि0मी0 445, 447, 448, (500 मीटर) 452, 453, 489, 490 तथा 491 में एस0 डी0 सी0 का कार्य हुआ । किमी0 446, 459, 460 तथा 448 का शेष 500 मी0 में पी0 आर0 के अन्तर्गत कार्य नहीं हुआ । सामग्री का विवरण निम्नलिखित है :—

सामग्री	नार्म के अनुसार खपत	वास्तविक खपत
1—स्टोन ग्रिट	1527.61 घन मी0	1907.28 घन मी0
2—विटुमिन	164.43 टन	180.09 टन
3—लकड़ी	119 कुन्टल (केवल टैंक कोट के लिये विटुमिन गर्म करने हेतु)	421 कुन्तल (119 कुन्टल लकड़ी टैंक कोट के लिये विटुमिन गर्म करने हेतु प्रयोग की गयी तथा 302 कुन्टल लकड़ी का प्रयोग प्लान्ट पर विटुमिन ड्रम गर्म करने के लिये किया गया किया गया जिसके लिये कोई निर्धारित नार्म्स नहीं है ।)

परिवहन मंत्रालय द्वारा केवल एक्स्ट्रेक्ट पर्टिकुलर के आधार पर नवीनीकरण प्रोग्राम स्वीकृत किया जाता है । कार्य स्वीकृत नार्म/जाब मिक्स डिजाइन के अनुसार कराया जाता है ।

डामर को गर्म करने हेतु कुल 23,155.00 रुपये लागत की 421 कुन्टल लकड़ी खर्च की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग 24 के किलोमीटर 465 से 467 के बी0 एम0 एस0 डी0 सी0 तथा किलोमीटर 431 से 433 एस0 डी0 सी0 द्वारा 1987-88 में कराया गया मरम्मत कार्य

90–श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि रा0 मा0-24 के कि0 मी0 465 के बी0 एम0 एस0 डी0 सी0 तथा कि0 मी0 431 से 433 तक एस0 डी0 सी0 का कार्य 87-88 में कराया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेजरमेन्ट साइड एवं एच0 एम0 पी0 किस अवर अभियन्ता द्वारा किया गया ? कितनी लेबर पर कितना-कितना खर्च हुआ एवं लेबर भुगतान कब किया गया ? क्या यह सत्य है कि एक माह के मस्टर रोलों को कई-कई माह बाद कार्य से दूसरे कार्यों पर दिखा कर भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो वर्ष 87-88 में कौन-कौन से मस्टर रोल कब-कब खोले गये और कब-कब बन्द किये गये ?

श्री अम्मार रिजवी–

रा0 मार्ग–24 के कि0मी0 465 से 467 के बी0 एम0 एवं 431 से 433 तक एस0 डी0 सी0 का कार्य वर्ष 87-88 में कराया गया । कि0मी0 465 से 467 में एस0 डी0 सी0 का कार्य वर्ष 87-88 में नहीं कराया गया ।

साईट एवं एच0 एम0 पी0 पर मेजरमेन्ट सर्वश्री आर0 एस0 निगोंटिया, मो0 शकील एवं मोहरमन सिंह अवर अभियन्ताओं द्वारा किया गया । बी0 एम0 कार्य पर 7703 श्रमिक दिवस पर रुपया 88442.00 एवं एस0 डी0 सी0 कार्य पर 2493.5 श्रमिक दिवस पर रु0 28675.25 व्यय हुआ । लेबर को भुगतान 3/88, 9/88 तथा 11/88 में किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग के जाब संख्या 85026 एवं 86049 के अन्तर्गत ली गयी सामग्री और कृत कार्यों का विवरण

91–श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0 मा0–24 के जाब संख्या–85026 एवं 86049 के अन्तर्गत कौन-कौन सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में बी0 एम0, एस0 डी0 सी0 पी0 आर0 कार्यों के लिए ली गयी और कौन-कौन से कार्य एम0 ओ0 टी0 के स्वीकृत थे ? कितनी मात्रा में अधिक सामग्री बी0 एम0 एस0 डी0 सी0, पी0 आर0 पर खपत की गयी तथा इसकी क्रस्ट थिकनेस कब-कब कितनी-कितनी पायी गयी ?

श्री अम्मार रिजवी–

रा0 मार्ग–24 के जाब संख्या 85026 एवं 86049 के अन्तर्गत बी0 एम0, एस0 डी0 सी0 कार्यों हेतु ली गयी सामग्री की मात्रा का विवरण निम्नवत है:–

1–25 एम0 एम0 गेज पत्थर की गिट्टी 4851.09 घन मी0

2–20 एम0 एम0 गेज पत्थर की गिट्टी 4913.45 घन मी0

3–10 एम0 एम0 गेज पत्थर की गिट्टी 3014.84 घन मी0

4–10 एम0 एम0 डाउन पत्थर की गिट्टी 2503.94 घन मी0

5–6एम0 एम0 गेज पत्थर की गिट्टी 4396.21 घन मी0

6–स्टोन डस्ट स्क्रीनिंग 336.56 घन मी0

7–बिटुमिन 1110.987 टन

8–लकड़ी 2226.50 कुन्टल

उपरोक्त जाब्स के अन्तर्गत पी0 आर0 का कार्य स्वीकृत नहीं था ।

बी0 एम0 एवं एस0 डी0 सी0 कार्यों के अतिरिक्त जाब संख्या 85026 के अन्तर्गत बी0 एस0 जी0 ब्रिक एजिंग, पटरी में मिट्टी का कार्य, रोड मार्किंग एवं निर्माण के समय डाइवर्जन बनाने के कार्य स्वीकृत थे । जाब संख्या 86049 के अन्तर्गत बी0 एस0 जी0 को छोड़कर उपर्युक्त जाब संख्या 85026 में बताये गए कार्य स्वीकृत थे ।

(पी0 आर0 कार्य को छोड़कर) बी0 एम0, एस0 डी0 सी0 पर अधिक मात्रा में खपत की गई सामग्री का विवरण निम्नलिखित है :–

1–स्टोनग्रिट (समस्त साइज मिलाकर)	692.94 घन मी0
2–बिटुमिन	61.337 मै0 टन

इसका विवरण मा0 राज्य मंत्री जी, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे मा0 सदस्य किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं ।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड 2 लखनऊ द्वारा जाब संख्या 19 एई/85-86 दिनांक 25-11-86 एवं 2एई0, 3 एई0, 4 एई0/86-87 दिनांक 16-4-86 एवं 23-4-86 के द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण

92–श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को जानकारी है कि रा0 मा0 खण्ड नं0–2 लखनऊ द्वारा जाब संख्या 19 एई0/85-86 दिनांक 25-11-86 एवं 2 एई0, 3 एई0, 4एई/86-87 दिनांक 16-4-86 एवं 23-4-86 बनाए गए हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बान्ड बिना सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा बनाए गए और कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी धनराशि की क्रय

की गई ? यह सामग्री किन-किन किलोमीटर में कितनी-कितनी मात्रा में खर्च की गई ? इस सामग्री की खपत में कितने मैट्रिक टन डामर एवं लेबर पर क्या खर्च हुआ ? कितनी सामग्री आदि मानक से अधिक खर्च हुई ? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । परन्तु अनुबन्ध संख्या 19/एई/85-86 का दिनांक 25-11-86 के स्थान पर दिनांक 25-11-85 है ।

बान्ड सहायक अभियन्ता, श्री ए0 के0 वर्मा द्वारा बनाया गया ।

क्रय की गई सामग्री एवं उसकी मात्रा तथा धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

सामग्री	मात्रा	धनराशि
1–25 एम0 एम0 गेज स्टोन बैलास्ट	169.75 घन मीटर	44,044
2–18 एम0 एम0 गेज ग्रिट	166.62 घन मीटर	47,487
3–तदैव	166.00 घन मीटर	47,310
4–स्टोन डस्ट	202.82 घन मीटर	39,550

25 एम0 एम0 गेज स्टोन बैलास्ट 168.75 घन मी0 किमी0 487 से 488 में 75 एम0 एम0 बी0 एम0 के कार्य में प्रयोग की गई । 10 एम0 एम0 स्टोन ग्रिट 332.62 घन मी0 किमी0 482 से 488 में 20 एम0 एम0 एस0 डी0 सी0 एवं किमी0 445 से 454, 458 से 481 तथा 489 से 491 में दाग एवं अन्डूलेसन्स की मरम्मत कार्य में प्रयोग की गयी ।

स्टोन डस्ट 202.82 घन मी0 किमी0 475 से 480 एवं 484 से 488 में 20 एम0 एम0 एस0 डी0 सी0 में प्रयोग की गई । इस सामग्री की खपत के साथ अन्य विभिन्न प्रकार के मैटेरियल की भी खपत हुई है । अतः केवल इस सामग्री पर खपत किए गए डामर एवं लेबर के खर्च की गणना करना सम्भव नहीं है ।

बी0 एम0 एवं एस0 डी0 सी0 कार्य हेतु उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त और सामग्री भी क्रय की गई है । कुल सामग्री को मिलाते हुए मानक से अधिक खर्च हुआ । केवल उपरोक्त क्रय की सामग्री के विरुद्ध मानक से अधिक खर्च की गयी सामग्री की सूचना देना सम्भव नहीं है ।

दोषी अधिकारी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है । अग्रिम कार्यवाही चल रही है ।

बाल विकास परियोजना कार्यालय अलीगंज में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांग

93–श्री शारदा प्रताप–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 जनवरी, 1988 एवं दिनांक 19 जनवरी, 1988 जो बाल विकास परियोजना

कार्यालय, अलीगंज में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र के समस्त बिन्दुओं की जांच करायी गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ससेमपुर मोहान रोड लखनऊ के जर्जर भवन की मरम्मत

94–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–27 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, आर्यनगर, सेटिलमेंट मोहान रोड लखनऊ के भवन का निर्माण किए जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो संस्तुति की गई है उसको दृष्टि में रखते हुए विद्यालय भवन का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती दीपा–

उक्त विद्यालय जर्जर होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है तथा इसे उत्तर रक्षागृह (महिला) के नव निर्मित भवन में जो समीप में स्थित है, छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से, स्थानान्तरित कर दिया गया है । निर्माण का प्रकरण अभी शासन के परीक्षणाधीन है ।

हैदरा बिठौरा नखतपुर मार्ग जनपद गाजीपुर के निर्माण की मांग

95–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में हैदरा बिठौरा नखतपुर मार्ग लगभग 8 कि0 मी0 लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी ? क्या उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

विषयगत मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 8 किमी0 है, का 3 किमी0 भाग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के नियंत्रणाधीन है जो खड़न्जा स्तर तक पूर्ण है । शेष 5 किमी0 भाग सा0 नि0 विभाग के अधीन है जिसकी मिट्टी पुलिया स्तर तक निर्माण हेतु जिला आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में स्वीकृति प्रदान की गई है, तथा खड़न्जा स्तर तक निर्माण की स्वीकृति एम0 एन0 डी0 1987-88 में प्रदान की गई है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण वाले 5 किमी0 भाग में से 4.70 किमी0 भाग में मिट्टी, पुलिया एवं 2.50 किमी0 भाग में खड़न्जे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 300 मीटर भाग में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कोई भी कार्य नहीं कराया जा सका है तथा खड़न्जे का शेष कार्य धनाभाव के कारण नहीं कराया जा सका है। भूमि किसानों की स्वेच्छा से ली जानी है।

भूमि एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रमुख अभियन्ता श्री एस0 पी0 गोयल के विरुद्ध श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा अध्यक्ष लोक दल का पत्र

96–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा अध्यक्ष लोकदल का पत्र दिनांक 12-9-1987 जो श्री एस0 पी0 गोयल प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की शिकायतों से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या लगाये गये आरोप की जांच सतर्कता अधिष्ठान से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

जांच मा0 लोकायुक्त एवं मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सा0नि0वि0 द्वारा की जा चुकी है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अग्रेतर जांच का प्रश्न नहीं उठता।

अमहट असावर नवादा मार्ग जनपद गाजीपुर के निर्माण की मांग

97–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में अमहट-असावर नवादा मार्ग लम्बाई 6 कि0 मी0 के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र ही कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

विषयगत मार्ग 6 किमी0 लम्बाई में मिट्टी पुलिया एवं खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत है। सड़क निर्माण के लिए भूमि किसानों की स्वेच्छा से ली जानी है। मार्ग के विभिन्न स्थानों पर लगभग 1 किमी0 लम्बाई में भूमि उपलब्ध नहीं है। शेष 5 किमी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है। 1.5 किमी0 लम्बाई में सोलिंग का कार्य भी हो चुका है। उक्त 5 किमी0 लम्बाई में शेष कार्य प्रगति पर है। विषयगत मार्ग की पूरी लम्बाई में निर्माण कार्य का पूर्ण किया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

धरिहा से दवेली, सलामतपुर पांच किलोमीटर की सड़क स्वीकार होने पर न बनने की शिकायत

98–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अंतर्गत धरिहा से दवेली होते हुए सलामतपुर तक लगभग 5 कि0 मी0 लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति के उपरांत भी उक्त सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त सड़क एवं उस पुलियों आदि का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

विषयगत मार्ग जिसकी वास्तविक लम्बाई 5.5 कि0 मी0 है, के 5 किमी0 मार्ग में मिट्टी पुलिया एवं 4.7 किमी0 भाग में खड़न्जे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । 300 मीटर भाग में खड़न्जे का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराया जा रहा है । शेष 500 मीटर भाग में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है । भूमि किसानों की स्वेच्छा से ली जानी है । पुलियों का निर्माण आवश्यकतानुसार किया जा चुका है । सम्पूर्ण लम्बाई में निर्माण कार्य का पूर्ण किया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

99–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के कतिपय कर्मचारियों के आफिशियेटिंग वेतन का भुगतान ।

100–श्री राम पाल वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के पत्र संख्या–2217 सी टी ई/23-पी0 डब्लू0, दिनांक 2-8-1986 के अनुक्रम में सप्लीमेन्ट्री अरेंजमेंटशीट संख्या–7329/बी0 एस0/23–सा0 नि0 अनु0-4-59 बी एस/59 दिनांक 24-12-1986 के द्वारा एक कर्मचारी को आफिशियेटिंग धनराशि का भुगतान करके शेष 2 कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया था ? यदि हां, तो शेष 2 कर्मचारियों तथा कोष्ठ के पत्र संख्या–2716 सी टी ई/23-पी डब्लू, दिनांक 5-12-87 पत्र संख्या–2471/सी टी ई/23-पी डब्लू, दिनांक 15-6-1988 व पत्र संख्या–3202/सी टी ई/23-पी0 डब्लू0, दिनांक 23-9-1988 में उल्लिखित तीनों कर्मचारियों को अब तक आफिशियेटिंग से संबंधित धनराशि का भुगतान क्यों व किन परिस्थितियों में नहीं किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में उल्लिखित कर्मचारियों को आफिशियेटिंग से संबंधित धनराशि के भुगतान का आदेश जारी किया जा चुका है । भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

ई0 एस0 आई0 अस्पताल के बारे में विभिन्न जानकारी

101—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर स्थित ई0 एस0 आई0 अस्पताल में डाक्टर कब से नहीं हैं तथा कौन-कौन संस्थान इस अ/पताल से सम्बद्ध हैं ? सीतापुर ई0 एस0 आई0 अस्पताल का क्षेत्र कितना है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, सीतापुर में दिनांक 15-10-87 तक चिकित्साधिकारी की नियमित रूप से नियुक्ति रही है। दिनांक 16-10-87 को औषधालय में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी के त्याग-पत्र देकर चलने जाने व योजना में चिकित्साधिकारियों की अत्यधिक कमी के कारण उक्त औषधालय से सम्बद्ध बीमांकित व्यक्तियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय बाराबंकी के चिकित्साधिकारी की सेवाएं सप्ताह में एक दिन के लिए उपलब्ध करवा दी गई थी । अब कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, सीतापुर के लिए एक पुरुष तथा एक महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, सीतापुर से 16 संस्थान सम्बद्ध हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

सीतापुर के कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, तहसील और जिला सीतापुर के परगना खैराबाद का राजस्व ग्राम हुसैनगंज आते हैं और उक्त क्षेत्र के बीमांकित श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्य इस औषधालय से लाभान्वित होते हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 183 पर)

बरई, जलालपुर मछरेहटा मार्ग को चौड़ी करने में किसानों की ली गई कृषि योग्य भूमि का मुआवजा

102—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर अन्तर्गत बरई जलालपुर मछरेहटा मार्ग की चौड़ाई 66.10 फिट से बढ़ाकर 220 फिट कर दी गई है? यदि हां, तो क्या अधिगृहीत की गई खेतिहर भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जलालपुर—मछरेहटा मार्ग की चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई है और न ही कोई भूमि अधिग्रहीत की गयी है। अतः मुआवजा भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

सुमेरनपुर बेरिया शहीद मार्ग पर रानीगंज भागड़ नाला पर पुल का निर्माण

103–श्री मनेजर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला अन्तर्गत सुमेरनपुर–बेरिया शहीद मार्ग पर रानीगंज–भागड़ नाला पर निर्माणाधीन पुल कब स्वीकृत हुआ ? कब कार्य प्रारम्भ हुआ और अब तक प्रगति क्या है ? पुल के निर्माण में विलम्ब के लिए कौन दोषी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

विषयगत सेतु का निर्माण कार्य वर्ष 1981 में स्वीकृत हुआ था ।

निर्माण कार्य वर्ष 1983 में प्रारम्भ हुआ था और अब तक पीयर कैप तक कार्य पूर्ण हो चुका है । विलम्ब के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है।

श्री राम सजीवन विधायक का मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया पत्र दिनांक 4 मई, 1988 की जानकारी

104–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 49 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है और जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? क्या जांचकर्ता ने शिकायत-कर्ता से भी सम्पर्क किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

अधीक्षण अभियन्ता श्री ए0 सी0 अस्थाना द्वारा की जा रही जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

जी हां, जांचकर्ता द्वारा दिनांक 9-2-1989 को शिकायतकर्ता को साक्ष्य हेतु बुलाया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जनपद के रामनगर कस्बा सआदतगंज तक की सड़क के कई वर्षों से अधूरी पड़ी रहने का कारण

105–श्री निहाला सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में रामनगर कस्बा से सआदतगंज तक की आधी सड़क की सोलिंग का कार्य 7-8 वर्ष पहले किया गया था और तब से शेष सड़क का कार्य अधूरा पड़ा होने के कारण पास पड़ोस की जनता को आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो शेष सड़क का सोलिंग कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी, हां ।

मार्ग के शेष भाग को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत न आने के कारण किसी योजना में लिया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खड़भड़िया चिलावली विभागीय मार्ग, फैजाबाद के किलोमीटर नं0 3 के कई वर्षों से अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त पड़े रहने का कारण

106–श्री मित्रसेन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद में खड़भड़िया चिलावली विभागीय मार्ग का कि0मी0 नं0 3 विगत कई वर्षों से अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इस अधूरे निर्माण कार्य को अभी तक पूरा न किये जाने का क्या कारण है और कब तक अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर जनहित में आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

विषयगत मार्ग के कि0मी0–3 के चैनेज 2.500 से 3.00 तक (500 मीटर भाग में) निर्माण कार्य अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त है।

न्यायालय स्थगनादेश के कारण उक्त निर्माण कार्य का पूर्ण किया जाना एवं उस पर कोई सुधार (इम्प्रूवमेन्ट) कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है।

107–श्री राम पाल वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के विद्युत शाखा में कार्यरत हेल्परों (दैनिक वेतनभोगी) को वर्कचार्ज में नियुक्त करने का मामला

108–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विद्युत विभाग में कार्यरत हेल्परों (दैनिक वेतन भोगी) की कार्यावधि 3 वर्ष पूरी होने पर उन्हें वर्कचार्ज के रूप में नियुक्त किया जाता है ? यदि हां, तो जुलाई, 1988 तक कितने कर्मचारियों को उक्त अवधि पूरी करने पर हेल्पर से वर्कचार्ज में नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं । ऐसा करना सदैव सम्भव नहीं हो पाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड किरनों से रायपुर बोगना होते हुए पिपनार तक लहुरापुर भोजनपुर पनसेरवा मार्ग, गाजीपुर के निर्माण का लम्बित कार्य

109–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत विकास खण्ड बिरनो से रायपुर–बोगना होते हुए पिपनार तक व लहुरापुर-भोजापुर पनसेरवा तक लम्बाई लगभग 12 कि0मी0 सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र ही कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

विषयगत मार्ग जिसकी वास्तविक लम्बाई 11 कि0मी0 है, मिट्टी पुलिया एवं खड़न्जा स्तर तक आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में स्वीकृत हुआ है ।

मार्ग के कुल 10.265 कि0मी0 भाग में मिट्टी, पुलिया एवं 9 कि0मी0 भाग में खड़न्जा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 0.735 किमी0 भाग में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कोई भी कार्य नहीं कराया जा सका है। भूमि किसानों की स्वेच्छा से ली जानी है।

सम्पूर्ण लम्बाई में निर्माण कार्य का पूर्ण किया जाना भूमि की उपलब्धता एवं संसाधनों पर निर्भर है ।

विकास खण्ड मरदहा से नरबर पिपनार कोडरी तक की सड़क गाजीपुर के निर्माण कार्य में विलम्ब

110–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला अन्तर्गत विकास खण्ड मरदहा से नरबर, पिपनार होते हुए कोड़री तक लम्बाई लगभग 6 कि0मी0 सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त का निर्माण शीघ्र ही कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

विषयगत मार्ग की स्वीकृति सेक्टोरल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत खड़न्जा स्तर तक निर्माण हेतु 2/85 में प्रदान की गई थी ।

जी नहीं । निर्माण कार्य स्वीकृति स्तर तक पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत अकटही ताजपुर से डेहमागड़ार मार्ग के निर्माण की मांग

111–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत अकटही–ताजपुर से डेहमागड़ार मार्ग लम्बाई लगभग 6 कि0मी0 सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो अब कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

विषयगत मार्ग शासनादेश सं0 1538/38-7-85-83आर/84, दिनांक 20-2-85 द्वारा सेक्टोरल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत 6 कि0मी0 लम्बाई में मिट्टी, पुलिया एवं खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत हुआ है।

उक्त मार्ग के 5 किमी0 भाग में मिट्टी, पुलिया एवं 3 किमी0 भाग में खड़न्जा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । 2 किमी0 भाग में खड़न्जे का कार्य प्रगति में है । शेष 1 किमी0 भाग में भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि किसानों की स्वेच्छा से ली जानी है।

सम्पूर्ण लम्बाई में निर्माण कार्य का पूर्ण कराया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गाजीपुर के भरौली कला से गोसलपुर मार्ग की स्वीकृति एवं निर्माण की मांग

112–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत भरौली कला के गोसलपुर मार्ग लम्बाई लगभग 7 कि0मी0 सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र ही करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

विषयगत मार्ग 7 किमी0 लम्बाई में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत (वास्तविक लम्बाई–6.23 किमी0) मिट्टी, पुलिया एवं खड़न्जा स्तर तक निर्माण हेतु वर्ष 1984-85 में स्वीकृत हुआ ।

जी नहीं ।

निर्माण कार्य स्वीकृति स्तर तक पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग संख्या 24 के जाब संख्या 86049 के कार्य का प्राविधिक सम्परीक्षक कोष्ठ द्वारा की गई जांच एवं विवरण

113–श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री को ज्ञात है कि रा0 मा0 24 के जाब संख्या 86049 के अन्तर्गत कार्यों की जांच प्राविधिक सम्परीक्षक कोष्ठ, उ0 प्र0 शासन द्वारा करायी गयी ? यदि हां, तो बतायेंगे कि उक्त जाब के अन्तर्गत कौन-कौन बाण्ड कितनी-कितनी लागत के किस अधिकारी द्वारा बनाये गये ? क्या बान्ड संख्या 14 ई ई 86-87 दिनांक 20-8-86 श्री राज कुमार ठेकेदार के नाम रुपया 1 लाख 56 हजार 6 सौ का तथा 24 ईई/86-87, दिनांक 13-10-86 श्री राम इकबाल सिंह के नाम रु0 57 हजार 420 रुपये का बनाया गया ? यदि हां, तो उक्त बान्ड किस जाब के अन्तर्गत बना और कौन-कौन सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गई ? क्या इन बान्डों की सामग्री एवं लागत की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जाब संख्या 86049 के अन्तर्गत बनाये गये बाण्डों एवं बनाने वाले अधिकारियों के नाम तथा लागत के विवरण संलग्न हैं।

जी हां ।

उक्त दोनों बाण्ड जाब संख्या 86049 के अन्तर्गत बने । बाण्ड संख्या 14ईई दिनांक 20-6-86 के अन्तर्गत 25 मि0 मी0 ब्रोकेन ग्रिट 493.35 घन मी0 एवं बाण्ड सं0 24ईई दिनांक 13-10-86 के अन्तर्गत 20-40 मि0मी0 पत्थर की गिट्टी 297.45 घनमी0 क्रय की गयी ।

जी हां, सामग्री का परीक्षण रा0 मा0 सर्वेक्षण खण्ड–2 द्वारा कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 184 पर)

राष्ट्रीय मार्ग संख्या 24 के जाब संख्या 85026 एवं 86049 के अन्तर्गत किये गये कार्यों के बारे में विवरण

114—श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री की जानकारी में है कि रा0 मा0—24 के जाब सं0 85026 एवं 86049 के अन्तर्गत कि0मी0 491 से 445 तक वर्ष 85-86 से 87-88 के मध्य एस0 डी0 सी0 एवं पी0 आर0 का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो किन-किन किलोमीटर में कितनी-कितनी लागत का कार्य पी0 आर0 के अन्तर्गत स्वीकृत था एवं कितनी लागत का कार्य कराया गया ? यदि नहीं कराया गया तो कितनी शासकीय हानि हुई ? इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

रा0 मार्ग—24 के जाब संख्या 85026 एवं 86049 के अन्तर्गत केवल कि0मी0 472 से 488 तक वर्ष 1985-86 से 1987-88 के मध्य एस0 डी0 सी0 का कार्य कराया गया था । इन जाब्स के अन्तर्गत पी0 आर0 का कार्य नहीं कराया गया ।

उक्त जाब्स के अन्तर्गत पी0 आर0 का कार्य स्वीकृत नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के सुलेमानपुर सोनाडीह मार्ग हेतु राज्य सेक्टर के अंतर्गत स्वीकृत धन के उपयोग का विवरण

115—श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1982-83 में सोनाडीह-सुलेमानपुर मार्ग हेतु राज्य सेक्टर के अंतर्गत रु0 75,000 ही स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो 12/82 तक रुपये 1,58,000 अनुदान से अधिक खर्च करने का क्या औचित्य था ? इस अधिक खर्च की अनुमति किस अधिकारी द्वारा दी गयी ? माह 3/83 तक अनुदान से कितना अधिक खर्च किया गया ? क्या दिनांक 27-1-83 को दो निविदायें लगभग 1.50 लाख की स्वीकृति की गयी ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कुल कितना खर्च किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के कांठ ब्लाक में कार्यरत परियोजना अधिकारी कु0 शशिकिरन गुप्ता के विरुद्ध नेता विरोधी दल विधान सभा द्वारा भेजी गयी शिकायत

116—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्यपाल सिंह यादव नेता विरोधी दल द्वारा शाहजहांपुर के कांठ ब्लाक में नियुक्त परियोजना अधिकारी कु0 शशिकिरन गुप्ता के भ्रष्ट एवं अनैतिक कार्यों के सिलसिले में एक शिकायती पत्र अप्रैल, 1988 के प्रथम सप्ताह में भेजा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती दीपा–

शिकायती पत्र पर जांच के आदेश दिये गये हैं ।

117–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या फैजाबाद के लिए धन उपलब्ध होने के बाद मार्ग के निर्माण में विलम्ब

118–श्री मित्रसेन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या, फैजाबाद के लिए धन उपलब्ध होने के बावजूद भी निर्माणधीन मार्ग का अवशेष भाग निर्मित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त सार्वजनिक निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

स्थानीय जन प्रतिनिधियों की आपत्ति पर अवशेष निर्माण कार्य रूकवाया गया था । मार्ग का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कराये जाने का मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

गोंड जाति को अनुसूचित जाति की जैसी सुविधा दिये जाने की मांग

119–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा देने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-10-88 जिसकी प्राप्ति की सूचना मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा प्रश्नकर्ता को पत्र सं0 सी0 एम0 (वि0 को0) एम-1-ब/234-46/88, दिनांक अक्टूबर 31, 1988, एनेक्सी भवन, लखनऊ द्वारा दी गई है, के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से सभी तथ्यों का परीक्षण करके आख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, ह0 स0 क0/निदेशक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को शासनादेश संख्या-865 सी0 एम0/26-3-88 दिनांक 30 जनवरी, 1989 द्वारा आदेश जारी कर दिये गये, तथा इन्हें पुनः स्मरण कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग द्वारा अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-2 लखनऊ से मांगी गयी आख्या

120–श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, रा0 मा0 के पत्रांक 7335 एन0 एच0/204 एन/85 दिनांक 18-11-85 के अनुपालन में अधि0 अभि0 रा0 मार्ग खण्ड नं0 2, लखनऊ में जनवरी, 1986 से मार्च, 1988 तक प्रोफार्मा में आख्या दी है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? एच0 एम0 पी0-37 की प्रतिदिन कार्यक्षमता क्या है ? वर्ष 1/86 से 3/88 तक एच0 एम0 पी0 एवं मशीनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर कितना धन व्यय हुआ और किये गये कार्य का औसत क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । अनुपालन में अधिशासी अभियंता (रा0 मार्ग) खण्ड-2 लखनऊ द्वारा प्रोफार्मा में आख्यायें प्रेषित की गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एच0 एम0 पी0-37 की कार्यक्षमता लगभग 100 मैटिक टन प्रतिदिन है ।

एच0 एम0 पी0–37 व उसकी यूनिट में प्रयोग की गयी मशीनों की मरम्मत में 1/86 से 3/88 तक रु0 12.582 लाख व्यय हुआ तथा किये गये कार्य का औसत 22.55 मैट्रिक टन प्रति घन्टा रहा ।

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड 2 सार्वजनिक निर्माण लखनऊ में सहायक अभियंताओं तथा अवर अभियंताओं के नाम टी0 आई0/पी0 आई0 खाते में जमा धनराशि

121–श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आ0 रा0 मा0 खण्ड नं0-2, सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ में वर्ष 1/86 से 3/88 तक किन-किन सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं के नाम कितनी-कितनी धनराशि की टी0 आई0 पी0 आई0 खोली गयी एवं किन-किन का 3/88 तक समायोजन नहीं हुआ तथा मिसलीनियस एडवान्स में पड़ी हुई है ? इस शासकीय हानि के लिए कौन अधिशासी अभियंता जिम्मेदार है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जनवरी, 1986 से मार्च, 1988 तक, अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग, खण्ड नं0-2 में जिन सहायक अभियंताओं एवं अवर अभियन्ताओं के नाम जिन धनराशियों की टी0 आई0/पी0 आई0 खोली गयी तथा जिनका समायोजन मार्च, 1988 तक नहीं हो सका है और धनराशि अग्रिम प्रकीर्ण में डाली गयी है के विवरण परिशिष्ट (क) व (ख) में संलग्न हैं ।

इस शासकीय हानि के लिए अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0-2, लखनऊ के जिम्मेदार अधिकारियों पर जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 186 पर)

बरेली जनपद के धनेवा–शीशगढ़ मार्ग की कमियों को ठीक करने की मांग

122–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली का धनेदा शीशगढ़ से होकर जिला रामपुर की तहसील बिलासपुर तक जाता है तथा इस अन्तर्जिला मार्ग का शीशगढ़ कस्बे के बीच से होकर गुजरने वाला भाग अभी तक पक्का न होने के कारण धनेदा-शीशगढ़ बिलासपुर अंतर्जिला मार्ग का मोटर वाहनों द्वारा सारा वर्ष प्रयोग नहीं हो पाता है ? क्या मंत्री को यह भी जानकारी है कि कस्बा शीशगढ़ के अंदर के भाग पर मात्र खड़ंजा लगा है तथा रास्ता तंग होने के कारण दो वाहन पास नहीं हो सकते हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी अविलम्ब इस छूटी हुई कड़ी को पूरा करने के लिए कस्बे के अन्दर अथवा बाहर से बाई पास बनाकर पक्की सड़क का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत कार्य जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के हस्तिनापुर में आई0 टी0 आई0 तथा मवाना कला में सब रोजगार कार्यालय खोलने हेतु मुख्य मंत्री की घोषणा

123–श्री हरशरन सिंह–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-9-87 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा हस्तिनापुर, जनपद मेरठ में आई0 टी0 आई0 कालेज खोलने और मवाना कला, जनपद मेरठ में सब रोजगार आफिस खोलने के आदेश किये हैं ? यदि हां, तो उन आदेशों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? उपरोक्त आफिस एवं प्रशिक्षण केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन–

जी हां ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कार्यक्रम जिला योजना के अंतर्गत आता है । मेरठ की जिला योजना समिति द्वारा गत वर्ष परिव्यय उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रश्नगत आफिस एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किये जा सके । सातवीं पंचवर्षीय योजना में नगर सेवायोजन कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

शिक्षा दलित समिति जाटवपुरा बरेली की प्रशिक्षित प्रधानाध्यापिका को 1-5-85 से 30-1-87 के मध्य सेवा से अलग करने का मामला

124–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक, शिक्षा दलित समिति, जाटवपुरा, बरेली ने कु0 उषा सक्सेना, प्रशिक्षित प्रधानाध्यापिका की सेवायें 1-5-85 से 30-11-87 के मध्य कितनी बार समाप्त की ? क्या समाप्त करने के पूर्व या बाद में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बरेली का अनुमोदन प्राप्त किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

तीन बार ।

जी नहीं ।

इस संबंध में अतिरिक्त सूचना निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण से प्राप्त की जा रही है ।

जाटवपुर, बरेली में तीन जाटव युवकों के मृत्यु के कारण उनके घर वालों को अनुदान स्वरूप दस हजार रुपये दिये जाने की मांग

125–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जाटवपुरा बरेली के तीन जाटव मृतक युवकों के घर वालों को रुपया 10 हजार प्रति मृतक अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 7-2-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

शासन द्वारा प्रश्नगत मामले की जानकारी प्राप्त करने से यह विदित हुआ कि उक्त तीनों युवकों की मृत्यु रामगंगा नदी में नहाते समय हुयी थी । यह मामला हरिजन उत्पीड़न में न आने के कारण विभाग द्वारा कोई सहायता नहीं स्वीकृत की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

126–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग जनपद बरेली में वर्ष 1986-87 में छात्रवृत्ति हेतु आवंटित की गई धनराशि

127—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में वर्ष 1986-87 में छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को दिया जाने वाला कितना धन आवंटित किया गया था और उसका वितरण अब तक किया गया है ? यदि हां, तो कितने छात्रों को और यदि नहीं, तो उक्त धनराशि नियमानुसार व समय पर वितरण न होने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उक्त धन कहां जमा किया गया है और उसका कितना ब्याज अब तक हुआ है ? उक्त धन ब्याज सहित छात्रों को तुरन्त वितरित न होने का क्या कारण है और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्रीमती दीपा—

जनपद बरेली में वर्ष 1986-87 में छात्रवृत्ति के रूप में कुल धनराशि रुपये 68,67,500.00 का आवंटन प्राप्त हुआ था । इसके विपरीत कुल 12681 छात्रों को रु0 45,08,284.00 वितरित किया गया है । अवशेष धनराशि समय से वितरित न होने के संबंध में जांच करायी जा रही है । जांच हो जाने पर स्थिति स्पष्ट होगी ।

समस्त धनराशि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बरेली के पद नाम से कुल पी0 एल0 ए0 में जमा की गयी जिस पर ब्याज नहीं प्राप्त होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

128—श्री राम आसरे वर्मा—

[दि0 25-3-88 को अता0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ हरदोई रोड से माल को जाने वाली सड़क पर पुलिया के निर्माण का मामला

129—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के हरदोई रोड से जुड़ा हुआ अन्धे की चौकी से डामर रोड जो हलुआपुर कस्मन्डी कला होते हुए माल को गयी है, पूरी तरह से खराब हो गयी है तथा उस पर बजरी गिट्टी उखड़ गई है और उसी रोड पर भाखर बाग के पास नहर की पुलिया टूट गई है जिसमें भारी गाड़ियों को आने जाने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क तथा पुलिया को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त रोड पर हलुआपुर के पास बहता नाला पर पुल बनवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी के गुरसराय कस्बे को उरई से सीधे जोड़ने वाली सड़क पर पुल बनाये जाने का मामला

130–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को सम्बोधित झांसी के गुरसराय कस्बे को उरई से सीधा जोड़ने हेतु बेतवा नदी के कोटराघाट पर पुल बनाये जाने विषयक, दिनांक 2 मई, 88 के पत्र पर मुख्य मंत्री ने सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त पुल का सर्वे कराने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पुल का निर्माण कराने के आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

सर्वे कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पर है ।

पुल का निर्माण सर्वे की रिपोर्ट तथा पुल की प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के तिवारीपुरवा नन्सा बाजार रोड पर भिभौड़ा ग्राम में मड़हा नदी पर पुल बनाने का मामला

131–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री को सम्बोधित और सचिव, सा0 नि0 वि0 उ0 प्र0 शासन को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-11-88 का पत्र जिसमें अन्य बातों के अलावा जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर-नन्सा बाजार रोड पर भिभौड़ा ग्राम में मड़हा नदी पर पक्के पुल के शिलान्यास हेतु समय निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है, मिल गया है ? यदि हां, तो पत्र में मांगी गयी जानकारी को सदन के पटल पर रखने और भिभौड़ा में स्वीकृत पुल के शिलान्यास की तिथि निर्धारित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

भिभौड़ा में स्वीकृत सेतु के शिलान्यास की अभी कोई तिथि नहीं निर्धारित की जा सकी है ।

उक्त के अतिरिक्त पत्र में मांगी गयी अन्य सूचना को सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है ।

प्रदेश के तम्बाकू कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दर

132–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि [illegible] प्रदेश के तम्बाकू कारखाना में काम करने वाले मासिक एवं दैनिक मजदूरी का [illegible] वेतन निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कब और वह [illegible] नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन–

शासकीय अधिसूचना दिनांक 2[illegible]-7-94 द्वारा तम्बाकू कारखाने के नियोजन में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है जो 299 रुपये प्रतिमाह या 11.50 प्रतिदिन है ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सलेमपुर लखनऊ के भवन की मरम्मत

133–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के [illegible] के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के संदर्भ में क्या हरिजन [illegible] मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विद्यालय, सलेमपुर, [illegible] लखनऊ के जर्जर भवन के निर्माण के लिए हरिजन एवं निर्बल वर्ग [illegible] विभाग, लखनऊ के अभियंता द्वारा नये भवन के निर्माण का नक्शा व आगणन [illegible] किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

राजकीय आश्रम पद्धति [illegible] की दृष्टि से, उत्तर रक्षा (महिला) के नवनिर्मित भवन, जो [illegible] पद्धति विद्यालय से [illegible] है, में स्थानान्तरित कर दिया गया है । निर्माण का नक्शा शासन को [illegible] है ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 5-12-87 [illegible] अधिकारियों की जांच का मामला

134–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-12-1987 जो श्री ए0 [illegible] द्वारा की गयी शासकीय क्षति की टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराने की [illegible] डी0 [illegible]0 सक्सेना, सहायक अभियन्ता एवं श्री मोहरमन सिंह, [illegible] के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में है तथा [illegible] सी0 [illegible]/[illegible]/[illegible]-1-[illegible]/3-169/87, दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 द्वारा की गयी है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

विधान भवन स्थित कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन क्रम में कार्यरत साउन्ड सिस्टम आपरेटर

135—श्री भगौती सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिए श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 54 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1986-87 तक जो तीन साउन्ड सिस्टम आपरेटर दैनिक वेतन पर कार्यरत थे को वर्कचार्ज में लेने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभि0 भवन को निर्देश दे दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, परन्तु धनाभाव आदि के कारण आदेश कार्यान्वित नहीं हो पाये । प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनपद मथुरा के मांट क्षेत्र में जेसवां जावरा मार्ग की कमियों को दूर करने की मांग

136—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-4-88 को मांट क्षेत्र, जनपद मथुरा में अस्थाई खण्ड सा0 नि0 विभाग, मथुरा द्वारा वर्ष 1985—86 में जेसवां-जावरा मार्ग से लक्ष्मीनगर सड़क जो निम्न स्तर की बनाई गई है, के बारे में कोई पत्र दिया था जिसमें टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराने की मांग की गई थी? यदि हां, तो इस शिकायत की जांच किस अधिकारी ने की? जांच रिपोर्ट क्या है? क्या जांच के समय शिकायतकर्ता को भी सूचित किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। जांच श्री एस0आर0 सारस्वत, अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, सा0 नि0वि0, मथुरा द्वारा की गयी।

प्राप्त आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता से मौके पर जांच हेतु साथ चलने के लिए दिनांक 2-10-88 को टेलीफोन पर तथा 21-10-88 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर अतिथि गृह में कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों को सूट न देकर मेरठ मंडल के आयुक्त को दिये जाने की शिकायत पर कार्यवाही

137—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 अक्टूबर, 88 को उनके मुजफ्फरनगर आगमन पर प्रश्नकर्ता तथा मा0 विधायक श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र जो भू0 पू0 मुख्य मंत्री श्री रामनरेश यादव, श्री वी0 पी0 सिंह एवं श्री बहुगुणा को डाक बंगले का वी0आई0पी0 सूट आवंटित न करने तथा आयुक्त, मेरठ मण्डल को देने के सम्बन्ध में था, उनको दिया गया था? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय ने 29 अक्टूबर, 1988 को पत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 88 के प्राप्ति की सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा को भेजी तथा उन्हें यह भी सूचित किया कि उक्त पत्र को सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को मामले में यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश सहित भेजा जा रहा था। तत्पश्चात् शासन द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, मुज्फ्फरनगर से कथित पत्र में अंकित आरोप पर विस्तृत आख्या मांगी गई।

जनपद शाहजहांपुर में विधवा पेंशन के अचानक बन्द हो जाने का मामला

138–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में विधवाओं के पेंशन का जो लाभ उन्हें काफी लम्बे समय से प्राप्त हो रहा था, वह लाभ अचानक बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती दीपा–

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवाओं को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है अपितु निराश्रित विधवाओं को उनके भरण पोषण तथा बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान देने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत शाहजहांपुर में पात्र विधवाओं को निरन्तर लाभ दिया जा रहा है।

जनपद बस्ती के जोगिया विकास खण्ड के निपनिया ग्राम में हरिजन कालोनी के निर्माण कार्य की स्थिति

139–श्रीमती कमला साहनी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के जोगिया विकास खण्ड के निपनिया ग्राम में हरिजन कालोनी वर्ष 1977–80 के बीच बनवाई गई? यदि हां, तो क्या वह बनकर पूर्ण हो गई और हरिजनों को आवंटित की गई? यदि हां तो किन-किन हरिजनों को आवंटन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा–

बस्ती जनपद के जोगिया विकास खण्ड के निपनिया ग्राम में वर्ष 1977-80 के बीच कोई हरिजन कालोनी का निर्माण नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय फैजाबाद के विरुद्ध स्वावलम्बी इण्टर कालेज रवीयां के छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

140–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्न-कर्ता का दिनांक 28-10-88 का पत्र श्री सुखदेव तथा आठ अन्य छात्रों के प्रार्थना-पत्र

(जो सभी ग्राम स्वावलम्बी इण्टर कालेज रवौरा जनपद फैजाबाद के छात्र हैं) शासन को मिल गया है जिसमें इस बात की शिकायत की गयी है कि इन लोगों को वर्ष 1986–87 1987–88 की छात्रवृत्ति केवल इसलिए नहीं मिली है क्योंकि यह लोग जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में वांछित घूस देने को तैयार नहीं हैं? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती दीपा–

जी हां, उक्त पत्र प्राप्त हुआ था। जांच के निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण फैजाबाद मण्डल द्वारा की गयी। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सम्बन्धित जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही पायी गयी ।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी झांसी द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पर बकाया भवन किराया

141–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-10-88 का पत्र जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी झांसी द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के 22-9-86 से अब तक के बकाया भवन किराये का भुगतान जिलाधिकारी झांसी द्वारा दिनांक 2-1-87 को निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को संस्तुत दर से किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर भवन स्वामी को किराया भुगतान करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उसे कब तक किराया भुगतान कर दिया जायेगा?

श्रीमती दीपा–

जी हां। प्रस्ताव शासन के परीक्षणाधीन है।

प्रश्नकर्ता के हरिजन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

142–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 88 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के 23 मार्च, 88 के पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच करा कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? क्या छात्रवृत्ति की स्वीकृति वर्ष में भुगतान करने के आदेश होने के बावजूद मोंठ में जिस वर्ष की छात्रवृत्ति थी उसी वर्ष में भुगतान न किये जाने के लिए दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

उक्त पत्र में इंगित बिन्दुओं पर जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

विकलांग कर्मचारियों को स्वीकृत एवार्ड का भुगतान

143—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 24-1-87 को उनकी अध्यक्षता में विकलांग कर्मचारियों को स्वीकृत एवार्ड का भुगतान संबंधित विकलांग कर्मचारियों का हुआ अथवा नहीं ? यदि हुआ, तो कब यदि नहीं हुआ, तो क्यों और कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती दीपा—

दिनांक 24-1-87 को हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में विकलांग कर्मचारियों को स्वीकृत एवार्ड का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को दिनांक 20-3-88 को किया गया । परन्तु एक पुरस्कार विजेता श्री बी0 के0 कौल के उपस्थित न होने के कारण उन्हें उक्त तिथि को एवार्ड का भुगतान नहीं किया जा सका । बाद में श्री बी0 के0 कौल ने भी दिनांक 30-1-89 को अपना एवार्ड प्राप्त कर लिया है ।

पिछड़ी जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का मामला

144—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछड़ी जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति (1987-88) अवमुक्त कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां :

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1986-87 में हरिजन छात्रवृत्ति दिए जाने का मानक

145—श्री नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में वर्ष 1986-87 में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अनुदानित राशि को जनपद के किन-किन विद्यालयों को किन मानकों के आधार पर वितरित किया गया ?

श्रीमती दीपा—

उक्त जनपद में वर्ष 1986-87 में जिन विद्यालयों के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है, जिसकी सूची मा0 सदस्य महोदय को अलग से उपलब्ध करा दी जायेगी।

निर्धारित मानकों के आधार पर छात्रवृत्ति वितरित करने के संबंध में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण से अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जा रही है ।

जनपद जौनपुर कोटा कोन मार्ग पर कनहर नदी पर पुल बनवाने का मामला

146—श्री कल्लू राम रत्नाकर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में जनता की यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा कोन मार्ग पर कनहर नदी पर पुल बनवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

प्रस्तावित सेतु अन्य जिला मार्ग पर पड़ने वाला लगभग 800 मीटर का एक दीर्घ सेतु होगा तथा इसकी अनुमानित लागत लगभग 450 लाख रुपये होगी । प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुये फिलहाल उक्त सेतु का निर्माण सम्भव नहीं है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमावली में संशोधन करने का मामला

147–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में दिनांक 8-5-88 को विभागीय पदोन्नति में भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें तथा नियमावली बदलने के सम्बन्ध में माननीय विधायकों के शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को दिनांक 8-5-88 से 8-10-88 तक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभागीय नियमावली श्रेणी घ से श्रेणी ग में पदोन्नति के लिए संशोधन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित निम्नलिखित माननीय विधायकों के उनके सम्मुख अंकित तिथि के शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे :–

(1) श्री मोहम्मद आजम खां	दि0 21-5-88
(2) श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ	दि0 17-5-88
श्री अनुग्रह नारायण सिंह	दि0 19-5-88
(3) श्री मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री हर्ष वर्धन तथा श्री जेड0 ए0 अहमद	दिनांक रहित
(4) श्री चेत राम	दि0 29-5-88
(5) श्री कामेश्वर उपाध्याय	दिनांक रहित
(6) श्री राम सागर	दि0 31-5-88

प्राप्त शिकायती पत्रों का नियमानुसार परीक्षण किया गया । शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दु सही नहीं पाये गये ।

जी नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी ।

प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग झांसी में वर्ष 1976 से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को दया में लेने के लम्बित मामलों की संख्या

148–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 झांसी के अन्तर्गत वर्ष 1976 से अब तक मृतक सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं ? अब तक पारिवारिक पेंशन न देने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

दो मामले लम्बित हैं ।

दोनों कर्मचारियों के व्यक्तिगत अभिलेख खण्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

अब स्व0 श्री बालचन्द्र चौकीदार के पारिवारिक पेंशन पेपर पत्रांक-156/पेन्शन प्रकरण/45, दिनांक 23-1-89 तथा स्व0 श्री जगत नारायण दूबे, रोलर फोरमैन की पारिवारिक पेन्शन का मामला पत्रांक-57/पेंशन प्रकरण/डब्लू0 सी0, दिनांक 7-1-89 द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है ।

बलिया जनपद में मगई नदी पर लकड़ी के पुल का निर्माण

149–श्री गौरीशंकर भइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-114 के उत्तर से सम्बन्धित क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत पुल (बलिया में मगई नदी पर दौलतपुर के पास) का पुनरीक्षित आगणन सा0 नि0 वि0 बलिया द्वारा विभाग के मुख्य/प्रमुख अभियन्ता एवं शासन को प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो यह किस तिथि को प्राप्त हुआ है और अब तक पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर कार्य का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

पुनरीक्षित आगणन शासन को अन्तिम बार दिनांक 5 दिसम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ था । पुनरीक्षित आगणन में कतिपय त्रुटियां रहने के कारण इसे क्षेत्र को वापस कर दिया गया है । क्षेत्र से आपत्ति रहित पुनरीक्षित आगणन प्राप्त होने पर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

150–श्री भगवती सिंह विशारद–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

विगत चार वर्षों से जनपद फर्रुखाबाद में बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने की जानकारी

151–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत चार वर्षों में जनपद फर्रुखाबाद के बेरोजगार स्नातकों को रोजगार दिलाने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये और उससे कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में 31 जुलाई, 88 तक पंजीकृत हुए कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक तथा इंजीनियरिंग व मेडिकल स्नातक छात्रों की अलग-अलग संख्या क्या थी ?

सैयद सईदुल हसन–

श्रम विभाग किसी व्यक्ति विशेष को नौकरी प्रदान नहीं करता है बरन् श्रम विभाग के अधीन कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य से मांग आने पर पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों के नामों को सम्प्रेषित किया जाता है तथा स्वत: रोजगार अपनाने के लिए अभ्यर्थियों को उत्प्रेरित किया जाता है ।

जनपद फर्रुखाबाद में विगत चार वर्षों में सेवायोजित/स्वत: नियोजित किये गये अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :–

क्रम-संख्या	वर्ष	सेवायोजित हुए अभ्यर्थियों की संख्या	
		सवेतन रोजगार	स्वत: रोजगार द्वारा
1	1984–85	62	419
2	1985–86	292	—
3	1986–87	174	85
4	1987–88	148	240

31 जुलाई, 88 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों के विवरण:—

		स्नातक	स्नातकोत्तर
1	कला	3664	666
2	वाणिज्य	587	174
3	विज्ञान	377	42

जनपद फर्रुखाबाद में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातकों का पंजीयन तथा सम्प्रेषण नहीं किया जाता है । इस प्रकार के अभ्यर्थी व्यवसायिक एवं प्रबन्धीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ तथा प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों में ही पंजीकृत किये जाते हैं जिनके द्वारा उनका सम्प्रेषण भी किया जाता है ।

जनपद बलिया के हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों का बकाया वेतन

152–श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री राम जन्म–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के हरिजन प्राइमरी पाठशाला के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन कितने दिनों से बकाये में चल रहे हैं और भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? कब तक पूर्ण वेतन भुगतान कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

जनपद के हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, धन के अभाव में, दिसम्बर, 1988 से नहीं किया जा सका है ।

धन की उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

बांदा जनपद के राजापुर कमासिन मार्ग के बीस किलोमीटर पर बागे नदी पर पुल का निर्माण

153–श्री राम सजीवन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में राजापुर कमासिन मार्ग किलोमीटर 20 में बागें नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और पुल के दोनों किनारों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है ? इस सम्बन्ध में क्या कार्य अधीक्षक विभागीय निर्माण संगठन सा0 नि0 वि0 करवी जिला बांदा ने अपने पत्रांक आर 1225/सी-1 दिनांक 9-9-88 द्वारा विशेष सचिव सा0 नि0 अनुभाग-11 उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ को सूचित किया है कि पहुंच मार्ग हेतु स्वीकृत 9-24 लाख रुपयों की धनराशि बिलकुल अपर्याप्त है और उससे कार्य पूरा कराना सम्भव नहीं है ? क्या पहुंच मार्ग की पुनरीक्षित लागत 62.99 लाख रुपये आंकी गई है ? उस पर अभी तक स्वीकृति न देने के क्या कारण है ? पहुंच मार्ग हेतु धन की स्वीकृति देकर निर्माण कार्य कब से शुरू करा दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

पहुंच मार्ग का पुनरीक्षित आगणन, कतिपय त्रुटियों के निराकरण हेतु मुख्य अभियन्ता, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, सा0 नि0 वि0, झांसी को भेजा गया है।

पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत लागत के अन्दर प्रारम्भ करा दिया गया है ।

बांदा जनपद के भैंसांधा में सम्पर्क मार्गों बनाये जाने की मांग

154–श्री राम सजीवन–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्य अधीक्षक विभागीय निर्माण इकाई सा0नि0वि0करवी जिला बांदा ने प्रश्नकर्ता और ग्राम प्रधान भैंसांधा को अपने पत्रांक आर 20/8/सी-1 दिनांक 7-9-88 द्वारा सूचित किया है कि भैंसांधा सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्ष 1987-88 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 बांदा के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उस पर निर्माण कार्य शुरू न कराने के क्या कारण हैं ? क्या कार्य अधीक्षक करवी ने अपने पत्रांक 231/सी-1 दिनांक 4-1-88 द्वारा अपर जिलाधिकारी परियोजना बांदा व अधीक्षण अभियन्ता 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी एवं मुख्य अभि0 (बुन्देलखण्ड) झांसी को स्थिति से अवगत कराया था ? यदि हां, तो सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ? क्या उसके पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृति देकर निर्माण पूरा करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी, हां ।

प्रश्नगत मार्ग पहले से खड़ंजा स्तर तक निर्मित है ।

जी, हां ।

प्रश्नगत मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य जिला योजना के अन्तर्गत आता है अतः इसके पुनर्निर्माण की स्वीकृति तथा तत्पश्चात उसका पुनर्निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जिला सेवायोजन कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री एस0 यू0 फारूकी के विरुद्ध शिकायतें

155—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सेवायोजना कार्यालय हरदोई में वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत श्री एच0 यू0 फारूकी के विरुद्ध अनेक शिकायतों के सम्बन्ध में जिला सेवायोजन अधि0 द्वारा निदेशक एवं अपर निदेशक को अर्धशासकीय पत्र क्रमशः अप्रैल, मई, 88 को भेजे गये ? यदि हां, तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि अल्प अवधि छोड़कर लगभग 17 वर्ष से श्री फारूकी हरदोई में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक एक ही स्थान पर बनाये रखने का औचित्य क्या है ?

सैयद सईदुल हसन—

जी हां ।

श्री फारूकी के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई जा रही है । जांच का परिणाम प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री फारूकी हरदोई में दिनांक 2-7-86 से कार्यरत हैं । इससे पूर्व वे जिला सेवायोजन कार्यालय रायबरेली में तैनात थे ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय बलिया के निर्माण कार्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही ढिलाई

156—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद मुख्यालय पर आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य, सा0 नि0 वि0 निर्माण खण्ड ने कब से शुरू किया है उसे कब तक पूर्ण करने का समझौता विभाग ने किया था और कब तक पूर्ण करने की योजना है? क्या सरकार कार्य में ढिलाई बरतने वाले व्यक्तियों पर शासन स्तर से कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

निर्माण कार्य की स्वीकृति निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी से मार्च, 1986 में प्राप्त हुई तथा अप्रैल, 1986 में कार्य प्रारम्भ किया गया ।

ऐसा कोई समझौता नहीं था । चिकित्सालय भवन तथा उससे सम्बद्ध आवासीय भवनों के लिए 2.10 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी जबकि प्रारम्भ में केवल 1.07 एकड़ नजूल भूमि ही उपलब्ध हो सकी थी । शेष नजूल भूमि दिसम्बर, 1988 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुयी । फलस्वरूप चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य बाद में भूमि के उपलब्ध होने पर आरम्भ किया गया और वह मार्च, 1990 तक पूर्ण हो सकेगा । चिकित्सालय से सम्बद्ध आवासीय भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ मथुरा द्वारा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शासन को भेजा गया पत्र

157—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ (सिसौदिया भवन) मथुरा द्वारा प्रेषित, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायती पत्र संख्या—301-305/पी0 डब्लू0 डी0/एम0 टी0 आर0 दिनांक 21-3-87 सार्व0 निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और जांच के दौरान कौन-कौन से आरोप सिद्ध हुए ? आरोप सिद्ध होने पर किन-किन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-कौन सी अनुशासनिक कार्यवाही की गई ? क्या शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, प्रश्नगत पत्र तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ मथुरा द्वारा शासन को भेजा गया मांग पत्र

158—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ शाखा-मथुरा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 88 को प्रदर्शन का आयोजन कर अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग मथुरा को श्रमिकों से संबंधित मांग पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त मांग पत्र में उल्लिखित किन-किन मांगों और समस्याओं पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गयी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत दिनांक को उक्त संघ द्वारा प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई मांग पत्र नहीं दिया गया था, वरन् उनसे कुछ समस्याओं पर मौखिक वार्तालाप हुआ था ।

उक्त वार्तालाप पर निम्नांकित कार्यवाही की गई :—

(1) सभी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि (3/88 से 10/88 तक की) स्वीकार कर दी गई ।

(2) सभी कर्मचारियों के दयों का भुगतान कर दिया गया है । ऐसा, कोई मामला नहीं था, जिसे प्री आडिट हेतु भेजा गया हो ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड मथुरा में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत लिपिकों का विवरण

159—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0 वि0 मथुरा में कुल कितने लिपिक पिछले 10 वर्षों से इसी जिले में अथवा खण्ड में कार्यरत हैं ? एक ही खण्ड/जिले में कार्यरत रहने से ऐसे लिपिकों का स्थानान्तरण पिछले सालों में कितनी बार अन्य खण्डों/अन्य जिलों में किया गया और किन-किन कारणों से इन स्थानान्तरणों को निरस्त कर दिया गया ? क्या ऐसे लिपिकों का स्थानान्तरण दूसरे जिले में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

ऐसे सात लिपिक हैं ।

एक लिपिक का स्थानान्तरण जिले से बाहर मैनपुरी किया गया, जिसे शासन के अर्धशा0 पत्र संख्या-708/23-4-81, दिनांक 10-8-81 द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में निरस्त कर दिया गया था । उक्त स्थानान्तरण से संबंधित, शासन की पत्रावली नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है । अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि उक्त स्थानान्तरण किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया था ।

अगले स्थानान्तरण सत्र में ऐसे मामलों पर पुनः विचार किया जायेगा ।

रामपुर-रुद्रपुर-किच्छा मार्ग को राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव

160—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0—16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करने हेतु सरकार ने क्या-क्या सूचनायें आज तक एकत्र की हैं ? उनका विवरण क्या है ? किसी मार्ग को राजमार्ग घोषित करने के लिए कौन-कौन से मानक निर्धारित हैं तथा इन मानकों में से प्रश्नगत मार्ग कौन-कौन से मानक को पूरा नहीं करता है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत रामपुर-रुद्रपुर-किच्छा मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करने हेतु उक्त मार्ग की वास्तविक लम्बाई तथा वर्तमान में घोषित राज्य मार्ग को संशोधित करने के सम्बन्ध में ही सूचना एकत्रित की गई थी । उक्त मार्ग वास्तव में दो मार्गों, अर्थात, रामपुर-रुद्रपुर-हल्द्वानी मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-17) के रामपुर-रुद्रपुर भाग तथा पानीपत-खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-12) के रुद्रपुर-किच्छा मार्ग से मिलकर बनता है । अतः रामपुर-रुद्रपुर-हल्द्वानी मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-17) को राज्य मार्ग घोषित किये जाने से सम्पूर्ण रामपुर-रुद्रपुर-किच्छा मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में आ जायगा ।

नियोजन विभाग के मत में वही मार्ग राज्य मार्ग घोषित किये जाने चाहिये जिनको राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित कराने में कठिनाई न हो और जिनको प्रस्तावित करके राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने हेतु भारत सरकार पर बल दिया जाता रहे । उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मार्ग के महत्व के आधार पर राज्य मार्ग की श्रेणी में वही मार्ग रखे जाते हैं जो प्रान्त के कई जिलों को तथा उनके मुख्यालयों को जोड़ते हैं और उन पर भारी यातायात चलता हो । तद्नुसार प्रश्नगत रामपुर-रुद्रपुर-किच्छा मार्ग के यथावश्यकतानुसार रामपुर-रुद्रपुर-हल्द्वानी (प्रमुख जिला मार्ग-17) मार्ग को राज्य मार्ग घोषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड कानपुर द्वारा निलम्बित किये गये आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही

161–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0–37 में संलग्न की गयी सूचना के बिन्दु एक में आरोप पत्र निर्धारित अवधि में न देने व विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर न कराने के लिए के लिए श्री आर0 आर0 चौधरी अधीक्षण अभियन्ता व श्री संरेन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता शासनादेश सं0–1342 एन0 जी0/23 सा0 नि0 अनु0-4, दिनांक 14 मार्च, 1975 तथा संख्या–7-2-7-8-कार्मिक-1 दिनाक 18-7-79 एवं संख्या 7-8-1966-कार्मिक–1 दिनांक 30-7-1977 के अन्तर्गत दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं, विलम्ब के लिये उत्तरदायी श्री रमेश चन्द्र सक्सेना, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, रा0 मा0 खण्ड, कानपुर थे, जो अब सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोंड जाति को प्रदेश में अनुसूचित जाति माने जाने की मांग

162–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-6125/126-3-78 (28–82) दिनांक 3-12-87 द्वारा गोंड जाति को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति माना गया है ? यदि हां, तो क्यों ? गोंड जाति की उपजातियों धूरिया, राजबोड व पंथरी आदि को भी अनुसूचित जाति मान लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

उक्त शासनादेश द्वारा गोंड जाति के पात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं ।

गोंड जाति अनुसूचित जातियों की वर्गीकृत सूची में सम्मिलित है, जो समस्त उत्तर प्रदेश पर लागू है ।

अनुसूचित जातियों की वर्गीकृत सूची में उक्त जातियों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों का वर्गीकरण भारत के संविधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है ।

अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय 56वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी के आदेश का कार्य अधीक्षक अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई बलिया द्वारा क्रियान्वयन

163–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सा0 निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता 56वां वृत्त सा0 नि0 वि0 वाराणसी के आदेश संख्या–64 ई0 ए0/58 पी0 एफ0-56/88, दिनांक 1-2-88, 161, 350, 4-2-88 का कार्य अधीक्षक अ0 वि0 नि0 ई0 सा0 नि. वि0 बलिया द्वारा क्रियान्वयन करा दिया गया है ? उक्त पत्र के वर्णित तथ्य क्या थे और अनुपालन किये जाने की तिथि क्या थी ? क्या सरकार विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त आदेश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

पत्र में निर्देश थे कि जिस अवधि की सेवा सत्यापित नहीं हो पाई है एवं इस अवधि का प्रार्थना पत्र भी उपलब्ध नहीं है, उस अवधि को बयानहल्फी के आधार पर बिना वेतन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय एवं अन्य उपार्जित अवकाश हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका पूर्ण कर ली जाय ।

कोई तिथि निर्धारित नहीं थी । विलम्ब हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । श्री ए0 एस0 यादव, अवर अभियन्ता द्वारा उचित बयानहल्फी तथा आवश्यक प्रार्थना पत्र दिए जाने पर ही आदेशों का अनुपालन किया जा सकेगा ।

राजकीय संरक्षण गृह (महिला) अल्मोड़ा के अन्तर्गत संचालित उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों के न्यूनतम एवं अधिकतम वेतन का मामला

164–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय संरक्षण गृह (महिला) के अन्तर्गत संचालित उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र में नियुक्त कर्मचारी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं? यदि हां, तो उन्हें उसके अनुसार वेतन क्यों नहीं दिया जाता और यदि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्दर नहीं आते हैं, तो किस नियम के अन्तर्गत आते हैं?

श्रीमती दीपा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय संरक्षण गृह, अल्मोड़ा के अन्तर्गत संचालित उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारी राज्य कर्मचारी हैं जो राज्य कर्मचारियों के लिए बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आते हैं । शेष राजकीय संरक्षण गृहों के अन्तर्गत संचालित उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र अशासकीय संस्थायें हैं जो वीक्षक मण्डल के देख-रेख में संचालित हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग मथुरा के विभिन्न खण्डों में 5 साल से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

165–श्री राम सजीवन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों में कितने अवर अभियंता पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही जिले अथवा एक ही खण्ड में कार्यरत हैं? इस अवधि में उक्त अवर अभियन्ताओं के कितने बार स्थानान्तरण किये गये हैं और कितने बार स्थानान्तरण निरस्त कर दिये गये हैं? क्या ऐसे अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण दूसरे जिलों में किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

मथुरा जिला स्थित प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0 वि0, मथुरा में दो तथा अस्थाई खण्ड, सा0 नि0 वि0, मथुरा में एक (इस प्रकार कुल तीन अवर अभियन्ता) पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही जिले अथवा एक ही खण्ड में कार्यरत हैं।

इस अवधि में दो अवर अभियन्ताओं का एक बार स्थानान्तरण किया गया है तथा उक्त अवर अभियन्ताओं में से एक अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण एक बार निरस्त किया गया है तथा दूसरे अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण 30-6-89 तक के लिए स्थगित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरणों पर अगले स्थानान्तरण सत्र में विचार किया जायगा।

निराश्रित विधवाओं की सहायता हेतु जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में वर्ष 1987-88 व 1988-89 में प्राप्त प्रार्थना-पत्र

166–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, शाहपुर को निराश्रित विधवाओं की सहायता के अन्तर्गत वर्ष 87-88 व 88-89 में 1 दिसम्बर, 88 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने आवेदकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी ? शेष आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्रीमती दीपा–

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को निराश्रित विधवाओं की सहायता के अन्तर्गत वर्ष 87-88 व 88-89 में 1 दिसम्बर, 88 तक कुल 1917 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से किसी भी आवेदक को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इन अवशेष आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्भव नहीं हो पाया है।

जनपद बरेली में वर्ष 1986-87 में छात्रवृत्ति के रूप में आवंटित धन

167–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में वर्ष 1986-87 में छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को दिया जाने वाला कितना धन आवंटित किया गया था और उसका वितरण कितने छात्रों को और कब कब दिया गया? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि नियमानुसार समय पर वितरित न होने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं?

श्रीमती दीपा –

जनपद बरेली के लिए छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 1986-87 में रु0 68,67,500/- (अड़सठ लाख सड़सठ हजार पांच सौ मात्र) का आवंटन हुआ था।

कुल 12681 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी। छात्रवृत्ति वितरण का विवरण विस्तृत होने के कारण मा0 सदस्य, महोदय को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्धारित समय में वितरण न होने के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

बरेली बीसलपुर मार्ग के मील संख्या 20 पर वर्ष 1986-87 में नहर की पुलिया के टूटने एवं उसके मरम्मत की मांग

168–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में बरेली-बीसलपुर मार्ग मील 20 के निकट बड़ी नहर की पुलिया टूट गई थी उसके बनाए जाने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इस पुल के बनाये जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

वर्ष 1987-88 की जिला योजना में इस स्थान पर 15 मीटर स्पान की नई पुलिया के निर्माण की स्वीकृति 7.50 लाख रुपये की लागत पर दी गयी थी परन्तु नहर की रिमाडलिंग के कारण अब इस स्थान पर एक लघु सेतु की आवश्यकता है।

इस लघु सेतु की स्वीकृति का आदेश जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

169–श्री हर्ष वर्धन–

[3रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

170–डा0 दिनेश जौहरी–

[दि0 7-10-88 को अता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित]

एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत बन रही सड़क पचरुखिया बरबचइनिया मार्ग के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती पत्र

171–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत बन रही सड़क पचरुखिया-बरबचइनिया मार्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत प्रश्नकर्ता ने विभाग को माह फरवरी, 88 में दी थी? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

जांच प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण खण्ड उरई के अधिशासी अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता को निलंबित किये जाने की मुख्य अभियन्ता कानपुर की संस्तुति का अनुपालन

172–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 29-7-87 का इस आशय का पत्र मिला है कि निर्माण खण्ड उरई के अधिशासी अभियन्ता (श्री सोनकर एवं अवर अभियन्ता श्री आर0 बी0 तिवारी) के लाखों रुपये के घपले पकड़कर इन्हें निलम्बित करने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता कानपुर ने की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी–

दिनांक 29-7-87 का पत्र सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किन्तु मुख्य अभियन्ता कानपुर की संस्तुति पर, निर्माण खण्ड उरई में की गई अनियमितताओं के लिए श्री आकाशदीप सोनकर अधिशासी अभियन्ता एवं श्री आर0 बी0 तिवारी अवर अभियंता को जुलाई 88 में निलम्बित कर दिया गया था किन्तु उक्त दोनों अभियन्ताओं ने मा0 उच्च न्यायालय से, उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। जिसके कारण उन्हें पुनः पदस्थ कर दिया गया है।

आज की कार्यसूची में नत्थी 'ध' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है और नियमावली में व्यवस्था है कि जिस सवाल को अध्यक्ष पीठ से एलाउ कर दिया जायेगा तो उसका सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा । अब सही है कि जो उत्तर चाहते हैं वह सरकार न दे लेकिन आखिरी सवाल का सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने मानक के बारे में बताया कि मानक कुछ हैं नहीं और कुछ नहीं हैं, जिला सेक्टर का सवाल बताया और उसके बाद साफ-साफ कह दिया गया कि कोई मानक नहीं बनाये गये हैं। कोई मानक नहीं होना इस बात का परिचायक है कि कोई नियम नहीं है और सरकार जिसको ओब्लाईज करना चाहे कार्य की महत्ता को देखकर राजस्व व्यय कर सकती है। तो यह बड़ा गम्भीर मामला है और यह हर जगह का मामला है कि कौन सी सड़क राज्य सेक्टर में जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि इसको आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति में भेज दें ताकि यह मालूम हो कि सरकार ने कोई मानक क्यों नहीं बनाया है इसके लिए? यह देखा गया है कि जिसमें उत्तर स्पष्ट न हो वह आपके द्वारा प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दिया जाता है, तो अब इसके अनुरूप न करने का क्या कारण है?

श्री गौरीशंकर भइया–

एक सवाल मैंने किया था विधान सभा के प्रथम सत्र–88 के तीसरे मंगलवार को . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल के बारे में यहां कोई निर्णय नहीं है। तो आप स्पीकर कक्ष में आ जाएं और वहां पर मंत्री जी को बुलाकर बात कर ली जाएगी . . . (व्यवधान)

श्री गौरीशंकर भइया–

6 महीने बाद सवाल में फिर वही जवाब आया है।

श्री मैनेजर सिंह–

यह बड़ा गम्भीर मामला है, आप मंत्री और इन सदस्य को बुलाकर ठीक करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, मैं बुला लूंगा, यह कहा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जिस वक्त प्रश्न को लेकर सदन में काफी प्रश्न और सुझाव आए तथा सारे सदस्यों की एक भावना थी। उन्होंने मानक जानना चाहा कि सरकार की सनक के ऊपर ही राज्य सैक्टर में सड़कों का निर्माण होगा या उसके लिए कोई नार्म्स होंगे। तो इसमें एक बात आई कि मानक नहीं है, तो क्या सरकार मानक बनाएगी? सदन को एक सवाल को जिसको आपने इजाजत दे दी उसका मतलब यह है कि उनको स्पष्ट

जवाब उसी तरह मिलना चाहिए। मंत्री जी ने बता दिया कि मानक नहीं हैं, और जब कहा गया कि क्या बनाएंगे तो इसका कोई जवाब नहीं है। मान्यवर, आप प्रदेश के निर्माण को मंत्री जी या सरकार की सनक पर न छोड़िये। उसके लिए कुछ मानक होने चाहिए, जिसके आधार पर निर्माण कार्य हों। तो इसको आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दें या इसका उनसे स्पष्ट उत्तर दिलवा दें कि नार्म्स नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

लिखकर भेज दीजिए, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह सारे सदन की भावना है, अकेले विपक्ष के सदस्यों की भावना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

जो प्रश्न समाप्त हो गया, उस पर यहां पर बात नहीं होगी। आप लिखकर भेज दीजिए। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, तो उत्तर कैसे दिलवा दूं। आप लिखकर भेज दें, नियमावली में नियम है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सिर्फ मेरा इतना निवेदन है कि जिस स्पष्ट प्रश्न की आपने इजाजत दे दी, उस स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर जानने का अधिकार माननीय सदस्यों को है। इसलिए आप मंत्री जी को निर्दिष्ट कर दें और आप कह सकते हैं कि मानक नहीं हैं, तो क्या वह बनाए जाएंगे? फिर भी नहीं आता है तो इसको आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी जो शंका है, तो लिखकर भेज दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

लिखकर क्या दे दें, जो व्यवस्था के माध्यम से उठाया है, उसको लिखकर क्या दे दें, यह सदन में और आपके संज्ञान में हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह नहीं, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, वह प्रकरण समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। इस पर अब कोई व्यवस्था नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार.....

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, जो सरकार की कार्य प्रणाली है उससे प्रदेश का क्षेत्रीय विकास नहीं हो रहा है– . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

लिखकर क्या भेज दें? जब सदन के सामने बात आ गई, तो उस पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आप कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं मैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सदन से बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा ने सदन का त्याग किया)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उस वक्त निर्णय दे देता तो ठीक था, लेकिन अब मैं आगे बढ़ गया, अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–301 के अन्तर्गत मुझे 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

(श्री शारदा प्रताप, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री अकबर हुसैन बाबर सदन के फ्लोर पर आ गये एवं श्री मैनेजर सिंह जी के अनुरोध पर वह वापस अपने स्थान पर चले गये।)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है इस मामले पर, चूंकि सदन में उत्तेजना है अतः आप माननीय मंत्री जी को अपने कक्ष में बुला लें, इस मसले पर मीटिंग हो जाए तो सही रहेगा।

(व्यवधान)

*संसदीय कार्य एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं सम्मानित सदस्यों की जो चिन्ता है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं कि वह विकास के लिए चिन्ताशील हैं वह चाहते हैं कि हर तरफ प्रदेश में जो विकास हो वह संतुलित हो। मेरे दिल में इस समय कोई भावना किसी तरह की नहीं है मैंने जो उत्तर दिया वह रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो कहा था उसके विषय में था, वह एक विशेष बात के संदर्भ में था, लेकिन जहां तक नार्म्स की बात कही गई, उसमें मैंने कह दिया कि नार्म्स नहीं हैं बात स्पष्ट हो गई। हम भी यह चाहते हैं कि विकास हो और आप भी यह चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन जो रूल्स हैं उनसे विकास में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए कुछ सड़कें हमें जिला योजना के अन्दर लेनी पड़ती हैं लेकिन अगर यह आप कहें कि ऐसे नार्म्स बना दें कि जिला योजना के अन्दर आयें ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इससे विकास की गति धीमी पड़ जाएगी। उत्तर में कहा गया कि वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। इस सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्य कुछ सुझाव आपके कक्ष में मेरे साथ बैठकर देना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से और मेरी तरफ से भी सबका स्वागत है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठिये। माननीय मैनेजर सिंह ने जो सुझाव दिया था उसको मान लिया गया है। बैठक बुला लेंगे मंत्री जी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अगर आश्वासन दे दें कि हम नार्म्स बनाने के लिए तैयार हैं तो हम उसके लिए सुझाव देने के लिए तैयार हैं। अगर उनको अपने विवेक का अधिकार होगा तो उससे दुरुपयोग होगा। केन्द्र का एम0 पी0 लिख देगा तो उस सड़क को राज्य सेक्टर में ले लिया जायगा और दूसरे कार्य प्रभावित होंगे इसलिए मंत्री जी यह आश्वासन दें कि शीघ्र ही सरकार द्वारा मानक तैयार किये जायेंगे जिसके आधार पर राज्य सेक्टर में सड़कें ली जायेंगी। इसके लिए हम राय देने के लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मैनेजर सिंह ने जो सुझाव दिया था वह स्वीकार कर लिया गया है। उसकी मीटिंग हो जायगी और बात हो जायगी।

(व्यवधान)

अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) लखनऊ द्वारा सस्ते गल्ले के दुकानदारों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री खरपत राम, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री शारदानन्द अंचल, श्री जगवीर सिंह, श्री अर्जुन सिंह यादव की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं।

(श्री अकबर हुसैन बाबर का नाम पुकारे जाने पर।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य–

(सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।)

(सदन की सहमति से नियम 301 की निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मान्यवर, लखनऊ नगर के सस्ते गल्ले की दुकानों से अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) लखनऊ द्वारा घूस लेने के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैंने शासन को एक पत्र लिखा था इस भ्रष्टाचार के कारण सस्ते गल्ले की दुकानों से जनता में असंतोष होना स्वाभाविक था। इस जन असंतोष को देखते हुए जन असन्तोष से बचने के लिए दुकानदारों ने विभिन्न तरीकों से विरोध भी प्रकट किया तथा एक फरवरी, 1989 को एक दिन की सामूहिक हड़ताल भी की, अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) ने बदला लेने की भावना से अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग कर लगभग 30 दुकानों का लाइसेन्स निलम्बित कर दिया। इस सम्बन्ध में माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री द्वारा दुकानों की परिषद् को दिये गये आश्वासनों की अवहेलना की गयी है जिसके कारण इन 30 दुकानों से जनता का सम्बन्ध कट गया है और उनकी समस्या बहुत बढ़ गयी है। मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से पूरे प्रकरण को सदन की संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं अविलम्ब निलम्बित दुकानों को उनके निलम्बन आदेश निरस्त किये जायें और अपर जिलाधिकारी आपूर्ति को तुरन्त निलम्बित कर उनके ऊपर लगाये गये आरोपों की उच्चस्तरीय जांच नियुक्त की जाये।]

जिला गाजीपुर मंटहूं सलामतपुर मार्ग पर लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खरपत राम–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर के भटहूं, गाई, धरिहां, सलामतपुर मार्ग (लम्बाई) साढ़े ग्यारह किलोमीटर की ओर ले जाना चाहता हूं। यह सड़क जनपद गाजीपुर प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 द्वारा बनाया गया खड़ंजे स्तर तक लेकिन इसमें धरिहां से सलामतपुर जो कार्य किया गया मिट्टी का काम एवं खड़ंजा दोनों खराब किया गया है। जिससे जनता में बहुत असंतोष है यह सड़क उस क्षेत्र के कई लाख जनता के लिए लाभदायक है। वहां के किसानों, व्यापारियों व अन्य लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इस सड़क को लेपन स्तर तक बनाना अति आवश्यक है। इसके न बनने से वहां स्थानीय लोग धरना एवं प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इसके न बनने से वहां की जनता में बहुत असंतोष और क्षोभ है।

अतः आप कृपया सरकार को निर्देशित कर उक्त सड़क का जो काम मिट्टी और गिट्टी का हुआ है उसे दुरुस्त कराकर लेपन स्तर तक मार्ग बनवाने का कष्ट करें। जिससे वहां के लाखों लोगों किसानों व व्यापारियों को इस सड़क से सुविधा प्राप्त हो सके।]

टिप्पणी:–[ ] यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ मान लिया गया।

जिला लखनऊ के ग्राम खुशहालगंज के ग्राम प्रधान से आपसी रंजिश के कारण मंदिर आदि को तोड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत ग्राम खुशहाल गंज जिला लखनऊ के निवासी श्री ओम प्रकाश साहू की ग्राम प्रधान की आपसी रंजिश के कारण उनके घर के सामने बने मंदिर को तोड़ने, नीम के हरे पेड़ को काटने की घटना दिनांक 21 दिसम्बर, 1988 को ग्राम प्रधान तथा अन्य लोगों द्वारा की गयी। इस संबंध में श्री साहू ने जब थाना काकोरी में रिपोर्ट लिखाने गये तो थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया।

अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त घटना की जांच कराने का अनुरोध करता हूं।]

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र के बिजली विभाग के कर्मचारियों की धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, बलिया जनपद सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र सीयर व उसके मुख्य नगर बिल्थरा रोड में बिजली विभाग के कर्मियों की लापरवाही, कामचोरी और धांधली से आम उपभोक्ता परेशान हैं। क्षेत्र के सीयर व नगरा विकास खण्डों में जितने-जितने गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है, उनमें प्राक्कलन के मुताबिक कार्य न करके सरकार द्वारा प्रदत्त सामग्रियों को संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों ने लूट लिया है। बार-बार शिकायत करने पर भी शासन को गलत सूचनाएं देकर विद्युत घोटालाकर्ता जांच कार्य लम्बित करवा कर राष्ट्रीय क्षति करते रहते हैं। गांव बारखम्भा तार और अन्य सामग्री पूर्ण रूप से किसी भी गांव में नहीं लगी है। बिल्थरा रोड नगर के बिजली के तार सड़कर खतरा पैदा कर रहे हैं। कई व्यक्तियों व अनेक पशुओं की मौत सड़े तारों के टूट कर गिरने से हो चुकी है। मंत्री के आदेशों के बावजूद तार इसलिये नहीं बदले जा सके हैं कि पुराने तांबे के तारों को अभियंता व कर्मचारी उतारकर चोर बाजारी में बेच चुके हैं तथा उनके स्थान पर अल्मूनियम तार लगा चुके हैं अस्तु तांबे के तार की पूछ-तांछ का भय उनमें बना हुआ है। विद्युत बिलों की गड़बड़ियां निरन्तर चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह–

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के खैर विधान सभा क्षेत्र में जल निगम की जल आपूर्ति की व्यवस्था अपूर्ण एवं दोषपूर्ण होने के कारण जनता पेयजल संकट से ग्रस्त है। नालब ग्राम की पानी की टंकी से आस पास के ग्राम जैदपुरा में गेवगढ़ी, रामगढ़ी, ऊंटा,

टिप्पणी:–[ ] यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ मान लिया गया।

सानी, ऊंटबारा जल्दगढ़ी, बड़ीमालव, घाघोली, दबेहुबाका, बाजिदपुर, गौरोला, कोजुबाका आदि गांवों की जल आपूर्ति होती है परन्तु पाइप लाइनों की खराबी प्रेसर कम होने के कारण पानी समुचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार जरतौली ग्राम स्थित पानी की टंकी से माक गांव शाहनगर, सोरोला, खेइया खुठ, सलमापुर, बैरमगंज, हरसुख की नगलिया की जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है तथा बजौता ग्राम स्थित पानी की टंकी से ग्राम रसूलपुर, मामपुर, डाडानगला, निगुना सिगुना, खेड़ा किशन, नायल आदि से जल आपूर्ति नहीं हो रही है। सुजानपुर की टंकी से चमन नगरिया, गोमत, सुजानपुर, दमकोला, बांकनेर, विकखौरा आदि गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उक्त सभी गांवों में गम्भीर पेयजल संकट है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड करंजा कलां के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्यालय की चाबी लेकर फरार हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अर्जुन सिंह यादव–

[मान्यवर, मैं सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

जनपद–जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड करंजा कलां के खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण जिलाधिकारी जौनपुर ने प्रशासनिक आधार पर कर दिया है। पता चलते ही खण्ड विकास अधिकारी समस्त कार्यालयों की चाभी लेकर फरार हो गया है, क्षेत्रीय ग्राम प्रधान एवं कार्यकर्ता ब्लाक में कार्य हेतु जाते हैं तो वहां पर कार्यरत कर्मचारीगण यह जवाब देते हैं कि हम लोग हड़ताल पर हैं जब तक उक्त खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण रुक नहीं जाता है। इससे उक्त ब्लाक के प्रधानों तथा जनता के कार्य में बाधा हो रही है और उनमें असंतोष फैल गया है। इसलिए उक्त ब्लाक के प्रधानों ने निर्णय लिया है कि इसके विरोध में दिनांक 20 फरवरी, 1989 से ब्लाक मुख्यालय के सामने मुख्य मार्ग जौनपुर, शाहगंज पर चक्का जाम करेंगे जिससे ब्लाक कर्मियों से प्रधानों एवं जनता में अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब उक्त खण्ड विकास अधिकारी को निलम्बित कर ब्लाक में कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें ताकि जनता का कार्य सुचारु रूप से हो सके।]

टिप्पणी:–[ ] यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ मान लिया गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री शारदानंद अंचल की है। यह जिलाधिकारी बलिया से संबंधित है। एक दफे इस पर चर्चा भी हुई है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर जानकारी देंगे कि जिलाधिकारी बलिया से संबंधित जो सूचना थी उसके बारे में क्या हुआ?

*संसदीय कार्य एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसकी जांच अभी नहीं हुई है। जो यहां पर आश्वासन दिया गया था, इसमें क्या कार्यवाही हुई है उसके बारे में आज सदन उठने से पहले मैं बता दूंगा। यदि कार्यवाही नहीं हुई है तो आज ही इसके आदेश पारित किये जायेंगे।

(श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हो गया है, भाषण की जरूरत नहीं है।

दूसरी सूचना माननीय श्री हृदय नरायन दीक्षित की है। प्रश्नों को निरस्त करने संबंधी निर्णय गुण-अवगुण पर विचार करने के उपरान्त माननीय अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है और माननीय अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति नहीं की जा सकती। यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में कुछ कहना है तो माननीय अध्यक्ष के कक्ष में जाकर अपनी शिकायत का समाधान कर सकते हैं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, यह सदन की कार्यवाही से संबंधित बात है। अध्यक्ष के कक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

सबका निर्णय हाउस में नहीं होता । अध्यक्ष जी के निर्णय के बाद आप कोई बात नहीं उठा सकते। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, आप स्वयं देख लें। मेरा सवाल है कि कितनी महिला डाक्टर हैं पूरे प्रदेश में ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियमावली का नियम 314 पढ़ लें, उसके बाद बोलें। मा0 हरीश जी की सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती। चौथी सूचना राम आसरे वर्मा जी की है जो नियम 300 में नहीं आती, फिर भी संसदीय कार्य मंत्री इसको दिखवा लें और उचित कार्यवाही करने पर विचार करें। यह 300 के अन्तर्गत नहीं आती।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आती।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह पुस्तक है "भारत संघ का वैकल्पिक संविधान"। इसके लिखने वाले हैं लखनऊ हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता श्री प्रह्लाद। वे नियम जिनके तहत सदन की कार्यवाही, नियम आदि सब कुछ होता है, उसके प्राविधानों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की साजिश की गयी है। सबसे गम्भीर बात यह है कि इस पुस्तक के ऊपर जो भारत का नक्शा बना हुआ है, उसमें भारत की भौगोलिक स्थिति को चुनौती दी गयी है। यह एक गम्भीर प्रश्न है। एक तरफ संविधान में दिये गये प्राविधानों को चुनौती दी गयी है। इसके नक्शे में उत्तर प्रदेश का नामो-निशान मिटा दिया गया है। जिस प्रदेश की विधान सभा में हम बैठे हुए हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता। इसके लिये मैंने कह दिया है सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, चूंकि यह संविधान के सिलसिले में पुस्तक है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

इस संविधान से हाउस गवर्न नहीं होता।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, संविधान के बारे में तोड़-मरोड़ करके उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक एक नयी किताब लिख कर भ्रम पैदा करने की कोशिश करे और नक्शे से प्रदेश के अस्तित्व को मिटा दे तो उससे गम्भीर बात और नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष–

इसीलिये मैंने कहा कि सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार नहीं करेंगे और पूरा विवरण सामने नहीं आएगा तो सरकार क्या विचार करेगी? केवल फाइल में लिख जायगा। भारत संघ का वैकल्पिक संविधान नामक यह पुस्तक है, इसमें भारत का नक्शा बना हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश को मिटा कर रख दिया गया है। इसको लिखने वाले लखनऊ हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता श्री प्रह्लाद हैं और अशोक नगर, फैजाबाद से यह प्रकाशित हुई है। यह एक गम्भीर प्रश्न है। संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। देश की भौगोलिक स्थिति को चुनौती दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह किताब शासन को भेज दी गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने किताब को तो नहीं पढ़ी है, लेकिन राम आसरे वर्मा जी ने जो नक्शे की बात कही, इसमें नक्शा बना हुआ है, उसमें अलग-अलग नाम लिखे गये हैं। मैं समझता हूं कि इसका हमारे न्याय विभाग द्वारा परीक्षण करा लिया जाय और देख लिया जाय कि क्या कार्यवाही हो सकती है? वैसे भारत का जो नक्शा है, उसमें जो राज्य दिये गये हैं, उसमें तब्दीली करने, रिवीजन करने या घटाने बढ़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। यह एक पवित्र चीज है। नक्शे में जो भारत की स्टेट्स हैं, उनको सबको दर्शाया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की अवहेलना, मुझे जो देखने से लगी है, इसका परीक्षण करके जो भी कार्यवाही होगी, करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में एक निवेदन किया, आपने अस्वीकार कर दिया। मा0 राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में 200 गांव ओला पीड़ित थे, यह भी स्वीकार किया आपने कि 44 गांवों को सहायता दी गई है वहां के डी0 एम0 ने उन 200 गांवों की सूची यहां भेजी है। इसमें 156 गांव बाकी रह गये हैं, उनको सहायता भेजने की बात है। इसमें मंत्री जी का यह कहना कि जिलाधिकारी मांग करें तो उनकी ओर से मांग भेजने का क्या औचित्य है? शासन इन 156 गांवों की सहायता यहां से भेज दें, इसी पर निर्देश देने के लिये आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द–

मान्यवर, किसी सूचना को सुन रहे हैं, किसी को नहीं सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, जो नियमावली बनी है, उसी के अनुसार चल रहा है, उसका पालन करना हमारे लिये जरूरी है।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

दीक्षित जी बैठिये, कक्ष में आ जाइये बात हो जायेगी।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

(श्री कौशिक रमाशंकर के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने शाही जी को बुलाया है, आप लोग बैठें।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा प्रश्न विधान सभा की कार्यवाही और प्रक्रिया नियमावली से सम्बन्धित है और मैं समझता हूं कि मेरा औचित्य का प्रश्न बन रहा है। मान्यवर, पहले मैं श्री ललित मोहन त्रिपाठी, संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या 191/124 (नि0स)/88, दिनांक 21 जनवरी, 1988 की ओर जो आपके सचिवालय से जारी है, ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसमें है—प्रक्रिया सम्बन्धी करण (सप्तम् संस्करण) के अध्याय 4 में करण संख्या 15 लगायत 19 को निम्नलिखित रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है। मान्यवर, इस पत्र की प्रतिलिपि आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें करण 16 में लिखा है–"करण संख्या 15 में वर्णित 10 सूचनाओं में से सर्वाधिक महत्व की एक सूचना को अध्यक्ष चुनेंगे। शेष सूचनाओं में से अधिकतम 4 सूचनाओं को शलाका के आधार पर चयनित किया जायेगा।" मान्यवर, यह जो हमने औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है, यह जो प्रक्रिया नियमावली पहले से बनी हुई है, इसके नियमों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, इसके बाद यह जो आपका पत्र गया है, उसका औचित्य नहीं है। प्रक्रिया नियमावली के नियम 251 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, नियम 248 और 251 दोनों देखें, इसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था है। (248)–नियम समिति के कृत्य यह होंगे कि वह सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषय पर विचार करे और उसके नियमों में ऐसे संशोधनों तथा वृद्धियों की सिफारिश करे जो आवश्यक समझे जायं। नियम 251 में नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। (251–क)–"समिति की सिफारिश सदन के पटल पर रखी जायेगी और इस प्रकार पटल पर रखे जाने के दिन से आरम्भ होकर 14 दिन की कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन, जिसमें समिति की सभी या किसी सिफारिश को समिति के पुनर्विचारार्थ निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, की सूचना संशोधन करने के उद्देश्य और कारणों सहित दे सकेंगे।

मान्यवर, जो व्यवस्था है, उसमें यदि नियम समिति समझती है कि नियमों में संशोधन होना चाहिए तो उसका प्रतिवेदन आपके समक्ष माननीय अध्यक्ष इसके सभापति हैं, उनके माध्यम से वह सदन के पटल पर रखा जायेगा और 14 दिन पटल पर रहेगा। इसमें माननीय सदस्यों को अधिकार है कि समिति की सिफारिशों पर कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहे, कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि यह जो पत्र हम लोगों को लिखा गया है उसमें लिखा है कि नियम समिति की संस्तुति के आधार पर प्रक्रिया सम्बन्धी करण (सप्तम संस्करण) के अध्याय 4 में संशोधन किया जा रहा है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसको सदन के पटल पर न रखने के कारण, सदस्यों को, जो इसमें संशोधन देना चाहते थे, संशोधन देने से वंचित रह गये हैं। दूसरे, औचित्य का प्रश्न जो इसी के साथ लगा हुआ है, लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्नों का निर्धारण शलाका के द्वारा नहीं हो सकता है, पहले जो व्यवस्था थी, इसके सम्बन्ध में नियम 313 है, इसके अन्तर्गत आपके पास भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार था, नियमावली के नियम 56–57 में भी व्यवस्था है, आपके विवेक के लिये व्यापक फैलाव था, व्यापक क्षेत्र था उसमें यह व्यवस्था दी हुई थी कि जब आप चाहते तो कार्य स्थगन प्रस्तावों को सुन सकते थे या रिजेक्ट कर सकते थे । अब आपने यह काम शलाका में दे दिया । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया हुआ है कि भारत के हर नागरिक को वाक् स्वतंत्रता है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह पत्र दिया गया है, वह स्वयं में निरस्त होने योग्य है ।

तीसरी बात यह कि इस तरह की परम्परा डालना कि शलाका से तय करना, यह संसदीय परिपाटी और परम्परा के विपरीत है। हमारी संसदीय परिपाटी में कहीं भी इस तरह की शलाका का औचित्य नहीं है। जैसे मैंने काम रोको में आज एक विषय आपके समक्ष दिया, अंशकालिक अध्यापकों का । यह पूरे प्रदेश का मामला है और अध्यापक लोग हड़ताल पर बैठे हैं । इण्टरमीडिएट की परीक्षायें आने वाली हैं और यह सूचना यहां स्वीकार नहीं हो पायी । अगर विद्यार्थियों को पठन पाठन का मौका नहीं मिला और आप कार्यस्थगन में सुनेंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा ? आपने तो शलाका की व्यवस्था रख दी और शलाका में यह आया नहीं और आप इसे सुनेंगे नहीं । जबकि नियमों में यह व्यवस्था रही है कि उपयोगी विषयों को कार्यस्थगन में सुना जाता है इसलिये मैं समझता हूं कि इस पत्र की कोई उपयोगिता नहीं है और मान्यवर, इसको आप निरस्त करने की व्यवस्था दें, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय शाही जी ने जो कुछ कहा है, उसके सम्बन्ध में मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूं क्योंकि इस डिसीजन में मैं भी शामिल रहा हूं, जो यह शलाका वाली बात तय हुई थी । अब जो यहां बातें आपके संज्ञान में लायी गयीं, उसके सम्बन्ध में यह जरूरी हो जाता है कि मैं उसके पक्ष में खड़े होकर अपनी बात कहूं । श्रीमन्, जहां तक माननीय शाही जी ने कहा कि यह संसदीय परम्परा नहीं रही है । लेकिन श्रीमन् आप स्वयं भी जानते हैं कि लोक सभा में भी शलाका के द्वारा ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में निर्णय लिया जाता है। श्रीमन्, जो हमारी नियमावली बनी हुई है, अगर उसका कड़ाई से पालन किया जाय तो एक दिन में एक से ज्यादा कार्य-स्थगन आप नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गयी, अब आप उसमें कम से कम 10 कार्य-स्थगन निश्चित रूप से लेंगे और उसके बाद श्रीमन्, जैसा माननीय शाही जी ने कहा कि जो महत्वपूर्ण है, वह रह जाता है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसीलिये इसमें दिया गया है कि 10 चीजें शलाका से छांटी जायें लेकिन जहां तक महत्वपूर्ण प्रश्न की बात है कि वह रह न जाय, इसीलिये यह व्यवस्था की गयी कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस में माननीय अध्यक्ष स्वयं टिक कर देंगे। बाकी 9 सूचनाएं की जो बचेंगी, उसमें से 4 शलाका द्वारा ली जायेंगी और उन 5 का ग्राह्यता पर सुना जायगा। बाकी जो 5 बचेंगी, उसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकेगा, इसमें कहीं आपके हाथ बंधे भी नहीं हैं। अगर आप समझते हैं, तो आप शासन को निर्देश दे सकते हैं। तो पता नहीं कैसे हमारे माननीय शाही जी यह कह रहे हैं कि संसदीय परम्पराओं का हनन हो रहा है, नियमावली का हनन हो रहा है, संविधान के साथ गलत हो रहा है।

मान्यवर, यह सब इसलिये हुआ क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरह पूर्व में मंत्रीगण आचरण और व्यवहार करते थे, हमारे संकल्पों के प्रति, प्रस्तावों के प्रति, हमारे प्रश्नों के प्रति उत्तर देने में, जिसकी वजह से श्रीमन्, 5 बजे शाम तक जीरो आवर ही चला करता था। इस सबको सुव्यवस्थित बनाने के लिये ही यह व्यवस्था की गयी थी और उस सहमति से एक निश्चय हुआ और तब माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी लोगों की उपस्थिति में, उसमें शाही जी के दल के लोग भी मौजूद थे, बृहमदत्त जी भी थे, जो एक सर्वसम्मत निर्णय था। बाद में वह सदन में लाया गया। तो मैं आपके माध्यम से श्री शाही जी से अनुरोध करूंगा कि जो चीज सदन को व्यवस्थित चलाने के नेक इरादे से सारे लोगों ने मान ली है जिसके बारे में हम सबने और इस सदन ने अपनी सहमति दे दी है, उसे फिर से न उठायें। हम सारे लोग भाग चुके हैं कि 5 बजे तक कुछ अव्यवस्था पैदा करने वाले लोग कार्य स्थगन का दुरुपयोग करके सदन को नहीं चलने देते थे। यह बात तो सत्तापक्ष को सूट करती है कि चर्चा न हो और उनकी बुराइयों का पर्दाफाश न हो। श्रीमन्, आपको याद है कि मैंने उस समय भी कहा था कि असरकारी दिवस पर कार्य स्थगन न लिया जाय। उस बैठक में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सिद्धान्तः अपनी सहमति दे दी थी किन्तु यह भी कहा था कि इसको नियमों में चर्चा न की जाय। हम अपने आचरण से इसको ठीक करेंगे। आज हम वह आचरण देख ही रहे हैं। असरकारी दिवस के दिन हमने जो थोड़ा सा सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था तो उसमें कोई विवाद न पैदा किया जाय। मैं श्री शाही जी से अनुरोध करूंगा कि यह कोई दुर्भावना से नहीं किया गया है और न ही माननीय सदस्यों के अधिकार में कोई कटौती की गई है बल्कि इसमें स्वयं सत्तापक्ष को परेशानी होती है।

हमने जब 5 दिन हेतु बजट पर जनरल चर्चा पर भी इसे लागू करने हेतु कहा तो सबसे पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसकी परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि इससे अव्यवस्था हो जायेगी। श्री शाही जी को इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अधिकारों में कोई कटौती नहीं हुई है। नियमों में तो केवल एक ही व्यवस्था थी, अब तो 10 लिये जायेंगे। निर्देश हेतु अध्यक्ष जी के हाथ तो बंधे हैं नहीं। जिन 5 पर वह ध्यान आकृष्ट करायेंगे, अगर उसमें से भी किसी को वह महत्वपूर्ण समझेंगे तो उस पर वक्तव्य देने के लिये वह कह सकते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय श्री तिवारी जी हमारे मार्गदर्शक हैं । नागरिक अधिकारों का उन्हें भलीभांति ज्ञान है। उनके मार्गदर्शन को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं । जो स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिए था, मुझे दुख है कि इस सन्दर्भ में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया । मान्यवर, मैंने स्पष्टीकरण में इतना चाहा है कि जो नियम है और अधिनियम में जो व्यवस्था है, रूल उसे ओवर रूल नहीं कर सकता है । श्री तिवारी जी भी उसे भली भांति जानते हैं । प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत स्पष्ट व्यवस्था है, उस नियम के द्वारा उस व्यवस्था को पराजित नहीं किया जा सकता है। यह एक सिद्धान्त है और विधिक सिद्धान्त है । दूसरा, आपने जो यह परिपत्र जारी किया है 313 में । मैं आपका व तिवारी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें व्यवस्था है, ऐसे समस्त प्रश्नों में, जिनका उन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है और उन नियमों का सुविस्तार क्रियान्वयन. . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम तो आप पहले ही कोट कर चुके हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

नियम समिति के द्वारा यदि कोई परिवर्तन आया था तो उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था और माननीय सदस्यों को इस बात का अवसर मिलना चाहिए था कि उसमें वह अपना संशोधन रख सकें और अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकें । नियम–313 में स्पष्ट है । यदि नियम वहां पर है तो माननीय अध्यक्ष कोई व्यवस्था नहीं देंगे । नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि काम रोको को शलाका के आधार पर निकाला जाय । नियमों को मानने व मनवाने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को प्राप्त है । विधान सभा द्वारा जो नियम बनाये गये हैं, खुद विधान सभा उनकी धज्जियां न उड़ाये । नियमों के अन्तर्गत सदन को चलना चाहिए और जो व्यवस्था बनी है, वही पर्याप्त है। इस पीठ से नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए । इसलिए मान्यवर, आप इस औचित्य के विषय पर अपना निर्णय दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नगत मामले पर पहले नियम समिति में विचार किया गया ।

(श्री धनराज यादव के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री धनराज यादव–

आप सरकार को निदेश नहीं दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम को तो आप स्वयं नहीं मानते हैं। मैंने कहा कि नियम 300 में नहीं आता है।

श्री धनराज यादव–

फिर किस नियम में आता है ? आप हमको बर्खास्त कर दीजिये ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय यादव जी की पीड़ा को समझें । वह इस विषय को कई बार उठा चुके हैं । उनको जो उत्तर मिला, शासन ने स्वीकार किया कि 200 गांवों में ओला पड़ा, 40 के लिये पैसा भेज दिया गया, शेष कहा कि डी0 एम0 से मांगें । यह डी0 एम0 की ही तो रिपोर्ट थी । मेरी प्रार्थना है कि इस मामले को भी शासन को सन्दर्भित कर दें, वह देख लें कि जो डी0 एम0 ने 200 गांवों के बारे में रिपोर्ट दी थी तो सहायता क्यों नहीं गयी ?

श्री उपाध्यक्ष–

शासन देख ले यह हरीश जी और यादव जी का है, इसमें क्या मामला है ?

श्री अम्मार रिजवी–

ठीक है, मान्यवर ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

पहले आपने मुझे अनुमति दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, पहले मैं निर्णय दे दूं ।

प्रश्नगत मामले पर पहले नियम समिति में विचार किया गया । उक्त समिति में सभी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था । सबके परामर्श और सहमति से इसका प्रारूप तैयार किया गया फिर इस प्रारूप को नियम समिति के सदस्य तथा दलों के नेताओं को भेजकर पुनः उनके सुझाव मांगे गये । श्री शाही जिस दल के सदस्य हैं उसके नेता श्री गुप्त जी ने भी कुछ सुझाव भेजे और उनको स्वीकार कर लिया गया ।

करण में संशोधन हेतु नियम समिति की सहमति जरूरी नहीं है फिर भी इस मामले में दलीय नेताओं और समिति के सदस्यों से औपचारिक परामर्श प्राप्त किया गया । उसके उपरान्त अध्यक्ष ने उसे जारी कर दिया अतः इस पर आपत्ति की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैंने नियम 300 में सूचना दी थी । आपका आभारी हूं कि बड़ी जद्दोजहद के बाद आपने मुझे सुना ।

कल की कार्यसूची में मेरा एक सवाल था कि उत्तर प्रदेश में कितने महिला चिकित्सालय हैं और कितनी महिला चिकित्सक हैं ? कमी कितनी है ? इस सवाल को विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया गया । जो विधान सभा प्रक्रिया नियमावली है, उसके अध्याय–7, नियम 28 में "प्रश्नों का रूप तथा विषय" के अंतर्गत उपधारा (19) में कहा गया है कि, "उसमें ऐसी नीति के, जो इतनी विस्तीर्ण हो कि वह प्रश्न के उत्तर की परिधि के भीतर न आ सके, प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे," मैं नहीं जान पा रहा हूं कि इसका उत्तर देने में क्या कठिनाई थी कि कुल कितनी महिला डाक्टर हैं, अधिक तो हैं नहीं । कुल कितने की कमी है, यह भी बताया जा सकता था । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, यह उचित नहीं है । यह इस तरह का पहला सवाल था, उसका भी उत्तर नहीं आया । जब औचित्य का प्रश्न उठाने के लिए कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं कि अध्यक्ष जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके निरस्त कर दिया । आपको जो शक्तियां मिली हैं, विधान सभी प्रक्रिया नियमावली से मिली हैं, प्रक्रिया नियमावली को आपने शक्तियां नहीं दी हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो सवाल कल की कार्यसूची में था उसे फिर से कार्यसूची में लगवाने की व्यवस्था करें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जहां तक महिला चिकित्सकों का प्रश्न है, वे माननीय दीक्षित जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं बल्कि वे अब भी मा0 लोक पति त्रिपाठी जी के अधिकार क्षेत्र में हैं । महिला डाक्टर अब भी दीक्षित जी के यहां नहीं बल्कि लोक पति त्रिपाठी जी के आगे-पीछे घूमती रहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कक्ष में आ जाइयेगा, वहां इस संबंध में व्यवस्था दे देंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह तो माना जा सकता है कि यदि कोई प्रश्न तारांकित है तो उसे अतारांकित कर दिया जाय, लेकिन जो सूचना मांगी गयी है उसे तो दिया ही जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे देख लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न बहुत स्पष्ट है, इसको विस्तीर्ण कह कर अस्वीकृत कर दिया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है । यहां शासन से सूचना यदि मंगा लेने निदेशालय से तो सूचना आ जाती । इसका उत्तर आप यहां सदन में दिलवा दें, चैम्बर में नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक प्रश्न मा0 दीक्षित जी ने दिया और उसे आपने स्वीकार किया । अब शासन कहता है कि इसकी सूचना विस्तीर्ण है इसे अस्वीकार किया जाय । तो क्या शासन के निर्देश पर आप प्रश्न को अस्वीकार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

स्वीकार भी हमीं ने किया और अस्वीकार भी हमने ही किया है, हम शासन को क्या कहें ? मैंने कहा है कि आप हमारे चैम्बर में आ जाइयेगा, हम इसको देख लेंगे ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

झांसी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरसराय को उच्चीकृत किए जाने विषयक श्री राम भरोसे तिवारी आदि की याचिका†

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से झांसी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसराय को उच्चीकृत किये जाने विषयक, सर्वश्री राम भरोसे तिवारी, सुरेन्द्र सिंह सेंगर, मुन्ना लाल गोड़ा, निवासीगण ग्राम व पोस्ट गुरसराय, जिला झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अंतर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से करण संख्या 15 के अनुसार निम्नांकित 10 सूचनायें चयनित की गयी हैं :–

1–श्री कौशिक रमा शंकर
श्री राम चन्द्र बख्श सिंह
श्री राज किशोर सिंह
श्री अकबर हुसैन बाबर ।
— दिनांक 1 जनवरी, 1989 को जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद कस्बे में रंग कर्मी सफदरहाशमी की हत्या किये जाने के संबंध में ।

2–श्री बलराम यादव
श्री अचल सिंह
श्री धनराज यादव
श्री विष्णु देव ।
— प्रदेश के असहायता प्राप्त जू0 हाईस्कूल विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के संबंध में शिक्षकों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त
श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)
— स्थानीय निकाय चुनाव में वाराणसी जनपद में भा0 ज0 पा0 के मंत्री श्री बाला जी पाठक की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

चौथी सूचना श्री मैनेजर सिंह की जो दिनांक 13 जनवरी, जनपद बलिया के रानीगंज बाजार में मकान मालिक द्वारा अबोध बालिका के साथ बलात्कार किये जाने की घटना पर पुलिस द्वारा परदा डालने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, पांचवीं सूचना सर्वश्री जयदीप सिंह बरार, नरेन्द्र पाल सिंह, सैयद अली अशरफी की जो दिनांक 23 जनवरी, 1989 को बरेली स्थित दैनिक विश्व मानव के पत्रकार का अपहरण एवं कार्यालय पर हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति की सम्बन्ध में, छठीं सूचना डाक्टर दिनेश जौहरी की जो पंतनगर कृषि विश्व विद्यालय परिसर में आत्महत्याओं, हिंसा व राजनैतिक घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं सूचना सर्व श्री नरेन्द्र सिंह सखावत हुसैन प्रभु दयाल की जो दिनांक 9 फरवरी, 1989 को जिला मेरठ के कस्बा किठौर में पुलिस थाने के निकट आठ घरों में धावा बोलकर सात व्यक्तियों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, आठवी सूचना सर्वश्री अनुग्रह नारायण सिंह गोपाल दास यादव की जो उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल इलाहाबाद में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, नवीं सूचना सर्वश्री राम आसरे वर्मा राम-पाल वर्मा, काशी सिंह एरी, हरिशकर तिवारी, अच्युतानन्द तिवारी, कामेश्वर उपाध्याय की जो राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश भर में कार्य ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दशवीं सूचना सर्वश्री रघुबर दयाल वर्मा की जो दिनांक 14/15-9-89 को जनपद आगरा के थाना मजपुरा के ग्राम डाबली में श्री तारा चन्द्र कोली के घर पर बदमाशों द्वारा डाका डालने पर चार लोगों की हत्या एवं दो व्यक्तियों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

उपर्युक्त 10 सूचनाओं में से अंतिम 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर मेरी सूचना कहां गयी ?

श्री उपाध्यक्ष–

वह नियमानुसार नहीं आयी, इसलिए नहीं ली गयी, सूचना आपकी यहां आ गयी है, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने जो अभी कार्य-स्थगन के सिलसिले में जो निर्णय दिया है कि 10 सूचनाएं स्वीकार की गयीं और जिसमें से 5 पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया और 5 सूचनाएं यहां सुनी जायेंगी । परन्तु मान्यवर हमारी सूचना आपने ली नहीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर दफ्तर व कचहरियां सब बंद हैं, उन पर बड़े-बड़े ताले लगे हुए हैं और समस्त कर्मचारी सड़क पर आ गये हैं जिससे जनता भी काफ़ी परेशान है और सरकार ने कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने का फैसला ले लिया है, इसीलिए जो वेतन समिति बनी थी, उसमें वेतन के संबंध में निर्णय सही नहीं लिये गये थे, जिस पर मान्यवर समता समिति बनायी गयी थी, जिसकी रिपोर्ट यह सरकार चुनाव तक दबे रखना चाहती है, ताकि चुनाव के अवसर पर उससे सौदा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, महत्वपूर्ण तो सभी मामले हैं, जब नियमों के अंतर्गत आयेंगे, तभी लिए जायेंगे कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर इस पर अवश्य सुन लें, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, इसमें कर्मचारियों को अपने राजनीतिक मकसद के लिए है स्तेमाल किया जा रहा है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांति बनाए रखें, माननीय कौशिक रमा शंकर जी, आप खड़े होइए ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, प्रसिद्ध रंगकर्मी तथा कलाकार श्री सफदर हाशमी के ऊपर दिनांक 1-1-89 को प्राण-घातक हमला किया गया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी । मान्यवर, इस घटना ने हमारे पूरे प्रदेश को कलंकित किया है और यह कलंक केवल देश में ही नहीं वरन् इस बात की भर्त्सना पूरे संसार में हुयी है । इतने बड़े कलाकार की हत्या इस प्रकार से हो और वह भी राजनीतिक कारण से हो और सत्ता पक्ष में बैठने वालों की ओर से हो, श्रीमन् यह बड़े ही शर्म की बात है और इस गम्भीर मामले पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की । घटना मान्यवर, इस प्रकार है । श्रीमन्, 1-1-89 को सफदर हाशमी साहिबाबाद में नुक्कड़ नाटक हल्ला बोल कर रहे थे और उसी समय कांग्रेस के समर्थक गुन्डों ने उन पर कातिलाना हमला किया और एक मजदूर की उसी समय हत्या कर दी । मान्यवर, आप देखें कि उत्तर प्रदेश में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस समर्थित गुण्डों ने हमारे देश के विख्यात कलाकार और रंगकर्मी को हमसे छीन लिया। सत्ता पक्ष की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि इस मामले पर पर्दा डाल दिया जाये, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनावों में ऐसी दुष्टताएं देखने को मिली हैं, उन [xxx] को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में राजनीति को अपराधियों का संरक्षण स्थल बना रही है। मेरा निवेदन है कि आप सारे काम को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ताकि जन आक्रोश को समाप्त किया जा सके।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जिस प्रकार से सफदर हाशमी की हत्या की गयी है उससे पूरे लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है। जिस समय वह नाटक कर रहे थे, कांग्रेस समर्थित लोगों ने उन पर हमला किया, इसी से स्पष्ट है कि चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हिन्सा करवा रही है। यह इसका एक नमूना है। बड़े पैमाने पर हिंसा की जा रही है। वह बहुत बड़े कलाकार थे। चुनाव में जिस प्रकार की गुन्डागर्दी की जा रही है, उससे लोक तंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है वहां पर पुलिस ने गुन्डों को नहीं रोका, उन्होंने नाटक करने से मना किया और जब वह नहीं माने तो उन पर हमला बोल दिया, जो पुलिस थी वह निष्क्रिय खड़ी रही और देखती रही। आज भी वह अपराधी बन्दूकों को लेकर घूम रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो लोकतंत्र किस प्रकार से चलेगा। यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस घटना में पुलिस की साजिश है और सरकार का उस पर हाथ है। अगर आप की नेकनियती है, तो मैं मांग करता हूं कि इसको आप सी0 बी0 आई0 से इनक्वायरी करा दें। यह मामला बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसलिए आप सदन के कार्य को स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, सफदर हाशमी केवल हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार थे। वह केवल रंगकर्मी ही नहीं थे एक अच्छे गीतकार थे और कवि भी थे। मान्यवर, उनकी हत्या गाजियाबाद साहिबाबाद में उस समय कर दी गई जब वह दिनांक 1 जनवरी, 1989 को हल्ला बोल नाटक कर रहे थे, उनकी हत्या कांग्रेस समर्थित लोगों ने कर दिया है, कांग्रेस समर्थित [xxx] ने कर दिया है। जिस समय नाटक हो रहा था, खतरनाक हथियारों से लैस होकर गुण्डे आए और उन्होंने नाटक करने से रोका, जब वह नहीं रुके तो थोड़ी ही देर में कट्टा, राड, लाठी से लैस गुण्डे आए और उन पर प्राणघातक हमला कर दिया, उन गुण्डों की संख्या लगभग 150 होगी। भगदड़ मच गयी। हाशमी वहां पर जो सीटू का कार्यालय है, उसमें छिपने की कोशिश की। हमलावरों ने उनका पीछा किया और सीटू के एक कर्मचारी राम बहादुर की हत्या कर दी, उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। जिससे आतंक और बढ़ गया।

टिप्पणी–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हत्यारे इसी से संतुष्ट नहीं हुए । वे कार्यालय के अन्दर घुस गए जहां सफदर हाशमी खड़े थे । वहां पर 3 महिला तथा कुछ अन्य कलाकार भी थे । वे किसी तरह दीवार फांदकर अपनी जान बचाए । हत्यारों ने हाशमी को घेर लिया और मारते-मारते पत्थरों से उनका सिर कुचल दिया और उसके बाद 2 तारीख को डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया । मान्यवर, यह एक गम्भीर घटना है । चुनावों में या किसी कार्यक्रम में, चाहे वह किसी दल विशेष का कार्यक्रम हो, अगर इस तरह से कांग्रेस की तरफ से गुण्डों के जरिये से हमला होगा तो फिर कोई भी कार्यक्रम कामयाब नहीं हो सकता है । चलना-फिरना दूभर हो जायेगा । मान्यवर, इस घटना से पूरे देश के अन्दर आक्रोश है, पूरी दुनिया में आक्रोश है । इससे ज्यादा गम्भीर घटना और क्या हो सकती है । इसलिए मान्यवर, इस घटना की आप सी0 बी0 आई0 से जांच करवाएं और जो दोषी हैं चाहे वह कांग्रेस का ही कोई पदाधिकारी क्यों न हो, उनको पकड़ा जाय और मैं जानता हूं कि उसमें वह है । जिसको चुनाव में 21 वोट मिले थे और जनता ने उन्हें दिखा दिया कि वह कैसे व्यक्ति थे, उन्हें वोट देना चाहिए या नहीं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना की आप सी0 बी0 आई0 से जांच करवा दें ।

*श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, मैं घटना के बारे में नहीं जाऊंगा लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इतिहास साक्षी है कभी कला की जबान बन्द नहीं हुई है और न हो सकती है । मुहम्मद गजनवी फिदौस की जबान बन्द नहीं कर सके, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जंग में फैज अबुल फैज की जबान बन्द नहीं कर सके, उनकी जबान पर ताला नहीं लगाया गया, जोश मलीहाबादी की जबान पर ताला नहीं लगा सके, जो इतने बड़े-बड़े तानाशाह थे वे किसी कलाकार की जबान पर ताला नहीं लगा सके लेकिन यह एक अजीब बात है कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विधान सभा और सबसे बड़े सूबे के अन्दर कलाकारों को बख्शा नहीं जा रहा है । लोकतंत्र कैसे जिन्दा रहेगा । जो अय्यूब न कर सके, जो मुहम्मद गजनवी न कर सके जो इतने बड़े तानाशाह थे लेकिन आज के जो तानाशाह हैं वे कला की जबान पर ताला लगा रहे हैं । यह एक गम्भीर मसला है । अगर हमारी कला और परम्पराएं मिट गईं, स्वाभिमान मिट गया तो यह बड़ी खराबी देश के लिए होगी । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । दुनिया भर में आज इसकी चर्चा हो रही है । यहां पर अगर इस मसले पर चर्चा नहीं होगी तो लोकतंत्र का जो मंदिर है जो यह विधान सभा है, तो इससे लोकतंत्र दम तोड़ देगा । इसलिए मान्यवर, आप इसमें चर्चा कराने के लिए आदेश दें ।

संसदीय कार्य मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्यों ने जो सफदर हाशिमी के साथ हुई दुर्घटना और उनकी मौत के बारे में कहा है मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। जो घटना हुई वह अत्यन्त दुखद है । जिस क्रम में और जिस तरह से हुई है वह बहुत ही दुख की बात है । जितने भी फनकार, आर्टिस्ट और कलाकार हैं उन्हें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की रुकावट डालना उचित नहीं है । उसके अन्दर जो भी चीजें आई हैं, उनकी जांच करायी जा रही है । सरकार को कितना दुख इसके बारे में है । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इससे पहले ही कह दिया है कि हम पूरी तत्परता से इसकी जांच कर रहे हैं । घटना से कोई इन्कार नहीं कर सकता है । हमें यह देखना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाये । इसमें सबका सहयोग चाहिए । हमें संयम से कार्य करना चाहिए । साहिबाबाद में जो यह घटना घटी जो भी तथ्य सामने आयेंगे और जो ऐसे तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और कोई भी व्यक्ति चाहे वह कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध हो, किसी दल से सम्बद्ध हो या किसी का भी उनको पेट्रोनेज या संरक्षण प्राप्त हो, किसी को बख्शा नहीं जायेगा। यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं । एक पार्टी को या कुछ लोगों को इंगित किया जा रहा है इस सबकी जांच हो रही है उसके बाद ही मालूम होगा। यह चुनाव का समय था किस प्रकार सारी घटना घटी है और कितने लोग शामिल हुए बाहर से भी लोग आये यह सब जांच के बाद ही मालूम होगा । यह एक अत्यन्त घिनौना काम हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है, किसी प्रकार से सरकार माफ नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

सी0 बी0 आई से जांच कराई जाय क्योंकि इसमें सीधा-सीधा आरोप है कि सरकार की साजिश से हत्या हुई है । वर्ना यह कहने से कुछ नहीं होने वाला है कि हमें बड़ा दुख है अफसोस है । इसलिए इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष–

क्या सी0 बी0 आई0 से जांच करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो पहले जांच हो रही है उसका रिजल्ट यहां आ जाय अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद सी0 बी0 आई0 या जिस एजेंसी से माननीय सदस्य कहेंगे जांच हो जायेगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

सी0 बी0 आई0 से जांच नहीं कराना चाहते हैं इसलिए इसके विरोध में हम सदन को त्याग करते हैं ।

श्री राज किशोर सिंह–

हम भी इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

हम भी इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री मिश्रसेन तथा श्री अकबर हुसैन बाबर सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा --

मान्यवर, यहां पर स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि कलाकार सफदर हाश्मी की हत्या में सरकार और अधिकारियों की साजिश रही और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह हत्या की गयी । इतने स्पष्ट आरोपों के बाद भी खुद ही जांच करायेंगे अपने अधिकारियों से तो इससे न्याय नहीं मिल पायेगा । यह इतनी गंभीर घटना है कि जिसे देश विदेश तक में अफसोस हुआ है । इसकी जांच अपने अधिकारियों से करायेंगे तो उचित नहीं होगा । सी0 बी0 आई से जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष--

कह रहे हैं बाद में करायेंगे आवश्यकता हुई तो ।

*श्री बलराम यादव--

मान्यवर, जो सूचना दी गयी है वह अविलम्बनीय भी है और लोकमहत्व की भी है। प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा असहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक आज विधान सभा को घेर कर बैठे हुए हैं। इनको 1980 से मान्यता प्राप्त है लेकिन अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है जिसकी वजह से करीब 80 हजार प्रधानाध्यापक और अध्यापक जो इन विद्यालयों में काम कर रहे हैं 100 रुपये या 50 रुपये मासिक तनख्वाह में काम कर रहे हैं। इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी उम्र बीत गयी है। तो मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह लोग 30 नवम्बर को मुख्य मंत्री जी से भी मिले और ज्ञापन दिया लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । आज वह अपनी मांगों को लेकर विधान सभा को घेरे हुए हैं उनकी संख्या 10 हजार से कम नहीं है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है आज सदन का कार्य स्थगित कराकर इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है असहायता प्राप्त विद्यालयों के लगभग 80 हजार लोगों की मजदूरों से भी खराब हालत है। इस अहम मसले को चर्चा के लिये स्वीकार कर लें ।

श्री बाबूराम यादव--

व्यवस्था का प्रश्न है। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इस पर शिक्षा मंत्री भी सदन में नहीं हैं। आप संरक्षण दें शिक्षा मंत्री सदन में आयें इसके लिये कोई रास्ता निकालना चाहिए । आज ग्रामीण अंचलों में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर शिक्षा मंत्री को बुलायें वह हमारी बात सुनें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं। ऐसे पूर्व दृष्टांत हैं जिसमें इस पीठ से निर्देश गये हैं जब कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते हैं तो उसमें मंत्री को रहना चाहिए । कार्य स्थगन की सूचना 10 बजे तक दे दी जाती है प्रभारी मंत्री को इसकी सूचना समय पर चली जाती है। इसी तरह गृह मंत्री का मामला आया तो संसदीय कार्य मंत्री ने ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी का फायदा उठाकर जवाब दे दिया लेकिन पूरे तथ्य उनके पास नहीं थे सफदर हाशमी के सम्बन्ध में । इसी तरह शिक्षा का मामला आया तो इससे सम्बन्धित मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, जिनकी संसदीय भावना समाप्त हो गयी और यहां से उठकर चले गये और संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे देंगे, इसलिए सही माने में यदि जो भावनायें यहां व्यक्त की जा रही हैं उनका सम्मान करना है और यथोचित कार्यवाही करना है तो मान्यवर, आप तत्काल निर्देश दें कि सम्बन्धित मंत्री को यहां बुलाया जाये और जानकारी अपने विभाग की दें ।

श्री विष्णु देव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... ।

श्री फजलुलबारी–

मान्यवर, गुप्त जी ने एक बात उठाई है . . .

उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायें मैंने श्री विष्णु जी को बुला लिया है ।

*श्री विष्णु देव–

मान्यवर, यह प्रदेश का एक गम्भीर मामला है। प्रदेश में जितने अस्थायी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, 10 वर्ष हो गये हैं अनुदान सूची पर नहीं हैं, इसलिये अनुदान नहीं मिलता है और उन विद्यालयों के अध्यापक 50–100 रुपये पर गुजर कर रहे हैं जिससे करोड़ों बालकों की शिक्षा का सवाल है चूंकि अध्यापकों के सामने भुखमरी की समस्या है जिसका शिक्षा और बालकों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में आठवीं कक्षा तक के छात्रों के शुल्क माफी की बात कही है लेकिन यह प्रदेश जो सबसे बड़ा है और इसकी विधान सभा के सामने हजारों अध्यापक, जिनके विद्यालयों को अनुदान नहीं मिल रहा है, अनशन पर बैठे हैं उन्होंने कहा है कि यदि हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया और विद्यालयों को अनुदान नहीं दिया गया तो आत्मदाह कर लेंगे । इसलिये मेरी मांग है कि आज की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें ।

*श्री फजलुलबारी –

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि इस संबंध में ग्राह्यता की बात सुनने के लिए संबंधित मंत्री के न होने से नुकसान होता है । श्री अम्मार साहब ग्राह्यता पर सुनने के बाद जवाब दे देते हैं लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती है । जैसे मैंने एक मामला बुनकरों का उठाया था तो कहा गया कि देखेंगे और कुछ नहीं हुआ । दूसरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात हमने पालीटेक्नीक के संबंध में उठाया कि वहां नाइंसाफी हो रही है तो उन्होंने कहा कि हड़ताल समाप्त कर देंगे लेकिन आश्वासनों के बावजूद चूंकि संबंधित विभाग के अम्मार साहब मंत्री नहीं हैं इसलिए कुछ नहीं हुआ और स्थिति उससे खराब हो गई और इनकी नालायकी नहीं कहूंगा बल्कि इनकी नाअहली के कारण वह टरमिनेट हो गए । इसलिए मान्यवर, आप समझा दें कि संबंधित विभाग के मंत्री यहां रहा करें ताकि जिम्मेदारी से वह बात करें, यह मुशायरा नहीं है कि जिसने चाहा उसने जवाब दे दिया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । यहां प्रश्न उपस्थिति के संबंध में है, यह नीति संबंधी प्रश्न है । इस पर मंत्रिपरिषद् ही फैसला ले सकती है, इसमें कैबिनेट मंत्री जवाब दें या मुख्य मंत्री जवाब दें चूंकि काफी अध्यापकों और विद्यालय कर्मियों की जिन्दगी का सवाल है । यदि सहायता देंगे और विद्यालय एड लिस्ट में आ गए तो पब्लिक एक्सचेकर पर बोझ पड़ेगा । मंत्रि परिषद् ने फैसला नहीं किया है । नोटिस गई है । नियम 301 में यह उठाया जा चुका है और इसके बाद भी अभी तक गम्भीरता से सरकार नहीं ले रही है । इनके विभाग के मंत्री और मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं । मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमसे जहां संसदीय मान्यताओं और परम्पराओं के पालन करने की अपेक्षा करते हैं, वहीं सत्ता पक्ष के लोग कार्यस्थगन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, वह जिस विभाग का हो उसके मंत्री की और यदि कोई असाधारण स्थिति न हो तो मुख्य मंत्री को भी यहां उपस्थित रहने का निर्देश दें । बिना उनके नीति विषयक मामलों में जवाब कौन देगा । इस मामले में कम से कम आप शिक्षा मंत्री को बुलावें और जब तक वह न आएं, यह मामला नहीं लिया जाना चाहिए । आज इसे लें या कल के लिए टालें ।

श्री धनराज यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक जो धरने और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, वह उत्तर प्रदेश में बड़ी गम्भीर समस्या है । इन स्कूलों के 30,000 अध्यापक हैं, जो बीसों वर्षों से विद्यालय में काम कर रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिनकी जिंदगी आउट आफ डेट हो चुकी है नौकरी के लिए, वे लोग । जहां प्रदेश की सरकार कुछ अन्य संस्थाओं को इन्हें इतना वेतन दे रही है कि वह ज्यादा वेतन पाने से बर्बाद हो रहे हैं, वहीं इन अध्यापकों को कुछ भी न देना सरासर अन्याय है और इससे इनकी जिन्दगी बर्बाद हो रही है, इनके बच्चे भूखों मर रहे हैं और इनकी बेटियों का ब्याह होना कठिन हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको सहायता दे । मैं अपने काम रोको प्रस्ताव पर बल देता हुआ आपसे आग्रह करता हूं । लेकिन मेरा आग्रह है कि आज की जो कार्यवाही है उसे रोककर इस पर चर्चा यहां कराई जाये और इन असहायिक विद्यालयों को अनुदान की सूची में अवश्य समायोजित करें ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का सवाल है और वह यह है। तिवारी जी ने जो बात यहां पर रखी है, वह बिल्कुल सही है, कायस्थगन जैसे महत्वपूर्ण मसले पर जिस किसी मंत्री से सम्बद्ध मामला हो, उसको जवाब उस सम्बद्ध मंत्री द्वारा ही दिलाया जाना चाहिए। इन असहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों का मामला बड़ा गम्भीर है। यदि संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ कह भी जायेंगे, तो बात फाइल की फाइल में ही रह जायेगी। इन अध्यापकों के बारे में यह कहा जाए कि यह बेगार करते हैं तो वह भी इनके लिये सही नहीं है, क्योंकि वह भी खाने-पीने और चाय की अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। इनको उन बेगार करने वालों के बराबर भी पैसा नहीं मिलता है। यह विद्यालय में गये भी हैं तो अपने घरों से महिलाओं के जेवर बेचकर, दसों हजार रुपये गवांकर काम कर रहे हैं। इस मामले में इतना स्पष्ट जवाब दिलवा दिया जाए कि यह असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अनुदान सूची में कब तक लिये जायेंगे और कब तक उनको वेतन सूची में शामिल करेंगे ?

*श्री अम्मार रिजवी–

इस तरह के जितने विद्यालय हैं, यह मामला नीति विषयक है। इस तरह के विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में 2 हजार हैं। यदि हर विद्यालय को दिया जाए तो करीब 15 हजार रुपया माह, 1 लाख 80 हजार रुपया साल आयेगा और कुल 36 करोड़ रुपए का भार प्रदेश सरकार पर पड़ेगा। यह बात पहले मंत्रिपरिषद् में आयी थी कि अस्थायी मान्यता देने की तिथि से वरीयता क्रम से इनको दिया जाएगा। लेकिन मान्यवर, सारे प्रदेश में दो हजार विद्यालय हैं, उनको एकदम से मान्यता दे देना और एकदम से तनख्वाह लिस्ट पर ले जाना इस वक्त सम्भव नहीं था। उसके बाद इस मामले में कार्यवाही की जा रही है, लेकिन इस समय जो स्थिति है, उसके अनुसार यह मामला मंत्रिपरिषद् में विचाराधीन है और पूरी सहानुभूति के साथ, जो उनकी समस्याएं हैं, मंत्रिपरिषद् उन पर विचार कर रहा है।

जहां बार-बार यह कहा जाता है कि जो सम्बन्धित मंत्री हैं, उन्हें यहां पर होना चाहिए, यह बिल्कुल ठीक बात है।

मान्यवर, बिल्कुल ठीक बात है मेरा इस बात पर आपसे अनुरोध है कि इसमें वक्तव्य स्वीकार कर लें ताकि सारे तथ्य सम्मानित सदन के सामने आ जायें, लेकिन यह प्राविधान नहीं है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री का जवाब नहीं दे सकता है, जवाब दिया जा सकता है। मान्यवर, तो इस मामले में आप वक्तव्य स्वीकार कर लें, तो उस समय मंत्री जी को इसमें जो कार्यवाही हो रही है उससे भी अवगत करा देंगे।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे एक घण्टे की चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप स्पष्टीकरण छोड़ दें अब आप चर्चा में कहियेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन्, अम्मार रिजवी साहब ने कहा कि सारे विद्यालयों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। कितनों को अनुदान सूची में लाने पर विचार कर रहे हैं। यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी है कि पांच को सुनूंगा जिस पर माननीय सदस्यों के नाम हैं लेकिन नेताओं के बोलने की परम्परा बन गई है उनको बोलने की छूट है तो यह परम्परा न डालें जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं उनको बुलवाया जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह बात सही है, जिनके नाम होंगे उनको बुलवाया जाएगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता

मान्यवर, 10 जनवरी का वह काला दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बालाजी पाठक जो वाराणसी के थे, पुलिस के लाठी-प्रहार से, मान्यवर, उनकी हत्या हो गई । मान्यवर, 10 तारीख को पूरे प्रदेश में लोकल बाडीज के चुनाव हो रहे थे उस समय कांग्रेस ने जानबूझकर अपनी पार्टी के जो उनके समर्थ उम्मीदवार थे उनके द्वारा हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान बड़े पैमाने पर कराया और पुलिस की सांठ-गांठ से फर्जी मतदान कराया गया, इसकी शिकायत लेकर जब बालजी पाठक जैदपुर थाने में गये और दरोगा से बात करके जब वह वापस जा रहे थे वह थाने के गेट पर पहुंचे ही थे कि शिवराज सिंह क्षेत्राधिकारी और बाबूलाल थानाध्यक्ष ने ललकार कर कहा कि इसे देख लो, तो मान्यवर, हैदर नाम के सिपाही ने उन्हें लाठियों से मारकर गिरा दिया, उनकी मान्यवर, थाने पर ही तुरन्त मौत हो गई । मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और आश्चर्य की बात तो यह है कि थाने में पुलिस ने प्रथम सूचना अंकित नहीं की आपको आश्चर्य होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कल्याण सिंह जी ने जब गृह सचिव से बात की कि एफ0 आई0 आर0 नहीं लिख रहे हैं, तो गृह सचिव के कहने पर एफ0 आई0 आर0 लिखी गई और मान्यवर, जिलाधिकारी ने कह दिया कि उनकी मृत्यु हार्ट-अटैक से हुई है, मान्यवर बगैर पोस्टमार्टम के जिलाधिकारी को कैसे मालूम हो गया कि उनकी मृत्यु हार्ट-अटैक से हुई है ।

मान्यवर, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यह था कि लाठियों के प्रहार से उनकी मृत्यु हुई है । श्रीमन् मैं कार्यस्थगन की ग्राह्यता पर इसलिए बल देना चाहता हूं कि यह प्रशासन पुलिस को अनुचित रूप से संरक्षण दे रहा है । क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह, थानाध्यक्ष बाबूलाल और सिपाही हैदर की जमानत नामंजूर हो गई । मान्यवर, उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी के घर के ऊपर उनकी जमानत स्वीकार करायी गयी । इसके विरोध में वकीलों ने हड़ताल रखी । वकील मांग कर रहे हैं कि उनकी जमानत को कटवाने के लिये शासन की ओर से पहल करनी चाहिये । इस मामले में सी0 ओ0 नामजद मुलजिम हैं लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है । जनता की मांग है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच करायी जाय । सी0 ओ0 को गिरफ्तार किया जाय एक बड़े आश्चर्य की बात यह कहना चाहता हूं कि 302 का मुलजिम जब जमानत पर छूट कर आया तो उनके खिलाफ आज तक विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी है । जनता की यह भी मांग है कि इस सामाजिक कार्यकर्ता के परिवार के भरण-पोषण के लिए सरकार को 1 लाख रु0 देना चाहिये । पुलिस इतनी हब्शी हो गयी है कि जब उनकी शव यात्रा जा रही थी तो शव यात्रा पर लाठी चार्ज किया गया और माननीय कल्यान सिंह सहित 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया और थाने ले जाया गया और बाद में छोड़ा गया । पुलिस के इन कृत्यों को संरक्षण देने का काम शासन कर रहा है ।

अभी सफदर हाशमी का जिक्र आया था । राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है लेकिन सिपाही, मैजिस्ट्रेट डीवाई0 एस0 पी0 का वहां जाना दूर उल्टे शिकायतकर्ता को ही पुलिस ने लाठियां मार मार कर मार डाला । हमारा एक साथी हमसे छीन लिया गया । ऐसे मामलों में सरकार के दृष्टिकोण का सवाल है । पूरे प्रदेश में पुलिस का यही निरंकुश रवैया है वाराणसी में तो उसकी क्षति हो गयी । सम्पूर्ण प्रदेश में पुलिस अपनी दमन की कार्यवाही कर रही है । यह सरकार द्वारा सत्ता के बल पर और हिंसा के प्रवेश ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर कम से कम दो घंटे की चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश जी'—

मान्यवर, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं । इस नाते मैं इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा जो रेडियो पर आया और अखबारों में आया हुआ है उन्होंने एक वाक्य कहा कि अगर कोई डकैत है, बलात्कारी

है तो उसकी जमानत का सरकार डटकर विरोध करेगी, डटकर विरोध करेगी, डटकर विरोध करेगी । यह वाक्य उन्होंने 3 बार कहा जो रेडियो और अखबारों में आया । लेकिन नगर महापालिका के मतदान दिवस 10 तारीख को सी0 ओ0 कैंट, शिवराज सिंह, थानाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, पुलिस कांस्टेबिल हैदर अली ने डा0 बालजी पाठक को इतना मारा कि वह थाने के गेट के सामने गिरे और मर गये घटना-स्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया । यह दिन के ढ़ाई बजे घटना हुई । श्री पाठक एक सरल और सज्जन व्यक्ति थे जो यह शिकायत लेकर जैतपुरा थाने पर गए थे कि 33 नंबर के बूथ पर जाली वोट पड़ रहे हैं । तो जाली वोटों को डालने से रोकने की व्यवस्था करने के बजाय वाराणसी के भाजपा के इस कार्यकर्ता को पुलिस ने इतना मारा कि वह मर गया । इस घटना के विरोध में दूसरे दिन वाराणसी बन्द । प्रदेश भाजापा अध्यक्ष माननीय कल्यान सिंह जब शवयात्रा लेकर घाट जा रहे थे तो चेतगंज थाने की पुलिस ने शव यात्रियों पर लाठीचार्ज किया जब शासन ने देखा कि स्थिति विस्फोटक हो रही है तो पुलिस कर्मियों पर शासन हस्तक्षेप पर 302 का मुकदमा दायर किया गया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही है । प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी के पहले जमानत की यह पहली घटना है । गिरफ्तारी के कागज तैयार नहीं हुये और जमानत हो गयी । क्या यही डटकर विरोध करना है । प्रशासन ने मिलकर जमानत करायी और गिरफ्तारी तथा जमानत दोनों एक साथ हुई है । जैदपुर थाने के थानाध्यक्ष, कांस्टेबिल हैदर अली, सी0ओ0 साहब खुले घूम रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया । वहां की बार एसोसियेशन हड़ताल कर रही है । इस तरह से शासन के दबाव में आकर गिरफ्तारी और जमानत एक साथ करा दी गयी । मुख्य मंत्री जी की बात झूठी है कि वे डाकुओं, हत्यारों और बलात्कारियों की जमानत का विरोध करेंगे । मैं चाहूंगा कि इस मामले की जांच सी0 बी0 आई0 या न्यायायिक जांच द्वारा करा दी जाय । बिना इसके सही जांच होने वाली नहीं है । न्यायिक जांच करा दें या सी0 बी0 आई0 से जांच करा दें । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन लोगों की जमानत रद्द होनी चाहिये । अगर नहीं हुई तो ये लोग चौराहे पर खुले घूम रहे हैं । तैंतीस नम्बर बूथ ऐसा है जिस पर हिन्दू मुसलमान दोनों का दबाव है । मुझे भय है कि अगर ये लोग सड़कों पर घूमते रहे तो बनारस में जो क्षोभ का वातारण पैदा हुआ है, वह रूक नहीं पाएगा । उनको जेल में भेजा जाय, बनारस जेल में नहीं नैनी जेल में भेजा जाय । अगर उनको जेल नहीं भेजा जायगा तो ये लोग जांच को प्रभावित करेंगे और क्षोभ पैदा करने की कोशिश करेंगे । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें । श्री पाठक जी की एक विधवा है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिये एक लाख की मांग की गयी है, उसको एक लाख रुपया दिया जाय और उनका एक बालिक लड़का है, बेकार पड़ा है, उसको नौकरी देने का काम किया जाय । अपराधी अगर कोई प्रशासनिक अथवा अन्य राज्य कर्मचारी या दूसरा कोई होता तो शायद वह निलम्बित हो गया होता, सेवा से निकाल दिया गया होता । लेकिन पुलिस के ये तीनों लोग न निलम्बित किये गये न उनको सेवा से निष्कासित किया गया । वे लोग खुले घूम रहे हैं, वे जांच को प्रभावित करेंगे, बनारस की शांति में आग भड़का देंगे । वहां की शांति खतरे में पड़ जायगी । इसके लिये वहां का शासन जिम्मेदार होगा । इसलिये मेरी मांग है कि सदन का काम रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जो मा0 गुप्ता जी और मा0 हरीशजी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी विस्फोटक स्थिति वाराणसी में हो गयी है । यदि शासन का रवैया इस मामले में यही रहा, दोषी पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश की गयी, तो भयंकर घटना वाराणसी में घट सकती है । उस घटना में सारा जनपद जल जायगा । यह पाठक जी के मौत की जो दर्दनाक घटना है, यह जनतंत्र के लिये कलंक है । वाराणसी का चुनाव जनतंत्र के लिये खतरे की घंटी है । जिस तरह से पाठक जी की हत्या हुई, वह एक शांत कार्यकर्ता थे, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले नहीं थे, उनको अकारण पुलिस ने मार डाला । जिला परिषद् के चुनावों में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों को कांग्रेस के लोगों ने ही पूंजीपति शराब व्यापारी से पैसा लेकर हराया । इसकी जांच की जाय । पैसे वालों के पैसे पर आपके लोग बिके, हमारे भी चन्द लोग भी बिके । वाराणसी नगर महापालिका के चुनाव में एक बड़ा तस्कर व्यापारी विजयी हुआ आपके गले में खतरे की घंटी बांध रहा है । आपने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार है, वह कहता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हूं । फिर भी आप समर्थन करते हैं यह सब जनतंत्र के लिये खतरे की घंटी है । इस पर आपको हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिये । स्वर्गीय पाठक जी की जो हत्या की गयी, उसके खिलाफ शीघ्र कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं, पुलिस वालों को दण्डित नहीं किया जाता है तो अराजकता बढ़ेगी और बंगाल और बिहार की तरह आज नहीं तो कल पुलिस वाले पीटे जायेंगे । उनकी हत्यायें होंगी । वे कन्धोप पहन कर और जंजीर से बन्दूक कमर में बांध कर चलेंगे और आपके, हमारे लिए ला एण्ड आर्डर को सम्भालना कठिन हो जायगा । इसलिये आप इस पर विचार करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मा0 गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

यह भी तो इसमें शामिल हैं ।

गन्ना विकास एवं गृह राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

यह तो आपने ही कह दिया कि आप और हम दोषी हैं । मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता । यह तो एक अलग बात है । सीक्रेट बात है ।

जहां तक बालाजी पाठक की नगरपालिका चुनाव में हत्या का प्रश्न है, सब लोगों को इसका दुख है, शासन को भी दुख है । इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए । इसमें शासन किसी भी तरह से प्रश्रय नहीं देगा । जहां तक हत्या का सवाल है, उसमें शासन की तरफ से पूरी छानबीन की जायेगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी आदि सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप लोग मंत्री जी की बात को पूरा सुन लें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने बड़ी संवेदना प्रकट की, सीधा-सीधा सवाल है कि क्या कार्यवाही उन्होंने अब तक की है, उसको बता नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

वह कार्यवाही बता रहे हैं, आप सुन तो लें।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, नामजद लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, सी0 ओ0 और सिपाही के खिलाफ क्या कार्यवाही की है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं। मान्यवर, वह कार्यवाही होगी। उसमें किसी भी तरह के पक्षपात की बात नहीं है। इसमें किसी तरह का प्रश्रय नहीं दिया जायेगा। यह चुनाव पार्टी स्तर पर कराया ही नहीं गया था, पार्टी के ऊपर दोषारोपण का कोई भी औचित्य नहीं बनता है।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इस संवेदनशील प्रश्न पर कितना गंभीरता से जवाब दिया जा रहा है इसको आप देखें। एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता की पुलिस थाने के सामने मार-मार कर हत्या कर दी गयी। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बात कही, माननीय हरीश जी ने जो बात कही, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो बात की, माननीय मंत्री जी ने उसका गम्भीरता से उत्तर नहीं दिया। एक रटी रटायी भाषा बोल दी जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी यह तो कोई उत्तर नहीं है। मान्यवर, इस माननीय सदन की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय मंत्री जी ऐसा उत्तर दें कि जो मान्यवर आपको भी सूट करे और सबकी भावनाओं को सूट करे। एक तो यह बतायें कि उस सी0 ओ0, सिपाही के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, विभागीय कार्यवाही जो होती है वह क्या क्या की गई? जैसा हरीश जी ने और गुप्त जी ने मांग की है, उस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं उसे बतायें?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

उनका जवाब तो आप लोग सुनते नहीं हैं, उनका जवाब तो आने दीजिए ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

दूसरे जो माननीय मैनेजर सिंह जी ने माननीय राज्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि कितने में बिके, उसका भी स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

आप भी मतदाता हैं, आप भी बिकते होंगे, दूसरे लोग भी बिकते होंगे, उसका कोई जवाब नहीं है । लेकिन संविधान के अन्तर्गत जो कानून बना हुआ है उस कानून के आधार पर जो दोषी होगा वह छानबीन से ही स्पष्ट होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । छानबीन कराई जायेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इस तरह से नहीं चलेगा, जवाब नहीं दे रहे हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश जी', श्री सूर्य प्रताप शाही के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शान्तिपूर्वक उनकी बात सुन लीजिए, निर्णय तो मुझे बताना है, वे जो कहना चाहते हैं कह लेने दें । गुप्त जी, हरीश जी आप लोग बैठें । शाही जी बैठें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम शास्त्री जी की बात बड़ी शान्ति से सुनना चाहते हैं । मान्यवर, माननीय हरीश जी, माननीय वर्मा जी ने और माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो बात कही है और मैंने जो बात कही, उसका जवाब नहीं आया है । मान्यवर, 4 बिन्दु उठाए हैं । इस मामले में सी0 बी0 आई0 या न्यायिक जांच के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वह जांच करायेंगे, मुलजिम जिनकी जमानत हो गई है गिरफ्तारी से पहले, उनकी जमानत कटवाने के लिए वायदा किया गया था आपने भी किया था और जिलाधिकारी ने भी किया था उस जमानत को कटवाने के क्या प्रयास हुए ? तीसरी बात यह कि अभी तक डिपार्टमेंटल एक्शन क्यों नहीं हुआ ? यह बड़े शर्म की बात है कि उसको लाइनहाजिर तक नहीं किया गया और वह उसी थाने में बड़े आराम से मौजूद है, जो वहां का सी0 ओ0 है, उसी सी0 ओ0 के ललकारने पर उनको लाठी मारी गयी, उस सी0 ओ0 को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसकी कुर्की क्यों नहीं की गयी ? मैं जिलाधिकारी के विषय में भी कहना चाहता हूं, जिसने जानबूझकर कानून अपने हाथ में लिया था और बिना देखे ही कह दिया गया कि इनकी मृत्यु हार्टअटैक के कारण हुई है। मैं उस जिलाधिकारी की निन्दा करता हूं। हम लोग यहां पर शास्त्री जी का भाषण नहीं सुनने आये हैं। मैं बहुत दिनों से यह सब देख रहा हूं और मैं बहुत दिनों से विधायक हूं। आज तक मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि फर्ज भी कभी-कभी बगावत बन जाता है। अगर इन्हें सीधे उत्तर देना है जो मैंने 4 बिन्दु उठाये हैं, उनके बारे में, तो दें। अन्यथा आप चाहें तो मुख्य मंत्री को बुलवा लें, गृह मंत्री को बुलवा लें। हम लोग यहां पर लेक्चर सुनने के लिये नहीं बैठे हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, हम लोग राज्य मंत्री की बात सुनना चाहते हैं। इस शर्त पर कि जो चार बिन्दु उठाये गये हैं, उसके बारे में सही-सही उत्तर मंत्री जी दें। यदि वे उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आप गृह मंत्री को बुलवाइये, मुख्य मंत्री को बुलवाइये। [x x x]

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह व्यक्तिगत आक्षेप है। मैं तो कहूंगा कि हम जो भी खा रहे हैं, वह इन्हीं का दिया हुआ है। अगर यह मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं तो यह बात मैनेजर सिंह को शोभा नहीं देती और जो इन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग भी बिके, कांग्रेस के लोग भी बिके और विरोध पक्ष के लोग भी बिके, तो माननीय मैनेजर सिंह भी बिके और यह उसी का टोपी कुरता पहने हुए हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण कीजिये।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मंत्री जी को जो कहना था, वह उन्होंने कह दिया। अब जो, आप अपना निर्णय देना चाहें, वह दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप केवल 4 बातों का उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे इन 4 बातों का उत्तर अभी चाहिये।

[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अपना निर्णय दे दिया और वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है अब आप बतायें कि इसके लिये सहमत हैं या नहीं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो 4 बिन्दु उठाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है और मैं कुछ नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही जी के खड़े रहने पर)

श्री शाही जी कृपा करके आप बैठ जायं । मैंने वक्तव्य के लिए तो इसे स्वीकार कर ही लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चर्चा करना तो एक रिवुअल चीज है । सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । सरकार का इस विषय पर साफ-साफ जवाब आना चाहिए । पहला, सी0 ओ0 के खिलाफ नामदज रिपोर्ट है, उसको पकड़ने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई और उसे कब तक पकड़ लिया जायेगा ? दूसरा, सी0बी0आई0 या जुडिशियल इन्क्वायरी जो आप करायें किन्तु उसमें लोकल पुलिस का कोई इन्टरफेयरेन्स नहीं होना चाहिए । तीसरा, जो उसकी घर पर जाकर गलत तरीके से जमानत हो गई है, आपने वायदा किया था कि हम उसे कटवा देंगे । उस जमानत को कटवाने के लिए हायर कोर्ट में जाया जा सकता था, यह क्यों नहीं किया गया ? चौथा, निरीह परिवार के लोगों को एक लाख रुपए की सहायता देने की बात कही गई थी, वह क्यों नहीं दी गई ? इन सब चीजों का जवाब आना चाहिए । चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो बातें आपने कही हैं, वे सब वक्तव्य में आयेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[xxx]

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, 2 घण्टे की चर्चा आप इस पर स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या श्री गुप्ता जी चर्चा के लिए सहमत हैं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

[xxx]

नोट [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं । मैं इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चर्चा होने से तो जो सी0 ओ0 भूमिगत हैं, वह बाहर निकल जायेगा । हम चर्चा नहीं चाहते हैं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, माननीय सदस्य को व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए । यह बिल्कुल गलत बात है ।

(व्यवधान)

इन्हें तो गलत बात करने की आदत सी पड़ गई है । माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, उन्हें मान्यवर, कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री हरीश चन्द्र हरीश जी, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री गौरी शंकर भइया व श्री धनराज यादव के फ्लोर पर आ जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि द्वारा सदन के फ्लोर पर खड़े रहने से घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सुनने के लिये तैयार हूं, आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जायं । आप लोगों में क्या वाक् युद्ध हुआ, मुझे पता नहीं चला ।

(श्री उपाध्यक्ष के अनुरोध पर सदन के फ्लोर पर आए हुए मा0 सदस्यों ने अपना-अपना आसन ग्रहण कर लिया)

एक सदस्य–

मान्यवर, कार्यवाही में जो असंसदीय शब्द आ गये हैं, उनको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आये दिन राजनीतिक लोगों की हत्यायें हो रही हैं, चुनाव में अपराधियों का बोलबाला रहा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं । कितनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खतरनाक बात है कि जिसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो और वह पुलिस बल का आदमी हो, अगर कानून की प्रक्रिया वैसे ही नहीं चलेगी जैसी सब के लिये चलती है, तो असाधारण मामला लगता है। विरोध पक्ष में जो गुस्सा है वह जायज है। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे खिलाफ रिपोर्ट होती है, आपके खिलाफ रिपोर्ट होती है किसी कागनीजिबिल आफेन्स की, तो एरेस्ट कर लिया जाता है। कौन सी परिस्थितियां थीं कि उसकी रिपोर्ट हुई और घर से ही न्यायालय ने जमानत कर दी। ऐसा उत्तर दीजिये जिससे हम समझें कि न्याय करेंगे नहीं तो जिस तरह से राजनीति में हिंसा का प्रभुत्व होता जा रहा है, वह खतरनाक है।

*श्री अम्मार रिजवी–

मा0 उपाध्यक्ष जी, यह बनारस के बारे में मा0 राजेन्द्र गुप्त जी और अन्य मा0 सदस्यों ने जो बात उठायी। जहां तक मैं समझ पाया इन्होंने चार बातें उठायीं। पहली बात यह कि जिन लोगों की जमानत ली गयी, कौन्सिल कराने का प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरी बात, न्यायिक जांच की मांग की है, तीसरी बात मुआवजा दिलाने की बात है, चौथी बात, सी0 ओ0 की नामजदगी और गिरफ्तारी की बात थी।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

पुलिस के पापों को छिपाने के लिये 16 लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट और मुकदमें दर्ज करा दिये गये हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

साथ ही साथ यह भी बताया कि जिस समय घटना घटी और जमानत हो गयी थी, उसी समय बात हो गयी थी कि जमानत कौन्सिल करायी जायगी, जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा। जो कुछ माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा है उसी को सत्य मानकर कहता हूं कि जो लोग नामजद हैं उनके लिये सरकार हायर कोर्ट में अपील करेगी कि जमानत को कौन्सिल कराया जाय। जहां तक न्यायिक जांच की बात है, जो जांच हो रही है, अगर उससे आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो जैसा चाहते हैं जांच करायेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को संरक्षण दिया जाय। जहां तक मुआवजा देने की बात है, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ जायं, मा0 गुप्त जी और हम लोग बैठकर अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब चर्चा होगी तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। आपके कक्ष में या मा0 अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठकर विचार-विमर्श कर सकते हैं और जो कार्यवाही अपेक्षित हो, कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, गम्भीर बात यह है कि सी0 ओ0 कैसे नामजद है, जिस समय रिपोर्ट के विषय में बहस हो रही थी उस समय सी0 ओ0 ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा था कि "हम भी मुलजिम हैं, हमारे खिलाफ भी लिखी जाय ?" क्योंकि वह समझते थे कि रिपोर्ट लिखी नहीं जायेगी । मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने फोन से कहा कि रिपोर्ट लिखी जाय तब जाकर रिपोर्ट लिखी गयी । इसके साथ ही मुझे संसदीय कार्य मंत्री जी से यह भी आशा थी कि कोई कार्यवाही भी की जायेगी, जो कि नहीं की गयी । मान्यवर, कानून से बड़ा कोई नहीं है, वह मुलजिम है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिये और अगर वह फरार है तो उसे पकड़ा जाना चाहिये। अभी तक उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही भी नहीं हुई है और वह उसी थाने में काम कर रहा है । मैं सदन के कार्य में व्यवधान नहीं डालना चाहता हूं आप आज ही किसी समय जिन नेताओं को आप उचित समझें, कक्ष में बुला लें और इस पर आज ही व्यवस्था दे दें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस समय बनारस की सारी जनता इसलिये शान्ति बनाये हुए है क्योंकि उससे कहा गया है कि विधान सभा का सत्र चलने जा रहा है । वह समझ रही है कि इसमें इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लिया जायेगा सरकार की तरफ से और उसे इसी बात का भरोसा भी है । अभी जैसा कि मा0 गौरी भइया कह रहे थे कि बनारस में दंगा हो जायेगा, यही बात मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर इस पर तुरन्त कार्यवाही प्रकाश में नहीं आयेगी तो वहां दंगा होकर रहेगा तब पुलिस और खेल खेलेगी क्योंकि वह तो चाहती ही है कि दंगा हो जाय । इसलिये हत्या से संबंधित पुलिस कर्मियों को बनारस से हटाना होगा और सी0 बी0 आई0 से आप इसकी जांच के आदेश दीजिये क्योंकि वहां पर बनारस में जन जीवन में रोष पैदा हो गया है इसलिये मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री से इसका उत्तर तो दिलवाइये ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कक्ष में या फिर मा0 अध्यक्ष जी के कक्ष में, जैसा आप उचित समझें, मा0 गुप्ता जी को और मा0 हरीश जी को बुला लें, वहीं इस पर विचार-विमर्श हो जायेगा। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे हरीश जी ने अभी दंगे की बात कही है, इस तरह की बात यहां पर न कहें क्योंकि सारे प्रदेश में यहां की बात ईको होती है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने जजबात पर कन्ट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, 13 जनवरी, 1989 को बलिया जनपद के रानीगंज बाजार में मकान मालिक और दुकानदार द्वारा अपने किराएदार की साढ़े पांच साल की एक अबोध बालिका के साथ 6 बजे शाम को बलात्कार किया गया। उसकी मां दौड़ी-दौड़ी गयी उसे बचाने के लिये । उसका बाप बैरिया थाने दौड़ा गया जो कि वहां से डेढ़ कि0मी0 की दूरी पर है, मुलजिम के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गया पुलिस मुलजिम को पकड़ कर

मारती-पीटती हुई थाने ले गयी । उसे सात बजे शाम हवालात में बन्द किया, 7 बजे रात से 12 बजे रात तक बीरिया थाने के हवालात में उसे बन्द रखा गया। उसके बाद बलात्कारी के पैरोकार लोग आ गये जिन्होंने 500 रु0 रिश्वत दी और उस थानाध्यक्ष ने मुल्जिम को छोड़ दिया एक सुलहनामा लिखा करके। वह उमराव उस मकान मालिक को 16,000 रु0 देकर उसकी किरायेदारी में रहता है। इस तरह से फर्जी सुलहनामा करा करके थानेदार ने उसे छोड़ दिया और जब मुझे इस मामले की सूचना मिली 15 तारीख को तो मैं बलिया गया, वहां माननीय मंत्री श्री जगदम्बिकापाल जी जो दौरे पर गए हुए थे, वहीं पर एस0 पी0 श्री एस0 एन0 चक भी मौजूद थे, तो मैंने वहीं पर उनसे कहा कि क्या तुम्हारे रहते हुए जनपद में इस प्रकार से डकैती व बलात्कार की घटनायें होती रहेंगी ? जब तुम मथुरा में थे, वहां पर भी तुमने ऐसे नारकीय कुकर्म कराकर मथुरा जनपद को नरक बनाया और वहां से अब यहां आकर यही काम करा रहे हैं कि साढ़े पांच साल की अबोध बालिका के साथ कुकर्म किया जाए और तुम्हारे होते हुए कोई रिपोर्ट न लिखी जाए । इन्हीं बातों की वजह से तुम वहां से हटाए गये। मैंने यह सारी शिकायतें की तो फिर 2-3 दिन बाद उक्त मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई, उस पर भी मान्यवर डाक्टरी नहीं करवाई गयी और जब डाक्टरी के लिए कहा गया तो 2-3 दिन बाद डाक्टरी हुयी। तो मान्यवर इस प्रकार से 5-6 दिन हो गए, इतने दिनों बाद उस डाक्टरी में क्या मिलेगा यह आप स्वयं समझ सकते हैं, मान्यवर यह सारी कार्यवाही लेन-देन और दबाववश हुयी। जब मान्यवर उस अबोध बालिका का मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ जिसे सुनकर वह मजिस्ट्रेट भी मर्माहत हो गया। मान्यवर यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस पर तुरन्त विजिलेंस जांच कराई जाए और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी यथाशीघ्र कार्यवाही की जाए और सदन के चलते ही इस मामले पर यहां चर्चा कराई जाए और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध है कि वह कृपया इस गम्भीर मामले पर बैठें और विचार करें कि जो महिलाओं के साथ घोर अपराध किए जा रहे हैं, उन पर रोक लगे और मैं तो समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत ज्ञानी और सूझ-बूझ वाले व्यक्ति हैं, परन्तु इधर जब से वे दिल्ली से वापस आए हैं, उनको पता नहीं क्या हो गया, लगता है अपनी बुद्धि भी दिल्ली छोड़ आए हैं और ऐसे-ऐसे मंत्री, गृह मंत्री और गन्ना मंत्री [xxx] के हैं जिनसे कोई कार्यवाही करते बनती ही नहीं है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर माननीय मैनेजर सिंह जी कैसे शब्द [xxx] जैसे अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे इस कार्यवाही का अंग न बनाया जाए। जैसा मान्यवर यह अपना मन बनाए बैठे हैं, वैसा ही दूसरों को समझते हैं। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

जो आपत्तिजनक शब्द हैं वह कार्यवाही से निकाल दिए जायेंगे, माननीय मैनेजर सिंह जी एक दूसरे पर व्यक्तिगत रूप से कोई लांछन न लगाएं और कृपा पूर्वक, शांत रहें।

नोट [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस घटना पर मैं समझता हूं कि सिवाय शर्मिन्दगी प्रकट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि इस मामले में किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है, मामला बिल्कुल साफ है, मुल्जिम का भी पता है, अब सख्त से सख्त कार्यवाही ही करनी बाकी है, वह कार्यवाही भी यथाशीघ्र की जायेगी और इस मुकदमें को दर्ज करने में जिन लोगों ने किसी भी प्रकार की कोताही या विलम्ब किया है, उनके प्रति भी आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जाएगी।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर बराबर मैं इधर देख रहा हूं कि सारे प्रदेश में एक ही पैटर्न बना हुआ है और सत्ता पक्ष के लोगों ने यह तय कर रखा है कि इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे जो किसी भी तरह से मानवीय न हों जैसे श्री सफदर हाशमी की घटना को ही ले लीजिए श्री सफदर हाशमी साहेब कला के माध्यम से अपने स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति करते थे, बनारस में राजनैतिक नेता अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते थे, उनकी हत्या कर दी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि बरेली में विश्व मानव अखबार निकलता है, उसके पत्रकार पर शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ताहिर हुसैन 15–20 [xxx] को लेकर जीप सं0 डी0 ए0 ई0 3538 को लेकर हमला किया। वहां पर पत्रकार हरिओम गुप्ता थे, उनके अपहरण का प्रयास किया गया, जीप में डाल कर अपहरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन समय से दरबान ने दरवाजा बन्द कर दिया, और पुलिस को टेलीफोन हो गया, जिससे वह भाग गये, नहीं तो एक घटना और हो गयी होती। सारे प्रदेश में सरकार को यह भय हो गया है कि सत्ता उनके हाथ से निकलने वाली है। जितने गुण्डे हैं, चाहे वह हाशमी को मारने वाले हों, बनारस में हत्या करने वाले हों या बरेली में काण्ड करने वाले हों, उन सभी [xxx] को सरकार अपने साथ लेना चाहती है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि–

"नाग है अपना मुआविन तो कोई बात नहीं ।
काम लेना है हमें नाग खजाने पे बिठा लो अपने ।"

क्या कारण था कि विश्व मानव के पत्रकार पर हमला हुआ, कांग्रेस की महामंत्री कमलेश शुक्ल ने जिला परिषद् के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान दिलदार हुसैन अंसारी को थप्पड़ मार दिया, अखबार ने उसको रिपोर्ट कर दिया। अंसारी ने एलान किया कांग्रेसियों क्या तुमने चूड़ी पहन रखी है। कमलेश शुक्ल ने थप्पड़ रसीद किया, कमलेश शुक्ल एस0 एस0 पी0 को पत्र लिखती हैं कि अंसारी के गुण्डे मेरे मकान पर पहुंचे। मान्यवर, 23 जनवरी को हमला हुआ और 12 बजे रिपोर्ट लिखायी गयी और प्रेस कापी साढ़े सात बजे दी गयी। 24 जनवरी को सारे लोग जिलाधिकारी के यहां गये, मैं भी गया, उसी दिन ताहिर हुसैन की जमानत हो गयी, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि यह कांग्रेस के पाले हुए नाग हैं । मैंने जिलाधिकारी से कहा कि अगर आपको कांग्रेस के इन पदाधिकारियों को जो अपराधी हैं को पकड़ते डर लगता

नोट [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है आप हाट लाइन पर गृह मंत्री जी से बात कर लें, मुख्य मंत्री से बात कर लें तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। आज उन 20 आदमियों में से एक भी आदमी को पकड़ा नहीं गया है। वहां पर दिल्ली की एक जरनलिस्ट टीम आयी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 29 जनवरी को बरेली बन्द रहा, लेकिन इस सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंगा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जरनलिस्ट एसोसियेशन ने मुख्य मंत्री से बात किया, उन्होंने कहा कि कार्यवाही की जायेगी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। 22 जनवरी की घटना है और बीसों आदमी घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं नहीं की गयी है। एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हो सकता है कि आप मेरी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दें, यहां वक्तव्य के लिए कह दें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह इनका एक पैटर्न बन गया है। पूरे प्रदेश में गुण्डों के सहारे स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने वालों की हत्या की जा रही है, उनका मुंह बन्द करने पर तुली हुई है। मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। यही नहीं, इस मामले में तो केवल अपहरण करने का ही प्रयास किया गया लेकिन 9 फरवरी को उन्हीं लोगों ने एक और हत्या वहां पर कर दी। मैं इस सरकार के रवैये को देख रहा हूं कि यह कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। 9 फरवरी को हत्या हो गई और जो ताहिर हुसैन इसमें भी मुल्जिम है अगले दिन अदालत से फिर उसकी जमानत हो गई। सरकार ने उसे अपील नहीं किया। अपहरण के मुल्जिम ने हत्या कर दी। आप गैंगस्टर एक्ट उस पर लागू नहीं कर सकते? मैं जानता हूं कि शासन कोई कार्यवाही नहीं करेगा। आज कलाकारों की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा रहा है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, इस विषय पर मान्यवर, आप कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें क्योंकि कम से कम इस विधान सभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रहे और यह पता चल सके कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

*श्री सैयद अली अशरफी–

मान्यवर, जो कुछ बरार साहब ने कहा है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह बहुत ही गम्भीर घटना है और इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। सारे तथ्य आपके सामने आ चुके हैं। पूरे जनपद के अन्दर, रोहिलखण्ड के अन्दर और पूरे प्रदेश के अन्दर एक आग लगी हुई है। पत्रकारों के ऊपर ज्यादती हो रही है, उनके ऊपर हमला हो रहा है ताकि सच बात आप तक न पहुंचाई जा सके। इसे जानबूझकर किया जा रहा है। इस तरह से हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए मान्यवर, इस विषय पर सदन की एक कमेटी बनाकर मामले में जांच कराई जाय और आज सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मजदूरों के साथ पूंजीपति शोषण कर रहे हैं . . .

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

जो सूचनायें अग्राह्य हो गई हैं, उन्हें नहीं सुना जायेगा। कृपया बैठें।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, लोकतंत्र के चौथे दीप स्तम्भ कहे जाने वाले एवं लोकतंत्र के सुरक्षा प्रहरी प्रेस जगत के सम्मानित "अमर उजाला" के पत्रकार श्री उमेश डोभाल के अपहरण के बाद की गई हत्या की घटना को हम लोग अभी भूल नहीं पाये थे कि उसके बाद गत 23 जनवरी को महानगर बरेली के "विश्व मानव" कार्यालय पर यह घटना हो गई।

श्री उपाध्यक्ष–

घटना तो बरार साहब कह चुके हैं।

*श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

कांग्रेस [xxx] ने "विश्व मानव" के पत्रकार श्री हरि ओम गुप्ता के अपहरण का प्रयास किया और उनके कार्यालय पर अन्य पत्रकारों के सहयोग से गुण्डे लोग कामयाब न हो सके। मान्यवर, इन प्रत्रकार का दोष यह था कि सर्किट हाउस में एक जिला कांग्रेस महामंत्री ने दूसरे कांग्रेस के ही महामंत्री के चांटा मार दिया था और इन पत्रकार ने यह समाचार छाप दिया था। इसी से उत्तेजित होकर गुण्डों ने उक्त पत्रकार के कार्यालय पर धावा बोल दिया और उनका अपहरण करना चाहा। अगर उनका अपहरण कर दिया जाता तो उमेश डोभाल की तरह ही उनकी हत्या कर दी जाती। इसलिये मैं आपका संरक्षण मान्यवर, चाहता हूं कि आप सदन की आज की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय बरार जी ने तथा उनके साथियों ने पत्रकारों के बारे में बात कही और एक घटना विशेष की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। जहां तक पत्रकारों का संबंध है या दूसरे लोगों का संबंध है या आम जनता का संबंध है उनके जानमाल की जिम्मेदारी सरकार पर है अगर कहीं पर नहीं हो पाती है तो उसके लिए और ज्यादा प्रयास होना चाहिए। इस घटना के बारे में पूरी सूचना हमने मंगाई है इसलिये आप इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें ताकि जो सूचना आयेगी उसे सदन में दिया जा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं खुद ही इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा था (व्यवधान)

(मद संख्या 10 पुकारने पर कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

एक नीति संबंधी प्रश्न है आपने 5 सूचनाओं पर ध्यान आकृष्ट कर दिया (व्यवधान) आपकी व्यवस्था स्वीकार है मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 4 हरिजन मारे गये . . .

टिप्पणी:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

अब घटना पर चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

उपाध्यक्ष महोदय , व्यवस्था का प्रश्न है । मेजा कटाई मिल 80 दिनों से बन्द है . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो बात तय हो गयी, वह तय हो गयी। उसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी। ध्यान आकृष्ट सरकार का हो गया किस्सा खतम।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

ध्यान आकृष्ट किया है उसमें केवल इतना निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष–

जो नियम के तहत आयेगा वहीं किया जायेगा (व्यवधान) अब नहीं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

4 हरिजनों की हत्या हुई है उसमें केवल इतना निवेदन करना है कि वक्तव्य दिलवा दीजिये और उनको मुआवजा दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं कर सकता जो नियम बनाये हैं उनका अक्षरश: पालन होगा। एक में होगा तो दूसरे भी कहेंगे फिर तीसरे कहेंगे, फिर चैनल खुल जायेगा।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, पूरा आगरा जिला बंद है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब कुछ नहीं होगा जो कुछ निर्णय हो गया उसको बदला नहीं जा सकता है (व्यवधान) जो अब कहेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मेजा कटाई मिल के बारे में वक्तव्य दिलवा दें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा । जो नियम बन गया है उसको मानना होगा वर्ना सीमा कहां होगी ।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[x x x]

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरीश जी यह कोई बात नहीं हुई अब कोई बात नहीं होगी । (व्यवधान) मैंने कह दिया कि कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये (व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

पूरी अदालतें बन्द हैं (व्यवधान)

(श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री सरदार सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव आदि सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 3 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित कर दी)

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही 3 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौशिक रमाशंकर के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 3.06 से आरम्भ हुई)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 10 के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी आप कुछ और कहना चाहते हैं ?

जिला फैजाबाद में दंगा के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट को नियम 301 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय के पास मैंने एक पत्र भेजा था और उसके साथ ही फैजाबाद में अक्टूबर माह में जो दंगा हुआ था उसकी जांच रिपोर्ट भी भेजा था । नेता विरोधी दल ने चार सदस्यों की एक जांच समिति गठित किया था । मेरी अध्यक्षता में जांच हुई और उसकी जांच रिपोर्ट भी पत्र के साथ भेजा था और अनुरोध किया था कि नियम 310 में मुझे उसे ले करने की अनुमति दी जाये । मैं जानना चाहता हूं उस रिपोर्ट का अभी परीक्षण हो चुका है कि नहीं । यदि नहीं तो कब तक परीक्षण हो जायेगा ?

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नं0 2–आज मुझे मालूम हुआ है कि मुख्य मंत्री जी को तीन दिनों के लिये दिल्ली बुलाया गया है और शायद मध्यावधि चुनाव होने वाला है, इसलिये संसदीय कार्य मंत्री उसके सम्बन्ध में भी यदि जानकारी हो तो दे दें ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने चिन्ता व्यक्त की है इसका कोई आधार नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी वहां एक पेट्रोलियम के ऊपर सेमिनार हो रही है इसलिये उसमें भाग लेने हेतु गये हैं । चूंकि उनकी रुचि पेट्रोलियम में, फाइनेन्स में और विकास के कार्यों में काफी रहती है तो उसी के सम्बन्ध में वहां गये हैं । शाम तक वापस आ जायेंगे और कल यहां आयेंगे । इस प्रकार तीन दिनों के लिये नहीं बल्कि चंद घंटों के लिये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

जांच रिपोर्ट के परीक्षण के सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी अध्यक्ष जी के पास है और उनसे प्रयास करके शाम तक सूचना दे दी जायेगी ।

राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन-यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च है, के सम्पूर्ण कार्यकलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

*श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, सत्ता पक्ष और प्रति पक्ष एवं समाज के राजनीतिज्ञों के चरित्र हनन का एक सक्षम प्रयास समाज में व्याप्त हो रहा है। वास्तव में जो दोषीजन हैं उनको हम दोनों पक्ष के लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर शंका जाहिर करते हुए जो संकल्प रखा गया है मैं इसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जब चारों तरफ बराबर यह आवाज उठ रही है कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है तो सभी की निगाहें हम राजनीतिज्ञों के चरित्र पर पड़ती हैं । लेकिन जाने अनजाने समाज की जो चौथी इकाई पत्रकार हैं वह भी हमारे ऊपर देखते हैं और किसी का ध्यान समाज के उस वर्ग पर नहीं जाता है जो वास्तव में समाज का दोहन कर रहा है भ्रष्टाचार के माध्यम से वह आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 एवं बड़े-बड़े टेक्नोक्रेट के लोग हैं।

आज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं केवल इस संकल्प के पक्ष में मत व्यक्त करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जहां विधान सभा स्थित है इसकी परिधि में कम से कम 400 मकान वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे बने हैं जिनकी कीमत 5 से 25 लाख रुपये के मध्य में है। यह पैसा कहां से आया । यह पैसा आम जनता की कमाई से जो सरकार जनता के हित की योजनाओं

†दिनांक 11 अप्रैल, 1987 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के क्रियान्वयन में लगना है देती है वह कमीशन के रूप में अधिकारियों की जेबों में जाता है और बड़े-बड़े भवन निर्मित हो रहे हैं। मान्यवर, बराबर सवाल उठता है कि फलां अधिकारी के भवन में फलां आयोग का दफ्तर है फलां अधिकारी के भवन में फलां कारपोरेशन का दफ्तर है। इन भवनों को किराये पर उठाने की प्रक्रिया लें तो कोई भी ऐसा आयोग, नहीं है लोकायुक्त को छोड़कर, जिससे जांच करा लें लेकिन कोई भी अधिकारी जीवन काल में कितनी सम्पत्ति अर्जित करता है उसके जांच का दूसरा तरीका नहीं है। विजीलेंस का अधिकारी भी आई0 पी0 एस0 होता है और वह आई0 पी0 एस0 की जांच करता है। मेरा मत है कि आई0 ए0 एस0 या चीफ इंजीनियर या लखनऊ या बाराबंकी का कलेक्टर हो या पुलिस अधीक्षक हो । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो या लखनऊ का विकास प्राधिकरण उनके चेयरमैन जो हैं, उन सबके पास पहले जीवन में कितनी सम्पत्ति एक परिवार में थी और आज कितनी सम्पत्ति है। क्या इसकी जांच कराने के लिये कोई भी आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में हम निश्चय करेंगे ? हम तो यह मानकर चलते हैं कि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को एक मन और एक मत से इसको जारी कराना चाहिए-- एक ऐसे आयोग की स्थापना हो, जिसमें इन उच्चाधिकारियों के आर्थिक स्रोतों की जांच हो कि उन्होंने कितना धन अर्जित किया है। इसकी जांच कराई जाए। अभी कुछ दिनों से अखबारों में कुछ बातें चल रही हैं कि एक पुलिस ईमानदार अधिकारी को सरकार ने उसके पद से पदच्युत कर बाराबंकी से उसे हटा दिया ।

इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट घोषणा यहां पर करना चाहता हूं कि ग्राम सभा बंगरीली जो लखनऊ की सीमा के अन्तर्गत है, उसमें 30 आई0 पी0 एस0 अधिकारियों ने, जिसमें पांच बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक हैं, वहां पर कई-कई बीघे जमीन अपने नाम ले रखी है। वहां पर जिलाधिकारियों के नाम जमीन के पट्टे किये गये हैं। उनका मैं यहां पर नाम लेना नहीं चाहता हूं। यह एक बंगरीली का मामला है और उससे जरा हटकर चले जाइये, यहीं कुर्सी रोड पर अनवारी में 5 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के बहुत लम्बे-चौड़े, 5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ के बीच में भूखण्ड हैं। इनको उन्होंने 2 रुपये से 5 रुपये तक के किराये के तौर पर ले लिया है । मेरी समझ में नहीं आता कि पांच रुपये के मानक किराये पर कैसे उन अधिकारियों को दे दिए गये हैं। फिर नोएडा या गाजियाबाद चले जाइये, इसी सम्बन्ध में उस समय भाटी जी इस पर सवाल उठा रहे थे, यह हालत सभी जगह है। जितनी अच्छी और कीमती जमीन है यह अधिकारी वर्ग के लोग अपनी नाजायज कमाई के बल पर हथियाते चले जा रहे हैं।

एक राजनीतिज्ञ का नाम तो हर जगह कोट किया जाता है, लेकिन इन उच्चाधिकारियों और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स का नाम कोट करने में हम भी डरते हैं और हमारे पत्रकार बन्धु भी डरते हैं। क्योंकि हमको अपनी राजनीति की चिन्ता है, राजनीति करने की हमको कामना है और पत्रकार को अपने उनसे विज्ञापन प्राप्त करने की

चिन्ता है। इसलिए हम उनके विरुद्ध कोई बात उठाने में डरते हैं। इस आयोग की स्थापना का कार्य 40 वर्षों की आजादी के बाद इस विधान सभा का सर्वोच्च निर्णय होगा, यदि हम यहां इसका निर्णय सर्वसम्मति से कराने में सक्षम हो सके। अन्त में, मैं तिवारी जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं, अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने इस विषय में गम्भीर मुद्दा इस सदन में रखने का प्रयास किया। इस सदन के प्रतिपक्ष के और सत्तापक्ष के लोग दुबारा सदस्य बनें या न बनें, लेकिन वह इसके लिए समाज में आदर के पात्र होंगे, यदि वह इस आयोग की स्थापना कराने में समक्ष हो सके।

इसके साथ मैं तिवारी जी के संकल्प के प्रति अपने को अपने समर्थन के साथ सम्बद्ध करते हुए कामना करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस संकल्प को आप अवश्य-अवश्य रूप में, नियम में परिवर्तित कराने की आप लोग कृपा करेंगे।

*श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह संकल्प जो माननीय श्री रवीन्द्र नाथ जी लाए हैं, यह एक विचारणीय बिन्दु है और करीब-करीब हम ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर हमें कुछ तय करना होगा। आखिर महानगर में बनी हुई बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, लखनऊ और वाराणसी आदि में बनी हुई बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें और उन पर लगे हुए नामपट हैसियत उनकी आज जरा देखें, तो तमाम ऐसे लोगों की कोठियां हैं जो जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर तबके के कर्मचारी हैं, जो उनकी औकात से 100 गुना ज्यादा दर्शाती हैं कि उनके पास इतनी परिसम्पत्तियां हैं। मैं यह कहना चाहता हूं शायद एक उच्चाधिकार आयोग इसके लिए बहुत छोटा पड़ेगा। हमारे अवस्थी जी ने जो बात कही वह सही है, लेकिन अगर 48 घण्टे के लिए लखनऊ शहर की हर बिल्डिंग का स्वामित्व सरकार ले ले और यह कहे कि आप अपने मालिकाना हक का सबूत लाइए और उसके बाद बिल्डिंग ले जाइए और यह भी बताइए कि यह बिल्डिंग आपने किस तरह बनवाई तो निश्चित रूप से लखनऊ की एक चौथाई कोठियां खाली हो जायेंगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

आज अवांछित सम्पत्तियों के अम्बार लगे हैं, बेनामी सम्पत्तियों के अम्बार लगे हुए हैं अगर पता लगाना है तो मैं कहना चाहता हूं चाहे एक बार ही 48 घन्टों के लिए इसका स्वामित्व सरकार को लेना होगा फिर लोग काउन्टर पर आएं और बताएं कि किस तरीके से सम्पत्ति हासिल की वह उसका मालिकाना हक लाएं और सम्पत्ति वापस ले जाएं। सवाल इस बात का है कि एक एम0 एल0 ए0, मैं मात्र अधिकारियों की बात नहीं करता हूं एम0 एल0 ए0 होने के एक साल बाद, डेढ़ साल बाद, दो साल बाद अगर उसकी सम्पत्तियां बढ़ रही हैं तो निश्चित रूप से उसे इस माननीय सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूं अगर आज इस सदन में जो मुद्दा उठा है उस पर आवाज दबा दी गयी तो पूरी जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा । यह सत्य है आज लोग सोचते हैं कि लोक तंत्र इस बात का हल नहीं निकाल सकता है कि कितनी किसकी तनख्वाह है और वह कितनी सम्पत्ति का मालिक है । मान्यवर, स्टेट बैंक का एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जालसाजी में पिछले दिनों पकड़ा गया तो यह पता लगा कि वह तीन बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का मालिक है । वह बैंक फिएट कार से जाता था । मैं मान्यवर, इस संकल्प की मंशा से तो पूर्ण समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उच्चाधिकार आयोग कितने केसेज का पुनरीक्षण कर पाएगा ? क्योंकि यह संख्या पिछले दिनों में काफी बढ़ी है । एक बात और मान्यवर, कहना चाहूंगा कि उच्चाधिकार आयोग राजनीतिज्ञों द्वारा गठित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ अधिकारियों की बात नहीं है राजनीतिक जीवन जीने वाले चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनके दामन गन्दे हैं जिनके दामन पर धब्बे हैं–

(मेजें थपथपाई गईं)

अगर उन्हीं लोगों को सामने लाने के लिए उन्हीं लोगों द्वारा नियुक्त समिति जांच करेगी, तो मुझे संदेह है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि विधान सभा स्वयं कोई ऐसी प्रक्रिया तय करे या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे जिसकी जितनी आय हो उतनी सम्पत्ति रख पाए । धन्यवाद ।

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है एक ऐसा विन्दु है जिससे पूरा समाज ग्रस्त है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है कभी भी भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं आता है । हमारी सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग इनके जनक हैं । [xx]

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

बाबू राम जी कृपया, जिनके बारे में आप बात कहें अगर वह यहां पर जवाब नहीं दे सकते तो उनका नाम न लें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संकल्प अपने में बहुत गंभीर संकल्प है । अगर हम अपनी दलगत राजनीति से हटाकर इस संबंध में बातें करेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें बाहर आ जायं । हम सब विषय की परिधि से बिल्कुल बंधे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टिप्पणी–[xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हैं, इसकी परिधि से बहुत मजबूती के साथ बंधे रहना होगा । अगर इस संकल्प को सामने रखा जाय तो वह बातें निकल सकती हैं जिससे कि हमारा सदन किसी ऐसे निर्णय पर पहुंच सकता है आगे चलकर कुछ इस चीज यानी भ्रष्टाचार की बंदिश की जा सकती है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इसको इस लाइन पर देखें ।

कृषि मंत्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)–

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी थी कि माननीय तिवारी जी एक बहुत लोक महत्व का और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न इस संकल्प के रूप में लाये हैं । इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । मुझे खुशी इस बात की थी कि हमारे माननीय सदस्य बिना दलगत भावनाओं को सामने रखते हुए अपने स्वतंत्र विचार इस विषय पर रख रहे थे लेकिन इसी बीच माननीय सदस्य मैनपुरी ने इस विषय को दलगत राजनीति से बांधने और जोड़ने का प्रयास किया । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य मैनपुरी ने अभी जिक्र किया उसे कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री बाबू राम–

मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो नियम विरुद्ध हो इसलिए निकालने का प्रश्न नहीं है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

उन्होंने जो कुछ कहा है वह इस विषय से अलग है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी है कि किसी भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो यहां सदन में उत्तर नहीं दे सकता उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाना उचित नहीं है और नियम विरुद्ध है ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने एक बिन्दु उठाया जिसमें हमारे माननीय सदस्यों को एतराज है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार का पूरा दरवाजा खोल रखा है सारे के सारे लोग जो ऊंची सीटों में बैठे हैं वह ही भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं ।

मैं अधिकारियों की बात बाद में करता हूं मेरा सीधा आरोप है कि आज यह जो मा0 तिवारी जी की सरकार है पांच-छः मंत्रियों को छोड़कर सारे के सारे मंत्री खुलेआम रिश्वत लेते हैं, अधिकारियों की बात तो तब आती है जब मंत्रियों का आचरण साफ हो और उन पर कालिख न पुते ।

श्री अधिष्ठाता–

उनके लिए तो लोकायुक्त का दरवाजा खुला है । आप कृपा करके इस संकल्प पर आयें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर अधिकारी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन मंत्रीगण एक-एक तबादले में 50-50 हजार रुपया लेते हैं तो उनका दामन साफ कैसे हो सकता है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी मंत्रीगण हैं, मैं सूची भी दे सकता हूं, मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं कि इस सरकार के मंत्री 50 हजार से लेकर 60 हजार, 70 हजार एक-एक अधिकारी से रुपया लेते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

बाबू राम जी इसमें जो मामला है, इसको आप दर्ज करें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं वही बात कह रहा हूं । जब अधिकारी लोग 50 हजार रुपये देकर जायेंगे तो निश्चित रूप से जनता से अनधिकृत कमाई करेंगे और जब कमाई करेंगे तो जमीन भी बनायेंगे, बंगला भी बनायेंगे और सारा काम करेंगे । मैं इस संकल्प के माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश का हाल है, पहले इस पर विचार करें, स्वयं इस संकल्प के माध्यम से संकल्प करें कि आज से रिश्वत नहीं लेंगे । आप आज संकल्प लेंगे तो कल सुबह के सूरज के साथ ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा । संकल्प को कानून बनाने की बात है, तो इससे पहले अपने दामन में झांक कर देखें और इस कानून को बनाने से पहले अपने दामन को साफ करें । इसके साथ ही मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस दिन से जो राजनीतिक लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, ऊंची-ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, उनके संबंध में मेरा अनुरोध है कि जो व्यक्ति जिस दिन से राजनीति में आया है, उस दिन से उसकी सम्पत्ति की जांच कर ली जाय । इसी प्रकार से आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 इंजीनियर और डाक्टरों की नौकरी में आने के बाद की सम्पत्ति की जांच करा दी जाय । यदि सम्पत्ति उनके संसाधनों से निकलती है तो उसकी सम्पत्ति जब्त करके नीलाम कर दी जाय । इस प्रकार से काम नहीं किया जायेगा तो भ्रष्टाचार खत्म करना कठिन होगा । यह कानून बना है कि जिस दिन से कोई पद पर बैठे, उस दिन से उसकी सम्पत्ति की नियमित रूप से जांच हो और उनकी अतिरिक्त सम्पत्ति को जब्त करके सरकार नीलाम करे । इस प्रकार का कानून बना है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार रुक जायगा ।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, आदरणीय तिवारी जी एक बड़ा महत्वाकांक्षी संकल्प हम लोगों के समक्ष लाए हैं । हम लोग सभी आशा करते थे कि इस संकल्प पर पक्ष और विपक्ष के लोग खुले मन से विचार करेंगे ऐसी शुरुआत भी हुई । अधिकांश सदस्यों ने अपनी भावनाओं को इस संकल्प के बिल्कुल अनुरूप प्रस्तुत किया और यह आशा थी कि इस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लेंगे कि माननीय तिवारी जी ने चाहा था और पूरे सदन ने चाहा था, इसको यहां पर पास करेंगे और एक नये आयाम का गठन करेंगे । मान्यवर, इसी विचार-विमर्श के दौरान एक ऐसी बात हो गयी कि मुझे एक कविता की दो पंक्तियां याद हो गयीं । हमें और हमारे किसी भी साथी को अपने किसी भी साथी द्वारा कही गयी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए इसी पर मैं एक कविता कह रहा हूं । मान्यवर कविता की पंक्तियां हैं :

मूरख का मुख वम्ब है, निकसत बचन भुजंग ।
ताकी औषधि मौन है विष नहीं व्यापत अंग ।।

मान्यवर, अच्छे माहौल में यदि कोई गड़बड़ बात सामने आए तो उसे नहीं देखना चाहिए । विचारों से भटकना नहीं चाहिए हमें उसकी तह में निश्चित रूप से जाना चाहिए । अगर उसकी तह में नहीं पहुंच पायेंगे तो विचार अधूरे के अधूरे रह जायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से चला है नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर नहीं । इस भ्रष्टाचार में सहयोग सभी का है, अगर इस सदन में माननीय सदस्य यह निश्चय कर लें कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, तो यह कदापि नहीं रह सकता है । लेकिन मान्यवर 80 प्रतिशत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी पार्टियों ने उन्हें उनके भ्रष्टाचार को आधार मानकर टिकट दिया । गोली बन्दूक की नोक पर यह उन्हें यहां पर बिठाकर लाये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप भी विषय से भटक रहे हैं ।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, मैं विषय से अलग नहीं बोल रहा हूं जिस संकल्प को माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी यहां पर लाए हैं, यह संकल्प उन पार्टियों के लिए चाहिए । उस संकल्प को बनाते समय, दूसरों के लिए बनाते समय, पहले अपनों के लिए बनायें। जिस नीति को दूसरों के लिए लाना चाहते हैं पहले उस नीति को अपने लोगों पर चलायें । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस उच्चायोग की परिधि में विधान सभा के सदस्य भी आने चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार की गंगा जो ऊपर से चल रही है उसको रोका जा सके । जयहिन्द । जय भारत ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस संकल्प को माननीय सदस्य पहले पूरी तरह से पढ़ें उसकी परिभाषा पढ़ें उसका मनन करने के बाद विचार व्यक्त करें वह ज्यादा लोकहित में होगा वनस्पति इसके कि एक सज्जन ने अभी कहा और उसका जवाब दूसरे माननीय सदस्य ने दे दिया । इससे जो प्रस्तुत संकल्प है उसकी भावना के साथ अन्याय हो जायेगा अपनी बात बढ़ाते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जो अभी भावना व्यक्त की है, जिस अच्छे मन से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, अच्छी बात है । माननीय सदन को तो माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का आभारी होना चाहिए कि भ्रष्टाचार की जो दुर्गन्ध आ रही है उस दुर्गन्ध को दूर करने के लिये एक प्रभावी कदम उठाने के लिये माननीय सदन में एक संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में बसों के रखरखाव साज-सज्जा के सम्बन्ध में जितना सामान आता है, वह इधर उधर कर दिया जाता है। वह कंडक्टर फोरमैन के घर तक पहुंच जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

परिवहन विभाग की सम्पत्ति, वहां का सामान, इनके उच्चाधिकारियों के घरों तक पहुंच जाता है, प्रबन्ध निदेशक के घर पहुंच जाता है। हमारे माननीय सदस्य एक भी ऐसी बात बतायें कि फलां विभाग की फलां चीज फलां विधायक के यहां या फलां माननीय मंत्री के यहां रखी हुई है । आज किसी भी अधिकारी के यहां, आई0 ए0 एस0 के घर में जाकर देखें ऐसा सामान भरा पड़ा है जिनकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। घर में घुसते ही कालीन बिछी दिखती है उस कालीन की कीमत एक लाख, 2 लाख होती है जबकि उनकी तनख्वाह क्या है तीन हजार रुपये और कालीन की कीमत है 3 लाख रुपये । उनके यहां जो डेकोरेशन का सामान रखा रहता है, चाहे किसी बिक्रीकर अधिकारी का कमरा देख लें, कमिश्नर के कमरे में चले जायें, प्रमुख सचिव जो यहां कोई काम नहीं करते हैं, उनके कमरों में चले जायें, तो मालूम पड़ेगा कि जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, वह सभी उन अधिकारियों की शानशौकत के सामने बौने पड़ेंगे । यह समझ में नहीं आता कि यह सम्पत्ति कहां से आ रही है ? इसलिए श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनके भवनों को देख लें और जब उनसे पूछेंगे कि यह पैसा कहां से आया, तो वह कहेंगे कि कर्जा लिया है।

मान्यवर, आपको याद है कि जब माननीय विधायकों को एक लाख रुपये तक कर्जा देने की बात कही गयी थी, तो बड़े-बड़े अधिकारियों की ओर से तमाम समाचार पत्रों में माननीय विधायकों के खिलाफ लिखा गया और यह कहा गया कि सारे विधायक इकट्ठा होकर प्रदेश की सम्पदा को लूटने का काम कर रहे हैं और गरीब प्रदेश लूटा जा रहा है । आज अधिकारियों के घरों की बात आयी, उनकी जो साज-सज्जा है, उनके बच्चों के ऊपर जो सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता है, वह बहुत ही लज्जाजनक है और हमारे लोकहितों के विपरीत है। मान्यवर, आज इस माननीय सदन के कई सदस्य मंत्री हैं, उनका भी यही हाल होगा, जो आज हमारा हो रहा है। ऐसे कई मंत्री हैं, जिनको माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन इस सदन की कुर्सी छोड़ने के बाद जब यह कमरे में जाते हैं तो इन्हें ठंडी और गर्म हवा लग सकती है लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद जब यह हमारी तरह होंगे, जो इनकी वेशभूषा, इनकी साज-सज्जा वही होगी, जो आज हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है। लेकिन सरकारी अधिकारियों को आज नौकरी से अलग कर दिया जाय और उसकी सम्पदा का ब्योरा देखा जाय तो वह करोड़ों में होगी ।

आज जो कमिश्नर हैं, सचिव हैं, उनके पास करोड़ों रुपये की सम्पदा है, उनके होटल चल रहे हैं, अनैतिक व्यापार चल रहे हैं । श्रीमन्, मैंने इससे पहले आपके सामने परिवहन विभाग की बात रखी, अब मैं बिजली विभाग और

दूसरे विभाग के अधिकारियों का हाल कहना चाहूंगा । आप किसी भी विभाग के अधिकारी के घर चले जायें, आपको उस विभाग का सामान उस अधिकारी के घर में मौजूद मिलेगा, चाहे उद्योग विभाग का अधिकारी हो, सेल्सटैक्स विभाग का हो, इनकम टैक्स विभाग का हो या किसी अन्य विभाग का हो । इसी तरह से मान्यवर, जब वार्षिक साल बदलेगा तो इनके घर पर तोहफे जायेंगे और अगर इन तोहफों का ही आंकलन कर लें तो यही लाखों रुपये के होंगे । 31 दिसम्बर की रात को जो इनके यहां फंक्शन होता है, उस आयोजन को आप देखें । अगर आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं तो मारे शर्म के हम लोगों का सिर डूब जायेगा, आत्मा ग्लानि से भर उठेगी । मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय सदन में बैठकर हम लोग ऐसे उदंड अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने से रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारी हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और देश के गरीबों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हम कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि वेतन के साथ में एक नीति बननी चाहिए कि इनकी एक साल में इतनी सम्पत्ति हो सकती है और यह फैसला भी हो जाय कि यदि इससे ज्यादा होगी, तो वह कुर्क कर ली जायगी ।

यहां पर मंत्रि परिषद् के कौशल साहब बैठे हैं, रिछारिया साहब बैठे हैं, दीक्षित जी बैठे हैं, यह लोग इस बात का आज फैसला करें कि हम रहें न रहें, लेकिन हम तुम्हारे भ्रष्टाचार को नहीं चलने देंगे, तुम्हारी सारी सम्पत्तियां सरकार के सुपुर्द कर देंगे, यह फैसला आज हो जाना चाहिए । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस काम में हमारे सभी माननीय सदस्यों का सहयोग होगा, आप इस कदम को उठाइये तो । जनता उसका स्वागत करेगी । आज जनता का कोई गरीब आदमी किसी इंजीनियर के घर में चला जाये, तो उसके कुत्ते ही उसको भगा देंगे । गांव के एक गरीब आदमी के खाने के लिए रोटी नहीं है। जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, वह हम सब माननीय सदस्यों के लिए एक चिन्ता का विषय बन गया है। मैं माननीय श्री तिवारी जी का बहुत आभारी हूं सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमें अपने राजनैतिक विद्वेष भूल करके, इस देश के हित में, जनता के हित में, जो लोग हम लोगों के नाम पर सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं, उनको पूरा-पूरा दण्ड दिया जाना चाहिए । इसलिए इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाय और उसे पूरी शक्ति दी जाय (धन्यवाद)।

*श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, मैं श्री तिवारी जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने आज एक बहुत ही सुन्दर व पवित्र संकल्प इस आदरणीय सदन में रखा है। मैं बधाई देता हूं अपने सत्तापक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्यों को कि आज एक मुद्दे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर तो वह एक हुए । इस सदन से एक क्रान्ति की शुरुआत होनी चाहिए कि आज जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको नेस्तनाबूत कर दिया जाय । मान्यवर, यदि आप देखें । हमारे उत्तर प्रदेश में जो बड़ी-बड़ी कालोनियां बनी हैं या बनायी जा रही हैं, चाहे वह लखनऊ में या गोमती नगर में हो, चाहे वह गाजियाबाद में डेवलपमेंट अथारिटी हो या नोएडा में जो आलीशान बस्ती बनाई जा रही हैं, अधिकारियों के नाम से, यहां तक कि उनके कुत्ते-बिल्लियों के नाम से 3-3 व 4-4 मकान एलोटेड हैं। सरकार से लोन लेकर मकान बना रहे हैं और जिस कारपोरेशन के एम0 डी0 हैं, उसी को 8-8 व 20-20 हजार रुपये किराये में उस मकान को दे रहे हैं। इन अधिकारियों का 20-20 हजार रुपये प्रति महीना तो किराया ही आ रहा है। जब हम लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, तो कहा जाता है कि ये लोग हरामखोरी करते हैं, ब्लैक मेल करते हैं। इन्हें 4-4 हजार तनख्वाह देकर जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान हो रहा है। जिलों में जो जिलाधिकारी हैं । वह एक राजा से कम नहीं हैं । उनके बच्चों के लिए 3-3 गाड़ियां लगी हुई हैं, उनके बच्चों के ऐश करने के लिए । डी0 आर0 डी0 ए0 तो एक ऐसी चीज है, जिसमें पैसा वैसे ही बहता है।

माननीय श्री तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि एक उच्च आयोग बनाया जाय और उसमें जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय और उसे इतनी शक्ति दी जाय कि वह भ्रष्टाचार का मुकाबला कर सके और इस भ्रष्टाचार को सख्ती से समाप्त कर सके ।

मान्यवर, आज यदि किसी विधायक ने जांच बैठाई भी, तो जो जांच करने वाला अधिकारी होता है, वह भी उस अधिकारी से रिश्वत ले लेता है और वह जांच अधर में लटक जाती है । जो सड़कें हैं, वे किताबों में ही पड़ी रहती हैं, यदि अधूरा बना है तो बरसात में वह बह जाती है। जनता जब हमसे पूछती है कि विधायक जी यह सब क्या हो रहा है तो हम लोग चुपचाप खड़े रह जाते हैं । तब जनता भी सोचने लगती है कि विधायक जी को भी इसमें हिस्सा मिला होगा । इस अहम मुद्दे को केवल चर्चा का विषय न बनाया जाय, बल्कि इस पर अमल किया जाय । अधिकारी लोग कहते हैं कि विधायक लोग तो केवल भाषण करते हैं, इम्पलीमेन्टेशन नहीं करते । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका इम्पलीमेन्टेशन किया जाय ।

मान्यवर, आज आप देखें । चाहे वह आई0 ए0 एस0 अधिकारी हो, आई0 पी0 एस0 हो, इन्जीनियरिंग सर्विसेस का हो, सेल्स टैक्स का हो, इनकम टैक्स का हो और चाहे वह केन्द्र सरकार का अधिकारी हो, हर इस बात की जुगाड़ में रहता है कि उसका विदेश दौरा बन जाय और अधिक से अधिक टी0 ए0 व डी0 ए0 मिल जाय । उनके परिवार के लोगों का विदेश दौरा बन जाय । आज ये लोग सरकार के लिए जोंक बन गये हैं। जनता के खून को चूस रहे हैं । एक बार फिर से सामन्तवादी बातें आ रही हैं । जैसा कि हम सुना करते थे और जैसा

राजा लोग कराया करते थे । आज ये जोंक हो गये हैं। जन प्रतिनिधियों को तो इगनोर करते हैं । अगर भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाते हैं या व्यवस्था उठाते हैं तो सब अधिकारी एक हो जाते हैं और उस विधायक या जनप्रतिनिधि को बदनाम कराते हैं और शिकंजे में जकड़ते हैं, जिससे विधायक अधीर हो जाता है और जुबान बन्द करनी पड़ती है। ये लोग भी माफिया पालते हैं । डराते हैं धमकाते हैं, गुण्डों को एम0 एल0 एज0 के घर भेजते हैं कि अगर बोलोगे तो ऐसी की तैसी कर दी जायगी । मेरी मांग है कि आयोग का गठन शीघ्र ही कर दिया जाय, पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक एक हैं, हमको भ्रष्टाचार रूपी राक्षसों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिये । जय हिन्द ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी के संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । माननीय तिवारी जी ने संकल्प में जो परिभाषा दी है वह बहुत स्पष्ट है। उन्होंने अपने संकल्प को अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित रखा है, जिनको वेतन जो मिलता है, उससे कहीं ज्यादा उनकी आमदनी है, इसलिये इसी के इर्द-गिर्द विचार प्रकट करना है । सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों से सुना कि भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। ऊपर तो सबसे बड़े [× × ×] हैं और उसके बाद [× × ×] हैं, तो क्या यह मानकर चला जाय कि वहीं से भ्रष्टाचार चला आ रहा है ? ठीक है, मैं मान रहा हूं कि वहीं से चला आ रहा है तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए । यह बात सही है कि हमारी जो योजनायें बन रही हैं, जो एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के लिये रुपया दे रहे हैं, ये जो विकास के कार्य जिलों में, जनपदों में हो रहे हैं, वह रुपया सीधे अधिकारियों के हाथ में जाता है और वे उसे अपने तरीके से खर्च करते हैं। उसमें से 50 प्रतिशत तो उनकी जेब में चला जाता है, इन्जीनियर हो, जिलाधिकारी हो या बड़ा अफसर हो, काम पूरा नहीं होता है, ठेकेदार खा जाता है और सम्बन्धित अधिकारी खा जाते हैं। यह हम देखते हैं कि जितना रुपया जाता है, उससे उतना काम नहीं हो पाता है, तो फिर आखिर रुपया कहां जाता है ? इसमें विधायक या कोई और कहां शरीक है, इस पर नहीं जा रहा हूं लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें जो अधिकारी सम्बन्धित हैं, वह बहुत बड़े हिस्सेदार रहते हैं और ठेकेदार से और उन अधिकारियों से बंधा हुआ रहता है और वे ले जाते हैं । हर जिले में इन अधिकारियों के अपने निजी मकान बन गये । बनारस में जूनियर इंजीनियर से लेकर सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर, थानेदारों और पुलिस के अफसरों ने बनारस में मकान बना लिये हैं इसलिये कि यहां काशीवास करके स्वर्ग जाने में बहुत बड़ी सुविधा होगी ।

(हंसी)

दुनिया भर के पापाचार, भ्रष्टाचार करके काशीवास कर रहे हैं। एक सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर बिजली विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के जितने जूनियर इंजीनियर

नोट–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

और असिस्टेण्ट इन्जीनियर हैं, सबने मार्बल्स और मुजेक्स के खुशनुमां मकान बनाकर रखे हैं। मेरा कहना है कि यह सब धन चला जा रहा है, इसलिये विकास के कामों में हर जगह बाधा पहुंच रही है और अगर यही सिलसिला जारी रहा और हम इसे टालते रहे तो बहुत नुकसान होगा अभी माननीय सदस्य मिर्जापुर कह रहे थे बेनामी जमीन के बारे में इसको कैसे निकाला जाय, इसको जब तक मूलगामी भूमि सुधार आप नहीं करेंगे, इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। बड़ी-बड़ी जमीन के मालिकों को संरक्षण प्राप्त है इसलिये यह सवाल, एक अलग सवाल है। हम लोगों में या मंत्रियों में से कोई हो सकता है कि बड़ी आमदनी इकट्ठा कर ली हो। मैं भी अखबारों में पढ़ा करता हूं कि किसी ने बैंक में और किसी ने फारेन बैंक में इतना धन इकट्ठा कर लिया है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह कौन लोग हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है। अगर ये हेरोइन बेचते हैं, माफिया गिरोह के हैं जिससे कि उनकी आमदनी के स्रोत बंधे हुए हैं, आखिर ये किसकी शरण में हैं, यह देखना चाहिये। यदि माननीय सदस्य इस पर ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है। वास्तविकता यह है कि राजनीति में काम करने वाले लोग धन इकट्ठा किये हैं, इसके पीछे कोई न कोई बात है। यहां यह कह कर आप कतरा गये कि यह तो ऊपर से चलता है तो कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने को तैयार हैं। मान्यवर, यही लोग हमारे प्रशासनतंत्र की बुनियाद हैं। अगर यह नहीं सुधारा गया, तो बहुत बड़ी समस्या बन जायगी आज शासन उधर का है, कल इधर का हो सकता है, कौन जानता है कि कल आने वाले चुनाव में कुछ और ही जनादेश हो जाय ?

अगर प्रशासन में इसी तरह से भ्रष्टाचार रहा, हमारी गाढ़ी कमाई इसी तरह से नष्ट होती रही, यह कमाई है किसकी ? हमारे गांव के किसानों की, कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की, वह सारी की सारी चली जा रही है। आज आप कोई विभाग को लेकर देख लीजिये जनसाधारण का ही धन वहां जाता है और वहां कोई भी काम बगैर पैसा लिये हुए होता नहीं है। अब तो यहां तक हो गया है कि कलेक्ट्रेट के अधिकारी बिना रुपया लिये हुए कोई फैसला लिखते ही नहीं हैं। एक्जीक्यूटिव आफिसर जो हैं वह तो बदनाम थे ही, अब तो जुडीशियरी के मामले में भी यही बात लागू होती है, वहां भी रुपये के बल पर न्याय का गला घोंटा जा रहा है। आज प्रशासनतंत्र में जो बुराई आ गयी है उसे दूर करने की जरूरत है।

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है, यह प्रशासन-तंत्र को ठीक करने के लिये रखा है। उन्होंने जो सुझाव रखा है आयोग के बारे में, यह सही है। आयोग इसके लिये गठित होगा।

*श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज मुझे इस संकल्प को रखने से बड़ा गर्व है। जिस दिन का हम भरोसा कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करना चाहिए। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिये माननीय तिवारी जी को धन्यवाद दूंगा, वे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और वरिष्ठ हैं, उन्होंने इस बिन्दु (संकल्प) को लाकर, प्रदेश के लिये एक नया जागरण लोगों में लाये हैं इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह क्या हो गया और कितनी कमियां यहां आ गयीं और यह कमियां सामने कैसे प्रस्तुत होने लगी ? इस सम्बन्ध में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं और अभी मैंने यहां पर 14 तारीख को चर्चा भी की थी कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इनाम लेने के लिए तथा प्रशंसा लेने के लिए या किसी प्रकार से इस पैसे को लूटने के लिए यहां प्रदेश में अधिकारी व कर्मचारी तुला हुआ है। इस प्रकार यह प्रदेश को एक दिन बिल्कुल तबाह कर देंगे और हम सब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं रहेगा । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि साढ़े सात करोड़ रुपया जनपद बलिया के भूतपूर्व जिलाधिकारी ने मार्च, 1988 में जो विकास के मद में संस्थागत से सम्बन्धित था, को अल्प बचत में डाल दिया । इसी प्रकार से 65 लाख रु0 प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का भविष्य निधि का पैसा, सरकारी पैसा था उसे भी अल्प बचत में डाल दिया गया ताकि इनाम लें और प्रशंसा पत्र प्राप्त करें । इसी प्रकार से साढ़े 12 लाख रु0 आगरा में जब यहां वह अधिकारी एडीशनल कमिश्नर- था, लूट लिये, इस मामले की जांच भूतपूर्व सचिव, राजस्व परिषद् ने की, मामला सही पाया गया, परन्तु ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी के मामले को दबा दिया गया और उल्टे उसे प्रमोशन दे दिया गया जो इस समय राम गंगा, कानपुर जनपद में हैं, अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के नीचे जितने लोग काम करेंगे, उनकी क्या स्थिति होगी ? मैं प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और प्रशासन की राष्ट्रीय नीति को इनसे बर्बाद नहीं होने दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी सिर्फ आयोग के बारे में कहिए । दूसरी बात न करें।

श्री हरदेव–

इसी बात पर आ रहा हूं तो ऐसा अधिकारी मान्यवर, अपने नीचे के अधिकारियों व कर्मचारियों की चरित्र-पंजिका कैसे लिखेगा, इसी वजह से वह कई वर्षों से बलिया के अधिकारियों व कर्मचारियों की चरित्र-पंजिका नहीं लिखा कि भ्रष्टाचार दबा रहेगा । फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को फर्जी ढंग से प्रमोशन दिये जा रहे हैं, प्रशंसा पत्र व इनाम आदि दिए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी शासकीय भूल की जा रही है, इसे रद्द किया जाये इसलिए ऐसे भ्रष्टों की जांच के लिए आयोग का गठित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि इस अधिकारी की सन् 84 की पत्रावली मंगाकर आप देख लें कि इस अधिकारी ने साढ़े 12 लाख रुपये की लूट की या नहीं की और यह अधिकारी दोषी है या नहीं जिस मामले की जांच सचिव, राजस्व परिषद्, श्री खंजन लाल ने की । मान्यवर, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जिसे देश व प्रदेश के जनता के विकास के लिए दिया गया था, उस पैसे से वह अपने विकास में खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार

से 1016 केसेज मार्च, 88 को नसबंदी के कागजों पर पूर्व जिलाधिकारी द्वारा इनाम लेने के आंकड़े दिखा दिए गये, जबकि डाक्टरों ने एक भी सही केस नहीं किया है, फर्जी नसबंदी दिखाकर इनाम व प्रशंसा पत्र प्राप्त कर परिवार कल्याण कार्यक्रम को कागजों पर कराकर राष्ट्रीय स्तर पर असफल बनाने में लगे हुए हैं।

जनपद बलिया के उप पुलिस अधीक्षक श्री आर0 डी0 सिंह ने हमारी विधान सभा क्षेत्र तहसील रसड़ा में अब तक 32 कत्ल कराये और कई लाखों रु0 की चांदी कांड पकड़ में लिया है वहां का प्रशासन तंत्र, शासन, मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और डी0 जी0 पी0 आदि को धोखा दे रहा है। इस मामले में इन अधिकारियों और एम0 एल0 एक्स0 का क्या मुकाबला है ? अभी देवरिया जिला पुलिस सिविल में उप पुलिस अधीक्षक पर जांच बैठाया गया है। (व्यवधान) इससे मुख्य मंत्री तथा पुलिस प्रशासन की छवि बिगड़ रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया आयोग पर ही बोलें ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं कहना यह चाह रहा था कि न्याय पालिका के कार्य प्रणाली तथा पुलिस के कानून व्यवस्था में आपको परिवर्तन करना होगा, ब्रिटिश कार्यकाल के जो नियम हैं, उन्हें तब्दील करना होगा, तभी हमारे प्रदेश की जनता का कल्याण होगा।

इसके आगे मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 40 लाख रुपये का गन्ना चीनी मिल रसड़ा में दो वर्षों में अधिकारियों ने अब तक लूटा है और 50,000 कुन्तल सीरा बेंचकर यह कह दिया कि वह सड़ गया । जनता जानती है कि नेता विधायक दोषी है मगर लूट अधिकारी व विभाग में लगे कर्मचारी कर रहे हैं और 3 लाख 50 हजार रुपया का गन्ना घुघली गोरखपुर से नहीं आया और अधिकारियों ने कह दिया कि उसका भुगतान हो गया है । अगर आप इन अधिकारियों के मिल कागजात पर छापा मारें, तो सारा का सारा रुपया पकड़ा जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप संकल्प के पक्ष में हैं ?

श्री हरदेव–

मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि न्याय हो । जिस सदन में हरदेव विधायक रसड़ा बलिया हो, अगर वहां पर कोई जुर्म होगा तो मुझे इस जुर्म की बगावत करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि जुर्म के खिलाफ बगावत करूंगा। [xxx] अधिकारियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात लगती है, लेकिन जुर्म के खिलाफ लड़ता रहूंगा । गन्ना मिल की लापरवाही को आप देखें और उसको रोकें। हमारे यहां के डी0 एम0 एस0 पी0 आर0 डी0 सिंह ने आपने कार्यकाल में पांच महीने में नाम से कम 200 से अधिक गलत गिरफ्तारी तथा 32 कत्ल और अफीमची धन काण्ड एवं गोलीकाण्ड कराकर कार्यालयों को माला पहनाया है तथा धन कमाया है । यही नहीं रसड़ा कस्बा में चांदी काण्ड में कई हजार रुपया की रिश्वत

टिप्पणी–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लिया और मामले को दबा दिया है तथा ग्राम रसूलपुर थाना रसड़ा में फर्जी डकैती में मुलजिमों का नाम स्वयं बनाया है और जो अपढ़ हैं, उनका हस्ताक्षर स्वयं कर दिया है तथा चन्द्रवार ग्राम सभा थाना नगरा के प्रधान श्री महेश चौहान को बम से उड़वा दिया है। यही नहीं रसड़ा बनिया बांध में मुसहर हत्या काण्ड में मुलजिम से 60 हजार रुपया रिश्वत लेकर हवालात से 302 के मुलजिम को निकाल कर अपनी जीप में बलिया ले गया और बिना पोस्टमार्टम का जमानत करा दिया।

सिनेमा हाल रसड़ा में इसकी साजिश से 3 कत्ल किये गये थे और मुलजिम को भगा-कर इसने जमानत करा दिया। यह [xxx] किस्म का पुलिस अधिकारी है। इसे होम-गार्ड में कहीं पहाड़ी क्षेत्र में भेजा जाये। इसको बलिया के किसी सरहदी जिला देवरिया, मऊ आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, मिर्जापुर में न रखा जाये तथा माननीय मुख्य मंत्री के पूर्व में जो आदेश हटाने के लिए सचिव गृह ने किया है, पी0 ए0 सी0 में भेजने का किया है, उसे हटाकर होमगार्ड में तैनात करने की तथा निलंबित करने तथा माननीय सदन के माध्यम से अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं नहीं तो यह बलिया और रसड़ा में बार्डर के जिलों से चोरी डकैती करायेगा और हमारे क्षेत्र में तथा मेरे लोगों के ऊपर अपराध बढ़ाने की साजिश करेगा तथा मेरे लिए षड़यन्त्र जो करने पर अमादा है, यह नुकसान पहुंचायेगा और कोई न कोई योजना बनाकर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देगा तथा डकैती चोरी आदि कोई अप्रिय घटना करा देगा। इसके बारे में मैंने कई पत्र मा0 मुख्य मंत्री को लिखे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आप विरोध पक्ष में बैठे लोग जातिवाद, पक्षपात न करें, आप भ्रष्ट अधिकारियों से मोल भाव न करें। मैं कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय खण्ड बलिया में श्री आदित्य मलिक, अधिशासी अभियंता और जूनियर इन्जीनियर तथा सहायक इन्जीनियरों ने फर्जी सूखा राहत एवं सड़क का निर्माण कार्य दिखा कर एक करोड़ 50 लाख रुपया फर्जी दिखाकर कई लाख रुपया बिना काम किये तथा बोगस वर्क दिखाकर लूट लिया है। इन सबकी जांच के लिए सदन में 301 में वर्ष 88 में मांग किया था, जांच हुई। सभी दोषी पाये गये हैं, लेकिन पैसा खर्च करके जांच को वाराणसी मंडल में वही अधिशासी अभियन्ता मलिक पहुंच कर वर्तमान बलिया के अधिशासी अभियन्ता श्री मित्तल, प्रान्तीय खण्ड से मिलकर बलिया में दबवा रहा है।

इसी प्रकार 11 लाख रुपया श्री महातम सिंह ने एक्सट्रा एम0 बी0 दिखला कर मार्च, 1987 को निकाल लिया है, जबकि 11 लाख का कोई उपयोग नहीं किया गया है लेकिन उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई है और न कोई रिकवरी ही की जा रही बल्कि मार्जी शीट दबाई जा रही है। तो यह बड़ा ही उपयोगी एवं भ्रष्टाचार हरण का संकल्प है। मैं इस संकल्प पर बल देते हुए सदन से उक्त अधिकारियों के बारे में जांच और कार्यवाही करने की मांग करता हूं और आयोग गठित करने का समर्थन करता हूं।

टिप्पणी :—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्षता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और वह उसके लिए बधाई के पात्र हैं । इसके साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जिन लोगों ने इस संकल्प का समर्थन किया है वह भी बधाई के पात्र हैं । मैं पहली बार सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ अपने को जोड़ रहा हूं, जिन्होंने इस संकल्प का सर्वसम्मति से समर्थन किया है । प्रदेश में आधे से अधिक अधिकारी ऐसे हैं, जो खुले रूप से लूट रहे हैं और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति अर्जित की है । पी0 डब्लू0 डी0 के सचिव [xxx] हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पेट्रोल पम्प लिया है, पत्नी के नाम गैस एजेन्सी करा रखा है, बेटों के नाम कई मकान बनवाने हैं और अपनी [xxx] के नाम लाकर में एक लाख से अधिक के सोने आभूषण रखे हैं । मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर आप कहें तो नाम भी बता दूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप नाम न लें ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, उनका तमाम धन विदेशों में भी जमा है, उनके तमाम मकान लखनऊ में हैं, जो उनके रिश्तेदारों के नाम हैं । उन्होंने तमाम सम्पत्ति अर्जित की है । आप कहें तो मैं उनके नाम भी खोल दूं । जिन्होंने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति अर्जित की है । मान्यवर, जो आयोग गठित करेंगे उसमें बहुत समय लगेगा । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के कार्यकर्ताओं का एक आयोग आप गठित कर दें । 50-50 कार्यकर्ता दोनों पक्षों से कर दें और एक साथ छापा डालकर यह सारा काला धन निकाल दें । 100-100 की एक-एक टोली बना दें और वह सरप्राइज छापा मारकर काला धन निकाल लें । हम स्वयं सक्षम हैं उनके काले धन को निकालने के लिए । आयोग गठित करने में तो काफी समय लगेगा । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है हम सब लोग मिलकर उनके काले धन को बाहर निकाल दें और खजाने में जमा कर दें । सब जानते हैं कि उनका काला धन कहां है । वर्मा जी (रघुबर दयाल वर्मा) जानते हैं कहां पर बेईमान अधिकारी काला धन रखे हैं । कौन माननीय सदस्य नहीं जानता ? सब जानते हैं। इसलिए यह अनुरोध मैं आपसे कर रहा हूं ।

आज आप किसी भी जनपद को ले लीजिए । जो विकास के नाम पर पैसा जाता है उसमें 10 प्रतिशत कमीशन डी0 एम0 को चला जाता है, आर0 ई0 एस0 के अधिशासी अभियंता को चला जाता है, जिला परिषद् के अधिकारियों को चला जाता है और केवल आधे पैसे का ही उपयोग हो पाता है । सारा भ्रष्टाचार ये अधिकारी करते हैं । इस पर थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी। अगर सुधार चाहते हैं तो सख्त कानून पड़ेगा। लखपाल [xxx] है अगर वह भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो डी0 एम0 को सस्पैंड कर दें । भ्रष्टाचार कम हो जायेगा । क्योंकि दूसरा न कर सके । चौधरी चरण सिंह यहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टिप्पणी :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मुख्य मंत्री थे। उनका एक टेरर था। कोई कचेहरी और अदालत में रिश्वत नहीं लेता था क्योंकि वे समझते थे कि कहीं किसी दूसरे वेश में वे न आ जांय और हमें पकड़ लें। इस तरह से उस समय रिश्वत लेना बन्द हो गया था। इसी तरह से तिवारी जी को भी सख्ती करनी चाहिए, भ्रष्टाचार अपने आप बन्द हो जायेगा। दस-पांच लोगों को सस्पेंड कर दिया जाय और एक-आध डी0 एम0 सस्पेंड हो जाय, जैसा कि चौधरी साहब ने किया था तो कुछ ठीक हो जायेगा। लेकिन इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री बसन्त सिंह गहलोत–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय तिवारी जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा और सामयिक संकल्प प्रस्तुत किया जो सरकार को करना चाहिए था। मान्यवर, हमने इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था की है। हमने सामन्तवाद समाप्त किया, राजावाद समाप्त किये, जमींदारी समाप्त किये। लेकिन अधिकारियों के रूप में सर्वसत्ता सम्पन्न एक वर्ग को कायम किया जा रहा है और उनको ज्यादा अधिकार दिये जाने लगे जो उन सामन्तों के पास नहीं थे, जमींदारों के पास नहीं थे, बादशाहों के पास नहीं थे। आज भी वे और अधिक अधिकार प्राप्त करने की योजना बनाते रहते हैं। पहले जो लोग सत्ता में बैठते थे वे लोक कल्याण के लिए समर्पित होते थे लेकिन आज जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए हिन्दुस्तान में कोई कानून नहीं है। जो उनके मन में आता है उसी तरह से कानून की व्याख्या करते हैं और अपनी सारी प्रतिभा, सारी मौलिक क्षमता अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने में लगाते हैं। उन पर आज कोई रोक नहीं है। सबसे बड़ी खराबी की बात यह है कि जब उनमें अधिकार, पूंजी और सारी सत्ता का केन्द्रीकरण हो जाता है तो वे फिर तानाशाह से भी ऊपर हो जाते हैं और किसी में यह जुर्रत नहीं है कि किसी भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई जांच कर सके। मुझे इस बात का ज्ञान है कि भ्रष्टाचार के कुछ मामले यहां पर दिये जा रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की क्षमता नहीं रही। लोक तंत्र में गरीबी उन्मूलन के लिये, लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमने बहुत सारी योजनायें बनाई हैं। लेकिन जब योजनायें बनती हैं उनके लिए यहां से जो धन पास होता है उसका 70 फीसदी यूज नहीं होता है और अधिकारियों की जेबों में चला जाता है अनाप सनाप आंकड़े दे दिये जाते हैं। काम होता नहीं और फर्जी वाउचर बनाकर धन निकाल लिया जाता है। उनसे कम प्रतिभा नहीं है। आपको मालूम है जितना रेवैन्यू इकट्ठा होता है वह आज सब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की तनखाहों में चला जाता है। जो कर्ज लेकर योजनायें चलाई जाती हैं चाहे सड़कों की योजना हो या स्कूल बन रहे हों या अस्पताल बन रहे हों या दूसरी चीजें बन रही हों उनका 70 फीसदी पैसा जेबों में चला जाता है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है। जो सड़कें बनती हैं अगले साल टूट जाती हैं।

आज के इस टैकनोलाजी के युग में जबकि विज्ञान शिखर पर है उसमें यह हालत हो कि सड़क बनने के अगले दिन टूट जाय या बिल्डिंग अगले दिन गिर जाय यह शर्म

का बात है। यह कोई गारन्टी नहीं दे सकता है कि हम यह स्कूल बना रहे हैं वह 5 साल तक भी खड़ा रहेगा । यह सब बातें आज हमारे सामने हैं । धन संग्रह करने के लिए लूट मची हुई है, अधिकारी धन संग्रह करने में लगे हुये हैं । अधिकारी वाद यहां तक बढ़ गया है कि गांवों में एक विलेज लेबर वर्कर हुआ करता था उसने मांग की कि मुझे भी ग्राम्य विकास अधिकारी बनाओं और वह बना दिया गया । वह सेवक कहवाने के लिए तैयार नहीं सेवा भावना अब रह कहां गयी है अधिकार की ही प्रवल भावना आ गयी है । यह इसलिए हुआ कि हमने गलत शब्द का चयन किया। अधिष्ठाता महोदय आफिसर का अनुवाद अधिकारी नहीं होता है यह अनुवाद गलत हुआ है । हमने बहुत से शब्दों का ट्रांसलेशन गलत करके गलत हवा को जन्म दिया है इसे बदलना होगा । आफिसर माने होता है "वन हू होल्डस आफिस" यानी कार्यालय चालक उसके माने अधिकारी नहीं होते । इसी तरह मंत्री ब्रिज होता है शासन और जनता के बीच में। मैं जब जनता के जन प्रतिनिधि उनके सामने समस्यायें प्रस्तुत करता हूं और शासन द्वारा उनसे पूरी कराते हैं परन्तु आज की स्थिति भिन्न है। मंत्री बात ही नहीं सुनते । जनता के प्रति मैं जो जवाबदेह नहीं हैं । मंत्री उन अधिकारियों की योजनानुसार चलते हैं अधिकारियों पर उनका कोई अकुश नहीं रह गया है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बैंकों से जो आप ऋण दिलवा रहे हैं गरीबों को 6 हजार रुपये का वह भी बिना एक हजार रुपये रिश्वत के दिये नहीं दिलवा सकते । यह वास्तविकता है। इस पर भी आप उनको अधिकार देते चले जा रहे हैं। मैंने गृह मंत्री जी को यह बात बतलाया कि यह क्रास केस मामला यह और है एक तो सी0 आई0 डी0 को दिया जा चुका है । दूसरा भी दिया जाना चाहिए । तो उन्होंने कहा कि डी0 आई0 जी0 देख ले। मैंने कहा डी0 आई0 जी0 से क्या मतलब सीधी सीधी बात है आप स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं यदि करना था तो मैं डाक से भी भेज सकता था । मंत्री शासन में एक ब्रिज होता है आप हमारी बात सुन सकते हैं लेकिन आज हालत क्या हो गयी है कि जब हममें से कोई उनके पास जाता है तो वह समझते हैं कि भारी इल्लत आ गयी है । इतने बड़े प्रदेश में इस तरह की मंत्रियों की जहनियत पनप रही है और सरकार पंगु बन रही है यह बात मैं सरकार के मंत्रियों को बताना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करना चाहिए तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है।

डाक्टर बंगाली सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, के संपूर्ण कार्य कलापों एवं संपत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय का समर्थन करता हूं । इस संकल्प को जिस तरह से सत्ता और विपक्ष के लोगों ने सराहा है उनकी मांग है कि ऐसा आयोग बनना चाहिए । तो इससे स्पष्ट जाहिर है कि 40 साल के शासन में इन अधिकारियों ने देश और प्रदेश की जनता की कमाई से कोठियां बनाई हैं। अपना रहन सहन इतना ऊंचा कर दिया है जिसे देखते

हुए मैं समझता हूं कि आजादी के पहले जैसे राजा नवाबजादे रहते थे उसी प्रकार यह राजा आज अधिकारी लोग हैं । आज हाई कोर्ट में जायें तो जज पैसा लेकर स्टे दे देता है । मान्यवर, शराब की नीलामी होने वाली है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर जिले में 50-50 लाख रुपये हर डी0 एम0 को मिलेगा । गाजियाबाद में जितने आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं उन्होंने कई-कई कोठियां बना रखी हैं और शराब में लाखों रुपये पैदा करते हैं । मान्यवर, हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट प्लान में जितना पैसा दिया जाता है उसका जितना इस्तेमाल गांव के विकास में होना चाहिए वह नहीं होता है । हम सत्ता या विरोध पक्ष के लोग देखते हैं कि जब सड़कें बनती हैं तो उनमें खराब ईंट लगाई जाती है लेकिन वहां कोई देखने वाला नहीं है । मान्यवर, एक विशेष बात जिस-पर सरकार चल रही है वह आई0 आर0 डी0 और स्पेशल कंपोनेंट प्लान की योजनाएं हैं जिनपर लाखों रुपये का गबन होता और सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं, इसलिये आयोग अति आवश्यक है ।

मान्यवर, आप देखें पी0 डब्लू0 डी0 के संबंध में सभी को पता है कि वहां कमीशन फिक्स है, इस बात को सरकार, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री सभी जानते हैं लेकिन इसके बावजूद इस पर रोक नहीं लगाई जाती है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ऊपर के लोग सही काम नहीं करेंगे, ऊपर के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगा पायेंगे । जब जिस देश का [xxx] ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग व्यवधान न डालें । शोर न करें । आप लोग बैठ जायें ।

श्री प्रेम पाल सिंह–

जो आरोप लगाया है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

(कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग मेरी बात सुनें । आप लोग बैठ जायें ।

पूर्व में भी व्यवस्था दी जा चुकी है कि जो व्यक्ति यहां आपका उत्तर देने के लिए मौजूद नहीं हैं उनके संबंध में आप कृपया कोई बात न कहें । मा0 सदस्य डा0 बंगाली सिंह संकल्प के सम्बन्ध में ही बोलें।

डाक्टर बंगाली सिंह–

मान्यवर, जितने प्रदेश में आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं उन सभी की 2-2, 3-3 कोठियां हैं सिपाहियों की भर्ती में भी 10-10 हजार लिए जाते हैं और दरोगा को चार्ज देने के लिए भी 20-20 हजार लिए जाते हैं । यह आयोग बड़ा जरूरी है । इसके माध्यम से सबकी जांच कराई जाए । मैं तिवारी जी के संकल्प का स्वागत करते हुए उसका समर्थन करता हूं कि इसकी अवश्य स्थापना की जाय ।

टिप्पणी :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

हम पांच बजे तक इसको चलाएंगे, क्या यहां आप इस सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे और कितना समय लेंगे, क्योंकि पांच बजे तक इस संकल्प में अंतिम निर्णय लेना है ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

संसदीय कार्य मंत्री जी कह गये हैं, वह अभी आ रहे हैं ।

*श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, (व्यवधान) उन्होंने समाजवादी भावना से इस देश और प्रदेश को बनाया है और उन्होंने इसे आगे बढ़ाया है। यह लोग उनकी क्या बात कर रहे हैं? उनकी यह लोग कहीं से बराबरी नहीं कर सकते हैं । उन्होंने हमारे युवा प्रधान मंत्री की बात कही है, जबकि पूरा देश उनके साथ है और उन्होंने देश और प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है । उनके कुशल नेतृत्व में हम और देश सब आगे बढ़ रहे हैं । उनकी मंशा है देश की एकता और अखण्डता को आगे बढ़ाने की और वह उसमें हमें साथ लेकर आगे बढ़ते हुए सफल हो रहे हैं । हम चाहते (व्यवधान) (और व्यवधान) । हमारे देश के न जाने कितने शहीदों के त्याग और बलिदान के बाद यह देश आजाद हुआ है। देश के हजारों बलिदानियों ने मिलकर देश आजाद कराया है और आपको पता होना चाहिए (व्यवधान) सुभाष चन्द्र बोस ने इस देश की आजादी के लिए आई0 सी0 एस0 की पदवी से त्याग पत्र दे दिया था। आपको पता होना चाहिए . . .

(व्यवधान)

*श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम लोग बार-बार कह रहे हैं, आप इनको कह नहीं रहे हैं । माननीय सदस्य को पहले आप इस विषय के बारे में बताइये कि विषय क्या है, उनको किस विषय पर बोलना है? वह कभी आजादी के बारे में बता रहे हैं और कभी अपने राजीव गांधी की तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता–

वह भूमिका है, अभी बता देंगे ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

यह हमारी भूमिका से ही परेशान हो गये हैं, आगे न जाने क्या होगा ? देश की आजादी के बाद यह लोग त्याग करना भूल कर धन पैदा करने में लग गये हैं। पहले हमारे देश के उच्च पदस्थ लोगों ने भी त्याग किये हैं, अपनी नौकरियां त्यागी हैं । हरिद्वार में एक डैम कोठी है, वह जिन अधिकारी के नाम पर बनी है, उनके भी त्याग की कहानी हम सब जानते हैं (व्यवधान) उसी तरह से और जगह भी देखने को मिलता है । वह गोली खाकर मर जाते रहे हैं । किन्तु आज के इंजीनियर्स और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारीगण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नीचे से ऊपर तक सभी मिलकर खूब कमाई कर रहे हैं । ज्यादा न कहते हुए मैं एक बात अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे जिला एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में एवं नगरपालिका जलेसर में सहायता के रूप में या विकास के रूप में ब्लाक स्तर पर लोगों को बांटने के लिए जो अनाज लाया गया, वह बेच लिया गया । मैंने इसकी शिकायत की थी और उसके आदेश भी हो गये थे, लेकिन वह पेंडिंग पड़ा है । उसकी जांच की जाए । वहीं 5 लाख की एक ताल अधूरा पेयजल योजना गत वर्षों से लंबित पड़ी है । इसके अलावा मेरे क्षेत्र में कोयले की 32 इकाइयां हैं, किन्तु एक भी नहीं चल रही है, उनको चलाया जाए । अधिकारियों की सांठगांठ से कोयला ब्लाक कर दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

एक शब्द, एक बात आप विषय पर संकल्प पर कह दीजिए ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

श्रीमन्, नगरपालिकाओं और टाउन एरिया के एलेक्शन के पहले भारत सरकार ने 6 करोड़ रुपया दिया था. . . .

(व्यवधान)

परगना अधिकारी जलेसर ने मिलजुल कर चेक से वह रुपया नगरपालिकाओं के चुनाव के पहले ही निकाल लिया मैं अभी एक घंटे पहले माननीय मंत्री जी से मिला था उनसे मेरी बात हुई थी–

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के नगरपालिका जलेसर में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। जलेसर में खारा पानी का बेल्ट है जिससे पानी की अत्यधिक दयनीय स्थित है सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है–

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

(व्यवधान)

*श्री मूलचन्द–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया । जहां तक आयोग की बात है मान्यवर, बड़े अच्छे विचार पक्ष और विपक्ष के लोगों के हैं मगर समस्या इसलिए प्रतीत नहीं होती है कि "पर्दा हटाईए तो सब नंगे" जिस देश में धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद हो जहां वाद लोग देखते हों, वहां आप आयोग गठित कर दीजिए, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ आप गठित करना चाहते हैं उनका लिंक तो भारत सरकार से है, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप आयोग गठित करें तो भी आप नहीं पकड़ सकते हैं । सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की जितनी गरीबी मिटाने की योजनायें हैं उनका लाभ बड़े अधिकारियों को मिल रहा है वह लोग कमीशन ले रहे हैं तो हमारे प्रदेश में 60 प्रतिशत गरीब लोग हैं और 30 प्रतिशत के करीब सामान्य होंगे और ज्यादा से ज्यादा 7-8 प्रतिशत अमीरी रेखा में होंगे तो आप लोग, जो साठ परसेन्ट गरीब लोग हैं उनकी गरीबी मिटाना छोड़कर जो

(इस समय 4 बजकर 31 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

अमीर लोग हैं उनकी अमीरी मिटा दें तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी, तो आप अमीरी हटाने की योजनायें बनायें गरीबी हटाने की योजनायें न बनाएं । इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा । आप निजी पूंजी की सीमा निर्धारित कर दें । जैसे कि जमीन की सीमा निर्धारित है 18 से 12 एकड़ । इसी तरह से आप निजी पूंजी की सीमा निर्धारित कर दें, तो ईमानदारी आ सकती है । मैं तिवारी जी के विचारों का स्वागत करता हूं । आज के आई0 ए0 एस0 भारत सरकार के साथ मीटिंग कर रहे हैं । यहां के मंत्री यहां के विधायक उनका कुछ नहीं कर पाएंगे । दूसरी बात यह है कि आयोग तो गठित किया जा सकता है लेकिन आयोग से कोई विशेष फायदा नहीं होगा केवल एक फारमैलिटी पूरी करना होगा । कितने ही आयोग गठित हुये, चाहे मंडल आयोग हो या सरकारिया आयोग हो कोई विशेष फायदा नहीं निकला । आयोग को आप गठित कर दीजिये आयोग के लोग भी इसी विचार के होंगे और उनको भी कुछ फायदा मिलना शुरू हो जायगा । देहात में एक कहानी कही जाती है उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं । एक बादशाह थे जो बड़े नेक थे और वह काम अपने विवेक से करते थे । उनके सेक्रेटरी लोगों ने सोचा कि हमारी चलती नहीं है इसलिये बादशाह को गुमराह किया जाय । उन्होंने बादशाह से कहा हुजूर आप अफीम खाया कीजिये उससे आपकी सेहत में सुधार होगा । उनकी सलाह पर बादशाह अफीम खाने लगे । जब वह अफीम खाने लगे और उनकी नजर गिर गयी तो उनको लोगों ने सलाह दी कि आप मलाई इस्तेमाल किया करें ।

बादशाह के लिये 8 किलो दूध आने लगा । चार दिन तक दूध ठीक आया उसके बाद जो दूध लाने वाला था उसने 2 किलो खुद पी लिया और दूध में 2 किलो पानी मिला दिया । नतीजा यह हुआ कि दूध में मलाई कम होने लगी । जब यह बात सामने आयी कि मलाई क्यों कम हो रही है तो उसके ऊपर जांच अधिकारी बना दिया गया । इसके बाद 2 रोज तक दूध ठीक आया । उसके बाद जांच अधिकारी ने 2 किलो दूध खुद पीना शुरू कर दिया और 2 किलो पानी मिलाना शुरू कर दिया । इसका नतीजा यह हुआ कि दूध 4 किलो रह गया और 4 किलो उसमें पानी मिलने लगा । इससे मलाई और कम हो गयी । मलाई कम होने पर उसकी जांच करने के लिये एक और इंसपेक्टर नियुक्त हुआ तो इस तरह से अधिकारी लोग सारा दूध पीने लगे और बादशाह मर गया । तो इसी तरह आयोग का कोई फल नहीं निकलेगा । जब तक बड़े-बड़े लोगों की निजी पूंजी पर आप अंकुश नहीं लगायेंगे, संपत्ति की व्यक्तिगत सीमा नहीं निर्धारित की जायगी तब आयोग बनाने से कोई विशेष फायदा

नहीं होगा । तिवारी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । आप यह योजना बनायेंगे, गरीब समझेगा कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिये आयोग गठित हो गया मगर उससे कोई फायदा नहीं होगा ।

संसदीय एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, इसमें बहुत से लोगों की रुचि है । मेरा अनुरोध है कि आप वक्तव्य ले लें और इस पर चर्चा जारी रहेगी । दूसरे दिन इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है । मैं समझता हूं कि आज माननीय सदस्य जाने वाले भी हैं, इसको कांटीन्यू रहने दिया जाय ।

मद संख्या–11 तथा 12 बाद में ली जायंगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के संबंध में आज 9 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

दिनांक 10 फरवरी, 1989 को रात्रि से के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के जूनियर डाक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

(माननीय श्री गोपीनाथ दीक्षित के खड़े होने पर ।)

एक सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की अनुमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया ।)

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

[दिनांक 10-2-89 को जूनियर डाक्टर्स एसोशियेशन के सदस्यगण भारत के प्रधान मंत्री के लखनऊ नगर के बेगम हजरत महल पार्क में आगमन के अवसर पर पार्क के समीप अपनी मांगों को लेकर काले झन्डे दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे । इनके प्रदर्शन से उत्पन्न हो रही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-2-89 को डा0 पंकज अग्रवाल, डा0 तरून सचदेवा, डा0 संजीव कुमार वर्मा व डा0 अनुपम सेन गुप्ता–सभी डाक्टरों ने गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ की आकस्मिक चिकित्सा सेवा में परीक्षण कराया । परीक्षण के अनुसार इन सभी जूनियर डाक्टरों को चोटें आई हैं । डा0 पंकज अग्रवाल का बाएं हाथ की हड्डी के टूटने के संबंध में उपचार किया गया है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–जिला प्रशासन के अनुसार पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया । उनके द्वारा जूनियर डाक्टरों के जलूस को बलपूर्वक बढ़ने से रोका गया ।

3–घटना की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी द्वारा आयुक्त, लखनऊ मंडल से जांच कराएं जाने का निर्णय लिया गया है और तद्नुसार आदेश जारी किए जा रहे हैं । जांच के उपरांत ही घटना के सम्बन्ध में सही स्थिति सामने आयेगी ।

4–प्राप्त जानकारी के अनुसार जूनियर डाक्टरों की हड़ताल केवल के0 जी0 मेडिकल कालेज से सम्बद्ध गांधी मैमोरियल अस्पताल तक ही सीमित रही । इस हड़ताल के कारण चिकित्सालय के बाह्य रोगियों तथा भर्ती रोगियों पर अवश्य ही कुप्रभाव पड़ा परन्तु समुचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई । उपचार के अभाव में किसी भी मरीज की मृत्यु की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

5–जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिनांक 11-2-89, 12-2-89 एवं 13-2-89 को मेरे एवं मेरे सचिव गणों द्वारा उत्तर प्रदेश जूनियर डाक्टर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से वार्ता की गई । वार्ता के दौरान जूनियर डाक्टरों की विभिन्न मांगों के संबंध में समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप जूनियर डाक्टरों द्वारा दिनांक 13-2-89 को सायंकाल से हड़ताल समाप्त कर दी गई और इस समय के0 जी0 मेडिकल कालेज, से सम्बद्ध गांधी मैमोरियल अस्पताल का कार्य सामान्य रूप से चल रहा है ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि जो जूनियर डाक्टर्स थे वह प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन देने जा रहे थे । यदि हां तो उस ज्ञापन में मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं और उनको किन बातों को लेकर काले झन्डे दिखाये गये ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी को कोई ज्ञापन देने की सूचना तो मुझे नहीं है लेकिन स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और उसमें 10 मांगें थी। उस सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ और उसके फलस्वरूप उनसे सभी मांगों पर उचित और आवश्यक समझौता हो गया और उन्होंने हड़ताल वापस ले ली ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर लिखा है उसमें लिखा है कि परीक्षण के अनुसार इन सभी डाक्टर्स को चोटें आयी हैं और डा0 पंकज अग्रवाल के बायें हाथ की हड्डी टूट गयी है और उसका उपचार किया गया है । आगे फिर आपने वक्तव्य में लिखा है कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज नहीं किया गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि डा0 पंकज अग्रवाल के हाथ की हड्डी टूटने का कारण क्या था । क्या इस घटना की रिपोर्ट थाने में अंकित है यदि हां तो उस रिपोर्ट की विवेचना कौन कर रहा है यह बताने की कृपा करें ।

टिप्पणी :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जो वक्तव्य में लिखा हुआ है उसके अनुसार यह घटना चूंकि पुलिस विभाग की है। मैंने वहां से जानकारी की है और इस संदर्भ में जो कुछ विभाग ने कहा है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ लेकिन हड्डी टूटी है यह सब बात की जानकारी के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आयुक्त को जांच सुपुर्द कर दी है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें जो वक्तव्य है इसके दो हिस्से हैं इसलिए दो सवाल पूछना चाहता हूं पहला तो माननीय तिवारी जी ने जो पूंछा था कि जो 10 सूत्री मांग पत्र कोई दिया गया था उस पर कुछ वार्ता हो गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि विभाग और जूनियर डाक्टर के बीच में क्या वार्ता हो गयी है और उनकी जो 10 मांगे थी उनकी किस-किस मांग पर शासन ने क्या-क्या निर्णय लिया ? दूसरा जो पंकज अग्रवाल की चोट का मामला है तो मुख्य मंत्री जी ने जांच दे दी अब इसमें केवल इतना जानना है कि क्या उसकी कोई एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, यदि लिखाई गयी है तो एफ0 आई0 आर0 पढकर सुना दें, क्या है ?

*श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, दूसरी बात की सूचना मेरे पास नहीं है एफ0 आई0 आर0 की। स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित जो मांगें थीं, उसमें एक मांग तो उनकी यह थी कि उनके खिलाफ कार्यवाई की जाय जो लाठीचार्ज के दोषी हैं तो उस सम्बन्ध में कमिश्नर को जांच दे दी गयी है, दूसरी बात यह थी कि रेजीडेन्सी स्कीम लागू की जाय इस संबंध में यह निश्चय हो गया है कि 10 मार्च तक इसको अंतिम रूप दे दिया जायेगा, 31 मार्च तक जी0 ओ0 निकाल दिया जायेगा और अगस्त 1987 से इनकी मांग है, इसको लागू किया जाए तो इस पर विचार किया जायेगा। तीसरी मांग यह थी कि उनका वेतन जिन दिनों में वह हड़ताल हुई थी 70 दिन की इस बीच में उनकी पढ़ाई का पीरिएड बढाया गया था इसका वेतन नहीं दिया गया था तो इसमें यह तय हुआ है कि वेतन देने का प्रश्न मंत्रिमंडल में रखा जायेगा, चौथी मांग यह थी कि सरकारी कर्मचारियों के बराबर उनका वेतन हो तो यह उनकी मांग समता समिति को संदर्भित कर दी गयी है, पांचवी मांग उनकी यह थी कि जो डाक्टर इस समय एम0 बी0 बी0 एस0 में भर्ती हो रहे हैं उनसे बांड न भराया जाय इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करने का उन्हें आश्वासन दिया गया है, छठवीं मांग उनकी यह थी कि अन्य प्रदेशों के छात्र न्यायालय की अनुमति लेकर सी0 पी0 एम0 टी0 में भर्ती होते हैं यह भर्ती बन्द कर दी जाय इस सम्बन्ध में सरकार ने आश्वासन दिया है कि सरकार न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेगी, सातवीं मांग यह थी कि छात्रावास का विस्तार किया जाय उसमें कक्ष और बालकनी आदि बनायी जाय तो इसमें धन की व्यवस्था करने का प्रयास किया जायेगा उनकी आठवीं मांग यह थी कि 30 अप्रैल, 1989 को जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था उनका कार्यकाल न बढ़ाया जाय यह मांग उनकी स्वीकार कर ली गयी है उनकी नवीं मांग यह थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि प्रोक्टोरल बोर्ड की स्थापना की जाय इस सम्बन्ध में विचार करने का आश्वासन दिया गया है और दसवीं मांग यह थी कि हड़ताल के कारण जो मुख्य रूप से होती है, किसी को प्रशासनिक या आर्थिक रूप से दण्डित न किया जाय इसका भी उन्हें आश्वासन दे दिया गया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि अभी तक पुलिस से रिपोर्ट नहीं आई है और घटना की रिपोर्ट भी नहीं लिखी है मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब वह रिपोर्ट आ जाय तो सदन के सामने रख दी जाय और रिपोर्ट हुई या नहीं, अगर नहीं लिखाई गयी है तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह तो वैसे ही बात है "नांव नांव झगड़ालू आवें, पैरत आगें साखी" जिनका मामला था उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है । मैं समझता हूं कि चिन्ता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, जो कुछ उनकी बात है उसकी बात कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं 21 तारीख के 11 बजे तक के लिए ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 31 मिनट पर 21 फरवरी, 1989 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊः
17-2-1989

भास चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38 (2) के ता0प्र0सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर]

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

दिनांक		धनराशियां
4-1-83	..	25,00,000·00
12-4-83	..	10,00,000·00
20-5-83	..	25,00,000·00
15-9-83	..	5,00,000·00
15-9-83	..	5,00,000·00
15-9-83	..	15,00,000·00
12-10-83	..	3,50,000·00
12-10-83	..	1,50,000·00
24-12-83	..	5,00,000·00
13-1-84	..	2,00,000·00
13-1-84	..	8,00,000·00
8-3-84	..	10,00,000·00
31-3-84	..	20,00,000·00
19-6-84	..	3,00,000.00
19-6-84	..	2,00,000·00
22-6-84	..	4,04,200·00
13-8-84	..	20,00,000·00
21-1-85	..	20,00,000·00
19-4-85	विकास कार्य हेतु ..	30,00,000·00
29-4-85	..	67,300·00
1-1-86	..	10,00,000·00
	योग ..	2,24,71,500·00

टिप्पणी:—उपर्युक्त धनराशियों के अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 32.80 लाख मूल्य की सीमेण्ट तथा लोहा भी निर्माण निगम को उपलब्ध कराया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

संख्या	भू0पू0 मंत्री का नाम	आवास संख्या	12/88 तक बकाया
1	श्री जयराज गौतम ..	7, नया उपमंत्री आवास	1,66,743.05
2	श्री शिवानन्द नौटियाल ..	1, उपमंत्री आवास	1,59,992.30
3	श्री गुलाब सेहरा ..	12, कालीदास मार्ग	1,23,899.35
4	श्री सच्चिदानंद बाजपेयी ..	4, साउथ एवेन्यू	59,903.50
5	श्री हबीबुर्रहमान नोमानी	10, एवेट रोड नार्थ	2,30,071.79
6	श्री के0 एन0 राय	4, दारुलशफा	1,70,877.60
7	श्री दलजीत सिंह	10, पुराना उपमंत्री आवास	1,48,605.40
8	श्री इन्द्रजीत	1, माल एवेन्यू	2,01,718.35
9	श्री एल0आर0 आचार्या	4, साउथ एवेन्यू	44,532.40
10	श्री धीरेन्द्र सहाय	1, टाइप–5 राजभवन	1,45,962.80
11	श्री जफर अली नकवी ..	7, लालबहादुर शास्त्री मार्ग	39,473.14
12	श्री संजय सिंह	19, विक्रमादित्य मार्ग	66,375.16
13	श्री सुनील शास्त्री	9, मालएवेन्यू	39,576.84
14	श्री प्रवीण कुमार शर्मा ..	18, गौतमपल्ली	35,472.05
15	कु0 सरस्वती अम्माल ..	3, दारुलशफा	44,494.62
16	श्री मुजफ्फर हसन ..	4, साउथ रोड	1,00,006.18

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या--64 के उत्तर में उल्लिखित सूची)

1984		
	उप अभियन्ता (सिविल)	1--श्री मानिक चन्द्र
	उप अभियन्ता (विद्युत)	2--श्री कैलाश नाथ
	उप अभियन्ता (यांत्रिक)	3--श्री रुद्री विशाल पाण्डे
	उप अभियन्ता (यांत्रिक)	4--श्री भरत राम
1985		
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	5--श्री सतीश चन्द्र राय
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	6--श्री अजय त्रिपाठी
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (विद्युत)	7--श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
	उप अभियन्ता (सिविल) (विद्युत)	8--श्री संजीव कक्कड़
	उप अभियन्ता (विद्युत)	9--श्री भोजराज सिंह
	उप अभियन्ता (सिविल)	10--श्री राम दत्त (अनु0जाति)
	उप अभियन्ता (विद्युत)	11--श्री वी0पी0 राय
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	12--श्री अनिल कुमार शुक्ला
	उप अभियन्ता (सिविल)	13--श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव
	उप अभियन्ता (सिविल)	14--श्री राजेन्द्र कुमार आर्य (अनु0जाति)
	उप अभियन्ता (सिविल)	15--श्री मान सिंह (अनु0 जाति)
	उप अभियन्ता (यांत्रिक)	16--श्री गुप्तेश्वर नाथ सिंह
	उप अभियन्ता (यांत्रिक)	17--श्री आलोक कुमार
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	18--श्री एस0एच0आई0 आबदी
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	19--श्री ए0 के0 पाण्डे
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	20--श्री धर्मेन्द्र कुमार
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (विद्युत)	21--श्री सन्त राम
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	22--श्री सुधीर कुमार शुक्ला
	उप अभियन्ता (विद्युत)	23--श्री के0 एस0 राजपूत
	उप अभियन्ता (सिविल)	24--श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	25--श्री हरकेश बहादुर सिंह
	उप अभियन्ता (सिविल)	26--श्री नित्या नन्द सिंह
	उप अभियन्ता (सिविल)	27--श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव
1985		
	उप अभियन्ता (सिविल)	28--श्री विनोद कुमार सिंह
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	29--श्री अवनी कुमार (अनु0जाति)
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (यांत्रिक)	30--श्री संजय कुमार
1986		
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (विद्युत)	31--श्री अमी चन्द्र जैन
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	32--श्री सुधीर कुमार तायल
	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	33--श्री अजय कुमार मिश्रा

उप अभियन्ता (विद्युत)	34—श्री राम सिंह (अनु0जाति)
उप अभियन्ता (सिविल)	35—श्री राजीव श्रीवास्तव
उप अभियन्ता (सिविल)	36—श्री कवल बस मौर्या
उप अभियन्ता (सिविल)	37—श्री राकेश कुमार सिंह
उप अभियन्ता (सिविल)	38—श्री विनय कुमार गुप्ता
उप अभियन्ता (सिविल)	39—श्री उदय प्रताप सिंह
उप अभियन्ता (सिविल)	40—श्री सुबोध कुमार अग्निहोत्री
उप अभियन्ता (सिविल)	41—श्री पन्ना लाल (अनु0जाति)
उप अभियन्ता (सिविल)	42—श्री संजय चौधरी (अनु0जाति)
उप अभियन्ता (सिविल)	43—श्री नवल प्रकाश सिंह
उप अभियन्ता (सिविल)	44—श्री नवीन चन्द्र लोहानी

1987

सहायक स्थानिक अभियन्ता (यांत्रिक)	45—श्री उमेश कुमार
सहायक स्थानिक अभियन्ता (यांत्रिक)	46—श्री योगेश कुमार (सक्सेना)
सहायक स्थानिक अभियन्ता (यांत्रिक)	47—श्री एच0एन0 कर पाठक
सहायक स्थानिक अभियन्ता (विद्युत)	48—श्री चन्दन कुमार श्रीवास्तव
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	49—श्री गिरीजेश कुमार (अनु0जाति)
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	50—श्री संदीप प्रकाश
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	51—श्री कुमार मालवीय
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	52—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	53—श्री राजेश कुमार (अनु0जाति0)
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	54—श्री अनिल कुमार गुप्ता
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	55—श्री सुरेन्द्र तिवारी
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	56—श्री गौतम कुमार नायक
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	57—श्री राजीव गर्ग
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	58—अम्बरीश कुमार अग्रवाल
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	59—श्री चन्द्र कान्त सकलानी
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	60—श्री आलोक बाजपेई
सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	61—श्री अरविन्द तिवारी
उप अभियन्ता (सिविल)	62—श्री कवीन्द्र शेखर काण्डपाल
उप अभियन्ता (सिविल)	63—श्री हरेन्द्र प्रसाद भट्ट
उप अभियन्ता (विद्युत)	64—श्री अखिलेश कुमार (अनु0जाति)
उप अभियन्ता (यांत्रिक)	65—श्री सुरेन्द्र सिंह
उप अभियन्ता (यांत्रिक)	66—श्री राम चन्द्र सिंह
उप अभियन्ता (यांत्रिक)	67—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
स्ट्रक्चरल ड्राफ्टसमैन (सिविल)	68—श्री—रामकिशोर

नोट : क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 29, नियमित किये जा चुके हैं।

1988

शून्य

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 101 की सूची

क्रम-संख्या	फैक्ट्री/संस्थान का नाम एवं कोड नं0	कर्मचारियों की संख्या
1	मै0 सीतापुर प्लाईउड मै0 सीतापुर 21-1096-92	879
2	मै0 पुलिस ट्रांसपोर्ट वर्कशाप सीतापुर 21-1419-74 ..	98
3	मै0 कपूर फार्मेसी, सीतापुर 21-1603-37	16
4	मै0 बालाजी वेजीटेबिल प्रोडक्ट्स, सीतापुर 21-1613-03 ..	98
5	मै0 जे0 बी0 आयल इण्डस्ट्रीज, सीतापुर 21-9167-06 ..	18
6	मै0 प्रकाश आयल मिल्स, सीतापुर 21-9168-06 ..	10
7	मै0 ओमप्रकाश प्रहलाद राय, सीतापुर 21-9173-06 ..	07
8	मै0 विजय आयल मिल्स, सीतापुर 21-9176-06 ..	15
9	मै0 रवि प्रिन्टर्स, सीतापुर 21-1901-83	08
10	मै0 पी0 बी0 फ्लोर मिल्स, सीतापुर 21-1912-84 ..	12
11	मै0 रम्पा टाकीज, सीतापुर 21-1964-21	20
12	मै0 गवर्नमेंट सेवा क्रय केन्द्र, सीतापुर 21-1978-65 ..	10
13	मै0 राजे मोटर्स, सीतापुर 21-1979-74	17
14	मै0 जमुना इण्डस्ट्रीज, सीतापुर 21-1989-67	17
15	मै0 चित्रा सिनेमा, सीतापुर 21-1991-21	27
16	मै0 एस0 के0 स्टील इण्डस्ट्रीज, सीतापुर	27

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

प्रश्न सं0-113

(देखिए अता0 प्र0 सं0 113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

नार्म संख्या रा0 मा-24/यू0पी0/860 49 के अन्तर्गत किए गए अनुबन्धों की सूची

क्रम-संख्या	अनुबन्ध संख्या व दिनांक	अनुबन्ध की धनराशि	अधिकारी का नाम जिसके द्वारा अनुबन्ध स्वीकृत किया गया (ड्रा किया गया)
1	2	3	4
1	3/ई.ई.-86-87 दिनांक 6-5-86 ..	रु0 1,56,600.00	श्री अब्दुल कवी खां अधिशासी अभियन्ता अ0रा0मा0 खण्ड नं0-2, सा0नि0वि0, लखनऊ।
2	5/ई.ई.-86-87 दिनांक 28-7-86 ..	रु0 1,49,150.0	तदैव
3	7/ई.ई.-86-87 दिनांक 2-8-89 ..	रु 1,56,600.00	तदैव
4	11/ई.ई.-86-87 दिनांक 14-8-86 ..	रु0 1,56,600.00	तदैव
5	14/ई.ई.-86-87 दिनांक 16-8-86 ..	रु0 1,56,600.00	तदैव
6	15/ई.ई.-86-87 दिनांक 20-8-86 ..	रु0 1,35,375.00	तदैव
7	17/ई.ई.-86-87 दिनांक 23-8-86 ..	रु0 2,90,700.00	तदैव
8	18/ई.ई.-86-87 दिनांक 11-9-86 ..	रु0 4,38,900.00	तदैव
9	20/ई.ई.-86-87 दिनांक 15-9-86 ..	रु0 1,76,130.00	तदैव
10	21/ई.ई.-86-87 दिनांक 27-9-86 ..	रु0 53,200.00	तदैव
11	22/ई.ई.-86-87 दिनांक ..	रु0 1,56,600.00	तदैव
12	23/ई.ई.-86-87 दिनांक 13-10-86 ..	रु0 1,35,375.00	तदैव
13	24/ई.ई.-86-87 दिनांक 13-10-86 ..	रु0 57,420.00	तदैव
14	25/ई.ई.-86-87 दिनांक 25-10-86 ..	रु0 1,45,350.00	तदैव
15	26/ई.ई.-86-87 दिनांक 28-10-86	रु0 1,76,130 00	तदैव
16	28/ई ई -86-87 दिनांक 1-12-86	रु0 1,76,130.00	तदैव

1	2	3	4
17	31/ई0ई0-86-87 दिनांक 4-12-86	रु0 99,500.00	अ0रा0, मा0 खंड नं0-2, सा0नि0वि0, लखनऊ।
18	1/ई0ई0-87-88 दिनांक 1-4-87	रु0 1,45,350.00	तदैव
19	12/ए0ई01/86-87 दिनांक 3-10-86	रु0 27,352.59	श्री अशोक कुमार वर्मा सहायक अभियन्ता, अ0रा0मा0 खण्ड नं0-2, सा0नि0वि0, लखनऊ।
20	13/ए0ई0-1/86-87 दिनांक 6-10-86	रु0 43,733.25	तदैव
21	14/ए0ई0-1/86-87 दिनांक 6-10-86	रु0 43,733.25	तदैव
22	17/ए0ई0-1/86-87 दिनांक 11-11-86	रु0 49,500.00	तदैव
23	18/ए0ई0-1/86-87 दिनांक 9-12-86	रु0 12,065.00	तदैव
24	19/ए0ई0-1/86-87 दिनांक 11-3-87	रु0 49,500.00	तदैव

ह0
अधिशासी अभियन्ता,
अ0रा0 मार्ग खण्ड नं0 2, सा0नि0वि0,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 121 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

परिशिष्ट--"क"

जनवरी 1986 से मार्च 1988 तक खोली गयी अस्थाई अग्रदायों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम	पद	धनराशि	अग्रिम प्रकीर्ण में डाली गई धनराशि
1	2	3	4	5
1	सर्वश्री ए0के0वर्मा ..	सहायक अभियन्ता	2242807.02	
2	डी0एन0सक्सेना ..	तदैव	913602.43	54016.75
3	सुशील कुमार ..	तदैव	66446.27	
4	जी0के0त्रिपाठी ..	तदैव	295983.08	
5	ए0के0सिंह ..	अवर अभियन्ता	47418.70	
6	बी0एन0गुप्ता ..	तदैव	57876.15	3367.50
7	जे0एन0दीक्षित ..	तदैव	2020.40	
8	मोहरमन सिंह ..	तदैव	54455.18	
9	आर0एस0दुबे ..	तदैव	24810.10	
10	आर0एस0दीक्षित ..	तदैव	125446.04	
11	पी0सी0सिन्हा ..	तदैव	21855.15	
12	मो0शकील ..	तदैव	60164.07	
13	एस0सी0सक्सेना ..	तदैव	2080.00	
14	आर0एस0निगोटिया ..	तदैव	27292.97	6623.50
15	एस0के0मौर्या ..	तदैव	26741.53	8400.80
16	आर0बी0सिंह ..	तदैव	46301.19	
17	देवी दयाल ..	अवर अभि0 (यां0)	155499.56	63.80
		योग ..	4170799.84	72472.35

उत्तर प्रदेश विधानसभा

परिशिष्ट--"ख"

माह 1/86 से 3/88 तक के स्थाई अग्रदायों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम	पद	धनराशि	अग्रिम प्रकीर्ण में डाली गई धनराशि
1	2	3	4	5
1	सर्वश्री ए0 के0 वर्मा ..	सहायक अभियन्ता	8190.00	
2	डी0 एन0 सक्सेना ..	तदैव	5000.00	
3	ए स0 सी0 सक्सेना ..	अवर अभियन्ता	10351.47	
4	मोहरमन सिंह ..	तदैव	9985.25	
5	आर0 एस0 दुबे ..	तदैव	4999.50	
6	पी0 सी0 सिन्हा ..	तदैव	5999.84	
7	एस0 के0 मौर्या ..	तदैव	3997.82	245.50
8	जे0 एन0 दीक्षित ..	तदैव	6688.25	
9	मो0 शकील ..	तदैव	9815.70	
10	बी0 एन0 गुप्ता ..	तदैव	1497.40	
11	आर0 एस0 दीक्षित ..	तदैव	2700.00	
12	ए0 के0 सिंह ..	तदैव	4000.00	
13	आर0 बी0 सिंह	तदैव	2499.00	
14	आर0 एस0 निगोटिया ..	तदैव	1000.00	1000.00
15	आर0सी0 जायसवाल ..	तदैव	1000.00	472.40
16	देवी दयाल ..	अवर अभि0 (यां)	4493.71	63.80
17	सुनील शर्मा ..	तदैव	1000.00	
		योग ..	83217.90	1781.70

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0-9 विधान सभा (16)-1989-8131